# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 1 पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 58 वां दिवस संख्या 26

मंगलवार,

दिनांक 16 मई, 1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

(कृषि वित्त, शिक्षा, खनिज, जन-सम्पर्क, आयोजना, उद्योग, अकाल सहायता, अन्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड, जन स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन, गृह, स्वायत्त शासन, सहकारिता एवं सहायता विभाग)

1. **श्री अध्यक्ष** : प्रश्न।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

**राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा काश्तकारों को ऋण**

**सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** (आमेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जयपुर, सांगानेर एवं आमेर तहसीलों में क्रमशः ट्रेक्टरों, पंपिंग सैट्स आदि के लिए गत दो वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को कितना-कितना ऋण दिया गया है ? गांववार राशि बतलाने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बैंकों द्वारा उक्त कार्य के लिए ऋण उन्हीं गांवों के किसानों को स्वीकृत किया जाता है जो गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं ? यदि हां, तो ऐसा किस कारण से है तथा जो गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं उन्हें इस तरह के ऋण दिलाये जाने का सरकार के पास क्या विकल्प है ?

(3) ऋण देते समय क्या बैंकों द्वारा इस आशय का शर्त रखी जाता है कि जब तक एक साथ 30 ऋण-कर्ताओं के आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते तब तक बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं किया जाता है ?

**राज्य मंत्री, सहकारिता** (श्री जुझार सिंह) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सम्बन्ध रखता है इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : अध्यक्ष महोदय...

**सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब तो मुझे पहले भी दिया जा सकता था। इतने महत्व का प्रश्न है। आज बैंकों के बारे में असन्तोष काश्तकार वर्ग में व्याप्त है और आप यह कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेण्ट से सम्बन्ध है।

# Page No. 2



(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)
तो यह किसकी गलती है ? मेरी गलती है या सरकार की ?

**वित्त मंत्री** ( श्री चन्दनमल वैद ) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मैं दे देता हूं।

(1) राष्ट्रीयकृत बैंक राज्य सरकार के अधीन नहीं होने से यह सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंकों को सूचना भेजने हेतु लिख दिया गया है।

(2) व (3) राज्य सरकार भी यह चाहती है कि ऐसे किसानों को बैंकों के द्वारा अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध हो जिससे कि उनका आर्थिक विकास हो। इस विषय में हम बैंकों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर विकास हेतु सुविधाजनक ऋण दिलवाने का प्रयत्न करेंगे।

**सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** : क्या इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है ?

**श्री मोहरसिंह (चूरू)** : इसको, प्रभावशाली तरीके से मजबूर करने की क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री चन्दनमल वैद** : मैं अर्ज करूं कि ये बैंक हमारे अधीन नहीं हैं। बातचीत के द्वारा ही इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया जायगा।

**श्री मोहरसिंह** : ऐसे कौन से कदम उठा रहे हैं कि जिनसे यह आपकी बात को मान सकें और उनकी जो योजना है उसको प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करा सकें।

**श्री चन्दनमल वैद** : उनके एजेन्ट्स और मैनेजर्स से बात कर रहे हैं। दुबारा और बातचीत करूंगा कि सरकार जैसा चाहती है उस तरह से करें। उसका भी कोई असर नहीं होगा तो रिजर्व बैंक से बात करूंगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या इस प्रश्न में जो सूचना चाही गई है उस सूचना को मंगाने का प्रयत्न किया है और उनका उत्तर आ गया है या उनका कहना है कि वे डाइरेक्टली आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं हैं इसलिये सूचना नहीं देंगे या आपने सूचना मांगी ही नहीं ?

**श्री चन्दनमल वैद** : उनको लिखा है, लेकिन जितनी जल्दी अपने डिपार्टमेंट से सूचना प्राप्त कर सकते हैं इतनी जल्दी राष्ट्रीयकृत बैंकों से सूचना मिल जाय यह संभव नहीं है।

**सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** : मेरा निवेदन है कि जब सरकार इस संबंध में उत्तर देने में असमर्थ थी तो प्रश्न-सूची में इस प्रश्न को सम्मिलित क्यों किया गया ?

**श्री चन्दनमल वैद** : सरकार ने सम्मिलित नहीं किया है।

**श्री मोहरसिंह** : आपने कौनसी तारीख को लिखा है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : यह प्रश्न आने के बाद में।

**श्री मोहरसिंह** : कौन सी तारीख को लिखा है ?

# Page No. 3



**श्री अध्यक्ष** : श्री भरतलाल ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, यह पता तो लगना चाहिए कि कितना समय चाहिए बैंकों को ?

**श्री चन्दनमल बैद** : प्रश्न के समय प्राप्त नहीं हुई । प्रश्न में जिनके बारे में सूचना चाहते हैं उन बैंकों को लिखा है । मैं आपसे यह नहीं कह सकता कि वे सूचना देना चाहते हैं या नहीं, यह माननीय सदस्य के समझने की बात है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह स्थिति साफ नहीं हुई कि इन्फार्मेशन क्वेश्चन की दी या नहीं दी या सूचना देने से इन्कार कर रहे हैं या सूचना कलेक्ट करने में समय की ज्यादा जरूरत है । यह आप स्पष्ट करें ।

**श्री अध्यक्ष** : जवाब आया नहीं है ।

**सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** : बैंक तो जानकारी देने में असमर्थ रहेंगी और सरकार को जानकारी है नहीं ।

**श्री चन्दनमल बैद** : यह सही है बिल्कुल कि राष्ट्रीयकृत बैंक सूचना देने में असमर्थ हैं ।

**सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव** : बैंक उनको लोन नहीं दें और सरकार को सूचना और जानकारी नहीं दें तो फिर सरकार इसका क्या इन्तजाम कर रही है ?

**श्री चन्दनमल बैद** : इसका यह इन्तजाम है कि पार्लियामेंट में प्रश्न पूछे जायं ।

**प्रश्न संख्या 515**

**श्री अध्यक्ष** : श्री भरतलाल ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

**प्रश्न संख्या 516**

श्री योगेन्द्र नाथ हांण्डा ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

**प्रश्न संख्या 517**

श्री भैरू लाल ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

**प्रश्न संख्या 518**

श्री रामेश्वरलाल चौधरी ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

**प्रश्न संख्या 519**

श्री विजयसिंह

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री अमृतलाल गहलोत ।

**रोल्ड स्टील ज्वाइंट्स का वितरण**

520 **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान लघु उद्योग निगम को पिछले चार वर्षों में किस किस नाप (साइज) की रोल्ड स्टील ज्वाइन्ट्स किस किस स्टील प्लांट से प्राप्त हुई और उनका किन लोगों को किस कार्य के लिए किया गया ?

# Page No. 4



**राज्यमंत्री, उद्योग** (श्रीमती कमला-बेनीवाल): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जो विवेचन है और जो सूचना है बड़ी विस्तृत है इसलिए वह सूचना तैयार होकर नहीं आई है। उसके आने पर उत्तर दूंगी।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित किया गया।

**श्री अमृतलाल गहलोत** : कब तक हो जायगा।

**प्रश्न संख्या 521**

**श्री अध्यक्ष** : श्री पी के. चौधरी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

**प्रश्न संख्या 522**

श्री रामसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

**प्रश्न संख्या 523**

श्री महेन्द्र कुमार।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्रीमती समुद्र कंवर।

**ग्राम ऊण में ट्यूब वैल**

524. **श्रीमती समुद्र कंवर** (आहोर): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

गांव ऊण, तहसील आहोर में जो सरकारी ट्यूब वेल है उस गांव ऊण को नल योजना से जोड़ने के लिए क्या सरकार के पास कोई मांग पेश हुई है? अगर हां, तो यह कार्य कब तक चालू हो जायगा तथा क्या गांव वालों के साथ-साथ मवेशी के लिए भी व्यवस्था की जायेगी?

**जन-स्वास्थ्य मंत्री** (श्री चन्दनमल बैद): जी हां, योजना बनाई जा रही है और शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा विचार कर लिया जावेगा। योजना में प्रति व्यक्ति 10 गैलन प्रति दिन का प्रावधान किया जाता है जिसमें क्षेत्र के पशुओं के लिए भी प्रावधान शामिल है, अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : यह कब तक पूरा कर दिया जायगा?

**श्री चन्दनमल बैद** : योजना बनाई जा रही है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : बनाई तो जा रही है लेकिन इम्प्लीमेंट कब होगी?

**श्री चन्दनमल बैद** : योजना बनाने के बाद उसकी तकनीकी जांच होगी और फिर फण्ड्स का प्रावधान किया जायगा और तब ही बताया जा सकता है कि कितनी बड़ी योजना है और कब तक पूरी होगी।

**प्रश्न संख्या 525**

**श्री अध्यक्ष** : श्री किशनसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

**प्रश्न संख्या 526**

श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

**प्रश्न संख्या 527**

श्री प्रद्युम्नसिंह।

(श्री अध्यक्ष)

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनलाल छंगाणी।

**जयपुर उद्योग को दिया गया ऋण**

528. **श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य सरकार ने तथा राजस्थान वित्त निगम ने सन् 52 से फरवरी 72 तक जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर को किन किन शर्तों पर व कितना कितना कर्जा कब कब दिया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जयपुर राज्य अथवा राजस्थान सरकार का सन् 52 में कितना कर्जा जयपुर उद्योग लिमिटेड की ओर बकाया था?

(3) क्या उपरोक्त कर्ज की वसूलियां समय पर होती रही हैं? यदि हां, तो किस वर्ष का दिया हुआ कर्जा निर्धारित शर्तों के अनुसार किस समय प्राप्त हुआ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1957 पी. डी. आर. एक्ट अथवा अन्य किसी कानून के अन्तर्गत वसूली क्यों नहीं की?

**राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल)** : माननीय अध्यक्षजी, इसकी भी सूचना अभी पूर्णतया उपलब्ध नहीं हुई है इसलिए इसको स्थगित करने की कृपा करें।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : I will submit, Sir, that the Government cannot postpone the question. There are no provisions like this under the rules where the Government could seek postponement.

**श्री अध्यक्ष** : The Government can request the Speaker to postpone the question.

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : But there is no provision sir,

**श्री अध्यक्ष** : Yes.

**प्रश्न संख्या 529**

श्रीमती नगेन्द्र बाला।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री सुरेशचन्द्र।

**सीकर जिले की ग्रामीण जल-प्रदाय योजना**

530. **श्री सुरेशचन्द्र (कोटपुतली)** : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सीकर जिले में ग्रामीण जल-प्रदाय योजना किन किन ग्रामों में है?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम दांता एवं दांतारामगढ़ में जल-प्रदाय योजना चालू है? यदि हां, तो जब से योजना चालू हुई थी कौन कौन कर्मचारी कब तक रहे गये तथा अब कौन कौन हैं? इन कर्मचारियों ने यात्रा भत्ता सीकर आने जाने का लिया है? अगर हां, तो माह

# Page No. 6



(श्री सुरेशचन्द्र)
दिसम्बर, 1971 से मार्च, 1972 तक किस कर्मचारी ने यात्रा भत्ता किन तारीखों में लिया है तथा किन कर्मचारियों का बकाया है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने को कृपा करें।

**जन स्वास्थ्य मंत्री** (श्री चन्दनमल बैद): (1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां। इन योजनाओं पर जो कर्मचारी रखे गये तथा जो अब काम कर रहे हैं सूची संलग्न है। इन कर्मचारियों में से जिन कर्मचारियों ने यात्रा भत्ता माह दिसम्बर 71 से मार्च 72 तक सीकर जाने आने का लिया है मय तारीख के पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। यात्रा भत्ता किसी भी कर्मचारी का बकाया देय नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट-1-देखिये)

**प्रश्न संख्या 531**

**श्री अध्यक्ष** : श्री राजेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री भानुकुमार शास्त्री।

**जामर कोटडा परियोजना**

531. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झामर कोटडा कि परियोजना स्वीकार की गई है?

(2) क्या यह सही है कि परियोजना पर लगे हुये कर्मचारियों को सैद्धान्तिक रूप से राज्य सरकार ने भत्ता देना स्वीकार किया है ? यदि हां, तो वहां पर नियुक्त कर्मचारियों को वह भत्ता दिया जा रहा है या नही ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार ने परियोजना पर मिलने वाली नियमानुसार सभी सुविधाएं (स्कूल, डिस्पेन्सरी व रिक्रिएशन सेन्टर) इत्यादि का प्रबन्ध किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या झामर कोटडा पर कार्य करने वाले श्रमिकों को मिनिमम वेजेज एक्ट के आधार पर पारिश्रमिक दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या माइन्स एक्ट के अन्तर्गत झामर कोटडा के कर्मचारियों को सभी सुविधाएं दी जाती हैं ?

**राज्य मंत्री** (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां। राज्य कर्मचारियों को भत्ता देने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) आवश्यक सुविधायें शनैः शनैः वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर दिलाई जावेंगी।

(4) मिनिमम वेजेज एक्ट झामर कोटडा के राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं है ?

(5) जिन कर्मचारियों के लिए माइन्स एक्ट लागू है उन कर्मचारियों को उसके अन्तर्गत सुविधायें दी जाती हैं।

# Page No. 7



**श्री भानुकुमार शास्त्री** : मंत्री महोदय ने इस प्रश्न के भाग (2) का उत्तर हां में दिया है तो क्या भत्ता दिया जा रहा है या कार्यवाही की जा रही है ?

**श्री जुझारसिंह** : उनको प्रोजेक्ट में लेना मन्जूर कर लिया गया है और उस प्रोजेक्ट के तहत जितना भत्ता दिये जाने का है वह दिया जावेगा।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : दिया जायेगा। अभी तक तो नहीं दिया जा रहा है। आप इसका उत्तर क्यों नहीं देते हैं ?

**श्री जुझारसिंह** : वह जिस डेट से है, उनको दे दिया जायेगा। दुविधा यह है कि बहुत से कर्मचारी कोटा में नहीं रहते हैं। वह नहीं रहते इसी लिए उस पर आब्जेक्शन हो रहा है। जो लोग मुस्तकिल तौर पर रहेंगे उनको दिया जायेगा।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : यानी जो वहां रह रहे हैं, उनको देने की व्यवस्था है ?

**श्री जुझारसिंह** : उनको 20% भत्ते के रूप में दिया जायेगा जो मन्जूर है। लेकिन प्रोजेक्ट में बहुत से काम करने वाले ऐसे हैं जो वहां रहते हैं। उन सबका निर्णय हो जाने के बाद में कि किन को दिया जायेगा, किन को नहीं दिया जायेगा, जिस डेट से मन्जूर हुआ है, दिला दिया जायेगा।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : क्या यह राज्य सरकार मजदूरों का शोषण नहीं कर रही है ? दो-दो रुपये दे रही है तथा उनको कोई फेसिलिटी नहीं है।

**श्री जुझारसिंह** : यह तो मिनिमम वेजेज एक्ट से कवर ही नहीं होते हैं।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : यह तो राज्य सरकार बहाना ले रही है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : मजदूर पर मिनिमम वेजेज एक्ट क्यों लागू नहीं है ? इसके लिए क्या आधार बताया है?

**श्री जुझारसिंह** : प्रश्न पर विचार करने के बाद कह सकता हूं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : गवर्नमेन्ट एम्पावर्ड है, लागू करने के लिए। यह बहाना गलत है कि यह लागू नहीं है। यह कहिये कि लागू नहीं किया है।

**श्री जुझारसिंह** : मैं विचार करके निवेदन कर सकूंगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित रखें।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय विचार करेंगे और मजदूर पिटते रहेंगे।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : सारा प्रश्न मिनिमम वेजेज एक्ट पर आधारित है।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय।

**श्री जुझारसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं है। कई डिफीकल्टीज हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मिनिमम वेजेज एक्ट लागू करना चाहिए

# Page No. 8



(... नन्द अग्रवाल)

... ह कर ... कते हैं। यह तो सरकार पर निर्भर करता है। यह तो आप एश्योरेंस दे सकते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह तो सरकार के स्वयं के मानस की बात है। सरकार अपना मानस क्यों नहीं बनाती है ?

श्री जुझार सिंह : वहां पर टेम्प्रेरी लेबर हैं। आसपास के क्षेत्र में मजदूरों को जिस प्रकार से मिलता है, उसी हिसाब से दिया जा रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सवाल यह है कि लीगल आपत्ति को आपने एग्जामिन किया है ? इसका स्पष्टीकरण आप के पास है तो ठीक है नहीं तो आगे दिया जायेगा।

श्री जुझार सिंह : मैंने निवेदन किया, विचार करके देख लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

**चूरू जिले में वृक्षारोपण**

533. श्री मोहन सिंह (चूरू) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चूरू जिले में वृक्षारोपण की क्या योजना है ?

(2) अब तक इस योजना के अन्तर्गत कितने वृक्ष लगाये गये हैं ?

(3) अब सड़कों के किनारे वृक्षारोपण की क्या योजना है ?

(4) क्या लोगों को वृक्षों की पौध देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है ? यदि हां, तो कितने पौधे सालाना तैयार किये जा सकते हैं और कौन कौन से स्थान पर उपलब्ध होते हैं ?

वन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) चूरू जिले में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में 700 किलो मीटर लम्बी पंक्तियों में सड़कों के किनारे वृक्ष लगाये जाने की योजना है। वृक्षारोपण हेतु पौधे तैयार करने के लिए तीन पौध शालाएं, तालछापर, चूरू एवं डूंगरगढ़ में बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त चारागाह सुधार कार्य एवं रेतीले टीबों का स्थिरीकरण कार्य के अन्तर्गत भी वृक्षारोपण किया जा रहा है।

(2) 1971–72 में सड़कों के किनारे 15 हजार वृक्ष लगाये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त चरागाह सुधार एवं टीबा स्थिरीकरण क्षेत्रों में 1971–72 तक 20 हजार वृक्ष और लगाये जा चुके हैं।

(3) सड़कों के दोनों किनारों पर तथा पंक्तियों के रूप में वृक्ष 1971–72 में 150 किलोमीटर, 1972–73 में 250 किलो मीटर एवं 1973–74 में 300 किलो मीटर पंक्तियां लगाई जायेंगी।

(4) जी हां। वितरण हेतु पौधे, चूरू, तालछापर एवं डूंगरगढ़ स्थित पौध शालाओं से किये जा सकते हैं जहां लगभग एक लाख पौधे तैयार किये जाते हैं।

श्री मोहर सिंह : क्या यह सही है कि जो पौधे तैयार किये जाते हैं, वह पर्याप्त नहीं होते है जिले को मांग पूरी करने के लिए ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने जो योजना हाथ में ली है, तीन सड़को पर वृक्ष लगाने

(श्री परसराम मदेरणा)

के लिए, वह करीब 150 किलोमीटर क्षेत्र है। उसके लिए वृक्षों की आवश्यकता होगी। वहां कम से कम 30 हजार की जरूरत होगी।

**श्री मोहरसिंह :** यह कौन कौन-सी सड़कों पर पौधे लगाये गये हैं।

**श्री परसराम मदेरणा :** वृक्षारोपण किया है, रतनगढ़ से चूरू, 9 कि. मी., सरदार शहर से रतनगढ़ 8 कि. मी. इसी तरह से 8 कि. मी. और।

**श्री भीम सेन (लूणकरण सर) :** यह कब लगाये गये ?

**श्री परसराम मदेरणा :** 71–72 से पौधे का काम लिया है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** क्या सरकार ने यह जानकारी की है कि इन दो वर्षों में लागये हुए वृक्ष कितने जीवित रहे और कितने नहीं ?

**श्री परसराम मदेरणा :** यह जानकारी हमारे पास नहीं है।

**श्री मोहरसिंह :** जो बताया गया है वह गलत है।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य :** मौके पर कोई है या नहीं ?

**श्री परसराम मदेरणा :** यह जानकारी हम ले लेंगे। यह हो सकता है कि कुछ पौधे रेत के नीचे आ गये हों, इसकी सम्भावना है। मैं यह जानकारी ले लूंगा। 15 हजार लगाये गये हैं। कितने जीवित हैं, कितने मर गये हैं ?

**श्री निरंजन नाथ आचार्य :** और कितने बेहोश हैं ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** विभागीय अधिकारियों को जानकारी नहीं रहती है। फिर कैसे कह सकते हैं कि मर गये है।

**श्री परसराम मदेरणा :** पिछले साल लगाये गये हैं। यह सम्भव नहीं है। यह योजना चल रही है। वहां पानी पिलाने के लिए भी स्टाफ लगा हुआ है। पूरी की पूरी योजना लगी हुई है। इसको आगे और चलाना है चतुर्थ योजना में। इसीलिए यह प्रश्न नहीं उठता है।

**श्री मूलचन्द सामरिया :** (अश्रव्य)

**श्री परसराम मदेरणा :** अध्यक्ष महोदय, जिस समय कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए इन्फार्मेशन सीक करनी होती है।

**श्री मूलचन्द सामरिया :** यह भी संभव हो सकता है, दब गये हों, मर गये हों। कोई पता नहीं लगेगा। कह दिया गया हो कि खत्म हो गये हैं।

**श्री मोहरसिंह :** अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि पौधे लगाने और पानी देने की क्या व्यवस्था है ?

**श्री परसराम मदेरणा :** इसके बारे में कह दिया गया है।

**प्रश्न संख्या 534**

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट ! श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

**अधिकारियों को सरकारी वाहन का निजी उपयोग में लाने का अधिकार**

535 **श्री शंकरलाल (पाली)** : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिन सरकारी अधिकारियों को सरकारी वाहन उपयोग में लाने का अधिकार है उन्हें अपने निजी उपयोग में वाहन का प्रयोग नहीं करना चाहिये ? क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो उन नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सरकारी अधिकारियों द्वारा वाहनों का अपने निजी कार्य के लिये नियमों के विपरीत उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाते हैं और वे कदम कहां तक सफल रहे हैं ?

**राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्रीमती कमला बेनीवाल)** : (1) जी हां, इस सम्बन्ध में बने हुए नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ?

(2) वाहनों का उपयोग सरकारी कार्य हेतु ही किया जावे इस सम्बन्ध की हिदायतें समय समय पर जारी की जाती हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

**श्री शंकरलाल** : हिदायत जारी की जाती हैं, जैसा मैंने आपको बताया, रूल नम्बर 7 में है, 7 (ए) :Departmental vehicles are not intended to be used within ten miles of the office of the department at whose disposal vehicles are placed.
यहां पर हम अकसर देखते हैं, आपके डिपार्टमेंट की गाड़ी है, वह बंगले से आफिस और आफिस से बंगले जाने के लिए है लेकिन वह शहर में घूमती है। इस प्रकार रूल्स का पालन नहीं होता है। हम आये दिन देखते हैं। इसके लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? आप देखती हैं नियमों का आपको पता है, सब माननीय सदस्य देखते हैं कि डिपार्टमेंट की गाड़ी शहर में घूमती है, और रूल नम्बर 7 का पालन नहीं होता है ।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : हिदायत के बाद उसका पालन सख्ती से नहीं हो रहा है तो सख्ती से पालन कराने की व्यवस्था की जायगी ।

**श्री शंकरलाल** : अभी तक व्यवस्था नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि पंचायत समिति की जीप है, उस जीप का दुरुपयोग होता है। उसमें घर के आदमी जाते हैं, सिनेमा देखने को जाते हैं। सरकार को गाड़ी और जीप होती है उसका दुरुपयोग होता है। इसकी व्यवस्था करें और नियम है इसका पालन भी हो।

**श्री योगन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़)** : ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाया गया है जिन्होंने व्हीकल्स का मिसयूज किया है ? ऐसे बहुत से अधिकारियों के मामलों को एन्टी करप्शन ने पकड़ा है, विभिन्न विभागों की गाड़ियों के बारे में शिकायत आई है कि आम तौर पर व्हीकल्स का मिसयूज होता है, इसके बारे में क्या एक्शन लिया है ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : एन्टी करप्शन के पास जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें जिस प्रकार की उस प्रकार की व्यवस्था की गई और कार्यवाही की गई है। आम तौर पर गाड़ियों को इधर उधर ले जाते देखते हैं लेकिन जब तक गाड़ियों को ले जाने की सूचना विधिवत प्राप्त नहीं हो तब तक कार्यवाही नहीं कर सकते।

**श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : यह सूचना कौन दे ?

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : विधान सभा के अन्दर इसका उल्लेख हुआ है, आम तौर पर हो रहा है गाड़ियों का मिसयूज तो सरकार को इसे आधार पर बना कर व्यवस्था करनी चाहिए ?

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : मिसयूज होने की सूचना कौन दे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : गाड़ियों के मिसयूज पर पाबन्दी करने के लिये कोई नियम नहीं है ?

**मुख्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां)** : मंत्री अपने आप नियम कर लेते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मंत्रियों के लिये नियम नहीं बने हुए हैं और सरकारी अधिकारियों के लिये बने हुए हैं, उन पर पाबन्दी है कि गाडियां ऐसे निजी उपयोग में नहीं लाई जायं। वाहन उपभोग के लिये मंत्रियों के लिए नियम बने हुए हैं या उनके डिस्क्रिशन पर छोड़ा हुआ है ?

**श्री बरकतुल्ला खां** : मंत्रियों के लिये जहां तक प्रश्न है, सिर्फ यह कह सकता हूं कि 50 गेलन से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते उससे ज्यादा करें तो पेट्रोल का खर्च उनको देना पड़ेगा। जहां तक नियम का सम्बन्ध है, कोई ऐसा नियम नहीं है। मिनस्टर खुद ख्याल रखते हैं, पब्लिक फिगर होते हुए इन गाड़ियों का मिसयूज न करें।

**श्री अध्यक्ष** : श्री वृद्धिचन्द जैन।

536. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)** : (श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) की अनुपस्थिति में) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के रामसर, गागरीया एवं आचवर गांवों में जल कष्ट की भयंकर समस्या है ? इन गांवों की जन संख्या अलग अलग क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांवों में सरकार रेल्वे टंकियों द्वारा लगातार 25 साल से पानी पहुंचा रही है ?

(3) यदि हां, तो प्रत्येक गांव में कितना कितना पानी पहुंचाया जा रहा है और उन पर सालाना कितना व्यय होता है ? गत 25 साल के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि जो पानी उक्त गांवों में रेल्वे टंकियों द्वारा पहुंचाया जाता है वह बिल्कुल अपर्याप्त है ? यदि हां, तो कितना पानी प्राप्त होता है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त गांवों में सरकार ने नलकूप खोदे हैं। जो सफल नहीं हुए हैं ?

# Page No. 12



(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उक्त गांवों में पानी पहुंचाने की सुविधा के लिये तुडवी ट्यूब वैल की योजना बनाई जिसकी दो साल पहले सर्वे हो चुकी है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या सरकार उक्त योजना को इसी साल कार्यान्वित करने का विचार रखती है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां, वर्षा न होने पर जल संकट रहता है, जनसंख्या सन् 1961 की जनगणना के अनुसार निम्न प्रकार है :

रामसर– 1596, गागरिया 392, भाचवर 522

(2) जी हां, करीब 20 साल से आवश्यकता पड़ने पर गर्मी के मौसम में रैल्वे टंकियों द्वारा पानी सप्लाई किया जाता रहा है।

(3) गागरिया, भाचवर में एकांतरे पर एक टंकी व रामसर में एक टंकी प्रति दिन के हिसाब से पहुंचाई जाती है। एक टंकी की क्षमता लगभग 2300 से 2500 गेलन होती है। वर्षा बिल्कुल न होने की हालत में रामसर में बड़ी टंकी लगभग 4000 गेलन की भी दी जाती है। इन पर एक टंकी का व्यय गागरिया व भाचवर के लिए 73 रु. व रामसर के लिये 123रु. खर्च होता है। गत 25 साल में सालाना व्यय कितना हुआ इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो ट्यूब वैल योजना है...

श्री चन्दनमल बैद : अभी और है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप बैठ गये।

श्री चन्दनमल बैद : गलती हुई मेरी।

(4) जी हां, एक व्यक्ति का लगभग 2 गेलन पानी प्रतिदिन मिल जाता है।

(5) जी नहीं, 250 नलकूप योजना के अन्तर्गत नलकूप खोदना प्रस्तावित था परन्तु भौमकिय कारणों से इसको विशेषज्ञों ने रद्द कर दिया।

(6) जी हां। योजना को अन्तिम स्वरूप दिया जाना बाकी है। अतः योजना की प्रति मेज पर नहीं रखी जा सकती।

(7) योजना का संशोधन किया जा रहा है और संशोधन के पश्चात् स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह कब तक योजना स्वीकृत कर ली जायगी ?

श्री चन्दनमल बैद : इस सदन की जानकारी के लिए अर्ज कर देना चाहता हूं, योजना में 21 गांव शामिल थे, कुल योजना हुई थी 44 लाख 31 हजार रुपये की, 21 गांव शामिल थे और इतने रुपये खर्च होने थे– इसमें तकनीकी गलती पाई गई, इसलिए उसमें संशोधन किया जा रहा है, यह संशोधन हो जायगा तो लागू कर दी जायगी।

प्रश्न संख्या 537

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला । (अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन !

**ग्राम भोजरासर व दूदेर के काश्तकारों को अकाल के दौरान वितरित राशि**

538. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भोजरासर व दूदेर तहसील लूणकरणसर के काश्तकारों को संवत् 2026 के अकाल के दौरान स्पेशल एसिस्टेन्स की राशि वितरित की गई ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की गलती से यह गांव उस वर्ष अभावग्रस्त घोषित नहीं किये जाने से स्पेशल एसिस्टेन्स की राशि एक मुश्त में वसूली योग्य ठहराई है, जब कि इस गांव में उस वर्ष में वास्तविक रूप से इस तहसील के समस्त गांवों के साथ-साथ अकाल था ?

(3) क्या सरकार मानवीय दृष्टि अपना कर अन्य अभावग्रस्त गांवों के काश्तकारों की भांति इस गांव के काश्तकारों से भी स्पेशल एसिस्टेन्स की राशि चार सालाना किश्तों में ही वसूल करने का आदेश प्रसारित करेगी ?

**मंत्री, अकाल सहायता** (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां ।

(2) जी नहीं । ग्राम भोजरासर अभावग्रस्त घोषित है । अतः वहां एक मुश्त वसूली का प्रश्न नहीं है । ग्राम दूदेर अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया– क्योंकि वहां 50 प्रतिशत से कम खराबा था । इस कारण वहां दी जाने वाली विशेष सहायता को अनियमित करार दिया जाकर एक मुश्त में वसूली योग्य ठहराया गया है ।

(3) जी नहीं ।

**श्री भीमसेन**: अध्यक्ष महोदय, यह सरकार को मालूम है, संवत् 2025 में सारे राजस्थान में 23 जिलों में अकाल था, बीकानेर उसमें अकालग्रस्त घोषित हुआ था, 2026 में सारे जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया सिवाय एक गांव के 50 प्रतिशत से कम खराबा होने की वजह से । जब कि वहां वास्तव में अकाल था, वहां सरकार ने लोगों को असिस्टेन्स दिया है, उस गांव में फोडर का इन्तजाम किया है, सब प्रबन्ध किया है- वह राशि अनियमित तरीके से दी गई, तो क्या सरकार इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए चार किश्त में जिस तरह से अभावग्रस्त गांवों में वसूल कर रही है, उसी तरह से यहां पर करने का विचार कर रही है ?

**श्री परसराम मदेरणा** : बीकानेर में 651 गांव हैं उनमें से 2026 में 630 गांवों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था, 21 गांवों में स्केअरसिटी डिक्लेअर नहीं की गई थी । यह हाल 2025 के अकाल में हुआ, 2026 में अच्छी फसल हो गई, उसके बाद में अभाव की स्थिति नहीं रही, वहां वह रिलीफ नहीं दे सकते थे जो अकाल सहायता विभाग द्वारा अभावग्रस्त गांवों में दिया जाता है । इस गांव का प्रश्न है, इस

Page No. 14



[श्री परसराम मदेरणा]

गांव में चाहे पेयजल की व्यवस्था कर दी गई-यह व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन वहां के कलेक्टर ने कर दी। पानी की व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिएथी, पानी की किल्लत थी, वैसे कुछ गांव अकाल ग्रस्त होता है तो करते आये हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था हो सकी—यह व्यवस्था ठीक है। इसके साथ में चारे की व्यवस्था कर दी गई। 2025 में पूरा जिला अभावग्रस्त था, इसमें रैगुलेराईज कर दिया गया। चारे की व्यवस्था ठीक है, वह ठीक है, और जो असहाय सहायता दी है, उसकी वसूली होनी चाहिए। वैसे चार सालों में एनुग्रल इन्स्टालमेंट इक्वल वसूल करते हैं जिन गांवों में सबसे ज्यादा रिलीफ जरूरी होता है। इसको अभाव ग्रस्त घोषित नहीं किया गया इसलिये आडिट के एतराज पर, और आडिट पार्टी के एतराज के साथ इन्टरनल आडिट पार्टी गई थी, उसने भी एतराज किया था, इसलिए ऑडिट पेरा बन गया, इसलिए यह आदेश दिये गये कि एकमुश्त वसूली होनी चाहिए।

**श्री भीमसेन** : वास्तव में वहां अकाल था, इसलिए जिला के अधिकारियों ने जो दूसरों को सहायता दी, वैसी इसे दी है। ऑडिट पार्टी द्वारा एतराज करने पर आपके ध्यान में आया कि टेक्निकली अभावग्रस्त नहीं था, तो क्या इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप चार किश्तों में वसूली करने का आदेश नहीं दे सकते ?

**श्री परसराम मदेरणा** : जिला के अधिकारी इस प्रकार ये सक्षम नहीं होते, इनको पावर कन्फर नहीं की गई है कि जो अभावग्रस्त नहीं है, जो गजट में अभावग्रस्त डिक्लेअर नहीं हुए हैं, उनको रिलीफ दे दिया जाय। यह बात ध्यान में आई तो वसूली के आदेश दे दिये गये।

**श्री भीमसेन** : इसका मतलब यह हुआ कि वास्तव में अभावग्रस्त था, तभी जिला अधिकारियों ने स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे सहायता दी। आप टेक्निकल रूप से कहते हैं यह गांव अभावग्रस्त घोषित नहीं किये गये हैं इसलिए नहीं कर सकते लेकिन वास्तव में आपका राहत पहुंचाने का उद्देश्य है इसलिए आपको विचार करना चाहिए।

**श्री परसराम मदेरणा** : राजस्व विभाग और फाइनेन्स डिपार्टमेंट के द्वारा अभावग्रस्त घोषित करने के लिये क्राइटेरिया हैं और वह यह है कि पूरा रकबा है उसका पचास पर्सेन्ट या उससे ज्यादा डेमेज होना चाहिए। यह गांव जिसका नाम दुदेर है, इसमें खराबा हुआ है वह 43 पर्सेन्ट हुआ है, और 43 पर्सेन्ट जब खराबा हुआ, तो ऐसे किसी भी गांव को, जिसमें पचास पर्सेंट से कम खराबा हो, राजस्थान में अभावग्रस्त सहायता विभाग ने घोषित नहीं किया है। जब नहीं किया है तो राज्य अधिकारी सक्षम नहीं होते कि अपनी ओर से रिलीफ दे दें। आडिट पार्टी और इन्टरनल चेक पार्टी ने इसे रिलीफ देने की बात कही, जब कि स्केअरसिटी डिक्लेअर नहीं है तो भी वहां दे दिया गया, पानी और चारे के लिए समझ लें, वहां तकलीफ थी उसको देखते हुए दे दिया लेकिन असहाय सहायता जहां पर खराब पर्सेन्ट हो वहां देते हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)
यह साढ़े बारह रुपये प्रति व्यक्ति थी, जो नहीं दी जा सकती इसलिए यह पूरी की पूरी वसूल की जायगी।

**श्री भीमसेन** : यह तो विशेष परिस्थिति है, सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। जैसे तहसील के और पास वाले गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है, वैसे ही इसको भी करना चाहिए। अभावग्रस्त करने का क्राइटेरिया कर्मचारियों पर डिपेंड करता है। विशेष परिस्थिति थी, सारे तहसील के गांव अभावग्रस्त थे और यह गांव अकेला अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया, इसलिए सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : यह स्पष्ट है कि जब इस गांव के चारों तरफ गांव अभावग्रस्त थे और उसमें 50 प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है तो इस गांव विशेष में कैसे कम खराबा हुआ है? पटवारी की गलती है या कोई टेक्निकल मिस्टेक है, इस गांव को राहत देनी चाहिए।

**श्री परसराम मदेरणा** : यह गांव आइसोलेटेड है। 78 गांव जो अभावग्रस्त घोषित हुए हैं वह कन्टीन्यू एरिया है। हमारा स्केयरसिटी मैप होता है। जहां तक सहानुभूति का सवाल है, मेरी माननीय सदस्य के तर्क के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन जैसा सदन को मालूम है अजमेर जिले के एक गांव में 50 प्रतिशत से कम खराबा था, उसको जब अभावग्रस्त घोषित किया गया था, उस समय एक प्रश्न सदन में उठा था और तमाम इन्क्वायरी उस समय के अध्यक्ष विधान सभा को दी गई थी, उसमें मेरा स्टेटमेंट भी लिया गया था...

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : वह इन्क्वायरी रिपोर्ट राज्य सरकार को भी भेजी गई है।

**श्री परसराम मदेरणा** : इसलिए हमने किसी ऐसे गांव को पिछले 4-5 सालों में अभावग्रस्त घोषित नहीं किया है, जिसमें 50 प्रतिशत खराबा नहीं है। हो सकता है कोई गांव आईसोलेटेड हो उसकी हम जांच करवाते हैं। 4 साल के स्टैंडिंग क्राप्स नहीं हैं, उसके बाद हम क्या जांच करायें?

**श्री भीमसेन** : इन गांवों के चारों तरफ अभावग्रस्त गांव थे, यह अकेला रह गया।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : पटवारियों की सहानुभूति नहीं है तो उनकी सहानुभूति ले लें। मंत्री की तो है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मूलचन्द सामरिया।

## संस्कृत शिक्षा

539. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य सरकार संस्कृत शिक्षा की उपयोगिता के बारे में क्या विचार रखती है?

(2) क्या यह शिक्षा पुरुष व महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करती है?

(3) स्वतंत्रता के बाद राज्य सरकार ने कुल कितने संस्कृत कालेज खोले?

(श्री मूलचन्द समारिया)

(4) इनमें से कितने-कितने कालेज लड़कियों व लड़कों की पढ़ाई के लिए है ?

(5) क्या सरकार राज्य में अन्य संस्कृत कालेज खोलने का विचार रखती है ?

**राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह):**

(1) राज्य में सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा, उसके अनुशीलन द्वारा राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता तथा नैतिक शिक्षा की दृष्टि से इसकी उपयोगिता तो है।

साथ ही संस्कृत शिक्षा अपने आप मानव जननी भारतीय भाषा है जिससे सभी भाषाओं की उत्पति हुई है। इसके तुलनात्मक अध्ययन से भी उसकी उपयोगिता है।

(2) जी हां। इस शिक्षा में पुरुष एवं महिला दोनों को कोई भेद न रखते हुए सहशिक्षा के रूप में समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : लिंग भेद नहीं है।

**श्री जुझार सिंह** : (3) सूची संलग्न है।

(4) संस्कृत शिक्षा में सहशिक्षा है अतः लड़के लड़कियां समान रूप से प्रवेश ले सकते हैं। लड़कियों के लिए अलग से कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। गैर सरकारी क्षेत्र में दि. जैन आदर्श महिला विद्यालय, श्री महावीरजी तथा गुरुकुल दाधिया है।

(5) इस वर्ष कालेज खोलने के लिए बजट में प्रावधान नहीं है।

(परिशिष्ट 2 देखिये)

**श्री मूलचन्द सामरिया** : क्या सरकार कन्याओं के लिए अलग से कालेज खोलने का इरादा रखती है ?

**श्री जुझारसिंह** : दोनों के लिए है समान रूप से।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : सामान्य शिक्षा महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबर है।

**श्री जुझारसिंह** : अलग से कन्याओं के लिए खोलने का विचार नहीं है।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : जब सामान्य शिक्षा दोनों के लिए बराबर है और अलग कालेज है तो संस्कृत शिक्षा के लिए अलग क्यों नहीं है।

**श्री जुझारसिंह** : आप इसकी जानकारी करेंगे तो इसमें जो कालेज है उनमें दोनों लड़के और लड़कियां, शिक्षा ले रहे हैं।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** : (श्री मूलचन्द सामरिया से) : आप दकियानूसी युग से आगे आयें।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : गुरुकुल परम्परा में महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग शिक्षा दी जाती थी। क्या य नीति अख्तियार करना चाहते हैं ?

**श्री जुझारसिंह** : यह तो 20वीं शताब्दी की बात है।

# Page No. 17



**श्री भानुकुमार शास्त्री** : संस्कृत की भाषा की उपयोगिता के बारे में मंत्री महोदय ने कहा। क्या संस्कृत भाषा की यही महत्ता है कि आज जो कालेज खुले हुए हैं उनमें शास्त्री और आचार्य चपरासी का काम कर रहे हैं?

**श्री कुम्भारसिंह** : यह अलग से प्रश्न है।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : प्रश्न यह है कि जैसे मेट्रिक में आपने संस्कृत अनिवार्य रूप से रखी है। उसके अंक श्रेणी में नहीं गिने जाते। शास्त्री और आचार्य चपरासी के रूप में भरे पड़े हैं। कॉलेज में लाईब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार दुर्गति में चल रही है जैसे कोई अनाथालय हो। इस प्रकार की दुर्गति संस्कृत की बनाकर ऊपर से केवल पत्र पढ़कर महत्ता बताना उचित नहीं है।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : मंत्री महोदय से अगर जानकारी करूं कि संस्कृत कालेजों से निकले ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो सामान्य शिक्षा वाले हैं आई.ए.एस. आई.पी.एस., आर.ए.एस., आर.पी.एस. की तुलना में कितने हैं तो आप निल-फिगर बतायेंगे। इससे जाहिर है कि सरकार संस्कृत शिक्षा को कितना महत्व देती है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

**बीकानेर शहर के अनुसूचित जाति के मोहल्लों में पाइप लाइन डालने के लिये स्वीकृत राशि**

*540. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : (श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) की ओर से) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग से जो धनराशि अनुसूचित जाति के मोहल्लों में पाइप लाइन डालने के लिए बीकानेर जिले में मन्जूर की गई थी वह धनराशि अनुसूचित जाति के लोगों के मोहल्लों में खर्च न करके अन्य लोगों के मोहल्लों में खर्च कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या इस सम्बन्ध में शिकायत भी हुई है? अगर हां, तो विभाग ने इन पर क्या कदम उठाए हैं?

**जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद)**: जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता। जी हां, जिला परिषद् में यह सवाल उठाया गया था कि बी. डी. ओ. अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग व क्षेत्र के सदस्य विधान सभा द्वारा विवादास्पद जगहों का निरीक्षण किया जाना था। अभी तक यह निरीक्षण नहीं हो पाया।

**श्री भीमसेन** : कई गांवों में पाइप लाइन लगाने के लिए धनराशि मन्जूर हुई थी, वहां अभी तक क्यों नहीं पाइप लाइन डाली गई है?

**श्री चन्दनमल बैद**: तीन जगह से शिकायत आई तो वहां पर जिला परिषद् की मीटिंग हुई। उसमें यह सवाल उठा। उसमें तय किया गया, कमेटी बनाई गई उसमें बी.डी.ओ, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर जलदाय विभाग और उस क्षेत्र के विधायक तीनों जाकर निरीक्षण करें जहां पाइप लाइन लगाई है

(श्री चंदनमल बैद)
और रिपोर्ट दें कि वास्तव में पाइप लाईन जहां लगानी चाहिए थी हरिजनों के मोहल्लों में वहां पर लगाई या नहीं। वह रिपोर्ट जब तक न आ जाए तब तक इस बारे में कार्यवाही करने में मैं असमर्थ हूं। अगर तीनों सज्जन जाकर निरीक्षण करें और रिपोर्ट दें तो उस रिपोर्ट के अनुसार हम कार्यवाही करेंगे।

श्री भीमसेन : पैसा मंजूर किया था लाइन नहीं लगी, यह सवाल है।

श्री शंकरलाल ( पाली ) : अनुसूचित जाति के मोहल्लों के लिए पाइप लाईन लगाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा राशि स्वीकृत होती है। कई नगरपालिकायें इस पैसे का दुरुपयोग करती हैं वे दूसरे मोहल्लों में पाईप लाईन लगा देती हैं। पाली नगरपालिका ने ऐसा किया, तो आप आदेश दें कि समाज कल्याण विभाग की राशि स्ट्रिक्टली हरिजन मोहल्लों में लगायें।

श्री चन्दनमल बैद : हमारे आदेश हैं कि हरिजन मोहल्लों के लिए पाईप लाईन लगाने के लिए जो पैसा दिया गया है, उसके अनुसार लगाया जाय, अगर कोई शिकायत आएगी तो उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

पुलिस थानों में स्टाफ

541. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पुलिस थानों में स्टाफ लगाने एवं स्टाफ बढ़ाने या घटाने के क्या आधार हैं ? ये आधार कब निर्धारित किए गए थे ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि अब प्रजातंत्र शासन प्रणाली को मद्देनजर रखते हुए पुलिस थानों में स्टाफ तैनात करने के पुराने आधार एवं दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है ? अगर हां, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या निर्णय लिया है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि पुलिस थानों में ए, बी, व सी श्रेणी के थानों में एक ही स्टाफ की एक ही स्ट्रेंथ रखी गई है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या पुलिस थानों में थानों की श्रेणी के अनुसार क्राइम वर्क के अनुसार स्टाफ लगाना जरूरी है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि पुलिस थाना सांचोर व सरवाना जिला जालोर में काम की दृष्टि से पुलिस स्टाफ कम है ? अगर हां, तो पूरा स्टाफ सुचारू रूप से कार्य चलाने के लिए कब तक लगा दिया जावेगा ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि पुलिस थाना सांचोर एवं सरवाना में कार्यदक्षता लाने के लिए एवं अधिक कार्य की दृष्टि से जीपों का दिया जाना आवश्यक है ? अगर हां, तो उपरोक्त थानों में जीपें कब तक दे दी जावेंगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य गृह मंत्री ( श्रीमती कमला बेनीवाल ) : ( 1 ) राज्य सरकार ने सन् 1965 में एक कमेटी नियुक्त की थी जिसने पुलिस थानों में स्टाफ लगाने या उसे घटाने बढ़ाने के लिए थानों के क्षेत्रफलों अपराध प्रवृत्ति, जनसंख्या एवं अन्य बातों के आधार पर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें पेश की थीं जिस पर राज्य सरकार ने दिनांक 23-9-65 को एक आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में आधार निर्धारित किया था।

(2) राज्य सरकार द्वारा कुछ दिन पूर्व एक समिति गठित की गई है जो पुलिस विभाग की इकाइयों के पुनर्गठन का कार्य करेगी।

(3) अधिकतर ए.; बी.; सी. सभी थानों में सामान्य नक्शे स्वीकृत शुदा है किन्तु जिस थाने का क्षेत्र बड़ा या जनसंख्या ज्यादा हो उसमें आवश्यकतानुसार पुलिस चौकियों की स्थापना को जाती है।

(4) सांचोर व सरवाना थानों का क्षेत्र काफी विशाल होने से जिला प्रशासन ने एक और नया थाना चितवाना में कायम किए जाने के लिये सुझाव दिया है। यह सुझाव भी इस कमेटी के विचाराधीन है।

(5) फिलहाल यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है क्योंकि आवश्यकतानुसार सी.ओ. व पुलिस अधीक्षक से जीप प्राप्त की जा सकती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 1965 में कमेटी का निर्माण किया गया था। उसकी रिपोर्ट क्रियान्वित हुई है? राजस्थान में, कहीं सुझाव मानकर इम्पलीमेंटेशन किया है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने जैसा निवेदन किया है 1965 में कमेटी बैठी उसने सुझाव दिए। उसके आधार पर 23-9-65 को आदेश जारी करके पुनर्गठन आधार निर्धारित किया गया। अब एक और कमेटी बैठाई है, जिससे इकाईयों का पुनर्गठन किया जा सके, आवश्यकतानुसार उनकी व्यवस्था की जा सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जब खुद मानते हैं तो उन सिफारिशों का इम्पलीमेंटेशन क्यों नहीं करते?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कमेटी के विचाराधीन है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Committee upon committee.

श्री रघुनाथ विश्नोई : फिर तीसरी कमेटी तो नियुक्त नहीं करेंगे?

श्रीमती कमला बेनीवाल : समय-समय पर आवश्यकता होती है तो कमेटी नियुक्त करते रहते हैं, व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, रुकावट के लिए नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मामले को लम्बा करने के लिए, है।

श्री शंकरलाल (पाली) : कमेटी कब बैठाई गई है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कमेटी नियुक्त हुई है उसके सामने तमाम मुद्दे हैं। तमाम

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
तहसीलों, जिलों, थानों का सर्वेक्षण करके आधार बनाने होंगे।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : इसका कोई पीरियड निर्धारित है ?

अध्यक्ष महोदय, इसका कोई मेग्जीमम पीरियड तो होना चाहिये। कब तक इसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ जायेगी ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी इन तीनों कमेटियों को रिपोर्ट देने में कितने दिन लगेंगे इसकी जांच के लिये गठित कर दी जाय।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : निश्चित अवधि के बारे में आपने पूछा, तो जल्दी ही तीन महीने या मेरे ख्याल से 6 महीने में रिपोर्ट दे दी जावेगी।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री गिरधारीलाल भार्गव।

**जयपुर में नगर निगम की स्थापना**

542. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नगर निगम कानून बनाने के संबंध में राज्य सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कौनसी निश्चित तिथि तक कानून बन जावेगा ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जयपुर शहर को बी 2 श्रेणी के स्थान पर 'बी' श्रेणी का नगर घोषित करने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो यह घोषणा कब तक हो जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राज्य के कौन–कौन से नगर बी श्रेणी के नगर घोषित किये जाने वाले हैं ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार निकट भविष्य में ही निगम कानून बनाकर जयपुर शहर में नगर निगम की स्थापना करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

**स्वायत्त शासन मंत्री (श्री परसराम मदेरणा)** : (1) जी नहीं। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(2) इसका संबंध राज्य सरकार से नहीं है।

(3) प्रश्न के भाग–2 में उत्तर दे दिया गया है।

(4) मामला विचाराधीन नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : प्रश्न का उत्तर जो दिया गया है वह ठीक नहीं है। मेरा प्रश्न था कि क्या राज्य सरकार राज्य में नगर निगम कानून बनाने का विचार कर रही है ? और अगर बना रही है तो कौनसी तारीख तक ? नगर निगम कब तक बन जायेंगे ?

**श्री परसराम मदेरणा** : यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : तो इसका मतलब यह हुआ कि नगर निगम नहीं बनाया जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : मतलब स्पष्ट है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या पांच साल बाद भी कोई निगम नहीं स्थापित किया जायेगा, कहीं भी ?

श्री परसराम मदेरणा : अभी फिलहाल कोई ऐसा मामला विचाराधीन राज्य सरकार के नहीं है। पांच साल बाद को बात क्या होगी अभी नहीं कह सकते।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अभी जयपुर में जब नगरपालिका के चुनाव हो रहे थे तब ऐसी चर्चा थी कि सरकार नगर निगम बनायेगी।

श्री परसराम मदेरणा : चर्चा का मतलब यह नहीं होता कि राज्य सरकार ने कहा है। अभी ऐसी योजना सरकार के पास नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कोई तारीख तो बतादें कि कभी राज्य सरकार विचार रखती है नगर निगम बनाने के लिये ?

श्री परसराम मदेरणा : सम्भव नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सम्भव क्यों नहीं है ? राज्य सरकार जयपुर नगरपालिका को नगर निगम में परिवर्तित कर सकती है। क्या राज्य सरकार का विचार है कि जयपुर को बी श्रेणी नगर डिक्लेअर किया जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : कौन कौनसा शहर किस श्रेणी में रहेगा यह भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह प्रश्न तो बहुत समय से चल रहा है। करीब दस साल से कहा जा रहा है कि जयपुर को बी श्रेणी नगर घोषित किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने आपसे कहा ना कि भारत सरकार के हाथों में है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या राज्य सरकार जयपुर के अलावा किसी शहर को बी श्रेणी घोषित करने का विचार करती है और जयपुर को कब तक बी श्रेणी घोषित किया जा सकेगा ? जयपुर की आबादी उस सीमा को पार कर चुकी है ? और अगर राज्य सरकार जयपुर को बी श्रेणी का नगर घोषित करना नहीं चाहता तो क्यों ?

श्री परसराम मदेरणा : बी. श्रेणी या सी. श्रेणी घोषित करना राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। कोई शहर अगर बी. श्रेणी में होता है तो उसके लिये केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स देती है और उसी के अनुसार हाउस रेन्ट दिया जाता है। तो यह ए. बी. और सी. केटेगरी जो है वह भारत सरकार के हाथ में है। उसने अपने कर्मचारियों के लिये केटेगरी बना रखी है। यह सब हाउस रेन्ट, सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स वगैराह के लिये है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार को मालूम है कि जयपुर को बी. 2 श्रेणी नगर घोषित कर रखा है ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या भारत सरकार राजस्थान के जयपुर को बी श्रेणी घोषित कर रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : जी नहीं ।

प्रश्न संख्या 543

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री मीठालाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 544

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 545

श्री सुखलाल ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री चेतराम ।

**राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिया गया ऋण**

506. श्री चेतराम (टोडाभीम):–क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान वित्त निगम का ऋण एवं सूद के रूप में कितने संस्थानों पर, कितना-कितना रुपया बकाया है और इसकी वसूली के लिए किस-किस पर अदालत में डिग्री हो चुकी है ?

(2) क्या निगम द्वारा अदालत से डिग्री लेने के बाद, संस्थानों से बकाया राशि प्राप्त हुई है और क्या इन से पेनल रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट वसूल किया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) राजस्थान वित्त निगम के वित्तीय वर्ष 71–72 के अन्त तक ऋण एवं सूद के रूप में 81 संस्थानों में 45.32 लाख रुपये बकाया है। उक्त संस्थानों में से 16 संस्थानों के खिलाफ सम्बन्धित अदालतों में स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 के तहत वसूली की कार्यवाही की गई जिसमें से 14 संस्थानों के खिलाफ अदालतों से अब तक डिग्री प्राप्त की जा चुकी है, जिनकी सूची सदन की मेज पर रखी गई है। दो पर मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है।

(2) जी हां। बकाया राशि प्राप्त होती जा रही है। जब डिग्री मिल जाती है तो उसमें न्यायालय द्वारा ब्याज की दर भी निर्धारित कर दी जाती है और ब्याज अदालत के आदेशानुसार वसूल किया जाता है।

कृपया परिशिष्ट 3 देखिये

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में पूछा था, राजस्थान वित्त निगम का ऋण एवं सूद के रूप में कितने संस्थानों पर कितना-कितना रुपया बकाया है ? पर मुझे अभी तक, उन संस्थानों की लिस्ट नहीं मिली है कि किन-किन में कितना-कितना रुपया बकाया है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने अपने प्रश्न के जवाब में कह दिया है कि 81 संस्थानों में रुपया दिया हुआ है उसमें से

# Page No. 23



(श्रीमती कमला बेनीवाल)

16 संस्थानों के खिलाफ अदालत में कार्यवाही चल रही है। और 16 संस्थानों में से 14 संस्थानों के खिलाफ में डिक्री हो चुकी है।

श्री चेतराम : अध्यक्ष महोदय, किन-किन संस्थानों को दिया गया है और किन-किन में बाकी है नाम नहीं दिया गया है। मुझे सूची नहीं मिली है।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : सूची नामवार नहीं दी तो क्या। आपको बता दिया है प्रश्न के जवाब में कि कुल 45.32 लाख रुपया बकाया है। और कुल 16 संस्थानों में है।

**एक माननीय सदस्य** : प्रश्न यह है कि कितनों में बकाया है।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : आपको सूची चाहिये मैं सूची दे दूंगी। आज मेरे पास सूची नहीं है।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : कोई प्रिवीलेज्ड क्लास के होंगे लाग।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : कोई है, जो भी है कुल 81 संस्थानों में रुपया दिया हुआ था। और रुपये की राशि 45.33 लाख रुपया है।

**श्री चेतराम** : अध्यक्ष महोदय, जितने संस्थानों के खिलाफ डिक्री हुई थी उन फर्मों के नाम का भी पता नहीं और दूसरी बात यह है कि अदालत ने जो फैसला दिया वह किस तरह से दिया गया। और दूसरे जो इन 16 के अलावा थे उनके बारे में बतायें कि उन्होंने कब पैसे लिये और कब उनका पेमेन्ट हुआ, इन्स्टालमेन्ट वगैराह हुआ या क्या हुआ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : इसकी सूचना आपको दे दी जायेगी। अभी मेरे पास नहीं है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : वह तो सदन के सामने रखी जानी चाहिये थी।

**प्रश्न संख्या 370**

**श्री अध्यक्ष** : श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्रीमती भगवती देवी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9-5-72)

**क्रेश प्रोग्राम एवं मार्जिनल फार्मर्स प्रोग्राम के अन्तर्गत अजमेर जिले को दी गई राशि**

**372. श्रीमती भगवती देवी (किनाय)** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पिछले वर्ष क्रेश प्रोग्राम एक मार्जिनल फार्मर्स प्रोग्राम के अन्तर्गत अजमेर जिले में कितनी राशि आवंटित की गई?

(2) उस राशि को किस-किस कार्य एवं योजना पर कहां-कहां व्यय किया? पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) इस समय अजमेर जिले में कौन-कौन सी योजना चल रही है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्रीमती भगवती देवी)

(4) आगामी वर्ष में इस योजना पर कितनी राशि रखी गई है तथा कितनी योजनायें सरकार के अधीन हैं ?

**कृषि मंत्री** (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, सूचना उपलब्ध नहीं होने से इस प्रश्न को स्थगित किया जाय । अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का संबंध दो विभागों से है । इसलिये अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है । यह मेरी अगली टर्न पर रख दिया जाय ।'

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित किया गया ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है 516 ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न 516 है ।

**नहर तोडने और पानी की चोरी के मामले**

516. **श्री योगेन्द्र नाथ हांडा** (सूरतगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) गंगानगर जिले की भाखडा तथा गंगनहर परियोजनाओं की नहरों में गत पांच वर्षों में नहरें तोड़ने और पाइप लगा कर पानी की चोरी करने के कितने मामले पुलिस में दर्ज हुए ? प्रति वर्ष के हिसाब से बतायें ।

(2) कितने मामलों के चालान हुए, कितने लोगों को क्या-क्या दण्ड मिला और कितने मामले अभी विचाराधीन हैं ?

(3) कितने मामले सिंचाई विभाग की पैरवी के अभाव में खारिज किये गये अथवा विचाराधीन हैं ?

(4) नहरों से सिंचाई के पानी की चोरी को रोकने के लिये सरकार ने क्या विशेष प्रबन्ध किये हैं ?

**राज्य मंत्री गृह** (श्रीमती कमला बेनीवाल) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । इसमें अभी समय लगेगा । इसलिये इसे स्थगित किया जाय ।

**श्री अध्यक्ष** : स्थगित किया गया ।

**श्री भेरूलाल** ।

**वन मंत्री** (श्री नारायणसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसे स्थगित किया जाय । इसका उत्तर मैं अगली बारी में दूंगा ।

**राजस्थान सहकारी अधिनियम**

518. **श्री रामेश्वर लाल चौधरी** : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान साहूकारी अधिनियम में आवश्यक संशोधन हेतु पिछली अवधि में लागू किये गये अध्यादेश के स्थान पर विधेयक प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) राजस्थान साहूकारी अधिनियम के अधीन जिन व्यक्तियों ने लाईसेंस हेतु समय पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिये थे उनको सम्बन्धित अधिकारी ने बीकानेर खण्ड में 2-3 वर्ष के पश्चात् लाईसेंसों पर जांच के पश्चात् हस्ताक्षर किये या स्वीकार किये ? क्या ऐसे स्वीकृत लाइसेंसों की समयावधि हस्ताक्षर करने की तिथि से

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

अगले 3 वर्ष के लिये निश्चित की है ? क्या यह उचित है ? अगर नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि इस अधिनियम से जनता को स्थान स्थान पर असुविधा अधिक हुई है, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने का विचार रखती है ?

(4) क्या नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर सहायक रजिस्ट्रार की सिफारिश के पश्चात् रजिस्ट्रार, बीकानेर द्वारा बिना कारण बताये हर प्रार्थी को बुलाना जरूरी है ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझार सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। श्री रामेश्वरलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 519 (ह)

श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री पी. के. चौधरी।

डिलिंग रिग्स

521. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या ग्रण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान ग्रण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के पास कितने ड्रिलिंग रिग्स हैं ?

(2) इन ड्रिलिंग रिग्स में से कितने रिग्स राजस्थान के बाहर कहां कहां कब से कब तक काम कर रहे हैं ? क्या राजस्थान में इन रिग्स के लिये कोई उचित काम उपलब्ध नहीं था ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) :

(1) राजस्थान भूजल मण्डल के पास 16 रोटरी रिग एवं 29 पर क्यूशन रिगें हैं।

(2) उपरोक्त रोटरी ड्रिलिंग रिग्स में से 5 रिगें पंजाब राज्य में मई 1971 से कार्य कर रही हैं।

इसके अलावा 3 रोटरी रिगें भारत सरकार के अनुरोध पर पश्चिमी बंगाल एवं त्रिपुरा में शरणार्थी सहायता के लिए पेयजल उपलब्धि हेतु नलकूप बनाने के लिये भेजी गई थीं जो रिगें 27-8-71 से 22-12-71 तक वहां पर कार्य में रहीं। ये रिगें वापिस आ गई हैं। आगे से आदेश दे दिये गये हैं कि भविष्य में रिगें प्रदेश के बाहर न भेजी जायें।

श्री पी. के. चौधरी : आपने इसे काश्मीर में भी तो भेजी थी ?

श्री चन्दनमल बैद : वह तो भारत सरकार के आदेश से गयी थीं। वह अलग है। वह डब्ल्यू. एच. ओ. से स्पेशल रिग्स प्राप्त हुई थीं।

श्री पी. के. चौधरी : आपकी रिपोर्ट में दिया हुआ है ?

**श्री चन्दनमल बैद :** मैंने आपको बताया न कि वह अलग है।

**एक माननीय सदस्य :** क्या आपने वहां पर कोई काम नहीं था जिससे कि इसे वहां काम के लिए भेजा ? (शोरगुल: अश्रव्य)

**श्री चन्दनमल बैद :** उस वक्त हमारे पास काम नहीं था। दूसरे पन्जाब में 500 ट्यूब वेल्स के लिये काम था उसमें से 250 ट्यूबवेल खुद गये। उन्हीं ट्यूब वेल को खोदने के लिए यहां से रिग्स भेजी गयी थीं। उनकी डिमाण्ड आयी थी।

**श्री मोहनलाल छंगाणी:** वहां पर डिमाण्ड थी तो अपने काम में क्यों नहीं ली गयी ? अब इस तरह से दूसरी जगह से डिमाण्ड आयेगी वहां और जायेगी।

**श्री चन्दन मल बैद :** वहां पर खास स्थिति थी इसलिए भेजी गयी। उस वक्त पंजाब में भेजी गयी पर अब चूंकि अपने यहां मांग है इसलिए अब आगे से आदेश दे दिये गये हैं कि भविष्य में रिग प्रदेश के बाहर न भेजी जायं।

(शोरगुल : अश्रव्य)

प्रश्न संख्या 522

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट। श्री रामसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)।

प्रश्न संख्या 523

श्री महेन्द्र कुमार।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 524

श्रीमती समुद्रकंवर।

(अनुपस्थित. कृपया आगे देखिये)।

प्रश्न संख्या 525

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट। श्री किशनसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 526

श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्रीमती निर्मला शक्तावत।

**बेरोजगारों की संख्या**

527. श्री प्रद्युम्नसिंह (धौलपुर) : श्रीमती निर्मला शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में बेरोजगारों की संख्या कितनी है ? सन् 1967 के आंकड़े के मुकाबले आज उसमें कितनी वृद्धि हुई है ?

(2) इनमें से कितने हायर सेकेण्डरी, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, इन्जीनियर, डाक्टर्स तथा ओवरसीयर बेरोजगार हैं ?

(3) सरकार बेरोजगारी को दूर करने का क्या कार्यक्रम हाथ में लेने का इरादा रखती है ?

**आयोजना मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद)—** (1) इस विषय पर कोई विशिष्ट गणना तो नहीं की गई है परन्तु राज्य के भिन्न भिन्न नियोजन कार्यालयों में चालू पंजिका पर दिनांक 31-12-71 को 1,39,825 आशार्थी नौकरी की तलाश में

(श्री चंदनमल बैद)

थे। 1967 के मुकाबले में 66,773 प्रार्थियों की वृद्धि हुई है।

(2) इनमें 23,789 हायर सैकेन्डरी, 9,841 ग्रेजुएट्स, 3310 पोस्ट ग्रेजुएट्स, 424 इन्जीनियर्स, 190 डाक्टर (इनमें 184 डाक्टर और 6 वेटरनरीज हैं) तथा 969 श्रोवरसीयर हैं।

(3) बेरोजगारी की बढ़ती हुई जटिल समस्या के समाधान के लिये राज्य सरकार हर सम्भव प्रयत्न कर रही है। विकास कार्यक्रमों के साधारण प्रावधानों के अतिरिक्त जिनमें भी रोजगार सम्भावनायें हैं 1972-73 में बेरोजगारी उन्मूलन योजनाओं के लिए लगभग 15 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

| | संख्या करोड़ों रु. में |
|---|---|
| 1. ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन योजना (क्रैश प्रोग्राम) | 3.26 |
| 2. बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों के वजीफे की व्यवस्था (डाक्टर व इन्जीनियर) | 0.11 |
| 3. तकनीकी व्यक्तियों के लिये कार्य प्रशिक्षण योजना | 0.5 |
| 4. बेरोजगार इन्जीनियरों के लिये केन्द्रीय योजना | 1.30 |
| 5. रोजगार के विशेष कार्यक्रम | 2.52 |
| 6. ग्रामीण अभियान्त्रिक सर्वेक्षण | 0.25 |
| 7. ग्राई टी. ग्राई प्रभ्यर्थियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम | 0.01 |
| 8. अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति | 1.20 |
| 9. ग्रामीण कार्य-क्रम योजना | 6.40 |
| 10. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्नातक व स्नातकोत्तर व्यक्तियों का वजीफा | 0.02 |

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो संख्या आपने बतायी है यह केवल एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं उन की संख्या दी है। इस के अलावा देहातों में बेकार है, एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज में रजिस्टर्ड नहीं है, उनका सर्वे करवाकर जानकारी करने का प्रयत्न किया है?

श्री चन्दनमल बैद : जो कुछ आंकड़े मेरे पास थे वह मैंने बता दिये और दूसरे आंकड़े नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : दांत वाला कमेटी ने, एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज के आंकड़े इन्कम्पलीट रहते हैं इसलिए ठोस आंकड़े दिये थे, उसके अनुसार सारे बेरोजगारों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्या राज्य सरकार को दांतवाला के जो सुझाव हैं उनको यहां पर भी लागू करने का विचार है या नहीं?

श्री चन्दनमल बैद : सारे देश के आधार पर इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करने का सोचा जा रहा है और सारे देश में जो पद्धति अपनायी जावेगी वह यहां पर भी अपनायी जावेगी।

# Page No. 28



श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय अनुसूचित जाति और जनजाति के ज्यादा गरीब होते हैं बच्चे वे हायर सेकेण्डरी और सेकेण्डरी तक पढ़ कर रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो कोई प्रश्न नहीं हुआ।

श्री चन्दनमल बैद : शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए व्यवस्था है।

श्री मूलचन्द सामरिया : इस प्रकार के मैट्रिक और हायर सेकेण्डरी बच्चों के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 1971 में मर्दुम शुमारी हुई थी उसमे बेकारों के आंकड़े दिये हुये हैं कितने पढ़े लिखे बेकार हैं। क्या राज्य सरकार मर्दुम शुमारी विभाग से आंकड़े एकत्रित कराने का विचार रखती है ?

श्री चन्दनमल बैद : सारे भारत में जो पद्धति आंकड़े निकालने के लिए अपनायी जावेगी वह यहां पर भी अपनायी जावेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अच्छे काम में नकल करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : एक यूनिफाइड प्रोग्राम चालू करने का है।

(प्रश्न संख्या 529)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री राजेन्द्रसिंह।

## जयपुर नगर में नियुक्त अधिकारी

531. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा एक अधिकारी को एक नगर में तीन वर्ष से अधिक न रखने के बारे में आदेश जारी किये गये हैं ?

(2) यदि हां, तो कितने ऐसे अधिकारी है जो जयपुर में ही एक न एक पद पर 3 वर्ष से अधिक रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) इनको जयपुर से बाहर न भेजने के क्या कारण हैं ? राज्य मंत्री, सामान्य

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्रीमती कमला बेनीवाल) :(1) जी नहीं। राज्य सरकार के ऐसे आदेश का तात्पर्य स्थान से नहीं बल्कि "स्थापन के स्थान" अर्थात "पद" से है।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

( [illegible] स्थित नहीं होता।

[illegible] या 534

श्री [illegible] मनोहर कोठारी।

( [illegible] कृपया आगे देखिये)

श्री [illegible] टेवाला।

[illegible] ग्राम की लोहे की खान

537. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल, जयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में मोरजा भाग में लोहे की खाने हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वह खानें किसी प्राइवेट व्यक्ति को लीज पर दे रखी हैं ? यदि हां, तो खानों पर काम चालू है अथवा नहीं ?

(3) क्या राज्य सरकार वहां पर एक मिनी प्लान्ट लगा कर वहां के लोगों को रोजगार देने के बारे में विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

**राज्य मंत्री खनिज (श्री जुझारसिंह) :**

(1) जी हां।

(2) जी हां। आज कल खानों पर काम चालू नहीं है।

(3) मामला विचाराधीन है। सर्व श्री कमानी इन्डस्ट्रीयल कार्पोरेशन के पूर्ण विचार मालूम होने पर ही अन्तिम निर्णय हो सकेगा।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** इसमें कमानी का क्या ताल्लुक है ?

**श्री जुझारसिंह :** यह मोरीजा की खानें पहले दामोदरदास खण्डेलवाल के नाम पर स्वीकृत हुई थी उसके बाद में उदयपुर में कमानी इन्डस्ट्रियल कम्पनी द्वारा पिग आइरन का प्लान्ट लगाने के लिए राजस्थान सरकार को आवेदन-पत्र दिया गया। उनके और दामोदरदास के बीच में वर्षों तक बात चीत चल रही थी इसलिए उनको सबलेट कर दिया गया। उनके ओपरेट करने का प्रावधान है। किसी कारण से वे शुरू नहीं कर पाये थे इसलिए कमानी को सबलेट कर दी।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** उसने खान को सबलेट कर दी जिसको कि वह भी नहीं चला रहे है। खान बहुत महत्वपूर्ण है।

**श्री जुझारसिंह :** खान महत्वपूर्ण है और डिपोजिट्स रिच हैं।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** वर्षों से बन्द पड़ी है।

**श्री जुझारसिंह :** पहले सुन लीजिये। पिग आइरन प्लान्ट लगाने के लिये कमानी ने आश्वासन दिया था, उसको देखते हुए राज्य सरकार ने यह उचित समझा कि मोरीजा की खान में रिच डिपोजिट्स हैं, प्रोडक्ट्स की आवश्यकता थी, उसको ध्यान में रखते हुए इसका सबलेटिंग कमानी के फेवर में किया गया और एक स्टेज पर पिग आइरन प्लान्ट लगाने की कोशिश की लेकिन रुपये का डिवेल्यूएशन हो जाने के कारण युगोस्लाविया की फर्म, जिनके कोलेबोरेशन में यह प्लान्ट लगना था, और इनके बीच में आपत्ति खड़ी हो गई इसलिये अभी वे निश्चित नहीं कह सकते कि पिग आइरन प्लान्ट वे कब शुरू करेंगे। राज्य सरकार और उनके बीच बातचीत चल रही है। कुछ तय होने पर ही निर्णय हो सकेगा।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** सबलेटिंग किस आधार पर मन्जूर किया ?

**श्री जुझारसिंह :** माइनिंग एक्ट में इस तरह का प्रावधान है। जानकारी लेकर

# Page No. 30



(श्री जुझारसिंह)
सबलेटिंग कर सकते है प्रावधान के अनुसार ही सबलेटिंग किया है। इसमें अनियमितता नहीं है।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : आश्वासन भी दिया था कि कारखाना चालू करेंगे और शीघ्र करेंगे और तब ही राज्य सरकार ने स्वीकृति दी ?

**श्री जुझारसिंह** : यह सही है। पिग आइरन का कारखाना चालू करने के लिए ही मोरीजा की खानें दी थीं।

**श्री मोहन लाल छंगाणी** : वह इस स्थिति में है नहीं है कि कारखाना खोले इसलिए दूसरे को दे दें।

**श्री जुझारसिंह** : उनके और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। अब तक वह इस परिस्थिति में नहीं हैं कि चालू कर सकें।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : लीज कब दिया गया, कौनसे साल में दिया गया और सब लीज हुआ है और कारखाना कब तक चालू कर देने का था ?

**श्री जुझारसिंह** : दामोदर दास को दो इन्स्टालमेन्ट में दिया गया था। एक 12-5-54 को 800 एकड़, दूसरा 10-5-57 को 80 एकड़। कुल 880 एकड़ की लीज 54 से 57 तक दामोदरदास खण्डेलवाल को दी गई।

उसके बाद में 1966 में सब-लीज का प्रश्न खड़ा हुआ पिग आइरन प्लान्ट के बेकग्राउन्ड में और 9–7–66 को इनके बीच में नेगोसियेशन्स हुई लेकिन 1968 तक बात चीत चलती रही और 1970 के करीब यह केस फाइनल हुआ और डी-वेल्यूएशन हो जाने के कारण प्लान्ट नहीं लग सका इसलिए बहुत लम्बा समय नहीं है। गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ने इसको सब लीज पर देने के लिए मन्जूर किया है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : इस लीज का ग्राउन्ड रैन्ट क्या था ? 1954 से 66 तक क्या श्री दामोदरदास बराबर ग्राउण्ड रैन्ट जमा कराते रहे ?

**श्री जुझारसिंह** : वह जमा कराते रहे होंगें क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी उनके खिलाफ मांग नहीं निकली इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जमा कराते रहे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आप निश्चित तौर से कह सकते हैं क्या ?

**श्री जुझारसिंह** : हमारी तो डिमाण्ड नहीं है इसलिए उन्होंने जमा कराया है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : लीज कितने वर्ष की थी ?

**श्री जुझारसिंह** : 3 वर्ष का।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय सन् 1954 में आपने लीज दी और 12 वर्ष तक वह आपरेट नहीं हुई और सब-लीज देने के बाद भी आपरेट नहीं हुई तो क्या सरकार ने इस लीज को कैंसिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये ? क्योंकि बहुत से मानोपालिस्ट्स, बहुत से लाइसेन्सीज इसलिए ले लेते हैं कि कोई दूसरा इस चीज को चालू नहीं कर सके और लेकर उसको

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पटक देते हैं। इसलिए इस प्रकार के लीज इस प्रकार की कम्पनीज को नहीं दी जायें यह मोनोपोली कमीशन की फाइंडिग्स हैं। तो कितने अर्से तक यह आपरेट नहीं हुई ? और क्या कैंसिल करने के लिए कोई कदम उठायेंगे ?

श्री जुझार सिंह : राज्य सरकार पिग आइरन ओर को सही तौर से यूटीलाइज करना चाहती है इसलिए श्री दामोदर दास से अलग करके कमानी को दिया ताकि उसका यूटीलाईजेशन किया जा सके। अभी हमारे पास इस तरह की सूचना नहीं है कि कमानी इसको यूटीलाइज नहीं करना चाहते। इसलिए राज्य सरकार की तरह से बातचीत चल रही है और निश्चित तौर से मालूम हो जाने पर कि यह यूटीलाइज नहीं करेंगे तो लीज कैंसिल की जा सकती है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 66 से बातचीत चल रही है और 66 में वायदा किया था कि दो वर्ष के भीतर-भीतर कारखाना लगा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

कई माननीय सदस्य : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि वह इस प्रश्न के बारे में बतायें कि 66 में आपने सबलीज भी मन्जूर कर दी लेकिन न तो ओरीजिनल आदमी ने और न सबलीज पर लेने वाले आदमी ने कारखाना चालू किया बेरोजगारी का प्रश्न था और हम आइरन ओर का कारखाना खोल कर राजस्थान को समृद्ध करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं पूछना चाहता हूं कि इसको दुबारा फाइनल करके सरकार इस सम्बन्ध में कब कदम उठा रही है ताकि उनसे लेकर दूसरी व्यवस्था हो सके ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह स्थिति पर पूरा प्रकाश डालें और स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें यहां कुछ कहना चाहिये चीफ मिनिस्टर सभी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं तमाम गवर्नमैंट के आप जिम्मेदार हैं और यह पालिसी मैटर है। 54 से जिस माइन्स को लीज की गई थी उसे अभी तक आपरेट नहीं कर सके इसलिये इसकी लीज कैंसिल की जाकर नयी एवेन्यूज ढूंढ़ी जायें। इस संबंध में क्या कहना है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : लीज 54 में हुआ और फिर 57 में लीज हुई और जो भी आइरन ओर लगाने का प्रोग्राम था वह पूरा का पूरा ढिलाई में पड़ गया। खनिज मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे कि जिस तरह से इस विषय के साथ ढिलाई के साथ किया गया उसको कहीं न कहीं ठीक किया जाना चाहिये और सरकार की इस संबन्ध में जो नीति रही है वह सही नहीं रही है। तो सरकार बताये कि वह क्या कदम उठा रही है ?

श्री जभारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि इस पर काम नहीं हुआ सो गलत है। 54 से 56 तक बराबर अपरेट करते रहे और उस समय खान का उत्पादन करने का ध्येय था और वह चलता रहा। क्योंकि उसके बाद में पिग आइरन का कारखाना लगाने का कमानी ने मूव किया और गवर्नमेंट आफ इन्डिया से इजाजत मिली उसके बाद में 66 में यह सबलीज होल्डर को दिया गया। कमानी को लीज मिलने के बाद पूरी कोशिश की और युगोस्लाविया की कम्पनी थी उससे बातचीत की और बातचीत के बाद यह प्लान्ट लगाने का करीब करीब तय सा हो गया लेकिन क्योंकि रुपये का डी-वेलुएशन हो गया उसके बाद में दोनों के बीच में फाइनेन्सियल डिफीकल्टीज आ गयी। और यह कहना कि कमानी ने इस लीज को बिना कारण अपने पास रखने के लिए लिया था और उनकी मन्शा डवलप करने की और यूटिलाइज करने की नहीं थी सही नहीं है। बाद में जैसी उनको डिफिकल्टी आई उसके कारण से भी अभी तक इस माइन्स को आपरेट नहीं कर सके लेकिन राज्य सरकार पूरी कोशिश करेगी कि मोरीजा की माइन्स की पिग आइरन को प्लान्ट में यूटीलाइज करके किया जाये हमारी बातचीत कमानी से चल रही है। फाइनल जवाब आने पर उनको दिया जायेगा या खारिज किया जायेगा जो भी हो इस पर बाद में विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मिनिस्टर साहब ने अभी उत्तर दिया है तो क्या उनके जिनाइन रीजन्स थे? मेरा ख्याल है कि इस पर जांच कमेटी बैठाई जाये और वह जांच करे कि जस्टीफिकेशन है या नहीं। हमारा कहना है कि इसको कैंसिल किया जाकर नये एवेन्यूज लाये जायें ताकि प्लान्ट लग जा सकें और जबरदस्ती रसोर्सेज को ब्लाक करके रखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय उत्तर तो आने दीजीए। सरकार उद्यत थी उत्तर देने के लिए।

श्री अध्यक्ष : चीफ मिनिस्टर साहब कुछ कहेंगे।

**मुख्य मंत्री (श्री बरकतल्ला खां) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार न तो किसी के हक में है न किसी के खिलाफ है··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : साधुओं को सरकार है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : बदमाश के खिलाफ होना चाहिये और भले के हक में होना चाहिये।

श्री बरकतुल्ला खां : और यह सरकार नाजायज तरीके से किसी को फायदा पहुँचाना नहीं चाहती है। जहां तक कमानी इन्डस्ट्रीज का संबंध है गवर्नमेंट पूरी तरह से इसको एग्जामिन करेगी और उन्होंने किसी तरीके से नाजायज फायदा उठाकर गवर्नमेंट से लीज लेकर उसको वर्क-अप नहीं किया या और फरदर उसकी प्रोग्रेस नहीं

Page No. 33



(श्री बरकतुल्ला खां)

हुई है फौरेन कोलोबरेशन से तो गवर्नमेंट इस पर अपना माइण्ड एप्लाई करके निर्णय लेगी।

**श्री अध्यक्ष** : स्थान प्रस्तावों पर व्यवस्था।

### अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

#### जन सम्पर्क अधिकारी का कार्य

515. **श्री भरतलाल** (बामनवास सवाई माधोपुर) : क्या जन-सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा जन-सम्पर्क अधिकारियों के लिए क्या क्या कार्य नियत किये हुए हैं ?

(2) जन-सम्पर्क अधिकारी, सवाई-माधोपुर ने गत दो वर्षों में उन्हें नियत किये गये कार्यों के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य किया है ?

(3) क्या उनका यह कार्य जिला जन-सम्पर्क विभाग पर व्यय की गई धन-राशि के आधार पर न्याय संगत कहा जा सकता है ?

#### उत्तर

(1) जन सम्पर्क अधिकारियों के कार्य की सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जन सम्पर्क अधिकारी, सवाई-माधोपुर ने नियत किये गये सभी कार्य किये हैं।

(3) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

#### बीज की खरीद

519. **श्री विजयसिंह** (मांडल) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कृषि विभाग राजस्थान ने अमरावती के सरकारी फार्म से जो ज्वार का हाई ब्रिड बीज गत खरीफ में बोने के लिये खरीदा, वह न्यूक्लियस बीज था ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त बीज को पंचायत समिति मण्डल के माध्यम से कृषकों को बेचा गया और वह उगा तक नहीं है ?

(3) यदि हां, तो जिन कृषकों को बीज नहीं उगने से हानि हुई है उनकी क्षति पूर्ति के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

#### उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

#### जोधपुर जिले के अभावग्रस्त गांव

522. **श्री रामसिंह कूडी** (लूनी) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

Page No. 34



(श्री रामसिंह कुड़ी)

जोधपुर जिले में कितने गांव अकाल ग्रस्त हैं ? क्या इन गांवों के अन्दर सरकार द्वारा कोई कार्य चालू किया गया है ? अगर हां, तो कौन कौन से कार्य चालू किये गये हैं और नहीं चालू किये गये हैं तो क्यों नहीं ? कौन कौन से कार्य चालू करवाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जोधपुर जिले में 361 गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये गये हैं। अभी तक फलोदी तहसील में 2 कार्य एवम् शेरगढ़ तहसील में एक कार्य स्वीकृत किया गया है। शेष कार्य तकनीकी कार्यवाही एवम् धनराशि की सूचना के अभाव में स्वीकृत नहीं किया गया है। जिलाधीश द्वारा सहायता कार्यों के प्रस्ताव आने में नये कार्य चालू करवाये जाने का निर्णय लिया जावेगा। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

फ्लोराइट की खानें

523. श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डूंगरपुर जिले में माण्डव की पाल में जो फ्लोराइट की खानें हैं उनका सर्वेक्षण कब किया गया ? सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त सर्वेक्षण के आधार पर एक प्लान्ट लगाने की योजना थी उसके प्रथम चरण में क्वार्टर्स, टैंक, प्लान्ट साइट आदि का जो निर्माण किया गया उस पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त खानों पर दो वर्ष पहले जो मजदूर लगे हुए थे उनकी संख्या गत एक वर्ष से कम करदी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त खानों पर अब कारपोरेशन की देख-रेख है और प्लान्ट लगाने में शिथिलता आ गई है ? यदि हां तो सरकार फ्लोराइट के इन भण्डारों की उपलब्धि हेतु क्या कर रही है ?

उत्तर

(1) सर्वेक्षण का कार्य सन् 1956 से 1963 तक विभाग द्वारा किया। इस कार्य का राइट इन्जीनियर द्वारा मूल्यांकन करते हुए जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसके सम्बन्धित विभाग की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) लगभग अठारह लाख रुपया।

(3) जी हां। राजस्थान इन्डस्ट्रीयल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट कारपोरेशन के द्वारा प्लांट का कार्य स्थगित कर देने से मजदूरों की संख्या में कमी होना पाया जाता है।

(4) कारपोरेशन द्वारा भण्डारों की उपलब्ध हेतु पूर्ण निर्णय हो जाने तक आगे की कार्यवाही रोकी हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

**अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सामान की खरीद**

525. (आसीन्द) श्री किशनसिंह :– क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत अकाल के समय में पाली के श्री गंगाकिशन श्याम-सुन्दर फर्म ने सिंचाई विभाग व अन्य विभागों के कई अकाल राहत कार्यों में सीमेंट व अन्य कई वस्तुओं को सप्लाई करने का कार्य किया था ?

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जिलाधीश श्री एल. एन गुप्ता ने इस फर्म द्वारा सीमेंट की सप्लाई व अन्य कार्यों में घोटाला करने व सरकार को धोखा देकर काला धन कमाने की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सरकार द्वारा उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, गत अकाल के समय पाली को श्री गंगाकिशन श्याम सुन्दर फर्म ने सिंचाई विभाग व अन्य विभागों को अकाल राहत कार्यों के लिये सीमेन्ट सप्लाई करने का कार्य किया था।

(2) जी हां, भूतपूर्व जिलाधीश श्री एल. एन. गुप्ता ने इस फर्म द्वारा सीमेन्ट की सप्लाई के कार्यों में कथित गड़बड़ी की सूचना सहायता विभाग को दे दी थी।

(3) सरकार द्वारा पूरे मामले को जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के सुपुर्द करदी गई है।

**फालना उद्योग बस्ती में पानी की व्यवस्था**

526. श्री मोहनराज (पाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि फालना उद्योग बस्ती को वहां स्थापित उद्योगों के लिए आवश्यक मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है और इससे वहां की उत्पादन क्षमता घटी है और असुविधाएं बढ़ी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस उद्योग बस्ती को पानी की सप्लाई फालना व खुडाला ग्राम हेतु निर्मित पेय-जल के कुए से ही होने और उक्त कुए में पानी की कमी के कारण यह गंभीर स्थिति पैदा हुई है ?

(3) क्या सरकार उद्योग बस्ती की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्योग बस्ती के निकट ही निर्मित जादरी बांध से अथवा इस बांध के निकट नए कुए का निर्माण कर पानी उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) यह सही है कि फालना उद्योग बस्ती को पानी की सप्लाई फालना व खुडाला ग्राम हेतु निर्मित पेय-जल के कुए से हो रही है किन्तु यह सही नहीं है कि स्थिति गंभीर है। कुए में पानी सीमित होने

(उद्योग मंत्री)

से दोनों समय आधा घंटा पानी दिया जाता है जिससे पानी स्टोर किया जाकर सुचारु रूप से काम चलाया जा सकता है। हाल ही में जिला उद्योग विकास सलाहकार समिति ने इस समस्या को हल करने के लिए जाखरी बांध के निकट कुआ तैयार कर पानी सप्लाई करने का फैसला किया है और वह इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने में प्रयत्नशील है।

**दीगोद में हाई स्कूल की मांग**

52). **श्रीमती नगेन्द्र बाला** (दीगोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार का ऐसा निर्णय है कि प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर हाई स्कूल होना चाहिये ?

(2) क्या कोटा जिले की दीगोद तहसील हैड क्वार्टर पर हाई स्कूल की मांग है ?

(3) यदि हां, तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) सत्र 1972–73 के क्रमोन्नति संबंधी प्रस्तावों में विद्यालय निरीक्षक, कोटा द्वारा दीगोद को माध्यमिक शाला के लिये प्रस्तावित नहीं किया गया है।

(3) प्रस्ताव प्राप्त होने पर व बजट में प्रावधान होने की स्थिति में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायगा।

**मथुरादास बिनाणी राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा का भवन**

534. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मथुरादास बिनाणी राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा का भवन दानदाता ने दान कर दिया है और अब वह राज्य सरकार के आधिपत्य और व्यवस्था में है ?

(2) क्या उक्त महाविद्यालय के भवन की मरम्मत कराना आवश्यक है ? यदि हां, तो उसके लिये राज्य सरकार क्या प्रबंध कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने महाविद्यालय के आचार्य को इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिये हैं कि महाविद्यालय भवन की मरम्मत जनता से जन-सहयोग लेकर कराई जाय ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसे उचित समझती है ? राज्य में ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनकी मरम्मत जनता से चन्दा वसूल कर की जाती है ?

**उत्तर**

(1) यह सही है कि मथुरादास बिनाणी राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा का भवन दानदाता द्वारा दान कर दिया गया है और उसमें महाविद्यालय सन् 1964-65 से कार्य कर रहा है परन्तु सरकार की व्यवस्था में नहीं है।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने 1970-71 में इस महाविद्यालय की मरम्मत

(शिक्षा मंत्री)

हेतु 3,000/– (रु. तीन हजार) की राशि स्वीकृत की थी।

(3) दान स्वरूप प्राप्त भवनों की मरम्मत के लिये जन सहयोग के भी प्रयत्न किये जाते हैं। इसी दृष्टि से महाविद्यालय के आचार्य को लिखा गया था। जनता से चन्दा वसूल कर आज तक किसी महाविद्यालय के भवन की मरम्मत नहीं कराई गई है।

**गंगापुर कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी**

543. **श्री मीठालाल:**–क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी के अध्यक्ष श्री दामोदरप्रसाद नियमित रूप से अध्यक्ष चुने गये हैं?

(2) क्या यह सच है कि सरकार उक्त सोसायटी के अध्यक्ष को उचित सहयोग नहीं दे रही है?

(3) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व सोसाइटी के अध्यक्ष व कर्मचारियों में परस्पर भारी झगड़ा हुआ था।

(4) यदि हां, तो उक्त झगड़े को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(5) क्या स्थायी शांति के लिए समिति के कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जा रहा है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर को आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी के अध्यक्ष श्री दामोदरप्रसाद, राजस्थान सहकारी संस्था नियमों के अन्तर्गत वर्णित प्रणाली के अनुसार अध्यक्ष चुने गये थे।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। दिनांक 24-4-72 को सोसायटी के अध्यक्ष व व्यवस्थापक में झगड़ा हुआ।

(4) व्यवस्थापक ने मामला पुलिस में दर्ज करा दिया है।

(5) व्यवस्थापक का स्थानान्तर आदेश 29-4-72 को किया जा चुका है।

**करनपुर वाटर वर्क्स की क्षमता**

544 **श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर):**–क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि करनपुर में वाटर वर्क्स की क्षमता कम होने के कारण पीने के पानी की कमी रहती है?

(2) क्या सरकार पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए वाटर वर्क्स की क्षमता बढ़ाने के लिए शीघ्र ही कोई प्रबन्ध करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां,

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

(2) पानी को क्षमता बढ़ाने के लिये पुनर्गठित योजना तैयार की जा चुकी है जिसकी अनुमानित लागत 4,50,000। रु. है। योजना की तकनीकी दृष्टिकोण से जांच की जा रही है।

**जैतारण में प्रोजेक्ट अधिकारी की नियुक्ति**

545. **श्री सुखलाल सेंगचा (जैतारण)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या ए. आर. सी. के आधीन लघु सिंचाई परियोजना, जैतारण के प्रोजेक्ट आफिसर की नियुक्ति हो चुकी है? यदि हां, तो अभी तक प्रोजेक्ट आफिसर ने किन कारणों से कार्यभार नहीं संभाला है ? अब कब तक प्रोजेक्ट आफिसर अपना कार्य संभाल लेंगे ?

**उत्तर**

जी हां। प्रोजेक्ट आफिसर जैतारण योजना की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये थे लेकिन माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आज्ञा आ जाने के कारण वे कार्यभार नहीं संभाल सके थे। अब उक्त मामला समाप्त हो चुका है। परियोजना अधिकारीगण का चयन हो चुका है। नियुक्ति 15-5-72 को हो चुकी है और वहां प्रोजेक्ट आफिसर शीघ्र ही कार्य संभाल लेंगे।

**ग्राम बाढ़ में वर्षा से क्षति**

370. **श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन)** : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि ग्राम बाढ़, पंचायत ढिढोरा तहसील हिण्डौन जाटव बस्ती 1971 में वर्षा के कारण पानी में डूब गया था तथा इससे यहां के जाटव परिवारों को अनुमानतः 35,000।– हजार रुपये का नुकसान हुआ था ?

(2) क्या सरकार ने इन लोगों को कोई सहायता दी थी ? यदि हां, तो कितनी कितनी सहायता प्रत्येक व्यक्ति को दी गई ? यदि कोई सहायता नहीं दी गई तो क्या सरकार अब सहायता देने का विचार रखती है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं, ग्राम बाढ़ पंचायत ढिढोरा तहसील हिण्डौन जाटव बस्ती के 1971 में वर्षा के कारण पानी से डूब जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, न जाटव परिवारों को नुकसान होने की कोई सूचना प्राप्त हुई है।

(2) जी नहीं, अब सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**क्रोनिकली ड्राट अफेक्टेड एरियाज के लिए स्वीकृत राशि**

190. **श्री भीमसेन (लूणकरणसर)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि भारत सरकार की ओर से क्रोनिकली ड्राट अफेक्टेड एरियाज के लिए प्रति जिला दो करोड़ की राशि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत

(श्री भीमसेन)

की गई है ? अगर हां, तो जिला बीकानेर में उक्त राशि किस कार्य में कितनी कितनी खर्च की जा रही है ?

उत्तर

हां यह सही है कि क्रोनिकली ड्राट अफेक्टेड एरियाज के अन्तर्गत आये दस जिलों के लिये भारत सरकार की ओर से चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रति जिला 2 करोड़ रु. के हिसाब से 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

बीकानेर जिले में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक निम्न कार्य स्वीकृत कराये जा चुके हैं जिन पर कार्य चल रहा है:—

| कार्य का नाम | स्वीकृत कार्यों की संख्या | अनुमानित लागत |
|---|---|---|
| 1 सड़क के | 2 | 50 लाख |
| 2. वन कार्य | 13 | 34.57 लाख |
| 3. जल प्रदाय योजनाए | 6 | 33.70 लाख |
| 4. भू-संरक्षण कार्य | 14 | 1.55 लाख |
| | कुल | 119.82 लाख |

इसके अतिरिक्त रु. 3.5 लाख के भू-संरक्षण कार्य व 31 लाख के वन कार्य और प्रस्तावित हैं जिनकी स्वीकृति भारत सरकार से शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। इसके अतिरिक्त डेयरी सेक्टर के लिये भी राशि प्रस्तावित है जिसके प्रस्ताव अभी तैयार होने शेष है।

## नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा नगर परिषद् को सुपुर्द बस्तियां

191. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा कौन-कौनसी बस्तियों का पूर्ण विकास कर नगर परिषद्, जयपुर को सौंप दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद् को समुचित नागरिक सुविधायें उपलब्ध करा कर ही बस्तियों को सुपुर्द किया जा सकता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने प्लाट्स के आवंटन के लिए लाटरी प्रणाली आरंभ की है ? यदि हां, तो कब से तथा क्या नगर विकास न्यास, जयपुर इसका पालन कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि रूल्स के अभाव में नगर विकास न्यास और नगर परिषद् में योजनायें पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी व कौन कौनसी ऐसी योजनायें हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि किसी हरिजन को कोआपरेटिव एक्ट के तहत जमीन देने के नियम नहीं हैं और उन पर ओपन प्लाट का नियम लागू है ?

उत्तर

1. न्यास अधिनियमान्तर्गत योजनाओं को पूर्ण तया विकसित न होने के कारण

(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

नगर परिषद्, जयपुर को न्यास द्वारा कोई योजना हस्तान्तरित नहीं की गई है।

2. जी हां।

3. जी हां। राज्य सरकार की विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 7 (2) टोपी/ 64, दिनांक 10-121971 के द्वारा प्राथमिकता प्रणाली को समाप्त कर लाटरी प्रणाली प्रारम्भ की गई है तथा उक्त दिनांक के बाद न्यास द्वारा भू-खण्ड उपलब्ध न होने के कारण कोई भू-खण्ड प्राथमिकता अथवा लाटरी प्रणाली से नहीं किया है।

4. रूल्स के अभाव में कोई योजना न्यास में नहीं पड़ी हुई है।

5. जी हां।

**देशनोक नगरपालिका के कर्मचारियों की हड़ताल**

192. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि देशनोक नगरपालिका के कर्मचारी लम्बे समय से हड़ताल पर हैं ?

(2) क्या इसका नगर की सफाई एवं स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है ?

(3) क्या यह सही है कि वहां हैजा फैलने की आशंका उत्पन्न हो गई है ?

(4) क्या सरकार स्थिति पर नियंत्रण के लिए कोई उपाय कर रही है ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) ऐसी कोई सूचनाएँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

(4) नगरपालिका स्वशासी संस्था है और स्थिति पर नियंत्रण करने के सम्बन्ध में सक्षम है।

**दौसा नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि पर मकान**

193. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि दौसा नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि पर मकान बने हुए हैं ? यदि हां, तो वे मकान किन किन के बने हुए हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**उत्तर**

जी हां।

निम्न व्यक्तियों ने कृषि भूमि पर मकान बनाये हैं:-

1. श्री हमीद खां
2. श्री कन्हैयालाल
3. श्री सोनिया
4. श्री कानाराम सहाय
5. श्री राम नारायण
6. श्रीमती गुलाब देवी

Page No. 41



(श्री स्वायत्त शासन मंत्री)

7 श्री लल्लू प्रसाद

8. श्री रामस्वरूप

9. श्री सरदार रतनसिंह

10. श्री कैलाशचन्द्र

11. श्री रमेशचन्द्र नागर

12. श्री सूरजनारायण

13. श्री काना पांच्या मूलया

14. श्री जे. के. जैन

15. श्री भौरीलाल व रामसहाय, तहसील दौसा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

**फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया को राजस्थान में जिप्सम उत्पादन के अधिकार**

194. **श्रीमती कांता कथूरिया** (कोलायत): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि फर्टीलाइजर कोरपोरेशन आफ इण्डिया को राजस्थान में जिप्सम उत्पादित करने का अधिकार दिया गया है? यदि हां, तो कब से कितनी अवधि के लिये एवं कितनी मात्रा में जिप्सम प्राप्त करने के लिये?

(2) एफ. सी. आई. द्वारा जिप्सम प्राप्त करने का प्रयोजन क्या था और क्या उस प्रयोजन की पूर्ति के बाद इस निकाय को जिप्सम उत्पादित करने से रोक दिया जायगा?

(3) अब तक यह निकाय कितना जिप्सम उत्पादित कर चुकी है?

**उत्तर**

| क्र. सं. 1 | क्षेत्र का नाम 2 | जिला 3 | कब से 4 | अवधि 5 |
|---|---|---|---|---|
| खनन पट्टे:- | | | | |
| 1. | कबास | बाड़मेर | 1-5-52 | 20 वर्ष |
| 2. | उतरलाई, खिरकर, कुलरा | ,, | 1-7-56 | 20 वर्ष |
| 3. | गोलसर-कितलसर | ,, | 1-12-68 | 20 वर्ष |
| 4. | किशनपुरा | गंगानगर | 1-12-65 | 20 वर्ष |
| 5. | वारवाल | ,, | 7-12-65 | 20 वर्ष |
| 6 | रघुनाथपुरा I (मेन) | ,, | 1-9-66 | 20 वर्ष |
| 7. | रघुनाथपुरा II | ,, | 14-9-66 | 20 वर्ष |
| 8. | हरदासवाली I | ,, | 7-12-65 | 20 वर्ष |
| 9. | हरदासवाली II | ,, | 14-9-66 | 20 वर्ष |
| 10. | करणसर | ,, | 14-9-66 | 20 वर्ष |
| 11. | मलकासर | ,, | 27-10-71 | 20 वर्ष |

(श्री खनिज मंत्री)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | खेड़ात | नागौर | जनवरी 65-30-6-72 तक | |
| 13. | मदान | ,, | ,, | ,, |
| 14. | चोटीसरा | ,, | ,, | ,, |
| 15. | न्युकवास | ,, | ,, | ,, |
| 16. | मोहनगढ़ | जैसलमेर | | नवम्बर 68 |
| 17. | कावनी | बीकानेर | | अक्टूबर 68 |
| 18. | भारु | ,, | | दिसम्बर 68 कोई अवधि नियत नहीं है। |
| 19. | डाकिया की घर | ,, | ,, | |
| 20. | धांधरा | ,, | ,, | |

(2) कुल मिलाकर 11 खनन पटटे हैं व 9 अनुमति-पत्र हैं। एफ. सी. आई द्वारा जिप्सम प्राप्त करने का प्रयोजन सिन्दरी फर्टीलाइजर फैक्ट्री को जिप्सम सप्लाई करना था, खनन् पटटे के स्पेशियल कन्डीशन द्वारा उक्त पूर्ति करने के बाद यदि प्रयोग में आने वाली जिप्सम बचती है तो राज्य सरकार उसको लेकर स्वयं बिक्री करने को सक्षम है।

(3) 88,10,952.230 टन दिसम्बर सन् 1971 तक।

**सागर ताल से अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति की चोरी**

195. **श्री बृजेन्द्र पाल** (भरतपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सागर ताल उप-तहसील मासलपुर करौली सब डिवीजन से एक मूर्ति अन्नपूर्णा देवी की सन् 1970 में चोरी गई ?

(2) क्या यह सही है कि पुलिस को निश्चित जानकारी होने के बावजूद इस मूर्ति को बरामद नहीं किया जा रहा है ?

**उत्तर**

(1) जी नहीं। सन् 1970 में ऐसी चोरी का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। अन्नपूर्णा देवी की चोरी के सम्बन्ध में एक मुकदमा नं. 2 दिनांक 1-2-68 को धारा 379 ता. हि. के अन्तर्गत थाना मासलपुर में अवश्य पंजीबद्ध हुआ था चोरी गई इस मूर्ति को बरामद कर लिया गया है।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**झालरापाटन के व्यक्तियों द्वारा बन्दूकों के लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र**

196. श्री **राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील झालरापाटन (जिला झालावाड़) में ऐसे कितने व्यक्तियों के

# Page No. 43



(श्री रामप्रसाद बोहरा)—

प्रार्थना पत्र पेन्डिग है जो अपनी फसल की रक्षा के लिए बन्दूक एवं टोपीदार बन्दूक खरीदने के लाइसेन्स चाहते हैं ? ये प्रार्थना-पत्र कब से पेन्डिग हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम व्यक्तियों को बन्दूक खरीदने का लाइसेंन्स आसानी से मिल नहीं पाता ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) ऐसे 11 व्यक्तियों के आवेदन पत्र पेन्डिग हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

### पलाना कोलरी की मशीनरी

197. श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या राजकीय उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पलाना कोलरी के बन्द कर दिये जाने से वहां कितनी राशि की मशीनरी बेकारी पड़ी हुई है ?

(2) क्या सम्पूर्ण मशीनरी की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध है ?

(3) यदि हां, तो सुरक्षा प्रबन्धों पर एक वर्ष में कितना व्यय होता है ?

(4) सरकार इस मशीनरी का किस रूप में उपयोग करना चाहती है ?

उत्तर

(1) पलाना कोलरी को 5-1-69 से आग लग जाने के फलस्वरूप बन्द करना पड़ा। इसमें रु. 10,76,568.19 की मशीनरी वर्ष 1968-69 में थी।

(2) जी हां।

(3) मशीनरी की सुरक्षा के लिए 53,000/- रुपये का प्रावधान किया गया है वित्तीय वर्ष 72-73 के लिए।

(4) मशीनरी के उपयोग के लिये विचार किया जा रहा है।

### जालोर, जिले के पुलिस स्टेशनों पर दर्ज मुकदमें

198. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जालोर जिले के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सन् 1970 से आज तक चोरी, डकैती तथा मार-पीट के कितने मुकद्दमे दर्ज हुए और उनमें से अब तक कितनों में चालान हो गये और कितने मामले पेन्डिग हैं ? यदि कोई मामले पेन्डिग हैं, तो उनके क्या कारण हैं और उनके कब तक चालान होने की आशा है ?

(स्थगित किया गया)

### प्राथमिक शिक्षा पर व्यय

199. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा पर क्या व्यय आता है ?

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

(2) कितने बच्चे वर्ष भर में शिक्षित होते हैं ?

(3) अलग अलग जिलों में व्यय से प्रति विद्यार्थी क्या अनुपात है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा पर वर्ष 69–70 में रु. 13,02,22,283/– खर्च आया।

(2) वर्ष 69–70 में 21. 10 लाख बच्चे प्राथमिक स्तर में शिक्षित हुए।

(3) अलग अलग जिलों में व्यय से प्रति विद्यार्थी अनुपात की सूचना विभाग में संकलन नहीं की जाती। सारे राज्य में प्रति विद्यार्थी उक्त वर्ष में रुपये 62.00 व्यय आया।

**सहकारिता विभाग के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची**

200. **श्री जेठमल आर्य** (रेवदर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह नहीं है कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहकारी विभाग के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची (सिनियोरिटी लिस्ट) रद्द करदी गई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक नयी सूची प्रकाशित कर देगी ?

उत्तर

जी हां, शीघ्र ही।

**केन्द्रीय सहकारी बैंकों की बैठकें**

201. **श्री जेठमल आर्य** (रेवदर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य में किन किन केन्द्रीय सहकारी बैंकों की वर्ष 1970–71 की वार्षिक आम सभा नहीं हुई है ? जबकि ये बैठकें 30 नवम्बर, 1971 तक हो हो जानी चाहिये थी ? क्या, रजिस्ट्रार ने आम सभा बुलाने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? अब कब तक वार्षिक सभायें बुलाकर चुनाव करा दिये जायेंगे ?

(स्थगित किया गया)

**कालेज शिक्षा विभाग में स्वीकृत किये गये पद**

202. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) कालेज शिक्षा विभाग में सन् 1967 के बाद वरिष्ठ लिपिक के पद से लेकर राजपत्रित व अराजपत्रित पद कितने स्वीकृत हुए ? उन्हें नियुक्ति अथवा पदोन्नति द्वारा कब कब भरा गया तथा अब कितने पद रिक्त हैं ?

(ख) कालेज शिक्षा विभाग में गत 3 वर्ष से अथवा अधिक अवधि से कितने स्थान रिक्त चले आ रहे हैं ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) क्या ये रिक्त पद अधीनस्थ सेवा-नियम या लिपिक वर्ग सेवा नियम के अन्तर्गत आते हैं ?

# Page No. 45



(श्री मूलचन्द सामरिया)

(घ) क्या ये पद किसी व्यक्ति विशेष की योग्यता पूर्ण न होने के कारण अभी तक रिक्त चले आ रहे हैं ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें तुरन्त भरने का विचार रखती हैं ?

(स्थगित किया गया)

**दीगोद क्षेत्र के गांवों में पेय जल की व्यवस्था**

203. **श्रीमती नगेन्द्र बाला** (दीगोद): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिन गांवों में पेय-जल के लिये जल-कूप नहीं हैं तथा अन्य पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिये क्या योजना है ?

(2) पेय जल किस प्रकार उपलब्ध करवाया जायेगा ?

(3) कोटा जिले के दीगोद क्षेत्र में स्थित सुल्तानपुर, दीगोद, भडाना, जो बड़े बड़े कस्बे सरकार द्वारा इनमें जल योजनाएं कब और कहां कहां लागू की जा रही हैं ?

उत्तर

(1) ऐसे गांवों में जहां पेय जल के लिए नलकूप नहीं हैं तथा अन्य पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और वहां पर कुएं द्वारा व्यवस्था नहीं हो सकती हो ऐसे निकटवर्ती क्षेत्र से जहां पेयजल उपलब्ध हो नलों द्वारा पेय-जल उपलब्ध कराया जावेगा। यदि ग्राम की आबादी 2000 व्यक्तियों से कम हो व गांव में ही कुआं खुदवा कर जल व्यवस्था की जा सकती हो तो ऐसी व्यवस्था विकास विभाग द्वारा की जावेगी।

(2) ऐसे ग्राम जिनमें पानी नहीं मिल सकता हो, क्षेत्रीय योजना बना कर जल सप्लाई किया जावेगा।

(3) सुलतानपुर की योजना स्वीकृत की जा चुकी है, तथा कार्य निर्माणाधीन है, दिगोद के लिए सर्वेक्षण कर योजना बनाई जावेगी, तथा मण्डाना की योजना बना ली गई है, जिसकी तकनीकी जांच की जा रही है।

**सेवा निवृत्ति की आयु**

204. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत): क्या वित्त (नियम) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र एवं अनेक राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष है ?

(2) क्या यह सही है कि हाल ही में किसी राज्य सरकार ने सेवा निवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ा कर पुन: 58 वर्ष कर दी है ?

(3) यदि हां, तो इस राज्य का क्या नाम है ?

(4) क्या राज्य सरकार भी सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ा कर पुनः 58 वर्ष करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) व (3) समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि मध्य प्रदेश विधान सभा ने राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 55 वर्ष की बजाय 58 वर्ष की करने का अधिनियम पारित किया है। मध्य प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी नहीं।

**खाद्य वस्तुओं पर लिया जाने वाला टैक्स**

205. **श्रीमती नगेन्द्र बाला** (दिगोद): क्या आय कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) ऐसी खाद्य वस्तुयें जिनका टैक्स अंतिम बेचान पर लिया जाता है, क्या क्या है?

(2) क्या उक्त कर पूरा समय पर वसूल हो जाता है?

(3) यदि नहीं, तो क्यों और अब आज की तिथि तक ऐसी खाद्य वस्तुओं का बकाया कर सरकार को कितना वसूल करना है?

उत्तर

(1) निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं पर अन्तिम बिन्दु (last point) पर 'कर' लगता है-

1. अजवायन
2. धनियां
3. गोंद कनिला
4. मेथी दाना
5. मिर्च
6. तिलहन
7. सूवा
8. जीरा।

(2) उपरोक्त वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले व्यापारी प्राय: अन्य वस्तुओं का व्यापार भी करते हैं और सब वस्तुओं पर कर एक साथ ही जमा करवाते हैं, अत: केवल उपरोक्त वस्तुओं पर कर की वसूली के बारे में अलग से सूचना दिये जाने में असमर्थता है।

(3) उक्त वस्तुओं का व्यापार करने वालों को बकाया की अलग से कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

**आहोर तहसील के ग्रामों में पेयजल योजना**

206. **श्रीमती समुद्र कंवर** (आहोर): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील आहोर जिला जालोर के गांव बाला, भोडल, मोतीसरी को मिलाकर पेयजल की सुविधा के लिए क्या योजना कब तक बनाई जा रही है?

उत्तर

ये तीनों गांव क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बाला, बिजली, नीलकंठ में सम्मिलित हैं, यह योजना बनाई जा चुकी है तथा इसको तकनीकी दृष्टिकोण से जांच की जा रही है।

# Page No. 47



**जोधपुर में पानी की दैनिक आवश्यकता**

207. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर की पानी की दैनिक आवश्यकता कितने एम.सी.एफ.टी. है और उसमें कितना पानी पीने की और कितना अन्य कार्यों की आवश्यकता की पूर्ति करता है ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) जोधपुर शहर के लिये रामपुरा योजना जवाई नहर व अन्य किन-किन स्रोतों से कितना कितना पानी प्राप्त होता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) जोधपुर में कायलाणा व अन्य किन किन तालावों व बांधों में कितना-कितना पानी एकत्रित है ? कृपया एम. सी. एफ. टी. के आंकड़ों में बतायें ।

(4) जवाई बांध में डेड स्टोरेज व डेड स्टोरेज से ऊपर की सतह पर कितना एम. सी. एफ. टी., पानी 8 अप्रेल, सन् 1972 को था ?

(5) क्या यह सही है कि अकाल के कारण गत वर्षों में डेड स्टोरेज का पानी भी जवाई बांध से निकालना पड़ा था ? यदि हां, तो कौन-कौन से वर्षों में कितना कितना पानी क्यों निकाला गया और फिर भी कितना पानी बच पाया था ?

(6) पाली तहसील के किन किन गांवों के लिये जवाई नहर से पीने का पानी देने की मांग की गई थी और कितने गांवों को कितना एम. सी. एफ. टी. पानी किन किन तारीखों को दिया व कितने गांवों में पानी देना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(7) क्या यह सही है कि डेड स्टोरेज का पानी निकालने से जोधपुर शहर और पाली तहसील के गांवों की सम्पूर्ण मांग की पूर्ति की जा सकती है ? यदि हां, तो यह पूर्ति करने में क्या बाधा है ?

**उत्तर**

(1) जोधपुर शहर की पानी की दैनिक आवश्यकता लगभग 1.35 एम. सी. एफ. टी. है । अलग अलग उपयोग के लिये पानी की मात्रा बताना सम्भव नहीं है, अतः विवरण सदन की मेज को जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) जोधपुर शहर के लिये जिन जिन स्रोतों से पानी प्राप्त होता है उसकी सूची सदन की पर रख दी गई है ।

(3) जोधपुर के बांधों में निम्न प्रकार पानी एकत्रित है :—

(अ) तख्तसागर बांध :—

40, के ऊपर उपयोगी पानी 43 एम. सी. एफ. टी.

(ब) कायलाना लेक :—

12 एम. सी. एफ. टी. ।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(अधिकतर मिट्टी घास इत्यादि होने के कारण पेय योग्य नहीं है अतः इसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

(स) बाल समंद टैंक :—

11.90 एम. सी. एफ. टी.।

(यह पानी केवल मण्डोर क्षेत्र को दिया जाता है इसको पूरे जोधपुर शहर में देना सम्भव नहीं है यह इस क्षेत्र के लिये मुश्किल से वर्षात के मौसम तक पर्याप्त होगा)

(4) जवाई बांध में 8 अप्रेल 1972 को मोरी के ऊपर 327 एम. सी. एफ. टी. पानी था व मोरी के नीचे पानी 494 एम. सी. एफ. टी. था इस दिन जवाई का गेज 10.73 था।

(5) हर काल के वर्ष में मोरी के नीचे का पानी नहीं निकाला जाता है क्योंकि अक्तूबर में जल वितरण के समय पीने के पानी की मात्रा बांध में उपलब्ध पानी में से सुरक्षित कर दी जाती है। केवल 1969–70 के वर्ष में ही पानी पम्प किया गया था जिसमें मोरी के नीचे उपयोगी पानी केवल 407 एम. सी. एफ. टी. था, इसके नीचे 940.00 के लेवल के नीचे केवल 87 एम. सी. एफ. टी. पानी रह जाता है। वह प्रायः कीचड़ व मिट्टी है और उपयोग के लिये पम्प नहीं किया जा सकता है।

(7) पाली तहसील के जिन जिन गांवों के लिये जवाई नहर से पीने का पानी देने की मांग की गई है और जितने गांवों को पानी जिन जिन तारीखों को दिया गया व कितने गांवों में पानी देना शेष है उनकी सूची मय पूर्ण विवरण के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(7) मोरी के नीचे का पानी पम्प करना सम्भव नहीं है, क्योंकि मई के अन्त तक मोरी का पानी समाप्त होगा व पानी समाप्त होने पर ही पम्प लगाये जा सकते हैं, पम्प लगाने में काफी समय लग सकता है और उसमें भी वर्षा आने का खतरा रहता है।

**स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था**

**श्री अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा ने कस्बा दौसा में भारतीय खाद्य निगम द्वारा आम किसानों से निश्चित मूल्य पर अनाज न लेने तथा 76 रुपये के स्थान पर 70 रुपये क्विन्टल की दर से भुगतान करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री भीमसेन और श्रीगोपाल जोशी, सदस्य विधान सभा ने सघन पशु विकास योजना, बीकानेर में 8 में से 7 नलकूपों के बन्द होने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने प्रि-मेडिकल टेस्ट में सम्मिलित होने के लिये 36 पर्सेन्ट के स्थान पर 50 पर्सेन्ट अंक प्राप्त करने से सम्बन्धित नियमों के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन तीनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(4) श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य विधान सभा ने कस्बा दौसा में पीने के पानी के अभाव के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। ईस विषय पर इसी सदन में पहले चर्चा की जा चुकी है, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने गत 26 अप्रेल, 1973 को चांदी और सोने के आभूषणों पर 5 पर्सेन्ट बिक्री कर लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न सरकार की कर नीति से सम्बन्धित होने के कारण मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) श्री केदारनाथ, श्री निरंजननाथ आचार्य और श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य, राजस्थान विधान सभा ने आज से श्री गोकुलभाई भट्ट, सर्वोदय नेता द्वारा मद्यनिषेध की मौजूदा नीति के विरोध में आमरण अनशन करने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। मैं चाहूंगा कि इस विषय में सरकार एक वक्तव्य दे।

(7) सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री, केदारनाथ और निरंजननाथ आचार्य, सदस्य विधान सभा ने जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल के मजदूरों पर दिनांक 14 मई, 1972 को लाठी प्रहार करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में माननीय श्रम मंत्री को दिनांक 18 मई, 1972 को एक वक्तव्य देने के लिये निवेदन किया गया है। इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में मैं असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त पूर्व में कतिपय अन्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना भी प्राप्त हुई थी जिनके सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है:–

(1) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा, ने राजस्थान केनाल बोर्ड वर्कशाप के बन्द हो जाने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इसी आशय का एक स्थगन प्रस्ताव पूर्व में अस्वीकृत हो चुका है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(2) सर्वश्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, केसरीमल, भीमसेन, रावतराम और रामसिंह (सादुलपुर), सदस्य विधान सभा ने नोहर, भादरा, सूरतगढ़, लूणकरणसर व बीकानेर व चूरू जिले में पेय जल की समस्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर भी पहले बहस हो चुकी है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री झाबरमल सूंडा, सदस्य, विधान सभा द्वारा जिला चूरू की तासर से शीतलनगर सड़क के चालू कार्य पर पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा 81 मजदूरों को काम से हटा देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री केसरीमल और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा ने डाबर में ई. एस. आई. शफाखाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा ने भरतपुर जिले की कामा व नगर तहसील में सरसों व चने की फसल नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव सूचना दी थी। यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री केशरीमल सदस्य, विधान सभा द्वारा गंगानगर के राजकीय चिकित्सालय के डाक्टर श्याम सुन्दर द्वारा एक अन्य डाक्टर के साथ अभद्र व्यवहार करने से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(व्यवधान-अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : एक माननीय सदस्य एक बार में।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपने जो व्यवस्था दी है मेरी समझ में कुछ गलतफहमी हुई है। स्थगन प्रस्ताव मजदूरों के सम्बन्ध में है! एक प्रश्न मजदूरों से सम्बन्धित है उनकी स्ट्राइक के बारे में और उस पर आपने आदेश दिया है कि श्रम मंत्री अपना स्टेटमेंट दें। दूसरा प्रश्न उन्हीं मजदूरों से सम्बन्धित है जो उन पर लाठी चार्ज, अश्रु गैस पुलिस द्वारा किया गया है और जिसमें भी यही व्यवस्था दी गई है। तो श्रम मंत्री का सम्बन्ध श्रम सम्बन्धी नीति से है...

**श्री अध्यक्ष** : पूरे का ही उत्तर वे देंगे।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : जहां तक लाठी-गोली और अश्रु गैस का सम्बन्ध है इसका सम्बन्ध पुलिस से है और इसलिये गृह मंत्रीजी से इस बारे में वक्तव्य देने को कहें।

**श्री अध्यक्ष** : तथ्यों की पूरी जानकारी कर के उत्तर दे देंगे।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने और छः अन्य माननीय सदस्यों ने, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने, नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे सदस्यों ने जो सूचना स्थगन प्रस्ताव की दी है उसके लिये आप मंत्री महोदय को स्टेटमेंट देने के लिये पहले कह चुके थे। यह प्रश्न जनरल स्टेटमेंट का नहीं है। इन शहरों के अन्दर पानी की स्थिति गम्भीर हो गई है। सूरतगढ़ में 30

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा) हजार आदमी रहते हैं लेकिन वहां पर वाटर की कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय को अनेक पत्र लिख चुके हैं और उनको मैं यहां तक कह चुका हूं कि अगर मंत्री महोदय चाहें तो मैं किसानों के द्वारा उनकी केनाल को खुदवा सकता हूं जो वाटर वर्क्स तक जाती है ताकि व्यवस्था हो सके। यह फौजियों का और डिफेंस का भी सवाल है। नहर की स्थिति आज यह है कि वहां का जोड़ा सूख चुका है, कीचड़ भरी हुई है और दस दस मील तक नोहर में पानी नहीं मिल रहा है। तो, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को कहें कि वहां पर पानी की व्यवस्था हो और इस पर मंत्री महोदय अपना स्टेटमेंट दें।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, दौसा में पानी की समस्या के सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव को ···

**श्री केसरीमल** : ब्यावर के ई.एस.आई. अस्पताल ···

(श्री केसरी मल और श्री सामरिया एक साथ बोलते रहे अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : श्री केसरीमल

**श्री केसरीमल (ब्यावर)** : ब्यावर में ई. एस. आई. शफाखाने में वहां के डाक्टरों ने वहां के मजदूरों को वे दवाइयां वितरित की हैं जिनकी तारीखें निकल चुकी थी और जिनका उपयोग उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन वह बराबर उन दवाइयों को देते रहे ···

**श्री अध्यक्ष** : हरएक के बारे में बोलना जरूरी नहीं होता।

**श्री केसरीमल** : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर इस प्रकार की अव्यवस्था चल रही है और इस अव्यवस्था को मिटाने के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इसीलिए मैंने यह स्थगन प्रस्ताव रखा है और आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार को इस बारे में जानकारी करने के लिए कहें ···

**श्री अध्यक्ष** : जानकारी करने के बाद ही निर्णय दिया है।

**श्री केसरीमल** : इस मामले की इन्क्वायरी करवाई जाय कि टाइम निकल जाने के बाद भी ऐसी दवाइयां क्यों दी गई और इसके लिए जो दोषी व्यक्ति हों उनको सजा दी जाय। उन्होंने बीमार मजदूरों को और ज्यादा बीमार किया है। इसलिए कुछ न कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : (हवामहल जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसे आपने लोक महत्व का नहीं मानकर रिजेक्ट कर दिया है। मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में कहा था कि 26 अप्रेल, 1972 को आपने 72–73 के बजट में जो स्वर्णकारों पर 3 परसेंट से बढ़ा कर 6 परसेंट बिक्री–कर कर दिया है इसके कारण, मेरी इस प्रकार की मान्यता है, इससे राजस्थान के स्वर्णकार बेकार होंगे और राजस्थान को जो इससे राजस्व की वसूली आज तक होती है वह भी नहीं हो पाएगी। जितना कलेक्शन आज बिक्री कर से होती है वह उतना कलेक्शन भी होने वाला नहीं है। आज आप पास के प्रदेशों को देखें तो दिल्ली

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

में चान्दी पर एक बटा दो परसेंट अन्तिम बिन्दु पर है, हरियाणा में एक बटा दो परसेंट है अंतिम बिन्दु पर, चण्डीगढ़ में एक बटा दो परसेंट है अंतिम बिन्दु पर, मध्यप्रदेश में एक बटा दो परसेंट अंतिम बिन्दु पर है, महाराष्ट्र में एक बटा चार पर्सेंट अंतिम बिन्दु पर है। मैसूर और मद्रास में एक पर्सेंट है। इसके अलावा चांदी के आभूषणों पर एक पर्सेंट अंतिम बिन्दु पर है, मध्य प्रदेश में 1 पर्सेंट अंतिम बिन्दु पर है, महाराष्ट्र में एक बटा दो पर्सेंट अंतिम बिन्दु पर है। लेकिन अपने यहां पर किस प्रकार का टैक्स लगा दिया है...

श्री **अध्यक्ष** : लगा चुके हैं, बजट पास हो चुका है।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : आपने टैक्स बढ़ा दिया है आज चांदी का भाव 520 रुपया प्रति किलो है, इस पर दस रुपया मजदूरी और दूसरे खर्च मिला कर 540 रुपया हो जायगा और उस पर 32) रु. और 27) रु. बिक्री कर लगाया है। पड़ौस के राज्यों में बिक्री कर कम है और वहां जो जेवर

(व्यवधान)

बेचेंगे और खरीदेंगे तो उनको सस्ता पड़ेगा, इससे यहां का व्यापार प्रभावित होगा...

श्री **अध्यक्ष** : आप कृपया समाप्त करें।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : जो आभूषणों को बेचने वाले हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। कोई भी जेवर बनाना चाहेगा तो चान्दी खरीद कर और पांच रुपया मजूदरी देकर जेवर बना लेगा इससे आपको जो टैक्स मिलता है वह भी नहीं मिल पाएगा...

श्री **अध्यक्ष** : आप कृपया अब समाप्त कर दें।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री **गिरधारी लाल भार्गव** : आज राजस्थान के सारे स्वर्णकार लोगों का संघ विधान सभा के बाहर आया है। लगभग 2 हजार के करीब लोग हैं जो बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार को चाहिए, जो उनकी वाजिब मांग है उसको माने और यह आश्वासन दें कि वास्तव में यहां पर बिक्री कर अन्य पड़ौसी राज्यों से अधिक बढ़ा दिया है जिससे उनके व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा, सरकार को उनको आश्वासन देना चाहिए कि राज्य सरकार उनकी मांग को वाजिब मानती है और उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है और जो हमने बिक्री कर रखा है वह लगने वाला नहीं है, हम कोई धन्धा खराब करने वाले नहीं हैं, हम राजस्थान की आय को बढ़ाने वाले हैं। इस लिए मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय, शिष्टमण्डल से मिल कर उनको आश्वासन दें।

श्री **माणक चन्द सोगानी** (अजमेर पूर्व) : मैं एक सैकिंड के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

श्री **अध्यक्ष** : किस पर बोल रहे हैं ?

श्री **माणकचन्द सोगानी** : जो प्रश्न माननीय सदस्य ने...

**श्री अध्यक्ष** : श्री निरंजननाथ आचार्य

(वित्त मन्त्री श्री चन्दनमल बैद बोलने के लिए खड़े हुए)

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : माननीय अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : वित्त मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

**श्री चन्दनमल बैद** (वित्त मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गोकुलभाई भट्ट के आमरण अनशन से सम्बन्धित स्थगन प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दी है कि कल इस पर वक्तव्य दिया जाएगा। कल एक्साइज की डिमाण्ड्स हैं...

**श्री अध्यक्ष** : तिथि निश्चित नहीं की है।

**श्री चन्दनमल बैद** : कल एक्साइज की डिमाण्ड पर बहस होगी। कटौती प्रस्ताव भी पेश होंगे उस वक्त में ही सरकारी जवाब में भी इसका समावेश हो जाय।

**श्री अध्यक्ष** : चैम्बर में बात कर लें।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश से पहले भी बैठ गया था अब मैं दुबारा टाइम चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : कहिए।

**श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : मैं सोने चांदी की मांग नहीं कर रहा हूं, मैं तो दौसा के लिए पानी की मांग कर रहा हूं। वित्त मंत्रीजी ने फरमाया था कि दौसा को पानी दिया जाएगा लेकिन आज वहां पर पानी नहीं है। ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती जा रही है वहां पर समस्या अपना रूप विकराल करती जा रही है। लोगों की जानें खतरे में हैं। वहां पर एक मटका पानी तक मुश्किल से मिल रहा है, लोगों का जिन्दा रहना आसान नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह पक्की व्यवस्था तो भले ही बाद में करती रहे लेकिन इस गर्मी के मौसम में तो टेम्प्रेरी व्यवस्था तो सरकार तुरन्त करे। माननीय मंत्री महोदय ने जो पानी की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया था उसको कार्यान्वित करें ताकि वहां के लोगों को पानी मिल सके और पानी की समस्या का समाधान हो। दौसा के नगरवासियों ने गत साल पहले भी इस बारे में आन्दोलन किया था और भूख-हड़ताल की थी उस समय सरकार ने यह एश्योरेंस दिया था कि बड़ी योजना के द्वारा 1972 की गर्मी तक पानी दिया जाएगा। वह योजना तो न मालूम कब पूरी होगी लेकिन अभी तक तो टेम्प्रेरी व्यवस्था भी नहीं हुई है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि या तो सरकार जल्दी से जल्दी कुछ व्यवस्था करे नहीं तो फिर दौसा नगरवासियों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा....

**श्री अध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें।

**श्री मूलचन्द सामरिया** : और इसके लिए फिर सरकार पर इसकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी वहां पर पानी की व्यवस्था करें....

**श्री माणकचन्द सोगानी** : मैं निवेदन करना चाहता हूं एक बात ...

**श्री अध्यक्ष** : किस सम्बन्ध में ?

**श्री माणकचन्द सोगानी** : यह जो सर्राफों के सम्बन्ध में बात कही गई है उस सम्बन्ध में।

मेरा निवेदन करना यह है कि अभी बाहर जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनके प्रतिनिधि मुख्य मंत्रीजी से मिलने के लिए आना चाहते हैं। मुख्य मन्त्रीजी ने उनसे मिलने का समय दे दिया है इसलिए कोई भाई इस विषय में गुमराह न हों, इसलिए मैं इस सदन में आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उनके शिष्ट-मण्डल को समय दे दिया गया है और कुछ प्रतिनिधि उनके यहां पर बैठे हैं। वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी उनको समय दे रहे हैं। इसमें कोई प्रकार का भ्रम न हो इसलिए मैंने यहां अर्ज कर दिया है।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

### नीम के थाने के एक बालक के अपहरण काण्ड पर एडवोकेट जनरल की राय बदलवाने के प्रयत्न पर

**श्री अध्यक्ष** : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रश्न पर मैं सदन के प्रांगण पर उठ रहा हूं उसके तथ्य ज्यादा काम्प्लीकेटेड नहीं हैं; और मामला भी कोई अधिक अहमियत रखता हो ऐसा नहीं है। अहमियत है अनियमितताओं की उसमें और महत्व है वह पक्षपात जो इस मामले को सम्हालने या दवाने में किया गया है। इस संदर्भ में इसका महत्व है। श्री द्वारिकाप्रसाद नाम का एक व्यक्ति भागलपुर का रहने वाला है, उनका एक दत्तक पुत्र मोहनलाल अपने परिवार के साथ नीम के थाने आया, और नीम के थाने की सराय में ठहरा। तारीख 17 जुलाई, 1971 को एक महिला, जो कि मुख्य अभियुक्त है, श्रीमती जानकी देवी उनके दत्तक पुत्र को लेकर चली गई। यानि फरार करके ले गई। फरार हो जाने के बाद उक्त श्री द्वारिकाप्रसाद ने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां इसकी इत्तला दी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने इस मामले की तफतीश के लिए वहां की पुलिस के सुपुर्द किया। यहां तक तो मामला बड़ा साफ है कि फरारी की इत्तिला मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को दी गई, और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने उसको पुलिस के सुपुर्द किया। और स्थानीय पुलिस ने उस लड़के को श्रीमती जानकी देवी के घर से बरामद किया। बरामद होने के बाद यह नाबालिग लड़का 7 दिन पुलिस की हिरासत में रहा। अब वह हिरासत जायज थी या नाजायज थी, और पुलिस ने उसको 7 दिन तक अपनी हिरासत में किस आधार पर रखा, एक प्रश्न तो विवादग्रस्त इसमें यह आता है।

उसके बाद में, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं कानून के जानकार हैं, इसलिए मैं कानून की व्याख्या और विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन जिस पुलिस को सुपुर्द किया गया क्या वह न्यायोचित था ? व्यक्ति बरामद हो, तो पुलिस का कर्त्तव्य यह होता है कि उस व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

के सम्मुख प्रस्तुत करें धारा 552 जाब्ता फौजदारी का उल्लेख मैं करना चाहूंगा, अथवा धारा 100 जाब्ता फौजदारी यह दोनों रेलेवेन्ट धाराएं हैं। 7 दिन तक इस नाबालिग लड़के को अपने अधिकार में रखा और उसके बाद पुलिस ने स्वतः ही कानून की अवहेलना करके इस लड़के को सुपुर्द किया एक व्यक्ति को।

अब यहां प्रश्न उठता है कि पुलिस ने यह काम बोनाफाइडी में किया या मेलाफाइडी से ? अगर किया तो किस आधार पर किया, किस कानून का सहयोग लेकर किया ? मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति, जिसका नाम विश्वेश्वर अग्रवाल है, लड़के की फेमिली का मेम्बर नहीं, न अभियुक्त की फेमिली से उसका कोई संबंध है, न मुस्तगोस की फेमिली से उसका संबंध है। इस नाबालिग लड़के को इस विश्वेश्वर अग्रवाल के सुपुर्द कर दिया गया, और अब तक यह लड़का इस अजनबी व्यक्ति के अधिकार में है। मैं यह अर्ज करना चाह रहा हूं कि धारा 552 के अन्तर्गत अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने वह प्रस्तुत किया गया होता तब भी सुपुर्द करने के पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस बात की जांच करता कि उसको, इस लड़के को अगर वह बालिग है, तो छोड़ देता अपनी स्वेच्छा पर और अगर नाबालिग है तो उस व्यक्ति को उस आदमी को दिया जाता जो इसके हित के सम्बन्ध में चिन्ता रखता हो इसके संरक्षण की चिन्ता पोषण की चिन्ता रखता हो। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि गारजियन्स एक्ट की धारा 6 या 17 या 19 इन सामूहिक धाराओं की अवहेलना करते एक स्ट्रेंजर को नाबालिग को दिया गया और वह अब तक उस स्ट्रेन्जर के अधिकार में है। और इसके काम्प्लीकेशन्स हैं, अध्यक्ष महोदय कि यह दत्तक पुत्र जो अपने पिता के इस संरक्षण पाता रहा, शिक्षा पाता रहा, उसके यहां रहा, उसकी जिन्दगी के संबंध में पुलिस ने तनिक भी परवाह नहीं की और न मालूम किस दबाव में, किस आधार पर, किस पक्षपात पर, इस लड़के को उसके सुपुर्द किया गया। यह व्यक्ति जब उस लड़के को सुपुर्द कर दिया गया है एक स्ट्रेन्जर को, तब चिन्तित है उसके भविष्य के संबंध में, उसके स्वास्थ्य के संबंध में और इनसे यहां राज्य सरकार के किसी अधिकारी से सम्पर्क साधने का कष्ट नहीं किया ? केन्द्रीय सरकार से लगा कर यहां की सरकार तक वह गया। अपने लड़के की बरबादी की चिन्ता में वह यहां बैठा हुआ है, कि जिस व्यक्ति को इस लड़के को सुपुर्द किया गया है उस व्यक्ति के घर में यदि यह लड़का है तो खतरे में है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार से इस अहमियत भरे प्रश्न की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि नीम के थाने की पुलिस ने जो यह अन्याय किया है। मैं सोचता हूं वह कानून की परवाह नहीं करते हुए एक स्ट्रेन्जर के साथ में उसके दत्तक पुत्र को दे दिया है जिससे खतरा पैदा हो सकता है उसकी जिन्दगी के सम्बन्ध में। और सारे कानूनों की अवहेलना करके पुलिस ने किया है। इसके बारे में राज्य सरकार से मैं स्पष्टी-करण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** : एक और निवेदन कर रहा था कि मेरा ऐसी सूचना....

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया** : क्या आप लड़के की उम्र बताने का कष्ट करेंगे?

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** : आप बैठ जाइये जो कुछ स्पष्टीकरण होगा वह उस तरफ से करेंगे।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया** : एक जानकारी हासिल करना चाहता हूं।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** : आप बैठिये। कोई पाइन्ट हो तो आप उठें। आप फिर उठ रहे हैं जब कि I am in possession of the floor of the House

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : भारतीयाजी तो अपना कर्त्तव्य निभायेंगे बीच में उठने का।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** : मैं यह निवेदन कर रहा था इस प्रश्न पर। मैंने जानकारी ले ली है। एडवोकेट जनरल से इसमें राय ली गई। मेरे खयाल से यह स्पष्टीकरण भी मंत्री महोदय से जायेगा, और उन्होंने अपनी सम्मति प्रकट करते हुए कहा है कि जो कुछ भी पुलिस ने यह किया है एक स्ट्रेन्जर को सुपुर्द करने का मामला है यह गलत किया है और कानून के विरुद्ध किया है। किसी तरह से जो सी. आई. डी. क्राइम्स ब्रान्च अधिकारी है उससे भी जानकारी ली गई है तो दोनों ने अपनी राय इसमें दी है कि पुलिस द्वारा जो कुछ भी यह कार्यवाही की गई है यह कानून के विरुद्ध की गई है, और इस लड़के को सुपुर्द किया जाना चाहिए, जो उनका गार्जियन है उसको सुपुर्द किया जाना चाहिए। ऐसी सम्पत्ति उनको दी गई है। यह दत्तक पुत्र है और नाबालिग पुत्र है।

अब भारतीयाजी समझ लें कि वह नाबालिग है।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया** : कानून के अन्दर नाबालिग की उम्र बताना जरूरी है और यह गार्जियनशिप एक्ट में भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत अहमियत का प्रश्न है।

**श्री निरन्जनाथ आचार्य** (आसन से): अब मैं आपको इजाजत हो तो इनसे निबट्टूं या उधर अर्ज करूं।

**श्री अध्यक्ष** : आप गृह मंत्रीजी को सुनें।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : (राज्य मंत्री, गृह) अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में तथ्य इस प्रकार हैं :

**श्री** द्वारिका प्रसाद शर्मा निवासी भुवाना जिला झुंझुनूं हाल आबाद भागलपुर (बिहार) के मोहनलाल पुत्र रामेश्वरलाल नामक एक लड़के को दिनांक 16-8-66 को गोद लिया था जिसका गोदनामा दिनांक 20-8-66 को सब–रजिस्ट्रार खेतड़ी के यहां पंजीबद्ध हुआ था।

श्री मोहनलाल नामक लड़के के पिता श्री रामेश्वरलाल का देहान्त सन् 63 के आस पास हो गया था। रामेश्वरलाल ने अपने जीवनकाल में तीन शादियां की थीं जिनमें से पहली औरत द्वारिका प्रसाद की मौसी लगती थी। श्री द्वारिका प्रसाद ने मोहन

# Page No. 57



(श्रीमती कमला बेनीवाल)

लाल नाम के लड़के को करीब 6 साल की उम्र में ही गोद ले लिया था और गोद की रकम के पश्चात् मदनलाल को अपने साथ भागलपुर (बिहार) ले गया था।

श्री मोहनलाल की दो सगी बहनों की शादी दिनांक 21 मई 1972 को सुजानगढ़ में होने को थी जहां कि उसकी मां रहा करती थी। श्री द्वारिका प्रसाद सपत्नीक अपनी मां तथा मोहनलाल को साथ लेकर भागलपुर से सुजानगढ़ शादी से करीब एक महीने पहले आये और मोहनलाल की मां जानकीदेवी के घर पर ही ठहरे। शादी में पैसा लगाने की बात को लेकर जानकी देवी और द्वारिका प्रसाद में अनबन हो गई जिसके फलस्वरूप श्री द्वारिकाप्रसाद अपने गोद लिये हुए लड़के मोहनलाल को लेकर शादी से पहले ही रवाना होने लगा परन्तु उसकी सगी मां जानकी देवी ने अपने लड़के श्री मोहनलाल को उसके साथ भेजने से इन्कार कर दिया।

श्री द्वारिका प्रसाद सुजानगढ़ से नारनौल गये और वहां पर इस लड़के की फरारी का मुकदमा धारा 363 ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत जिला नारनौल में पंजीबद्ध करवाया जो बाद अनुसन्धान अदम वकुआ में अन्तिम प्रतिवेदन देकर समाप्त किया गया।

इसके पश्चात् श्री द्वारिका प्रसाद नीम का थाना आये और इसी लड़के श्री मोहन लाल की फरारी की रिपोर्ट मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नीम का थाना की अदालत में प्रस्तुत की। न्यायालय ने उस रिपोर्ट को धारा 156 (3) जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत वास्ते तफतीश थाना नीम का थाना पर भेज दिया। स्थानीय पुलिस ने दिनांक 18–7–71 को मुकदमा नं. 52 धारा 363/342 ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर अनुसन्धान एस. एच. ओ. ने शुरू किया और दिनांक 31–7–71 को श्री मोहनलाल नामक लड़के को उसकी मां जानकी देवी से बरामद कर लिया और दिनांक 3–8–71 को लड़के को सुपुर्दगी में देने के लिये मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नीम का थाना की अदालत के समक्ष पेश किया। अदालत ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया और तहरीर किया कि

"There is no inherent power in this court to order the police to give Mohanlal in the custody on any certain party. There is no allegation before me that police has unlawfully detained Mohanlal. Hence the provisions of Section 100 Cr. P.C. are not applicable for reasons stated above. I decline to make any orders about the custody of Mohanlal"

उपरोक्त आदेशों के पश्चात् एस.एच. ओ. नीम का थाना ने श्री मोहनलाल नामक लड़के को श्री विश्वेश्वरलाल चेयरमेन, म्युनिसिपल बोर्ड, नीम का थाना की जमानत पर सुपुर्द कर दिया और बाद तफतीश मुकदमे में एफ.आर. अदम वकुआ में दे दी तथा मदनलाल के लिये हिदायत की कि अगर श्री द्वारिका प्रसाद चाहें तो सिविल कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत करें।

श्री द्वारिका प्रसाद ने दिनांक 17-8-71 को महा निरीक्षक पुलिस, राजस्थान जयपुर

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

के समक्ष एक शिकायत प्रस्तुत की जिस पर महानिरीक्षक पुलिस ने अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारी को इस अभियोग के अनुसंधान के लिये लगाया। अपराध शाखा के अधिकारी द्वारा की गई अनुसन्धान से भी धारा 363।342 ताजीरात हिन्द का जुर्म होना नहीं पाया गया। अतः अभियोग में पुनः एफ. आर. अदम वकूआ में दी गई। अनुसंधान के दौरान श्री मोहनलाल से भी पूछताछ की गई तो उसने भी अपनी मां के पास रहने की इच्छा व्यक्त की। अतः परिवादी श्री द्वारिका प्रसाद को सिविल कोर्ट द्वारा इस मामले को तय करवाने की हिदायत की गई।

जहां तक एडवोकेट जनरल की राय का प्रश्न है, उनसे राय प्राप्त की गई थी और उन्होंने पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को उचित ठहराया है और यह मामला सिविल अदालत की जुरिस्डिक्शन का बताया है। विधि विभाग से राय लिये जाने पर उन्होंने भी यह मत प्रकट किया है।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : स्पष्टीकरण चाहता हूं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : इनके भी हस्ताक्षर हैं।

**श्री गुमानमल लोढ़ा**: स्पष्टीकरण कराना चाहता हूँ। क्या यह सच है कि इस मामले के अन्दर जो एडवोकेट जनरल की राय पहले आई थी, प्रथम राय, उन्होंने इस बालक के अपहरण के पश्चात इस बालक को श्री द्वारिका प्रसाद को देने की राय दी थी तो इसके विरुद्ध माननीय मुख्य मंत्री ने एडवोकेट जनरल को आदेश देकर राय प्राप्त की और अब यह मामला प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के विचाराधीन है और इसकी फाइल दिल्ली के अन्दर प्रधान मंत्री द्वारा मंगवा ली गई है क्या यह सच है?

**श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के प्रति जिम्मेदार हूं। दिल्ली के अन्दर, पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स ने इस इस्यू को उठाना चाहा है और यह सब जानते हैं कि द्वारका प्रसाद भी एक असरदार आदमी हैं, वह सब लोगों से मिलता जुलता है तो उसका भी एक असर होता है। जब मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि वहां पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स के सामने इस तरीके का वातावरण बनाया जा रहा है और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के सामने एम. पीज. गये हैं, तो मैं यह कोई छिपाना नहीं चाहता हूं होम मिनिस्टरी को मैंने यह सूचना भिजवा दी है कि आप एग्जामिन कर लीजिए। चाहे तो आप भी इसको देख लीजिये। इसके अन्दर कोई गलती है तो मैं उसको मानने के लि तैयार हूं।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज के छात्र द्वारा आत्महत्या करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य सर्व श्री गुमानमल लोढ़ा, शान्ति लाल कोठारी दिनेश राय डांगी, श्रीराम गोटेवाला, मोहनलाल छंगानी, योगेन्द्रनाथ हांडा और सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव से सम्बन्धित

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

तथ्य इस प्रकार हैं। दिनांक 12-5-72 को प्रातः 8 बजे डाक्टर के. सी. सोगानी वार्डन मेडिकल कालेज, जयपुर ने आदर्शनगर थाने में इत्तिला दी कि मेडिकल कालेज के होस्टल के कमरा नं. 117 में एक डाक्टर श्री सत्यनारायण खूंटेटा मरे हुए मिले हैं। इस इत्तिला पर उप-अधीक्षक, पुलिस सिटी जयपुर और ए. एस. आई. करीब नौ बजे मौके पर पहुंचे और मौके की कार्यवाही की। मृतक के कमरे में से एक गिलास जिसमें सफेद सी वस्तु घुली हुई थी और जिसके पास कुछ गोलियां बिखरी हुई थीं मिली। मेज पर दो पत्र भी मिले। कमरे का कुन्दा अन्दर से टूटा हुआ था, उसकी चाबी मेज की दराज में थी। पुलिस ने यह सारी चीजें जब्त कीं। दोनों पत्रों से यह पाया गया कि मृतक ने आत्महत्या की है जिसके कारणों की बाबत उसने अपने पत्रों में कोई उल्लेख नहीं किया है। मृतक की लाश को उनके पिता दामोदरलाल खूंटेटा ने शनाख्त किया। पंचनामे की कार्यवाही करने के पश्चात् लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। मौत का कारण विसरा और खून का परीक्षण की रिपोर्ट आने पर ज्ञात होगा।

**श्री योगेन्द्र नाथ हांडा:** अध्यक्ष महोदय, क्या यह तथ्य सही नहीं है कि इस लड़के ने कोई तीन, चार दिन पहले अपने और मित्रों को यह कहा था कि मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति गंभीर है और मुझे कोई आशा नहीं है कि मुझे किसी प्रकार का रोजगार मिल जाये? क्या ये तथ्य इनवेस्टीगेशन में सामने नहीं आये हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि इस होस्टल के दो वार्डन डा. जे. पी. उदावत और डा. के. सी. सोगानी छः-छः महीनों तक होस्टल को विजिट नहीं करते हैं? क्या यह सही नहीं है कि इस लड़के की लाश तीन दिन तक कमरे में बंद रही और सड़ती रही और किसी ने उसको नहीं संभाला जब बदबू बाहर आ गई तब पता चला?

चौथा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि ये दोनों डाक्टर्स प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर पांच-पांच सौ रुपये की प्राइवेट प्रेक्टिस करते हैं? एक सन्तोकबा में और दूसरा मेडिकल रिलीफ सोसाइटी में और इस प्रकार अपने लेक्चर्स भी डिलीवर पूरी तरह से नहीं करते हैं जितने कि उनको करने चाहिये?

ये सारे तथ्य सदन के समक्ष आने चाहिये। यह गम्भीर प्रश्न है। एक ओर बेरोजगारी की समस्या है और हमारे प्रोफेसर इस सम्बन्ध में अवहेलना कर रहे हैं। खूंटेटा कोई मामूली विद्यार्थी नहीं था। वह एम.बी., बी.एस. की पांचों कक्षाओं में प्रथम आता रहा है। ऐसा विद्यार्थी जो अपनी कक्षा में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आवे और बेरोजगारी इतनी गम्भीर हो जावे कि उससे तंग आकर विद्यार्थी को आत्म हत्या करने की आवश्यकता हो, तो यह नीति का प्रश्न है और यह गम्भीर प्रश्न है।

**श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास** (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ऊपर गृह मन्त्री का वक्तव्य आ गया है। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, इस पर हैल्थ मिनिस्टर की ओर से और वक्तव्य आना आवश्यक है। वार्डन

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

छः छः महीने तक वहां नहीं जाये। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक है। वार्डन को हर रोज जाने की आवश्यकता है। अगर वार्डन हर रोज चक्कर लगाता तो डा. खूंटेटा की जान बचाई जा सकती थी। तीन रोज तक लाश पड़ी रही। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं जब यह मालूम पड़ गया कि लाश पड़ी है तो 9 बजे तक पुलिस को कोई सूचना क्यों नहीं दी गई? अध्यक्ष महोदय, वह दो पत्र टेबिल पर से बरामद किये गये हैं, इसमें मुझे सन्देह है। यह हो सकता है कि लोग कमरे में घुस गये हों, पत्र जेब में रख दिये गये हों। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी शक है कि पत्र दो थे या तीन थे। इसमें यह कारण था।

**श्री अध्यक्ष** : अब समाप्त करें।

**श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास** : अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना दे रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : संक्षिप्त रूप से।

**श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास** : मैं यह चाहूंगा कि कम से कम टेबिल पर बरामद नहीं हुये। आखिर पत्रों से सूचना निकाली जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, फर्स्ट क्लास ब्रिलिएण्ट लड़का कोई पागल तो नहीं हो सकता है। न कोई लव स्कैण्डल के अन्दर हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसका कारण सामने आना चाहिए, अध्यक्ष महोदय, हेल्थ मिनिस्टर का स्टेटमेण्ट आना चाहिए।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि डा. खूंटेटा की आत्महत्या कोई साधारण आत्महत्या नहीं है। जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि उनके दो पत्र मिले हैं जिसमें मौत का कारण उन्होंने स्पष्ट रूप से बतलाया है। उन्होंने बताया है कि मैं कोई परिवार के दुःख से आत्महत्या नहीं कर रहा हूं। मेरे जीवन में अब किसी प्रकार की आभा नहीं रही है। मुझे जब यह सूचना मिली तो मैं और माननीय सदस्य केदार जी वहां पर गये हमने कमरे का मुआयना किया ताकि पता लगा सकें कि वस्तुस्थिति क्या है? अध्यक्ष महोदय, उनके मित्रों ने बतलाया कि दो-चार दिन पहले यह होनहार डाक्टर अपने मित्रों से कहता था कि लगता नहीं है कि मुझे कोई रोजगार मिलेगा। क्लीनिक में खोल नहीं सकता हूं। क्लीनिक खोलने की योजना भी सफल नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मृत्यु के क्या कारण हैं, यह तो पुलिस जांच से सामने आयेगा। यह सोच कर कि यह प्रश्न विचाराधीन है। मैं समझता हूं कि लाखों नौनिहालों के साथ में हम न्याय नहीं कर पायेंगे। स्लीपिंग पिल्स उसने ली हैं। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया है? यह स्पष्ट रूप से उसका बलिदान है। यह आत्महत्या नहीं है। प्रजातन्त्र की आंखें खोलने के लिए यह बलिदान है। आज इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि रोजगार की समस्या कितनी भयंकर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय और स्वास्थ्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस आत्महत्या को

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

साधारण आत्म हत्या न समझें। राजस्थान में कितनी गम्भीर बेरोजगारी की समस्या है। हमारे नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। इसके साथ में बेरोजगारी का प्रश्न जुड़ा हुआ है। अगर इसकी आप कोई योजना बनायें तो हम वास्तव में डा. खूंटेटा की आत्मा को शान्ति दे सकेंगे। डॉ. खूंटेटा की चिता से जो आग जली है, उसका एक ही रास्ता है. हमारे जो होनहार हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है जिससे कि कोई आत्महत्या नहीं हो। इस घटना को साधारण समझना, माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्तव्य परायणता नहीं होगी। यह कर्तव्य से भागना होगा। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय इस पर ध्यान दें। इस समस्या को दो पत्रों के बीच में नहीं जोड़ें। डा. खूंटेटा की चिता से यही एक आवाज निकलती है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री इस समस्या को हल करें। अगर इसको हल नहीं करेंगे तो एक डा. खूंटेटा नहीं सैंकड़ों आत्माएं हमारे ऊपर कलंक लगायेंगी।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** (भीनमाल): अध्यक्ष महोदय, डा. खूंटेटा कौन सी परीक्षा पास कर चुके थे?

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : वह इन्टर्नी थे।

**श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में सरकार को यह नहीं कहना चाहता हूं कि क्या आब्जेक्टिव है और क्या सब्जेक्टिव है लेकिन आज जो डॉक्टर हॉस्पिटल के मेडिकल प्रेक्टिस कर रहे हैं, अगर स्टूडेण्टस और टीचर्स में क्लोज रिलेशन्स हों तो ऐसे लड़के जो आत्महत्या करते हैं, हो सकता है कि वे रुक जायें। टीचर्स और स्टूडेंटस में क्लोज रिलेशन्स होना लाजिमी है। पास होने के बाद नतीजा यह होता है कि जाब लेने में दिक्कत होती है। आखिर यह सब्जेक्ट जांच का तो है। ये स्लीपिंग पिल्स स्टूडेण्टस क्यों खाते हैं? आखिर यह जांच का विषय बनना चाहिये। किसी आदमी का आप को मालूम पड़े कि उसने स्लीपिंग पिल्स ली है तो कितना टाइम लगेगा कितनी देर तक वह कैसी हालत में रहेगा? कब तक कोमा में रहेगा? कोई जांच करने नहीं आया। 48 घन्टे तक कोई नोटिस नहीं लिया।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव था। इस में मैं भी निवेदन करूंगा कि डॉ. खूंटेटा को लेकर चर्चा चल रही है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं उनका बहुत ही नजदीक का रिश्तेदार हूं। मैं दाह संस्कार में भी गया था। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से कहा है कि यह बहुत बड़ा बलिदान है। वह भावनाओं को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। इस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में अनावश्यक खिलवाड़ न किया जाये। जो दो पत्र बरामद हुए हैं वे डा. खूंटेटा के स्वयं के लिखे हुए हैं। उन्हीं के द्वारा लिखे गये हैं। इसी प्रकार की बातों को लेकर उनके भाई परेशान हुये थे। मैं उनको लेकर गृह राज्य मन्त्री के पास गया था। उनके घरवालों को भी असन्तोष लोगों के कहने पर हुआ था। गृह राज्य मन्त्री जी ने कहा था आप जो भी हो लिखकर दें। मैं जांच

(श्री श्रीराम गोटे वाला)

कराऊंगी। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से भड़का कर एक सही समस्या को दूसरा रूप न दें। आप एक दल के नेता हैं। आपसे मेरा निवेदन है, इस प्रकार से उनके मां बाप की भावना के साथ अन्याय न करें। इस प्रकार का वातावरण शोभनीय नहीं है। इस सन्दर्भ में मैंने जैसा पहले निवेदन किया था आपको, चिकित्सा के सम्बन्ध में जो बात कही थी और अभी मालपुरा से आने वाले भाई सुरेन्द्र व्यास भी जिस प्रकार की बात कह रहे थे, मैं पुनः यह निवेदन करना चाहता हूं, चिकित्सा मन्त्री से अर्ज करना चाहता हूं, आप जिन्हें भी वार्डन लगायें और जो डाक्टर सरकारी सेवा में हैं उन पर यह पाबन्दी लगा दी जाय कि वे और चिकित्सा संस्थाओं में, चाहे वह अमर जैन रिलीफ सोसायटी हो, चाहे संतोकबा दुर्लभ जी का क्लिनिक हो, काम नहीं करें क्योंकि इससे उनका पूरा ध्यान हास्पिटल या अपने काम की तरफ नहीं रहता है। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि खूंटेटा ने जो सोने की गोली ली उसका बहुत जल्दी असर नहीं हो सकता था, न ही होना चाहिये था यदि वार्डन होस्टल का पूरा राउन्ड लेते तो स्थिति शायद दूसरी होती क्योंकि दूध वाले व्यक्ति ने पहले दिन दूध की बोतल रखी थी, जब दूसरे दिन जाकर उसने देखा तो उसने ही सारे होस्टल में जाकर शोर मचाया ऐसी जानकारी उससे ही मिली है। यदि वार्डन होस्टल के निकट सम्पर्क में होता तो मैं समझता हूं कि डा. खूंटेटा की कीमती जिन्दगी को बचाया जा सकता था। लेकिन यह बात नहीं हुई। मैं इसके साथ ही निवेदन करता हूं कि उस रोज माननीय चिकित्सा मन्त्री ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैं अर्ज करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजे हुए हैं, जबकि राज्य सरकार के अन्य कर्मचारी हैं वह और कोई धन्धा नहीं कर सकते हैं तो डाक्टरों को क्यों छूट दे रखा है कि वह और जगह जाकर काम करना चाहें तो कर सकते हैं? डाक्टर और जगह काम करते हैं तो वह हास्पिटल के काम की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही उनको सरकार की ओर से फ्री बंगला मिला हुआ है, जो डाक्टर वार्डन के रूप में रहता है उसके लिए सवाई मान सिंह अस्पताल में चिकित्सा विभाग की तरफ से बंगला बना हुआ है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वहां किस बात के लिए उन्हें रखा जाता है और उनका जो उपयोग होना चाहिए, वह उपयोग क्यों नहीं होता है?

मैं यह मान कर चलता हूं जो बेरोजगारी है डाक्टरों में, डाक्टरों की दूसरी जगह काम करने की छूट की वजह से कई डाक्टरों को रोजगार नहीं मिल पाता है, और बेरोजगार डाक्टर अपना क्लिनिक खोल कर कुछ आय कर लेते हैं। फिर भी डा. खूंटेटा के मामले के अन्दर बेरोजगारी का सवाल नहीं था। उसके लिए यह कहा जाता है कि वह प्राइवेट क्लिनिक खोल कर काम करना चाहता था। मैं उसके घरवालों की, पिता की, भाई की आर्थिक स्थिति नजदीक से जानता हूं, उसके सामने यह प्रश्न नहीं था।

बेरोजगार डाक्टरों के लिए यहां पर आज

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

कहा गया कि 90 परसेन्ट डाक्टर बेकार हैं, जिससे लगता है कि चार पांच हजार की बेरोजगार डाक्टरों की संख्या होगी। यह संख्या हजारों में नहीं है। गुमानमल जी जब भाषण देते हैं तो कोई न कोई दिलचस्प बात कह देते हैं, आंकड़ों की बात कह देते हैं, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। मेरा निवेदन है कि डाक्टरों पर प्राइवेट प्रेक्टिस की पाबन्दी लगा दी जाय, इस सदन के अन्दर यह कह दिया जाय कि जो डाक्टर सवाई मानसिंह अस्पताल में या दूसरे सरकारी चिकित्सालयों में काम करते हैं उन पर और दूसरे चिकित्सालयों में, चाहे वह किसी प्रकार के हों, काम करने पर पाबन्दी लगा देनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि इससे नये डाक्टरों को रोजगार मिलेगा। मुख्य मंत्री से, जो इस सदन के अन्दर मौजूद हैं, मैं आश्वासन चाहता हूं क्योंकि इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता है कि किस कारण से उन्हें एक जगह, दो जगह और पचास जगह केसेज को देखने की छूट दी जाती है? इसकी वजह से आज अस्पताल में इनडोर पेशेन्ट के मामले में यह स्थिति बन गई है, जिसके बारे में कई बार इस सदन में निवेदन किया जा चुका है कि आज उन्हें ही अस्पताल में भर्ती किया जाता है जो पच्चीस रुपये फीस देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं भविष्य के अन्दर डाक्टरों पर इस प्रकार की पाबन्दी लगा दी जाय···

**श्री अध्यक्ष :** कृपया आप समाप्त करें।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** जिससे इस प्रकार की बात नहीं हो पाये और कोई भी इसका अनुचित लाभ नहीं उठा सके, जो कि आज उठा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं मुख्य मन्त्री इस प्रकार की सरकारी नीति को निश्चित तौर से घोषणा करें।

इसके अलावा मैं सम्माननीय सदस्य से अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि उसने किस कारण से आत्म-हत्या की, उसके जो दो पत्र हैं उनके आधार पर ही जो कुछ जाना जा सकता है वह जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। तीसरे पत्र की बात मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। उसके बारे में कई जगह चर्चा थी, डी.वाई.एस.पी. ने कहा, कोई आकर हमें तथ्य बताये, कोई व्यक्ति सबूत में खड़ा हो, कोई कुछ कहे कि मैंने तीसरा पत्र देखा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जांच की बात है, अगर कहीं हो तो वह मिले। माननीय गृह मन्त्री ने इस सम्बन्ध में स्वीकार किया था कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, अगर किसी के पास तीसरा पत्र है तो उसको सामने लाने की मनाही नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य के अन्दर आने वाले डाक्टरों के सामने बेरोजगारी का संकट ज्यादा पैदा हो रहा है इसलिए मैंने जो इसके लिए निवेदन किया, है उसके बारे में सरकार घोषणा करे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है मेडिकल प्राफेशन में सुसाइड की घटना हुई, यह डाक्टरों के मामले में पहली नहीं हुई बल्कि अनफार्चुनेटली पिछले दो तीन वर्ष में···

**श्री यशवन्तसिंह नाहर** : राजस्थान में पहली हुई है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अखबारों में हमें पढ़ने को मिलता रहा है। स्टूडेन्ट लाइफ के अन्दर या स्टूडेन्ट लाइफ के बाद इस प्रकार की कई सुसाइड की घटनायें हुई हैं। पिछली साल, माननीय सदस्यों को पता होगा, डाक्टर गुप्ता, शायद वह भरतपुर का थी या और कहां का, उन्होंने और एक डाक्टर ने आठ दस दिन के आगे पीछे सुसाइड किया। वह घटना हुई, उसके अतिरिक्त पहले भी घटनायें हुई हैं। मैं समझता हूं इस पर अनुसंधान करने की आवश्यकता है। आखिर इस प्रोफेशन में इस प्रकार की घटनायें क्यों हो रही हैं? इसमें सोशियोइकानामिक ववेश्चन हो सकता है, साइकलोजिकल क्वेश्चन हो सकता है। इस चीज के रूप में जांच की आवश्यकता है।

दूसरे मुझे जानकारी मिली है कि इस समय जो अनएम्प्लायमेंट की स्थिति है पिछले छः महीने में एक भी मेल डाक्टर का आइन्टमेंट इस डिपार्टमेंट के जरिये नहीं हुआ है। जो गर्ल्स स्टूडेन्ट है, उनमें से कुछ का तो क्योंकि फैमिली प्लानिंग की पोस्ट बढ़ी है, अपाइन्टमेंट हो गया है। इसलिए मेल डाक्टर, मेल स्टूडेन्ट्स में एक बड़ी निराशा का वातावरण है। मुझे ऐसी जानकारी मिली है मेरी जानकारी के अनुसार बीच में जो दिसम्बर में एग्जामिनेशन हुए हैं, उसमें पास होकर निकले हैं तो क्योंकि एक साल के अन्दर छः सौ लड़के-लड़कियां एक बैच में निकलते हैं और उससे पहले तीन सौ डाक्टर अनएम्प्लाइड हैं, ऐसी संख्या पहले बताई गई थी तो अब लगभग नौ सौ अनएम्प्लायड हैं उनमें से कुछ को एम्प्लायमेंट मिला होगा, लेकिन इतने अनएम्प्लायड डाक्टर हैं। इस प्रकार की संख्या डाक्टरों के जरिये और स्टूडेन्ट्स के जरिये बताई जाती है। यह तथ्य कहां तक सत्य है--इसके बारे में माननीय मंत्री और प्रकाश डालने का प्रयत्न करें।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मन्त्री।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : माननीय अध्यक्ष जी, श्री सत्यनारायण खूंटेटा की आत्महत्या अपने आप में एक दुखद घटना है और उसके पीछे जो विचारणीय प्रश्न माननीय सदस्यों ने छोड़े हैं उन पर विचार किया जाना भी आवश्यक है लेकिन इस खास घटना को बेरोजगारी के प्रश्न से जोड़ना और यह बेरोजगारी के कारण ही डाक्टर सत्य नारायण खूंटेटा ने आत्म हत्या की, यह कहना गलत है क्योंकि दो पत्र उन्होंने लिखे, उन पत्रों में उन्होंने कई बार दोहराया है, मैं किसी भी ऐसे कारण से आत्म हत्या नहीं कर रहा हूं मैं इतना ही कह सकता हूं, मैं नादानी कर रहा हूं कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मेरा पत्र है....

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। क्या ऐसा चिट्ठी में लिखा है कि बेरोजगारी के कारण आत्म हत्या नहीं कर रहा हूं? आप बार बार यह दोहरा रही हैं तो यह स्पष्टीकरण कर दें।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : उन्होंने यह नहीं लिखा है कि बेरोजगारी के कारण आत्म हत्या कर रहा हूं।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है और अपने मित्रों को भी कहा है।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : आप थोड़ा सुनने का कष्ट करें, कृपया विराज जायें।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : आप वह पत्र पढ़ कर सुनाइये।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : मैं सुना दूंगी पत्र पढ़कर।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : आप उन्हें सदन पटल पर रखें और पढ़ कर सुनायें।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलें तो अच्छा होगा।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : लेटर पढ़ दें।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : दो पत्र प्राप्त हुए हैं वह मैं पढ़ कर सुना दूंगा जिससे आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकेंगे। तीसरे पत्र के लिए कहा जाता है, तीसरा पत्र कुछ विद्यार्थियों ने देखा-यह कहा जाता है। प्रिन्सिपल की मौजूदगी में जो कन्डोलेन्स मीटिंग हुई उसमें कुछ छात्रों ने कहा कि उन्होंने तीसरा पत्र देखा है यह कहा जाता है। जब कि दो पत्र प्राप्त हुए, उनके भाई मिले थे उनसे मैंने पूछा और आदेश दिये जांच के; जांच के दौरान किसी छात्र ने इस प्रकार के बयान नहीं दिये। उन्होंने यह बात नहीं कही थी कि हमने पत्र देखा था, हम बता सकते हैं कि पत्र दो नहीं तीन थे। एक पत्र में जिन मित्रों का उद्धरण दिया है, नाम दिया है, तो उन नाम वाले जो मित्र हैं उनके पुलिस ने बयान लेने की कोशिश की, शायद उन्होंने, इस प्रकार की बातचीत की हो, ऐसा कोई संदर्भ आया हो जिसके बारे में लिखा है कि मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। मैंने पुलिस से खास तौर से जांच करने के लिए कहा कि आखिर वह क्यों क्षमा चाहता था, क्या अनबन थी, क्या बातें हुई थी? उसके लिए कहा लेकिन इस प्रकार की बात जाहिर नहीं हुई। इसलिए यह कहना कि बेरोजगारी के कारण आत्म हत्या की, नितान्त गलत है जब तक कि यह साबित न हो जाये कि बेरोजगारी के कारण से आत्म हत्या की। मैं मानती हूं कि माननीय सदस्य उसकी गम्भीरता को समझते हुये इस बात को मानेंगे, जब दो चिट्ठी मौजूद हैं, तीसरी चिट्ठी के बारे में बयान अवेलेबल नहीं हैं तो यह कहना गलत है कि तीसरा पत्र या उसमें बेरोजगारी की बात हो सकती है या पहले उसने दोस्तों से कह दिया था या बात की। उनके बयान लेने की कोशिश की गई उन्होंने ऐसा नहीं बतलाया, जो बतलाया वह दोनों पत्रों के करीब था जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उनकी घर की परिस्थिति स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं थी जिसके कारण से आत्महत्या कर ली। दूसरा सवाल यह है कि वह एम. बी. बी. एस. करके इन्टर्नशिप में आया और इन्टर्नशिप को जो स्टाइपेंड मिलता था वह उसको मिलता था। इन्टर्नशिप करना जरूरी है उससे पहले उनको कोई नौकरी मिलने की बात सोचना न उनके लिए संभव है न औरों के लिए। इसलिए यह कहना कि उसने एम. बी. बी.

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

एस. कर लिया, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी और फ्रस्ट्रेशन के कारण आत्महत्या कर ली यह दलील उससे साबित नहीं होती।

जहां तक उसकी तीन दिन लाश रहने का सवाल है, उसने एक पत्र लिखा है 10 तारीख को, 10 तारीख को रात को 9 बजे उसने अपना पत्र लिखकर छोड़ा और 12 तारीख को सुबह 8 बजे पुलिस को सूचना मिली। इसलिए इसमें तीन दिन का सवाल नहीं है। बीच में दो रातें और एक दिन। इसमें वार्डन की सुपरवीजन की कमी है उस कारण से यह स्थिति उत्पन्न हुई है, या डॉक्टर्स जो गवर्नमेन्ट सर्विस में हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और दूसरे संस्थानों में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए सरकार विचार करेगी जैसा मुख्यमंत्री ने कहा है। सरकार इस पर निर्णय लेगी कि जो डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं उनको दूसरी जगह काम करने की इजाजत दी जाए या नहीं और प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाए या नहीं। इसलिए जहां तक उनके वार्डन की जिम्मेदारी का सवाल है और डॉक्टर्स जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या दूसरे संस्थानों में काम कर रहे हैं, उनको इजाजत देने का सवाल है राज्य सरकार उस पर गम्भीरता से विचार करेगी, उस पर निर्णय लेगी लेकिन इसके लिए कोई आक्षेप लगाए कि बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की है, मैं मानती हूं कि माननीय सदस्य इतने तमाम विवरण देने के बाद में स्वयं समझ जायेंगे कि आत्महत्या बेरोजगारी के कारण से नहीं लेकिन हो सकता है कि कोई स्वभाववश या कोई और बात हो सकती है जिसकी जानकारी नहीं मिल सकी है न पुलिस को, न मित्रों को, न घर वालों को न आस पास रहने वालों को..

**श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : डाक्टरों ने पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट उसी दिन दे दी?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : जी हां।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : पत्र पढ़िए और एक मेरा प्रश्न भी है इसके साथ साथ।

**श्री गुमानमल लोढा** : मंत्री महोदय ने जो कहा है कि पुलिस की जांच के अन्दर बेरोजगारी की समस्या के बारे में कोई बात नहीं आई है, प्रोफेसर केदार और वार्डन के सामने किसी ने कहा था कि बेरोजगारी के कारण वह परेशान था और उसने अपने मित्रों से कहा कि मैं अपनी जिंदगी समाप्त कर दूंगा...

(शोरगुल)

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधीनगर, जयपुर) : लोढ़ा साहब बार बार बेरोजगारी के प्रश्न को लेकर आते हैं। सभी माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि बेरोजगारी की समस्या जटिल है, डॉक्टर परेशान हैं। भाई रामानंदजी का सुझाव था कि इसका अनुसंधान किया जाना चाहिए। डॉक्टरों की रोजमर्रा आत्महत्या करने की परम्परा का जहां तक प्रश्न है, उसके साथ बेरोजगारी के साथ साथ लड़के लड़कियों के लव अफेयर्स का मामला भी है। गहराई में जाने से पता लगेगा कि जितनी मृत्युएं हुई हैं आत्महत्या से उनका इन बातों से संबंध है।

# Page No. 67



(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

सदन को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। लड़के लड़कियों का संबंध भी इससे जुड़ा हुआ है। खूंटेटा के केस में भी अनुसंधान किये जाय गहराई के साथ तो शायद लड़के लड़कियों से मालूम पड़ सकता है।

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : "मैं अपनी मर्जी से आत्म हत्या कर रहा हूं। इसमें किसी को दोष देना गलत है। हां अगर किसी को दोष दिया जा सकता है तो मेरे को। मैं 10 ग्राम Humical 4 gm. largacid खा कर आत्महत्या कर रहा हूं क्योंकि largacial hummical intoxication को पोटेंसियेट करती है लोग जानना चाहेंगे कि क्या वजह है? इसका जवाब जैसा कि लोग सोच सकते हैं—वह नहीं है। मेरी घर वालों से बिल्कुल अनबन नहीं थी न है इसलिए मेरे घर वालों को दोष देना बिल्कुल गलत होगा। इसलिए मैं पुलिस आफिसर्स से नम्र निवेदन करता हूं कि मेरे घर वालों को बेकार में परेशान न करें। मेरे घर वाले तो इतने अच्छे हैं कि उनकी जितनी भी तारीफ की जाय वह कम है। मैं अपने इस गलत काम के लिए घर वालों से माफी चाहता हूं। मैं प्रेम के चक्कर में बिल्कुल नहीं हूं। अतः यह कहना कि प्यार या प्रेम में ऐसा कर रहा हूं गलत होगा। हां यह कहना ठीक होगा कि मैं आत्महत्या जो कर रहा हूं समझता हूं कि मैं यह काम गलत कर रहा हूं। लेकिन न जाने क्यों मैं बहुत अर्से से विचार कर रहा हूं कि मुझे आत्म हत्या करनी चाहिए क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी से कोई लगाव न तो पहले कभी था और न अब है। इसमें किसी का दोष नहीं है। यह सिर्फ मेरा सोचना है। चाहे आप पागलपन कहिए या और कुछ।

"मैं पुलिस आफिसर्स को फिर से नम्र निवेदन करता हूं कि वह न तो मेरे घर वालों को और न मेरे दोस्तों को परेशान करें क्योंकि आत्महत्या में इन लोगों को दोष देना, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है, गलत होगा।

मैं अब तक तो मैं किसी के काम नहीं आया। अतः मैं चाहता हूं, कि मैं अपने आदरणीय घर वालों तथा प्रिय मित्रों से निवेदन करता हूं कि वे मेरे को ब्लड देने का कोशिश न करें जिससे कि मैं वापिस कोमा की स्टेज से जिंदा हो सकूं। मैं चाहता हूं कि अगर संभव हो सके तो मेरी आंखें आई बैंक में तथा मेरी बॉडी को एनाटमी डिपार्टमेंट में भेज दी जाये। इसके लिए मैं घर वालों से प्रार्थना करता हूं।

"मैं अपनी इस मूर्खता की क्षमा माताजी पिताजी, भाई साहब तथा भाभी व बहनों से चाहता हूं। आशा है, वे मुझे क्षमा कर देंगे।"

दूसरी चिट्ठी उसने अपने मित्र जैनेन्द्र को लिखी है।

"डीयर फ्रैंड जैनेन्द्र,

मैं कष्ट के लिए तुमसे क्षमा चाहता हूं। मैंने तुमसे जो वादे किए थे कि हम साथ साथ क्लिनिक खोलेंगे उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैंने तो कभी तुमको इस बात पर शक भी नहीं होने दिया कि मैं आत्म हत्या करना चाहता हूं। मैं क्यों आत्म-

7

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

हत्या कर रहा हूं। कारण तो मेरे को भी मालूम नहीं है। मैं तुमसे अपनी इस मूर्खता की क्षमा चाहता हूं। तुम्हें अब तक जो भी कष्ट दिए उनकी भी क्षमा चाहता हूं।

डा. पारख, डा. सेठी, डा. एल. एन. अग्रवाल, पी. के. भट्ट तथा अवध बिहारी दगायच से मेरी ओर से क्षमा माग लेना। मैं तुमसे फिर माफी चाहता हूं।'

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अब स्पष्ट हो गया पत्र से लव अफेयर का जो सस्पीशन था, वह रूल आउट हो गया।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : था ही नहीं आपके दिमाग में लव की बात आ गई हो, तो दूसरी बात है।

**श्री रामानंद अग्रवाल** : ऐसे प्रिम अफेयर को मजाक में मत लें।

**श्री बरकतुल्ला खां** (मुख्य मंत्री) : जब एक आदमी की मृत्यु हो जाती है तो हमें मरने वाले की इज्जत करनी चाहिए उसको पोलिटिकल इन्स्ट्रूमेंट नहीं बनाना चाहिए। इस बात का खयाल रखना चाहिए कि उसके परिवार के जो लोग है उनको किसी तरीके से तकलीफ न पहुंचे, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उनको कम से कम तकलीफ पहुंचे और मैं मानता हूं कि बहुत से मुद्दे यहां उठे, खास तौर से साइकोलोजिकल मुद्दे उठे, इसको भी समझने की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ साथ जो ऑफिसर्स या वार्डन काम पूरा नहीं करते, स्टूडेन्ट्स की देखभाल नहीं करते उस पर भी सोच विचार करना पड़ेगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरे स्टेप लेंगे इस चीज को करेक्ट करेंगे। आज इन्क्वायरी के लिए पुलिस से कह दिया गया है कि वह इन्क्वायर करे उसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी और भी इन्क्वायरीज की जा सकती है लेकिन यह बात जरूर है, उसको समझना पड़ेगा कि ऐसी ऑब्जेक्टिव कन्डीशन्स पैदा क्यों होती हैं कि एक नौजवान अपनी जिन्दगी का कार्य शुरू करने से पहले ही आत्म हत्या कर ले। ये ऐसी चीजें है जिनको केवल आइसोलेशन के अन्दर नहीं कह सकते, दूसरी चीजों को छोड़ा नहीं जा सकता लेकिन जो कन्डीशन्स पैदा होती है क्या कन्ज्यूमिंग है सैल्फ डेस्ट्रक्शन के लिए या और कोई वजह है।

एक तरफ से मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में पूरी तरह से जागरुक है और भविष्य में इसके प्रति सजग रहेगी और कोशिश करेगी को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मरने वाले व्यक्ति के बारे में बार बार सदन में इस प्रकार की गलत अफवाहों की बातें कहना मुनासिब नहीं। मैं माननीय सदस्यों से इतना ही कहूंगा कि तथ्यों को गलत ढंग से तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिये।

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि...

**श्री अध्यक्ष** : इस पर काफी डिबेट हो चुकी है।

**श्री बरकतुल्ला खां** : दूसरी बात सदन में यह कही गई कि अन-एम्लायमेन्ट बहुत है तो मैं यह निवेदन कर दूं कि अनएम्पलायमेन्ट आज राजस्थान में हो नहो पूरे भारतवर्ष में है।

**श्री गुमानमल लोढा** : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कारण बहुत से सोसाइड करते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : Let the Chief Minister speek.

**श्री बरकतुल्ला खां** : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि अन-एम्पलायमेंट की प्रॉब्लम पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष में है। यह सिर्फ जयपुर में ही नहीं है यह जो सुसाइड वगैरह होते हैं यह सिर्फ अनएम्पायमेन्ट से ही नहीं होते इसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार यह कोशिश कर रही है कि अनएम्पलायमेन्ट खतम हो व पढ़े लिखे लोगों को नौकरियां मिलें। इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो सुसाइड वगैरह होते हैं उसको, आप दूसरा रंग देने की कोशिश करते हैं वह गलत है। इस प्रकार के केसेज से गवर्नमेन्ट की पालिसी नहीं बदलो जा सकती है। मैं समझता हूं कि सरकार इतनी मूर्ख नहीं है कि जो उसने अपनी पालिसी बनाई है उसको बदलने में आपको पूरी तरह विश्वास दिला दूं कि सरकार काफी अनएम्लायमेन्ट की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की सोच रही है परन्तु, यह इतने बड़े राजस्थान की अनएम्पलायमेन्ट की प्रॉब्लम एक ही दिन में या एक ही महीने में समाप्त हो जाय ऐसा नहीं हो सकता। इसमें समय तो लगेगा ही। राज्य सरकार पढ़े लिखे बेरोजगार के प्रति जागरूक है और राज्य सरकार अनएम्पलायमेंट को मिटाने के लिये पूरी कोशिश करेगी। बस इतना ही मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष** : मांगों का प्रस्तुतिकरण सामान्य प्रशासन मन्त्री, श्री बरकतुल्ला खां।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया** : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठिये।

**श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार श्री गुमानमल जी लोढा ने मुख्य मंत्रीजी पर कुछ आरोप लगाये थे और चैलेन्ज किया था। आज मुख्य मंत्रीजी भी सदन में हैं और गुमानमल जी लोढा भी सदन में उपस्थित हैं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस इम्पोर्टेन्ट मामले पर कुछ फैसला हो जाना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** : नोटेड, आप बैठिये।

**श्री गुमानमल लोढा** : अध्यक्ष महोदय, जिस मामले को भारतीय जी ने उठाया है उसके लिये जांच कराने को तैयार हूं।

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठिये।

मांग संख्या 15, 9 व 32 का प्रस्तुतीकरण

**श्री बरकतुल्ला खां** (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री बरकतुल्ला खां)

मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 5,13,77,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई। दूसरी ओर मांग है।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक–67 भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,79,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई। शिक्षा मंत्री।

श्री नारायणसिंह मसूदा (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 48,35,00,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई।

मांग संख्या 15, 9 व 32 पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

मांग संख्या 15, 9 व 32 पर कटौती प्रस्ताव

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) :

1. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा नीति के अनुसार छात्रों की ज्ञानवृद्धि को बढ़ाना है और स्मरण शक्ति को कम टेक्स करना है किन्तु इस नीति को लागू किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके अनुसार ट्रेण्ड अध्यापक समस्त विद्यालयों में उपलब्ध हों एवं पाठ्यक्रम भी तदनुरूप हो, ऐसा नहीं होने से राज्य सरकार की शिक्षा नीति के बारे में नीति का अननुमोदन)।

2. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को दिये जाने वाले सीधे अनुदान पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संस्कृत महाविद्यालयों की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) :

5. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा में

(श्री मनोहर कोठारी)

बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को प्रमोन्नत करने हेतु चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त लालफीताशाही रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर):

7. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की बाड़मेर तहसील में धोलका (हरसाणी फांटा), बोंकिया, आलीसरों की बस्ती (देरासर), लुरगाडवातला (पाटाडू) एवं शिव तहसील के खानीदानी (मेदूसर), अरोड़, खड़ीन बड़ी (जैतिधर) में प्राइमरी स्कूल खोले जाने के विषय पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की बाड़मेर तहसील के वादतू भीमडी, भुर टीबा, नांद, छोटू, सनावड़ा ग्रामों में इस वर्ष मिडिल स्कूल खोले जाने के विषय पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुये बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर आदि जिलों में प्राथमिक स्कूलों के खोले जाने में प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त में शिक्षक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में सक्रिय भाग ले रहे हैं तथा राज्य सरकार इनके विरुद्ध कदम उठाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में किफायत की जानी चाहिये इस पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा साम्प्रदायिक संस्थायें तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं जमियत इस्लामी पर प्रतिबन्ध न लगाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कार्यरत आशुलिपिकों के वेतन की असमानता को दूर करने पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान

(वृद्धिचन्द जैन)
राज्य सरकार के आशुलिपिकों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर लगी रोक को हटाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):
16. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ शहर में कन्या सेकेन्ड्री स्कूल को हायर सैकेन्ड्री स्कूल में परिवर्तन करने चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालरा पाटन शहर में हायर सैकेन्ड्री स्कूल व मिडिल स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से अधिकारियों द्वारा घर पर कार्य लिये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में प्रशासन में हो रही अनियमितताओं के कारण जनता को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा):

21. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विस्तार योजनाएं न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन की कार्यकुशलता में सुधार किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

23. श्री भीमसेन (लूणकरणसर): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नापासर, कालू जिला बीकानेर में कन्या उच्च प्राथमिक शालाएं खोले जाने पर चर्चा के लिए)।

24. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घुमक्कड़ जाति के नागरिकों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा में विशेष सुविधायें न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

25. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर तहसील के गांव मोटोलाई, शेरपुरा, घोरेरा स्टेशन, फूलदेसर, सहजरासर में उच्च प्राथमिक शालायें खोलने पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100

# Page No. 73



(श्री भीमसेन)
रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर में विश्वविद्यालय खोले जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (घुमक्कड़ जातियों के बच्चों को शिक्षा हेतु विशेष सहायता देने पर चर्चा के लिये)।

28. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के राजकीय शिक्षा संस्था भवनों की दुर्दशा पर विभाग द्वारा उचित ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

29. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहायता प्राप्त स्कूलों में होने वाली अनियमितताओं के संबंध में सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सैकेण्डरी एवं मिडिल स्कूलों के खोले जाने में पक्षपात के बारे में चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

32. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों (डिप्टी डायरेक्टर्स और जोइन्ट डाइरेक्टर्स) के अनियमित प्रमोशन्स में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा प्रणाली को व्यवहारिक बनाने पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा सरप्लस व्यक्तियों को शीघ्र एब्जार्ब करने तथा नई नियुक्तियों पर पाबंदी लगा रखने पर चर्चा के लिये)।

35. श्री नाथूराम (बागीदौरा): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 9, शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से

(श्री नाथूराम)
5 रुपये कम कर दिये जायें ( बड़े शहरों में निजी भवनों में चल रहे जिला स्तरीय सरकारी कार्यालयों पर हो रहे व्यय पर मितव्ययता ) ।

38. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 5 रुपये कम कर दिये जायें ( मेडीकल रिएम्बर्समेंट बिलों की सीमा निर्धारण करने में मितव्ययता ) ।

39. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( प्रशासन पर हो रहे व्यय में कमी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ) ।

40. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ) ।

41. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( बड़े अधिकारियों को अधिक मिलने वाले वेतन के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ) ।

42. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( प्राथमिक शिक्षा की ग्रामीण क्षेत्रों में दयनीय स्थिति के बारे में चर्चा के लिये) ।

43. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में कन्या उच्च प्राथमिक शाला भवन, उच्चतर माध्यमिक शाला भवन एवं अन्य उच्च प्राथमिक शाला के भवनों के अभाव पर चर्चा के लिये ) ।

44. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांगों में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ( ग्रामीण क्षेत्रों में पाठशाला भवनों एवं छात्रालयों के अभाव पर चर्चा के लिये ) ।

45. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर तहसील के उच्च प्राथमिक पाठशाला भवनों को शिक्षा विभाग के भवनों की सूची में लेने पर चर्चा के लिये) ।

46. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन सुधार कमेटियों की रिपोर्ट्स के अनुसार मौजूदा प्रशासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

47. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

48. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

# Page No. 75



(श्री राजेन्द्रसिंह)
दिया (राज्य में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए शिक्षा के और अधिक विकास पर चर्चा के लिए)।

49. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के शासन से जो शिथिलता व लापरवाही हो रही है, उस पर चर्चा के लिये)।

50. **श्री मोहनराज** (वाली) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्कूलों में खेलकूद की समुचित व्यवस्था न होने एवं शिक्षा विभाग द्वारा इस ओर ध्यान न देने पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र में स्कूल के स्थायी एवं सुचारू रूप में चलने हेतु स्थानीय मैट्रिक पास युवकों को अध्यापक पद दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

52. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अनुदान के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन के खर्च में कमी करने के विषय पर चर्चा के लिये)।

55. **श्री देवीलाल** (सराड़ा) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में गांव बिरपुरा में मिडिल स्कूल खुलवाने की चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में देपुरा गांव में सैकण्डरी स्कूल खुलवाने पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में आदिवासी गांवों में कन्या प्राइमरी स्कूल खुलवाने पर चर्चा के लिए)।

58. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा पंचायत समिति के अन्दर प्राइमरी स्कूलें खुलवाने पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में गांव थाना में मिडिल स्कूल खुलवाने पर चर्चा के लिये)।

60. श्रीमती गोरी पूनिया (मकराना): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना क्षेत्र में कन्या पाठशालाओं के भारी अभाव पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना क्षेत्र में शिक्षा के मामले में राज्य सरकार द्वारा भेदभाव किये जाने पर चर्चा के लिये)।

62. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा नगर में हायर सैकण्डरी स्कूल खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

63. श्री भरतलाल (बामनवास) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील बामनवास सवाई-माधोपुर में शिक्षा विभाग द्वारा मिडिल व सैकण्डरी स्कूलों की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 10 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति बामनवास सवाई माधोपुर में आबादी के अनुपात में प्राथमिक स्कूल कम हैं इस पर चर्चा के लिए)।

65. श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में स्कूलों-भवनों की खराब हालत को सुधारने के लिये विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

66. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग की अनियमितताओं के कारण शिक्षा प्रसार की कमियों पर चर्चा के लिये)

67. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जालोर जिले के साथ उपेक्षा का बर्ताव किये जाने पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में सुधार एवं मितव्ययता लाने हेतु राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये)।

69. श्री फारूक हसन (सवाई माधोपुर) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सवाई माधोपुर में सैकेण्डरी स्कूल कुंडरा, खिलचीपुर, सूरवाल में न खोलने पर चर्चा के लिये)।

# Page No. 77



70. श्री भैरूलाल (अकलेरा) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा सेकण्डरी स्कूल को हायर सेकण्डरी स्कूल में परिवर्तित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकलेरा क्षेत्र की जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए देवरी कलां, लहास और सरेरो में मिडिल स्कूल कायम करने हेतु चर्चा के लिये)।

73. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा को और व्यापक बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

76. श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बूंदी): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी जिले में साक्षरता प्रोग्राम को सहकार रूप देने पर चर्चा के लिये)।

77. श्री नानालाल (राजसमन्द): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव कुरज के हाई स्कूल को हायर सेकण्डरी बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

78. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले की अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार एवं इनमें होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री जे. के. हायर सेकण्डरी स्कूल, अलसीसर को मुख्यमंत्री महोदय के लिखित आदेशों के बाद भी ग्रांट-इन-एड के प्रश्न को अभी तक हल नहीं करने के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में उच्च पदों पर निरन्तर अधिकारियों को चिकित्सा भत्ता देने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67 भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के

(रामनारायण चौधरी)
अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की विभिन्न भूतपूर्व नरेशों के रियासतों के कर्मचारियों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

82. श्री जेठमल (परबतसर) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के जावला व रीड़ में कामर्स का सबजेक्ट खोलने पर चर्चा के लिये)।

83. श्री दीपंकर (लाडनूं) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में शिक्षा में जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा के विस्तार पर चर्चा के लिये)।

84. श्री मोहरसिंह (चूरू) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर अंचल में विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोहिया कॉलेज चूरू को सरकार क्रमोन्नत करने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिए)।

86. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बागला उच्च माध्यमिक शाला, चूरू में छात्रों की भर्ती एवं स्थानाभाव पर चर्चा के लिए)।

87. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बागला उच्च माध्यमिक शाला, चूरू में प्रयोगशालाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 17, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बागला उच्च माध्यमिक शाला, चूरू में टाइप की शिक्षा बंद कर दी गई इस पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (बागला कन्या माध्यमिक शाला, चूरू को क्रमोन्नत नहीं किया गया इस पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में बागला कन्या माध्यमिक शाला में विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू बागला कन्या माध्यमिक शाला में वाणिज्य की पढ़ाई के अभाव पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू के बागला कन्या माध्यमिक शाला में खेलकूद के लिए स्थान के अभाव पर चर्चा के लिये)।

(श्री मोहरसिंह)

93. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरवासी माध्यमिक शाला में विज्ञान व वाणिज्य की पढ़ाई के अभाव पर चर्चा के लिए)।

94. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले पुस्तकालयों को दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थानी भाषा के लिए पृथक एकाडमी की स्थापना नहीं की गई है इस पर चर्चा के लिए)।

96. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की प्रौढ़ शिक्षा की घोर उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

97. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संस्कृत शिक्षा की उपेक्षा और संस्कृत पढ़ाने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिए)।

98. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन विभाग, चूरू में सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था करने में असफल रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन विभाग, चूरू में डाक बंगलों के बनवाने तथा विश्राम गृह में आवास सुविधा बढ़ाने एवं टेलीफोन लगवाने में असफल रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

100. श्री केशरीमल (ब्यावर): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा शालाओं को क्रमोन्नत न करने की जन विरोधी प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय कन्या उच्च महाविद्यालय ब्यावर में विज्ञान की कक्षाएं खुलवाने के बाबत चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय उच्च-महाविद्यालय, राजियावास में विज्ञान कक्षाएं खुलवाने के बाबत चर्चा के लिए)।

103. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुदान प्राप्त प्राईवेट पाठशालाओं के अध्यापकों के साथ वेतन व व्यवहार पर उचित विभागीय नियंत्रण नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

104. **श्री चेतराम** ( टोडाभीम ) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

105. **श्री रावतराम** (छापर) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा राजलदेसर–बीदासर–छापर में हायर सैकेण्डरी स्कूल, ग्राम सांडवा, लालगढ़ कानूती (जिला चूरू) में मिडिल स्कूलों को सैकेण्डरी में अपग्रेड करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

106. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 27–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा की प्रणाली में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

107. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोहिया कॉलेज चूरू को पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

108. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब किसानों की छात्राओं को शिक्षा देने के लिए छात्रावास स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

109. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों से प्राइमरी एजूकेशन को वापिस लिया जाकर शिक्षा विभाग को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

110. श्री **मीठालाल** (लालसोट) : मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लालसोट के ग्राम निजरना, चोडांग, श्याम पुरा के मध्य एक माध्यमिक स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिए) ।

111. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लालसोट व चाकसू के अधूरे शाला भवनों को पूर्ण कराये जाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

112. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लालसोट व चाकसू में नये प्राथमिक शाला खुलवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

113. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामनवास तहसील के पिपलाई कस्बे में सैकण्डरी स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

114. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर सिटी, जिला

(श्री मीठालाल)

सवाई माधोपुर में शीघ्र महाविद्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति चाकसू के कोटखावदा कस्बे में शीघ्र सैकण्ड्री स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लालसोट जिला जयपुर में शीघ्र सैकण्ड्री स्कूल को हायर सैकण्ड्री स्कूल में अपग्रेड करवाने हेतु चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति लालसोट के कस्बे रामगढ़ पचवारा व डोडवाना में सैकण्डरी स्कूल खुलवाने हेतु चर्चा के लिये)।

118. श्री हरिकिशन (राजगढ़): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्चतर माध्यमिक शाला रेनी जिला अलवर में छात्रावास भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ जिला अलवर में भवन व छात्रावास भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कन्या माध्यमिक शाला राजगढ़ में भवन का अभाव है उस पर चर्चा के लिये)।

121. श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 25–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा पद्धति में सुधार लाने हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाने पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में फिजूलखर्ची कम करने व सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

123. श्री जयकिशन लाल (फागी): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी क्षेत्र में शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

124. श्री सांवरमल (श्री माधोपुर): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा पद्धति के आमूल परिवर्तन करने तथा स्कूलों में उचित व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

125. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों को कम मूल्य पर स्टेण्डर्ड

(श्री अमृतलाल गहलोत)
ड्रेसेज उपलब्ध कराने की परियोजना के सुझाव सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

126. श्री महेन्द्र कुमार (पाडवा): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्र में महिला शिक्षा की आवश्यकता व प्रसार पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रिवीपर्स व विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद भी संबंधियों और सेवकों के भत्ते देने पर चर्चा के लिये)।

129. श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत (चित्तौडगढ़): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

130. श्री गोकुलचन्द (कठूमर): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम गारू, दातिया एवं समूची, पंचायत समिति कठूमर (अलवर) में प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने पर चर्चा के लिये)।

131. श्री शंकरलाल जाट (कपासन): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च प्राथमिक कन्या शाला, बड़ी सादड़ी को क्रमोन्नत किये जाने पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहातों और शहरों में शिक्षा शालाओं में जो फर्क है उस पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में व्याप्त ढिलाई व लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारतीय नरेशों के संबन्धियों तथा सेवकों को भत्ते की फिजूलखर्ची को रोकने पर चर्चा के लिये)।

136. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले के बानसूर क्षेत्र

# Page No. 83



(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
में पिछले दस साल से कोई नया मिडिल स्कूल नहीं खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा के साथ योगिक व्यायाम की ट्रेनिंग दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

139. श्री झाबरमल (फतेहपुर): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर में सरकारी डिग्री कालेज खोलने पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक स्तर तक रखने पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हायर सैकण्डरी स्कूल तक मुफ्त शिक्षा दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन को अधिक गतिशील बनाने तथा भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने पर चर्चा के लिये)।

144. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में अनुसूचित एवं जन जाति की नौकरियों में 28 प्रतिशत स्थानों की पूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव और शहरों में शिक्षा के स्तर में किये जा रहे भेदभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (प्राइमरी शिक्षा में अधिक सुधार करने पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र, छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

# Page No. 84



148. श्री भीमाराम (नोहर): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं प्रशासन की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

149. शंकरलाल (पाली): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शिक्षा को पंचायत समितियों से हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 19 सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कर कर दिया जाय (राज्य सचिवालय के अनावश्यक पदों को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत की रकम उनके सेवकों को न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

152. श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली कालेज स्तर पर विद्यार्थियों को सक्षम नहीं बनाती है व बेरोजगारी की समस्या इससे बढ़ती है इस पर चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में सत्ता के केन्द्रीयकरण की प्रवृति व लालफीताशाही पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते समाप्त होने के पश्चात् भी फालो अप एक्शन नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

155. श्री बनवारीलाल (निवाई): मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28-शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निवाई क्षेत्र में सैकण्डरी स्कूलों की एवं मिडिल स्कूलों की कमी पर चर्चा के लिये)।

156. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामान्य प्रशासन में सुधार लाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारतीय नरेशों के निजि व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत उनके सेवकों को दिये जाने वाले व्यय को बन्द किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

158. श्री किशन मोटवानी (अजमेर): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

# Page No. 85



(श्री किशन मोटवानी)
दिया जाय (एडेड एजूकेशन इन्स्टीट्यूट के टीचर्स को विभाग द्वारा निर्धारित गृह किराया भत्ता न दिये जाने बाबत चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिन्धी विषय के पढ़ाने की गवर्नमेन्ट कालेज अजमेर में व्यवस्था न करने बाबत चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28 शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिंध से 1947 के विभाजन से आये टीचर्स की पेंशन के लिये सिंध की सर्विस जोड़ने के बाबत चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर में चल रही स्कूल्स की अव्यवस्थाओं के बाबत चर्चा के लिये)।

162. श्री **मोहनलाल छंगाणी** (फलौदी): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा को अधिक से अधिक व्यवहारिक और जीवनोपयोगी बनाया जावे इस पर चर्चा के लिये)।

163. **श्री नानालाल** (राजसमन्द): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुरज हाईस्कूल को हायर सकण्डरी में क्रमोन्नत किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

164. श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भंडारी समिति की पंचायतीराज में शिक्षा के सम्बन्ध में सिफारिशों को विभाग द्वारा लागू करने पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अध्यापकों के क्लेमों की बकाया का चुकारा न होने पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के विद्यार्थियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एम. एम. डी. गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल अलवर में छात्रावास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर में गौरादेवी महिला महाविद्यालय के लिए छात्रावास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक, 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजर्षि कालेज

# Page No. 86



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अलवर में लाइब्रेरी भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. एम. डी गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल अलवर में स्कूल में पानी के लिए इलेक्ट्रिक पम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एस. एम. डी. गर्ल्स हायर सैकण्डरी स्कूल अलवर में छात्राओं, पुस्तकालय एवं स्टाफ के लिए पृथक् कमरों की कमी दूर कराने हेतु चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 14, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजर्षि कालेज अलवर में भूगोल विषय में एम. ए. स्तर की कक्षा प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षित बेरोजगारों की समस्या हल करने में शिक्षा विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तृतीय वेतन श्रृंखला में वर्षों से कार्यरत बी. एड. अध्यापकों को द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति के वर्तमान आधार दोषपूर्ण हैं, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के शिक्षकों को मेडिकल बिलों का भुगतान करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा धनराशि दी जानी चाहिए इस पर चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों को सरकारी शालाओं में कार्यरत अध्यापकों एव कर्मचारियों के समान सर्विस कन्डीशन तय कराने के वास्ते चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पब्लिक स्कूल पध्दति को समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28—शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान साहित्य अकादमी को दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों के महासंघ द्वारा रखे गये मांग पत्र पर चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

100 रुपया कम कर दिया जाये (प्रशासनिक फिजूलखर्ची को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के भूतपूर्व मन्त्रियों पर लगाये गये आरोपों की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य प्रशासन में व्याप्त ढिलाई, लालफीताशाही और धांधली पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के प्रशासन को जनता के प्रति अधिक जवाबदार बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के वर्तमान मन्त्रिमण्डल के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक सेवाओं का राज्य की आधारभूत नीतियों में निष्ठा के आधार पर पुनर्गठन करने पर चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य प्रशासन में सभी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार राज्य सरकार में निहित होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

187. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य के स्टेनोग्राफर्स की वार्षिक वेतन वृद्धि पर लगी रोक को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य के स्टेनोग्राफर्स की वेतन शृंखला में अनुचित असमानता पर चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या , मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में सरकारी सेवा में भर्ती, तरक्की, तबादलों में अनियमितताओं और असंगतियों पर चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में 8,79,000 रुपये कम कर दिये जायें (भारतीय नरेशों के संबंधियों और सेवकों के भत्ते की राशि कम कर दी जावे इस पर मितव्ययता)।

191. श्रीमती उषा प्रकाश (बैर)–मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वेतन मानों के

(श्रीमती उषा प्रकाश)
निर्धारण में होने वाले विलम्ब से सेवा निवृत्त अध्यापकों की पेंशन सबंधी कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)। (महिला शिक्षा की असन्तोषजनक प्रगति पर चर्चा के लिये)।

192. मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महिला शिक्षा की असंतोषजनक प्रगति पर चर्चा के लिये।

193. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व अपील अधिकारियों के पद समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

194. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्व [भूमि] सम्बन्धी विवादों की सुनवाई न्यायपालिका को सुपुर्द करने के सम्बन्ध मे चर्चा के लिये)।

195. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ)** : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस वष सेकण्डरी और हायर सेकण्डरी की कक्षायें न खोलने के सरकार के निर्णय के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के लिये कार्य करने वाली शिक्षण संस्थाओं की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

198. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

199. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

200. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा राजस्थान स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा राजस्थान स्टेट एम्पलाइज फेडरेशन को स्वीकृत की गई मांगें पूरी न करने पर चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जूनियर एकाउन्टेंटस केडर का राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अन्तर्गत बनाये जाने के विधान सभा में 16-11-70 को दिये गये आश्वासन की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये)।

202. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)
100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च राज्य कर्मचारी की तनख्वाह 1000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा कम से कम तनख्वाह 300) से नीची नहीं होनी चाहिये, इस पर चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिये जाय (मंत्रियों की तनख्वाहों में कटौती करके मितव्ययता)।

204. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते, के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (नरेशों के रिश्तेदारों और नौकरों को दी जाने वाली राशि विधान के विरुद्ध है इस पर चर्चा के लिये)।

205. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी नगर): मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने की असफलता पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों के सेवकों को दिये जाने वाले धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

208. **श्री मुन्शीलाल महावर** (बस्सी): मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बस्सी हायर सैकण्डरी स्कूल में कृषि एवं वैज्ञानिक कक्षाएं नियमन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (बस्सी निर्वाचन क्षेत्र में जटवाड़ा, बड़वा एवम् कानोता ग्राम में मिडिल स्कूल से सैकण्ड्री स्कूल में क्रमोन्नत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 15 मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (बस्सी निर्वाचन क्षेत्र में जीतावाला ग्राम, बीलवाल, सामरिया, लालगढ़, देवगांव, राजपुरा, दनाऊकलां, काशीपुरा, भर में प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत कराने के सम्बंध में चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (शिक्षा का आधार कृषि, उद्योग व उच्च तकनीकी होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

212. **श्रीमती मदन कौर**: मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों (बाड़मेर जिले) में शिक्षा की समुचित

# Page No. 90



(श्रीमती मदन कौर)

व्यवस्था यथा स्कूल एवं छात्रावास की व्यवस्था न होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रु. कम कर दिया जाय (बालोतरा नगर में कालेज नहीं खोलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिलाधीशों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में फिजूलखर्ची से संबंधित समस्या पर चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक शिथिलता के कारण विभागीय जांच में अत्यधिक समय लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

217. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में विभिन्न स्तर की सेवाओं से संबंधित कानून नहीं बनाने के संबंध मे चर्चा के लिये)।

218. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एडहाक पदोन्नति की प्रवृत्ति को रोकने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

219. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न सेवाओं के कर्मचारियों और अधिकारियों की वरिष्ठता सूचियां न बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

220. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धित नियमों में बार बार संशोधन करने की सरकार की प्रवृत्ति पर चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मौजूदा लेखा–प्रणाली की अनुपयोगिता से सम्बन्धित चर्चा के लिए)।

222. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासम के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासन में आयुक्त के पदों को समाप्त करने बाबत चर्चा के लिए)।

223. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन के लिए एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त करने बाबत चर्चा के लिए)।

# Page No. 91



(श्रीमती मदन कौर)

224. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एल. डी. सीज. व यू. डी. सीज. को अधिक परिश्रम व कार्यकुशलता के सम्बन्ध में उचित प्रोत्साहन नहीं देने सम्बधी चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर. ए. एस. व आई. ए. एस. अधिकारियों को अत्यधिक संरक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

226. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों और कर्मचारियों को चल और अचल सम्पत्ति पर निगरानी न रखने सम्बन्धी चर्चा के लिए)।

227. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धित विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत नहीं करने के बारे में चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय जांच में अत्यधिक समय लगने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

229. श्री ज्ञानसिंह (भादरा) : मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

230. श्री भवरलाल (भीलवाडा) : मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शासन में व्याप्त लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

231. श्री पी. के. चौधरी (कुनेर) : मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला प्रशासन में सुधार पर चर्चा के लिये)।

232. मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19 सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

233. श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सामान्य प्रशासन की बिगडी हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

अनुदान की मांगें

**मांग सं. 15, 9 व 32 पर विचार एवं उनका पारण**

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरन माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री माणकचन्द सोगानी।

# Page No. 92



**श्री माणकचन्द सोगानी** (अजमेर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में शिक्षा विभाग की मांगों पर बहस हो रही है। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान बनने के बाद राजस्थान में शिक्षा का काफी विकास हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं और इसके लिये मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

राजस्थान बनने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, जो पहले स्कूल थे उससे कई गुने ज्यादा स्कूल प्राइमरी व माध्यमिक राजस्थान में खुले हैं। इसके अतिरिक्त कई कालेजेज भी खुले हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के क्षेत्र में भी सभी जिलों में विकास हुआ है पर अजमेर में बहुत कम विकास हुआ है। मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि अजमेर जो पहले शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे आसपास के प्रदेशों से बहुत बढ़ा चढ़ा था वहां पर आज यूनिवर्सिटी नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि अजमेर में यूनिवर्सिटी खोली जाय। उपाध्यक्ष महोदय, आज जोधपुर में यूनिवर्सिटी बन गई, उदयपुर में बन गई, राजस्थान यूनिवर्सिटी पहले से ही बनी हुई थी, पर जैसा कि मैंने निवेदन किया कि अजमेर जो शिक्षा में काफी बढ़ा चढ़ा था आज उस अजमेर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि अजमेर में यूनिवर्सिटी खुले। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आपसे यही निवेदन कर दूं कि अकेले अजमेर में करीब 10 हजार स्टूडेन्ट्स हैं और आसपास के मिल जाने से वहां पर यूनिवर्सिटी कायम हो सकती है और जब तक फुलफ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बनने में थोड़ा समय लगे तब तक चाहे इसका एफिलियेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से रहे—मगर आज अजमेर में यूनिवर्सिटी खुलना बहुत ही आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, आज इतने स्टूडेन्ट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो गये हैं कि उनका तालमेल भी नहीं बैठ रहा है और इस प्रकार अनियमितताएं भी बहुत हो रही है। अजमेर में यूनिवर्सिटी बन जाने में इसमें काफी सहूलियत रहेगी। अजमेर के लोगों को राहत मिलेगी सो मिलेगी ही मगर इसके साथ साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऊपर से भार भी कम हो जायगा। अजमेर यूनिवर्सिटी बन जाने से राज्य सरकार के ऊपर कोई भार भी नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि अजमेर शिक्षा के मामले में राजस्थान के दूसरे प्रान्तों से बहुत आगे था। अजमेर का गवर्नमेन्ट कालेज सन् 1876 से खुला हुआ था जिस वक्त राजस्थान में कोई कालेज नहीं था। लेकिन आज हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसी प्रान्त में जब शिक्षा का विकास नहीं हुआ था अजमेर बहुत आगे शिक्षा के मामले में काफी बढ़ा चढ़ा था—वही आज शिक्षा के विकास में पीछे रह गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि फिलहाल अजमेर में रेजीडेन्सियल विश्वविद्यालय खोल दिया जाय चाहे उसका एफिलियेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही और बाद में उसे फुलफ्लेज्ड यूनिवर्सिटी बनादें। इसमें पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है इसलिये अब विलम्ब नहीं होना चाहिये।

इसलिये मेरा यही निवेदन है कि फिलहाल इसका स्पेड वर्क तो शुरु कर दिया जाय ताकि जल्दी से अजमेर में विश्वविद्यालय कायम हो सके और अज-

(श्री माणकचन्द सोगानी)

मेर में शिक्षा का विकास पूर्णतया हो सके। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी का दूसरे शिक्षा संस्थाओं से तालमेल नहीं होने से काफी अनियमितायें उत्पन्न हुई हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इन अनियमितताओं से बचने के लिए वहां पर यूनिवर्सिटी होना बहुत ही आवश्यक है। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जब मुख्य मंत्री जी अजमेर आये थे तब वहां की जनता के प्रतिनिधियों ने इस बारे में बात की थी। तो उन्होंने अजमेर में यूनिवर्सिटी कायम करने की घोषणा भी की थी। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अब अजमेर में यूनिवर्सिटी बनाने के अन्दर विलम्ब नहीं होना चाहिये। क्योंकि सेशन आने वाला है इसलिए सरकार को चाहिये कि शिक्षा का सत्र शुरु हो, उससे पहले अजमेर में यूनिवर्सिटी खोलने की कार्यवाही कर ली जाय। बस इतना ही मेरा निवेदन है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विभाग रहा है और अगर हम इसके इतिहास को देखें तो मालूम होगा कि——

**एक माननीय सदस्य** : आप भी तो इस विभाग के उपमंत्री रह चुके हैं।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : शिक्षा विभाग का उपमंत्री रहा हूं इसलिए तो मुझे इसका कटु अनुभव है और शायद आपको याद होगा कि मैंने इस बारे में एक पुस्तक "विद्यालयों ने कहा भी" लिखी थी। उसमें मैंने लिखा भी था—(व्यवधान) विभाग से मुक्ति पाया हूं। खैर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि शिक्षा विभाग राजस्थान का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विभाग रहा है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण इसलिये कहता हूं कि इसके मंत्री जल्दी जल्दी बदलते रहे हैं। आज अगर हम इसके इतिहास को देखें तो, पता लगेगा कि राजस्थान बना तब इसके पहले मंत्री हुए हरिभाऊ जी उपाध्याय, जो बड़े विद्वान थे, सहृदय थे, सरस्वती के पुजारी थे। पर थोड़े दिन बाद ही यह दूसरे मंत्री के हाथ में चला गया और फिर एक के बाद एक दूसरे के हाथ में चला गया। इसका नतीजा यह हुआ कि इसमें स्थायित्व नहीं आ सका। इसके बाद में यह शिक्षा विभाग हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री के हाथ में चला गया। इसका मतलब यह हुआ कि चूंकि यह विभाग विभिन्न मंत्रियों के पास थोड़े थोड़े समय में ही बदलता रहा इसलिये यह एक प्रकार से मोबाईल विभाग हो गया और इसलिये इसमें किसी प्रकार का स्थायित्व नहीं आ सका। और स्थायित्व न आने के कारण और भी हैं, उपाध्यक्ष महोदय। शिक्षा को हमने विश्वास का, मान्यताओं का विषय नहीं रखा। वर्तमान शिक्षा मंत्री जी के प्रति मेरा पूर्ण आदर है और सम्मान है लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा जो व्यावहारिक है, जिसकी परिभाषायें अलग होती हैं और ये परिभाषायें व्यापक होकर सिस्टम आफ एजुकेशन अब सिस्टम आफ एजुकेशन न रहकर सिस्टम आफ एक्जामिनेशन हो

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

गया है क्या शिक्षा विभाग में सरकार के प्रवचनों, भाषणों और वक्तव्यों के आधार पर आमूल चूल परिवर्तन इस पद्धति में हुआ और ये वक्तव्य आजादी के बाद से 25 साल से आमूल चूल परिवर्तन के होते रहे किन्तु कोई आमूल-चूल परिवर्तन न हो सका। शिक्षा की पद्धति वैसी की वैसी ही चल रही है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। शिक्षा को आगे बढ़ाने के चार स्तम्भ हैं। स्वयं मंत्री जी, उनका प्रशासन, फिर अभिभावक और जनता का सहयोग इन चार स्तम्भों के आधार पर कौनसा स्तम्भ हमको शक्ति देता रहा। चर्चिल को एक बार डिफेन्स का पोर्टफोलियो दिया गया था। तो मिस्टर चर्चिल ने कहा, डिफेन्स और मैं मंत्री मिनिचेयर होता है–यह बात वहां के विद्वान समझे थे। इस समस्या पर उन्होंने चर्चिल से कहा कि मंत्री पद अलग स्थिति है लेकिन उसको गति देने वाले एडवाइजर्स होते हैं एक्सपर्टस होते हैं। कोई पोर्ट-फोलियो मंत्री लेते हैं तो इस विश्वास के साथ लेते हैं कि उनके एक्सपर्टस सहयोग देंगे और उसको आगे बढ़ायेंगे।

शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, आप और हम इस प्रश्न को देखें, विभाग तो हैं लेकिन मंत्री महोदय को एडवाइज देने वाले एक्सपर्टस उनके इर्द गिर्द नहीं हैं। मैं आरोप तो नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन इस सचिवालय का जो ढांचा है, मंत्री महोदय, आपकी नीतियां और मान्यताओं के विरुद्ध रहे हैं। और मंत्री इम्मेच्योर होता है और हर मंत्री जब विभाग लेता है तो इमेच्योर होता है लेकिन एक्सपर्टस के आधार पर वह इसको गति दे सकता है। उदाहरण के लिये मैं तथ्य नहीं रखना चाहता हूं। आप स्वयं समझ सकते हैं। आपके आदेशों का पालन किस ढंग से होता होगा आपकी नीतियों का पालन किस ढंग से होता होगा यह आप जानते हैं। और मैं इस मान्यता का हमेशा रहा हूं कि शिक्षा विभाग, जो निष्ठा का विभाग है, की पद्धति में आप आमूलचूल परिवर्तन करें या न करें लेकिन आपके प्रशासन में परिवर्तन निश्चय ही करना चाहिए। आपके विभाग के सचिव महोदय, उप सचिव महोदय या दूसरे जो प्रशासन के आपके अंग हैं, वे कभी एक्साइज डिपार्ट-मेन्ट के सचिव रहे हों, कभी होम डिपार्ट-मेन्ट के सचिव रहे हों, और कभी दूसरे डिपार्टमेन्ट के रहे हों, अलग अलग डिपार्ट-मेन्ट्स में स्थानान्तरण कराते हुए, परिवर्तन कराते हुए वे आपके सचिव, शिक्षा विभाग के सचिव हुए जो, आपकी मान्यताओं के अनुसार नहीं रह सकते। बार बार शिका-यतें हम करते हैं कि प्रोफेसर्स, डीन्स प्रिन्सि-पल्स, जो आपके इस जहाज को चलाते हैं, की मान्यताओं के आधार पर क्या इस सचिवालय का ढांचा भी है? कई उदाहरण आते हैं। सचिव महोदय, उप सचिव महो-दय, क्या सारे शिक्षा विभाग का सम्मान करते हैं। यह आवश्यक है कि यदि ऐसे शिक्षा विद सचिवालय के सम्मुख जायें, वाइस चान्सलर से लेकर प्राध्यापक जायें तो उनको क्या आपके ऑफिसर्स से सम्मान मिले। एक शिक्षक के सम्बन्ध में आपने

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

दो आदेश दिये हैं कि उसका विक्टिमाइजेशन हुआ है। नाम नहीं लेना चाहता हूं। शिक्षक का विक्टिमाइजेशन हुआ इस पर आगे की कार्यवाही की जाय ऐसे आपके आदेश जारी हुए किंतु उसका कोई असर नहीं हुआ सर, हजूर के सम्मान के शब्दों में आप वह जाते हैं जिससे नीतियों को छोड़ना आपको पड़ता है।

मैं आपको कह रहा था कि यह विश्वास का विभाग है, इसके अनुरूप आपका सचिवालय हो तो आप इसमें कुछ गति दे सकते हैं। शिक्षा विभाग की अवहेलना हमेशा से होती रही है। आप सक्रिय, निष्ठावान, गतिशील हैं। गति लेकर चलें। यह विवादग्रस्त प्रश्न है इसको यहीं छोड़ देता हूं, उदाहरण के लिए कालेज के प्रिंसिपल और वाइस चान्सलर वह आपके सचिवालय के दरवाजे खटखटाते हैं और अपमान के साथ लौटते हैं। अपनी बात रखने गये थे, 1½ घन्टे तक इन्तजार किया लेकिन सचिव ने कोई दाद नहीं दी। इससे शिक्षा क्षेत्र में असंतोष ज्यादा है। कोआर्डिनेशन का प्रश्न है टीचर से लेकर आपके सचिवालय तक कोआर्डिनेशन नहीं होगा तो यह विभाग सफल नहीं हो सकता।

दूसरा प्रश्न और है। अभी माननीय सदस्य ने कहा था। विश्वविद्यालय के छात्रों के अनएम्पलायमेन्ट पर काफी कुछ कहा गया। उस मुद्दे को मैं नहीं लेना चाहता। अब तो विश्वविद्यालय की व्याख्या बदल गई है। व्याख्या में युनिवर्सिटी अनएम्पलायमेन्ट का केन्द्र हो गया है और युनिवर्सिटी को कहा जाने लगा है युनिवर्सिटो आफ दी रजिस्ट्रार, बाई दी रजिस्ट्रार और फार दी रजिस्ट्रार। छात्रों में आक्रोश है। मैं उस ओर नहीं जाना चाहता।

एक अन्य पहलू पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विश्वविद्यालय को हम बुलन्दगी से कहते हैं कि ये आटोनोमस बाडी है। और ये ऐसी ओटोनोमस बाडी है जिसके लिये बजट अलग से रखा है। जिसका अर्थ है आपका सचिवालय उनकी गतिविधियों में इन्टरफियरेन्स करने में असमर्थ हो। किंतु आपको दस्तन्दाजी से कैम्पस में उद्विग्नता पैदा होती है। विश्व विद्यालय के वातावरण में क्षुब्धता पैदा होती है। विश्वविद्यालय की निष्ठा है, और स्वायत्तता है, उस पर आपका आघात न लगना चाहिए।

आप अपने ग्रान्ट इन एड के विषय को देखिये। मैं समझता हूं ग्रान्ट इन एड का प्रश्न जब आता है इसके साथ मुशरूम इन्स्टीट्यूशन्स भी जुड़ जाती है। सबसे ज्यादा आप के बजट का पैसा एडेड स्कूल्स खाते हैं। मुशरूम इन्स्टीट्यूशन्स गली गली में पैदा हो रही हैं जिनकी आपके हाथ में नकेल है। वे टीचर्स को कम पैसा देती हैं, ज्यादा की रसीद लेती हैं। बार बार इस पर सदन में क्षोभ प्रकट किया गया है कि इन ऐडेड स्कूल्स में जो बेईमानी चल रही है इसलिए इन पर नियन्त्रण किया जाए। ऐडेड स्कूल मुशरूम की तरह से गली गली में खड़े हैं। बाल बाड़ियां गली गली में नकली इन्स्टीट्यूशन्स हैं। आपसे ये ऐड का पैसा ले जाते हैं। तो मैं कह रहा था ग्रान्ट इन एड रूल्स के बारे में। आपने युनिवर्सिटी को स्वायत्तता दी, ओटोनामी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

दी और उसके साथ ही आपने उनके ऊपर अंकुश रखा। यूनिवर्सिटीज अपनी सर्विस कन्डीशन्स के आधार पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं कर सकती। अपनी पोस्ट क्रियेट करने के बारे में स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकती। मुझे यह हास्यास्पद स्थिति लगती है जब यह देखता हूं कि ग्रान्ट इन एड रूल्स को आपने यूनीवर्सिटी को गवर्न करने के लिए अंकुश के रूप में काम में लिया है। मैं ग्रान्ट इन एड रूल्स को आपको पढ़कर बताता हूं:

"The grant-in-aid will be subject to the following conditions as indicated by the Government to all the three Universities of the State—

(1) That the workload of teacher in the University will be 12 periods per week for professors, 15 for Readers and 21 for Lecturers from 1-7-1970.

शिक्षा मंत्री जी यूनिवर्सिटीज के लिए वर्कलोड हम निर्धारित करें कि जिस यूनिवर्सिटी में वाइस चान्सलर है जिस यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स और फेकल्टीज हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज को आप कहें कि वर्कलोड हम कहें वैसा निर्धारित करो—यह श्रम नीति है, यह शिक्षा नीति नहीं है।

इसी तरह से मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण के रूप में 1968 में फर्स्ट ईयर के लिए एक लेक्चरर की पोस्ट क्रियेट की गई। मैं कहना चाहता हूं कि सर्विस कन्डीशन्स और क्रियेशन आफ पोस्ट्स के सम्बन्ध में विषमता और विकृति कैसे उत्पन्न होती है। 1968 में पोस्ट क्रियेट की गयी। राज्य सरकार की मेहरबानी से एक पोस्ट क्रियेट करने की अनुमति दी गयी फर्स्ट ईयर को पढ़ाने के लिए और अब 72 तक पढ़ाई चालू रही है। क्रियेशन आदि पोस्ट 1968 में किया गया और 72 तक बिना क्रियेशन के काम चल रहा है और यूनीवर्सिटी आपकी प्रतीक्षा कर रही है क्रियेशन आफ दी पोस्ट के लिए. फर्स्ट ईयर की पढ़ाई सेकन्ड ईयर की और थर्ड ईयर की पढ़ाई के लिए प्राध्यापकों की नियुक्ति की 72 तक प्रतीक्षा हो रही है।

श्री नारायण सिंह : कब से चल रही है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : 68 से। पोस्ट क्रियेट की फर्स्ट ईयर के लिए और अब 72 तक पोस्ट क्रियेशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। टेम्प्रेरी अपाइन्टमेन्ट्स पर करीब 40 प्राध्यापक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपके सचिवालय से पोस्ट क्रियेट की जाये।

मैं दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। 4 टीचर्स का एक और मामला है—मैं व्यक्तिगत उदाहरण नहीं देना चाहता हूं लेकिन आपका इन्टर-फियरेन्स ऑटोनामी में है उसके बारे में कहना चाहता हूं। 4 टीचर्स के फिक्सेशन का प्रश्न है। इनके बारे में अभी यूनिवर्सिटी ने फिक्सेशन के सम्बन्ध में निर्णय ले लिये और डिसाइड होने के बाद फाइनेन्स सेक्रेटरी फोन पर कहते हैं कि इसका इम्पलीमेन्टेशन न किया जाए। मुझे समझ में आता अगर शिक्षा

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

सचिव फोन पर वाइस चान्सलर को कहते कि इसकी क्रियान्विती न हो। लेकिन फाइनेन्स सेक्रेटरी इन्टरफियरेन्स करें वाइस चान्सलर के आदेशों पर, यह मुझे समझ में नहीं आता। यह मैं इसलिए कहता हूं कि यूनिवर्सिटी की फाइनेन्स कमेटी में डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेन्स जो रोल प्ले करता है वह रोल आपके इन्टरफियरेन्स का रोल है। उनके स्थान पर डिप्टी सेक्रेटरी एजूकेशन होता तो कुछ समझ में आता लेकिन उनको फाइनेन्स कमेटी में आपका डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेन्स का रोल उसकी आटोनामी पर एक आघात है।

ऐसे कई प्रश्न हैं–मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ जो यूनिवर्सिटी की शिक्षा में दखलन्दाजी रखते हैं और उसकी आटोनामी को छीनते हैं। दूसरा प्रश्न आज एक माननीय सदस्य ने यहां रखा है। अब यूनिवर्सिटी के केम्पस को आप मुलाहजा कीजिए। आपको भी चिन्ता है अजमेर के सम्बन्ध में। आप भी चाहते हैं कि अजमेर में यूनिवर्सिटी हो और लेजिस्लेशन भी शायद यूनिवर्सिटीज को गवर्न करने वाला आप लाना चाहते हैं।

**श्री नारायण सिंह** : मैंने अभी तक तो ऐसा नहीं कहा।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : आपका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके कह रहा हूं। आपके मन की बात को बाहर निकाल रहा हूँ।

कहां यूनिवर्सिटी हो इसका प्रश्न नहीं है। मैं इस जयपुर युनिवर्सिटी के सम्बन्ध में अर्ज कर रहा था कि यह यूनिवर्सिटी काफी विकसित हो चुकी है। अब इस यूनिवर्सिटी को अगर आप देखें तो बिल्डिंग के हिसाब से काफी इम्प्रुवमेन्ट इसमें हुआ है। इसके साथ ही साथ इसका टीचिंग, इक्विपमेन्ट विथ दी प्रोफेसर्स, रिसर्च वर्क का विशाल कार्यक्रम और फिर फाइनेन्शल रिसोर्सेस फाम डिफरेन्ट एजेन्सीज–इस हिसाब को देखते हुए कहा जा सकता है कि राजस्थान में यह यूनिवर्सिटी क्षमता की यूनिवर्सिटी है; विकसित यूनिर्सिटी है, रिसर्च वर्क की यूनिवर्सिटी है; बाहर विद्यार्थी यहां से भेजे जायें और यहां आये–इतनी विकसित यूनिवर्सिटी के रूप को आप परिवर्तन नहीं करेंगे यह समझ में नहीं आता। यह इसलिए कहना चाहता हूं कि इतना विकास हुआ है कि आपको कम से कम इस यूनिवर्सिटी को रेजिडेंसियल विश्वविद्यालय में परिवर्तन करने का आपको एक निर्णय लेना चाहिए कि यह यूनीवर्सिटी रेजिडेन्शल यूनीवर्सिटी हो। यह मैं इसलिए कहना चाहता हू कि इस यूनीवर्सिटी का अभी कम्पोजीशन है यह एफीलियेटिंग यूनीवर्सिटी है और जितने एफिलियेटिंग कालेजेज हैं इनका सम्पर्क इस यूनिवर्सिटी के विकास में बाधक होते हैं। आपने कहा कि पार्टीसिपेशन आफ दी टीचर्स एण्ड दी स्टुडेन्ट्स के सम्बन्ध में इस यूनीवर्सिटी में एक घोषणा है। वह हुई या नहीं लेकिन मैं इसकी क्रियान्विति के रूप में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या आप पार्टीसिपेशन आफ दी टीचर्स एण्ड दी स्टूडेन्ट्स के प्रश्न को यहां लागू कर सकेंगे ? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के आउटलुक में और एफीलियेट जो कालेजेज हैं उनके आउटलुक में बड़ा अन्तर है और अन्तर के साथ ही इस

(श्री निरंजननाथ आचार्य) युनिवर्सिटी को रेजिडेन्शल यूनीवर्सिटी के रूप में आपको बदलना होगा ताकि बाहर के एफिलियेटिंग कालेज कि जिसका आउटलुक इस यूनीवर्सिटी के आउटलुक से डिफरेन्ट है उनका इन्टरफियरेन्स इसमें न हो।

अब यदि पार्टीसिपेशन ऑफ दी टीचर्स एण्ड दी स्टुडेन्ट्स के आधार पर यह स्पष्ट है कि जितने एफीलियेटिंग कॉलेज हैं उनका जब यहां के प्रशासन में बहुमत होगा तब तो इनके आउटलुक में, युनिवर्सिटी की गति में मान्यताओं में आगे बढ़ने के प्रश्न पर आघात होगा। इन कालेज के स्टूडेन्ट्स और बाहर के टीचर्स के द्वारा इस यूनिवर्सिटी की क्षमता पर असर डाला जायगा। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी को बिल्डिंग के हिसाब से, डिपार्टमेन्ट के हिसाब से प्रोफेसर्स, लेबोरेटरी और फाइनेन्शल एजेन्सीज जो इसको मिल रही हैं इस सन्दर्भ में आपको इसको रेजिडेन्शल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर देना चाहिए और इसमें आपका लाभ भी है कि जो आवाजें उठ रही हैं वह चाहे बीकानेर से हो, चाहे अजमेर से हो कि एक यूनिवर्सिटी वहां पर कायम हो उसी सन्दर्भ में भी जब यूनिवर्सिटी की मांग कहीं कहीं है तो इसको रेजिडेन्शल यूनिवर्सिटी करके एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी दूसरी जगह आप कर दें। मेरा ख्याल है कि आप इस बात को अवश्य पूरा करेंगे। यह प्रथम कदम आपका होगा राजस्थान की एजूकेशन की नीति के सन्दर्भ में कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जो स्टेट्समेन शिक्षा के हैं जो मान्यताओं से शिक्षा के हैं जिनमें सद्भावना है, प्रगति देना चाहते हैं, जो केवल स्वास्थ्य के सम्बन्ध में गति देने के भी कभी क्षमता विहीन हो जाते हैं, इस स्थिति में पहल करेंगे जो सारे राजस्थान में स्वीकृत योग्य होगा।

दूसरा मैं यह अर्ज कर रहा था कि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटिज का मैं हिमायती हूं। आज यहां की एकेडेमिक कौंसिल और सिण्डीकेट चिंतित है इस प्रश्न पर कि इस यूनिवर्सिटी में परीक्षा के सम्बन्ध में, दूसरे रिफार्म्स के सम्बन्ध में जो स्टूडेन्ट्स एजीटेट कर रहे हैं, उस सम्बन्ध में हम कुछ कदम लें। यह सारा प्रश्न है परीक्षाओं का प्रश्न राजस्थान का ही प्रश्न नहीं, राष्ट्रव्यापी प्रश्न है। यहां की यूनिवर्सिटी भी चिंतित है। मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि एकेडेमिक कौंसिल और सिण्डीकेट ने डिटेल्ड स्कीम रिफार्म्स के सम्बन्ध में तैयार की है। इसे तैयार करने में स्टूडेंट्स ने भी कोआपरेट किया है। यह रिफार्म्स लागू होने चाहिए। उसमें उनकी मान्यताओं के अनुरूप कुछ मांगें सिद्ध होती हैं। लेकिन मैं इसमें आपको खतरा बता रहा था कि वह खतरा क्या है? वह खतरा एफिलियेटिंग कालेजेज का है जिनका बहुमत यहां पर होता है। इन टीचर्स का बहुमत यहां ज्यादा हो जाता है फैकल्टीज में और जब उनमें प्रगतिशील प्रश्न आते हैं तो उनको रद्द कर दिया जाता है। जैसा मैंने कहा, यह अन्तर—मान्यताओं का अन्तर है। यह अन्तर है शिक्षा पद्धति का है, रिसर्च के अन्दर और चिंतन के आधार पर एक मान्यताओं का अन्तर है। एफिलियेटिंग कालेजेज का बहुमत होने के सम्बन्ध में यह गतिशील यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यदि जयपुर में रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हो जायेगी तो इस यूनिवर्सिटी की

(श्री निरंजननाथ आचार्य) आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस विश्व विद्यालय को राजस्थान में ही नहीं राष्ट्र के स्तर पर है इसको गतिशील, विकसित होने का और अवसर मिल सकेगा। मेरा विश्वास है कि इस प्रश्न पर जैसा मैंने कहा है इस संदर्भ में कहीं न कहीं लेकिन जो छोटी छोटी की मुश्किलें हैं उन प्रश्नों पर भी आप चिंतन करें। मेरा विश्वास है कि फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आप चिंतित न हों कि यह स्टेट की फाइनेंशियल पोजीशन इसमें रोड़ा हो सकती है। लेकिन अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन का प्रतिरोध भी आपके रास्ते में नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं इन शब्दों के साथ एक और अर्ज करना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग में एक स्पायल सिस्टम है उसको हटाइए। इस स्पायल सिस्टम का अमेरिका में 19वीं सदी में अब प्रशासन में जन्म हुआ। स्पायल सिस्टम क्या है राज नेता जब सोचने लगते हैं कि हमने जो कुछ राजनीति के लिए किया है उसके एवज में हमको भी लाभ होना चाहिए हमने जनता के लिए किया है और करना है यह प्रश्न स्पायल सिस्टम में नहीं आता। आप खुद, और जो कोई भी मन्त्री बने, वे समझते हैं कि कितना स्पायल सिस्टम के अन्दर दवाव उन पर आता है। नीतियों, मान्यताओं, वचनों का पालन उनकी क्रियान्वित करने में। इसलिए जब आप यहां दबते हैं किसी प्रश्न पर तब आप कमजोर होते हैं सचिवालय के सम्मुख और जब आप कमजोर होते हैं तो उस कमजोरी के संदर्भ में तब सचिवालय आप पर हावी होता है। छोटी बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया था और यह प्रश्न की विषमता से मेरा ख्याल है कोई मंत्री नहीं बच सकेगा। सचिवालय से मुक्ति पाकर स्वतंत्र रूप से यदि मंत्री काम करने की दिशा में आ जाय तो मैं समझता हूं कि वह दिन भाग्यशाली होगा जब नीतियों के आधार पर अपने स्वतंत्र चिंतन से इस सारे ढांचे को बदलने में आप सक्षम हो सकेंगे। मैं इस पर अभी अधिक नहीं कहना चाहता। मैं तो सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज दायित्व हम पर ज्यादा पड़ गया है। आज पालियामेंट में . . .

**श्री नारायणसिंह मसूदा :** स्पायल सिस्टम को कैसे बदला जावे ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** अभी तो इस पर ज्यादा विवेचन नहीं कर पाऊंगा। आप तो अपने आपको थोड़ा विरक्त कर लीजिए। इस राजनीति से विरक्त हो जाइए जब तक आप मंत्री रहें, राजनेताओं से विरक्ति कर लीजिए और कार्यकर्ताओं से विरक्ति कर लीजिए और स्वयं की साधना के आधार पर आगे बढ़ते जाइए। किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव से हटते जाइए और अपने ही विचारों से आगे बढ़ते जाइए तो यह स्पायल सिस्टम टूटता जाएगा।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज आपका दायित्व ज्यादा बढ़ गया है। आपका बहुमत पालियामेंट में, आप का बहुमत विधान सभाओं में, प्रजातंत्र को कमजोर कर रहा है—इसने चिन्ता राष्ट्र के स्तर पर पैदा की है और चिन्ता इसलिए की है कि एक डेमोक्रेसी में अपोजीशन की रोल बड़े महत्व का होता है और महत्व को

(निरंजननाथ आचार्य)

इसलिए होता है कि आपके दोषों का ज्ञान कराने वाला अपोजीशन होता है। आपको सुझाव देने वाला अपोजीशन होता है आपके कार्यान्वयन में गति देने वाला अपोजीशन होता है। इसलिए डेमोक्रेसी में वन पार्टी रूल अभिशाप है राष्ट्र के लिए। या तो अधिनायकवाद हो तो राष्ट्र को कुछ गति मिलती है, राष्ट्र में सबल विरोधी पक्ष होने पर राष्ट्र को गति मिलती है। इसलिए आप पर जिम्मेदारी आज ज्यादा है। जो सुझाव विरोधी दल से आने को थे वह आयेंगे नहीं। आपकी आलोचनाएं जो की जानी चाहिए थीं वे होंगी नहीं। आपकी गलतिय को बतला करके आगे का रास्ता दिखा सकें वह स्थिति आज होंगी नहीं। इसलिए यह प्रसन्न होने का विषय नहीं है यह चिन्ता का विषय है। इसलिए आप पर जिम्मेदारी और दायित्व ज्यादा है और आप इन दोनों दृष्टिकोणों को रखते हुए अगर आप गति दे सकें शिक्षा विभाग को तो अच्छा है। मुझे भय है शिक्षा मंत्रीजी आपके पास यह शिक्षा विभाग है इसकी जन्मपत्री बड़ी खराब रही है। एक साल से ज्यादा कोई मंत्री यहां नहीं रहा है। एक साल से ज्यादा कोई यहां रहा नहीं है। हमारे माननीय सदस्य विश्नोईजी इस बात को जानते हैं। इसकी जन्मपत्री बड़ी खराब है····

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** मंत्री मण्डल से बाहर हो जाते हैं।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** आपके पास कितने अर्से तक रहा था।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य :** करीब डेढ साल। हमने और परसरामजी ने दोनों ने मिल कर निपटाया था। उस वक्त शिक्षा विभाग में एक बड़े अधिकारी थे। उनको शिक्षा विभाग में प्रभावशाली अधिकारी कहा जाता था। इस शिक्षा विभाग में वह व्यक्ति दाखिल हुआ, भयंकर रूप से दाखिल हुआ। उसकी गड़बड़ियों के सम्बन्ध में परसरामजी जब मंत्री थे तो डण्डा लेकर उस व्यक्ति के पीछे चले। आगे आगे वह चला और पीछे पीछे वे चले तो उनका उप मंत्री पद चला गया और वह मेरे पास आया। हम दोनों ने मिल कर इसको निपटाया था। मैं अर्ज कर रहा था कि साल भर रहें या न रहें, लेकिन इस शिक्षा विभाग की पत्री बड़ी खराब है। यह आपके पास रहे या नहीं रहे, लेकिन इससे आप निराश नहीं हों कि कहीं यह चला न जाय। आप तो इसको स्थायी समझ कर, अपने को अमर समझ कर इसमें थोड़ी गति दें। मैं भगवान से कामना करता हूं कि वह आपको स्वास्थ्य देवे। सबसे बड़ी कमजोरी यह आपके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में आ जाती है लेकिन दो सूरमा हैं। यह दो झंझावतों के बीच में है। तो इसकी गति जरूर मिलेगी। मैंने आपसे आग्रह किया है कि रेजिडेंशियल और एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में आप चिंतन करके, दूसरों के सुझाव लेकर कृपया ध्यान दें और यूनिवर्सिटी की क्षमता को आंके। जो ओटोनोमस बाड़ी में इण्टरफियरेंस करने वाला प्रश्न है उसको हटायें। यूनिवर्सिटीज में अगर आप यह चाहें कि ग्रांट इन एड रूल्स इन पर लगा कर आपके अधिकारी इसके अन्दर दाखिल हो जायं तो वह हास्यास्पद स्थिति

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
होगी। मैं इस प्रश्न पर इतना ही आपसे आशा करता हूं कि इसको आप गति देंगे और यह सोया हुआ जो विभाग है इसको सक्रिय करें इसको आगे बढ़ायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र के जन जीवन में शिक्षा के एका आत्मा का काम करती है। दुर्भाग्य से भारत के स्वतंत्र होने के बाद से आज तक राष्ट्रपति से लेकर राज्य के मंत्रियों तक सभी ने एक ही प्रकार की घोषणा की है जो कि मेरे पूर्व वक्ता ने आपके समक्ष रखी कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। यह सुझाव रखे। लेकिन कहते वे लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर है जो स्वयं परिवर्तन कर सकते हैं जो जैसा चाहें वैसी रचना कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक स्पष्ट कल्पना नहीं है कोई कलाकार यदि किसी का चित्र बनाना चाहे, चाहे वह गणपति का चित्र हो, चाहे वह किसी प्राणी का हो, वृक्ष का हो, पहाड़ का हो, किसी सीनसिनेरी का हो लेकिन जब तक पूरा चित्र आंखों के सामने नहीं आता और उनकी सारी बातें अपने अन्तर में नहीं लाते तब तक चित्र खींच नहीं सकता। आज हमें बनना क्या है ? क्या हम ईस्टनाइज बनना चाहते हैं या वेस्टनाईज बनना चाहते हैं या दोनों का मिश्रण करना चाहते हैं। क्या हमें बनना है यह हमें मालूम नहीं और हमारी शिक्षा बढ़ती हुई जा रही है लेकिन कहां बढ़ते जा रहे हैं इसका कोई पता नहीं है। अनंत की ओर ? इसका कोई ठीकाना नहीं है ? ऐसी स्थिति में शिक्षा क्या हो ? शिक्षा एक एम्पलायमेन्ट ओरियेन्टेड हो, शिक्षा मानव का विकास करे, शिक्षा मानव की प्रतिभा को बढ़ा कर निखारे, शिक्षा जो आलरेडी मनुष्य के अन्दर विद्यमान है, उसकी अभिव्यक्ति करने का साधन मात्र बने ? ये सारे प्रश्न हमारे सामने हैं। इनको छोड़ कर हम आगे बढ़ते चले गये। हमें शिक्षा को बढ़ाना है इसके लिये स्कूल, कालेज और हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलते चले गये। शिक्षा से हम जिन का जो भविष्य बनाना चाहते हैं, वह नहीं हो रहा है। आज हमने यह तय कर दिया है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कौन पढ़ायेगा। जो मैट्रिक होगा, जो एस. टी. सी. होगा। मैं जानना चाहता हूं एम. ए. बी. एड. क्यों नहीं ? यह बच्चों का जीवन बनाने की आधारशिला है। तब हम मेट्रिकुलेट ही क्यों हों ? जो मेट्रिकुलेट अध्यापक होता है वह राहैन्ड होता है, अपरिपक्व होता है जिसको हम एक किताब देकर पढ़वाना चाहते हैं। हमने इसके लिये एक मापदंड निर्धारित कर दिया है जैसे कि गधा इसके लिये मैं अपशब्द का प्रयोग करूं तो भी अनुचित नहीं होगा, गधे के लिये हमने यह मापदण्ड बना दिया कि वह इतना लम्बा चौड़ा होना चाहिये, इतने स्तर का होना चाहिये। इस प्रकार से हमने टीचर की योग्यता को बना दिया है। अगर इसी तरह से शिक्षा को जारी रखेंगे तो हमारे बच्चों का विकास नहीं हो पायेगा। शिक्षा एक बालक का जीवन बनाने वाली वस्तु है जिसका सम्बन्ध जीवन के संस्कारों से है। संस्कार कौन से हों, उन संस्कारों में संस्कृत

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

हों, कौनसे वातावरण में वह पले यह हमें देखना चाहिए। हर एक देश की अपनी प्राचीन धरोहर होती है। इस धरोहर को हम किसी भी रूप में रखें और कि उस धरोहर की प्राप्ति करें और फिर उसे आने वाली पीढ़ी को दें। जो धरोहर पुरानी है वह हमें मिली है संभालने के लिये, संरक्षण के करने के लिए, संवर्द्धन करने के लिए, परिमार्जित करने के लिये। तो यह संस्कार हमको मिले और आने वाली पीढ़ी को हम सौंप दें। प्राचीन समय में जो बालक जन्म लेता था उसे ऋषि ऋण के नाम से कहा था, यह ऋषि का कर्जा था ताकि उसको हमारे प्राचीन संस्कार मिले और इसी का दूसरा नाम है शिक्षा। शिक्षा और संस्कृति ये दोनों जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। संस्कृति के बिना शिक्षा अधूरी है और शिक्षा के बिना संस्कृति पंगु है। इन दोनों में समन्वय नहीं बैठेगा तब तक बच्चों का कैसा जीवन बनना चाहिये यह पता नहीं चलता है। संस्कारों से पत्थर को भी भगवान बना सकते हैं। फिर यह तो बालक को मालूम होना चाहिये कि हमारे राष्ट्र का मान-मूल्य क्या है? यहां बच्चों को ज्ञान नहीं होता है तब तक वह उच्च नहीं बन सकते हैं। संस्कार एक बड़ी वस्तु है। मुझे याद है इंग्लैण्ड के अन्दर गत महायुद्ध के अन्दर जब जर्मनी बम वर्षा कर रहा था जो वहां का सारा खाद्यान्न नष्ट हो गया था। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ एक टापू पर खड़े होकर यह कहते थे कि एक आधी डबल रोटी भी हमारे हाथ में है तो हमें उससे सान्त्वना है, वे उसमें भी प्रसन्नता का अनुभव करते थे, वहां के बालक, नागरिक किसी की भी जुबान से यह नहीं निकला, उफ तक नहीं निकली कि रोटी कपड़ा जो न दे सके वह सरकार निकम्मी है। बजाय यह कहने के यह कहा कि चाहे आधी डबल रोटी खायेंगे चाहे डबल रोटी का चौथाई टुकड़ा ही मिले चाहे भूखे मर जायं जर्मनी से लड़ेंगे, दुश्मन को मार भगायेंगे, उसको पराभूत करेंगे, सारा इंगलैण्ड ध्वस्त हो जाये तो भी इस टापू पर खड़े होकर जर्मनी को समाप्त करेंगे। तो यही हमारे देश के अन्दर महापुरुषों की शृंखला है। सर्वश्रेष्ठ जीवन को छोड़ कर जीवन में इन्होंने किस प्रकार सफलता प्राप्त की है, त्याग के आधार पर जीवन की आधार शिला इन्होंने रखी है। इस प्रकार की कई मान्यताएं हमारे सामने हैं, इससे बच्चों का चरित्र निर्माण होता है। परन्तु इस चरित्र निर्माण की शृंखला को हमने छोड़ दिया है और सेक्यूलर के नाम से धर्म से घृणा पैदा कर दी है। भारत के अन्दर धर्म से घृणा हो जायेगी तो एक चरित्र निर्माण की शृंखला ही टूट जायेगी। मेरा धर्म से मतलब किसी उपासना से या किसी पूजा पद्धति से नहीं है बल्कि ऐसे धर्म से है जो मानव के विकास के लिये समाज के अन्दर बनने वाली जीवन की व्यवस्था है और जिसका नाम धर्म है। इसी के आधार पर बालक चरित्रवान बनते हैं, चरित्र का निर्माण होता है। ऐसी शिक्षा का दिया जाना ही धर्म है। आज हमारे बच्चे धर्म से घृणा करने लगे हैं और बीस साल बाद ऐसी घृणा देखने को मिलेगी कि शहर में पढ़ने वाले हिप्पी ही हिप्पी नजर आयेंगे। ऐसे लोगों का ही स्वरूप देखने को मिलेगा। ये जो हिप्पी हैं वे उन विदेशों से आये हुए लोग हैं जो वहां की सभ्यता के साथ चल

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

नहीं कर सकते हैं और भारत में थीसेस डीलर लाकर, इस प्रकार की लापरवाही से घुमते हैं और अब तो यह एक प्रकार का फैशन बन गया है। इसलिये मेरा कहना यह है कि संस्कार देने वाली शिक्षा का निर्माण हमने नहीं किया तो देश का चरित्र निर्माण नहीं हो पायेगा। यह सारी शिक्षा आज जिस गति से बढ़ रही है उसी गति से आगे बढ़ती चली जायेगी। मैं अब इस पर अधिक समय न लेकर केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा मानव का निर्माण नहीं कर सकती, वह शिक्षा नहीं है। जो शिक्षा मानव का पूर्ण विकास करे और उसको चरम सीमा पर पहुंचा दे, वही शिक्षा सही हो सकती है।

मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आज अपने राजस्थान में शिक्षा क्षेत्र के अन्दर बहुत बड़ा सहयोग प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन दे रही हैं। प्राईवेट इन्स्टीट्यूशन के अन्दर 90 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार देती है। क्या राज्य सरकार ने कभी इसका असेसमेंट करने का प्रयास किया है कि ये संस्थाएं जिनमें 90 प्रतिशत या शत प्रतिशत अनुदान या पैसा, राशि राज्य सरकार की है उसका मैनेजमेंट कैसा है, उनका कन्ट्रोल कैसा है, उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से बच्चों की कैसी क्वालिटी पैदा हो रही है, उनका प्रोडक्शन कैसा है? अध्यापक किस स्तर के हैं? उनको क्या क्या सुविधाएं हैं? इस प्रकार का कोई असेसमेंट न करते हुए जो प्रथा चली हुई है उसी को यह सरकार आगे बढ़ाती चली जा रही है और इससे आज ऐसी गति हो गई है कि जो ये संस्थाएं हैं उनसे बड़ी हानि लगी है। उदयपुर के अन्दर, मैं कई संस्थाओं का उल्लेख करूंगा क्योंकि मेरा जीवन भी एक अध्यापक का रहा है, शिक्षण संस्था में रहा हूं और शिक्षक के नाते अनुभव किया है कि एक शिक्षक की क्या क्या कठिनाइयां होती हैं। आज इन शिक्षण संस्थाओं को ग्रान्ट-इन-एड के रूप में राशि स्वीकृत की जाती है, जो पैसा आप देते हैं उससे इन अध्यापकों को पेमेन्ट नहीं होता है, इनको कोई प्रोवीडेन्ट फंड ही नहीं है, सारी मैनेजमेंट रखी जाती है। इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास में है, राज्य सरकार को इसकी जानकारी है और यह सब जानते हुए भी कि इन शिक्षकों को तन्ख्वाह नियमित रूप से नहीं मिल रही है, उनका प्रोविडेन्ट फंड सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है, इसकी व्यवस्था करने के लिये हमारी राज्य सरकार का शिक्षा विभाग तैयार नहीं है। यह सब देख कर दुःख होता है। उदयपुर में राजस्थान महिला विद्यालय नामक एक संस्था है। उसने एक सरकारी मकान, भवन लिया है या बना लिया है और उसमें कुछ एडीशन, अल्ट्रेशन कर दिया है और युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन को लिख दिया है कि एक नई बिल्डिंग बनाई है और उससे अनुदान ले लिया। राज्य सरकार को मामला गया, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में यह आया। इस पर जांच के बाद भी राज्य सरकार मौन है। तब यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राज्य सरकार एक धृतराष्ट्र के रूप में राष्ट्र है, राष्ट्र है परन्तु वह अन्धी बनी हुई है। इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है कि कोई देखने वाला नहीं है। 1967 से किराये पर जमीन ले रखी है, किराया सरकार को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसकी कोई चिन्ता नहीं

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

है। उस जमीन को सेल कर दिया गया है, जितने में सेल की गई उस में से एक नया पैसा भी राज्य सरकार के कोष में जमा तक नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने यह चिन्ता नहीं की कि यह भूमि हमें मिलेगी या और किसी को बेच दी तो राज्य-कोष में भूमि का पैसा तो मिले, और अध्यापकों को आज यह अप्रेल का क्या, मई का महीना चल रहा है लेकिन तनख्वाह नहीं मिल रही है। वे किस के पास जाय, किस का दरवाजा खटखटायें, किस के पास पहुंचे ? जो उसको चलाने वाले हैं उनके ऊपर 420 की धारा के अन्तर्गत केस अदालत में पेंडिंग हैं। सारे कागजात राज्य सरकार और पुलिस विभाग के पास पड़े हुए हैं और सरकार कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है और वह इस लिए तैयार नहीं है कि वे विशेष राजनैतिक दल से सम्बन्धित हैं। यदि शिक्षा का प्रबन्ध ऐसे लोगों के द्वारा होगा तो यह शिक्षा का दुर्भाग्य होगा। एक भी कदम आगे शिक्षा नहीं चल पायेगी।

मैं दूसरा उदाहरण देता हूं राजस्थान महिला परिषद का। राजस्थान महिला परिषद् के अन्दर, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा, लाखों का गबन है। वहां की कार्यकारिणी ने यह तय करके सेक्रेटरी को हटा दिया और हटाकर सारा विकास किस ढंग से हो, सारा काम किस प्रकार से चले वह उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन हमारे मन्त्रिमण्डल में जो लोग बैठे हैं उनसे यह बर्दास्त नहीं होता है कि किसी भ्रष्टाचारी को निकाल दिया जाय। उन्हें मेनेजमेंट ने निकाला तो किस आधार पर निकाला? गबन के आधार पर निकाला ? गबन किस प्रकार का कि जो कुछ ग्रान्ट-इन-एड मिलती थी वह सारी की सारी उनके पर्सनल एकाउन्ट में जमा हो जाय। और पेट्रोल जो परिषद् के वाहन के लिए आये वह उनकी पर्सनल कार में चला जाय। इस प्रकार से लाखों रुपये व्यक्तिगत काम में चले जायं। आदिवासियों के नाम पर लड़कियों का छात्रावास चलाया जाता है लेकिन छात्रावास में एक भी लड़की नहीं और खाना पूर्ति करके सारा पैसा राज्य सरकार से लिया जाता रहा। वह रिपोर्ट मैनेजमेंट की राज्य सरकार के पास पहुंची और राज्य सरकार ने विशेष अनुदान दिया। ऐसी उदार, सब को दान करने वाली सरकार एक तरफ कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरी ओर पैसे का ढेर ?

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनिट सैंट पाल और सैंट एं जिला ये उदयपुर, में स्कूल्स हैं इसको सरकार बिना मांगे ही 33 और 22 इस प्रकार से 55 हजार देती है। मैंने स्वयं ने डिपार्टमेंट में दो ड्राफ्ट देखे हैं जिनके साथ में चिट्ठियां थीं और उनमें लिखा था कि धन्यवाद के साथ में चैक लौटाये जा रहे हैं। आपसे मांगा किस ने था। आप किसी गांव में प्राथमिक शाला खोलें, उनमें फर्नीचर लगायें। एक तरफ तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं और दूसरी ओर आप अनाथालय खोलें उससे क्या मतलब होगा।

राजस्थान महिला परिषद् के सेकेट्री को मैनेजमेंट द्वारा निकालने के पश्चात् राज्य सरकार के सचिव ने मैनेजमेंट को

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

एक लेटर, लेटर क्या एक आर्डर मेन्डेटरी लिखा कि इनको इस विभाग के अन्दर 500 रुपया आनरेरियम देकर एपाइन्ट करे मेरे पास वह ओरीजिनल लेटर है उस ओरिजनल लेटर के अन्दर वह सचिव लिखते हैं—

"I am directed to convey sanction of the Governor to Rajasthan Mahila Parishad to pay the existing Secretary namely, Smt. Shanta Trivedi Rs. 500 p.m. consolidated as honorarium instead of pay as a special case."

हमारी राज्य सरकार ही एज स्पेशल केस ऐसे लोगों के लिए है। हमारे यहां उदयपुर में विश्वविद्यालय का सीनेट का मेम्बर रखा जाय, राज्य परिवहन निगम की मेम्बर हैं। राज्य सरकार ने इस राज्य को क्या समझ रखा है? किस ढंग से वह इसका उपयोग करना चाहती? इस प्रकार के केसेज राज्य सरकार के सामने मैनेजमेंट यदि रखता है और मैनेजमेंट के रखने के बाद भी यदि राज्य सरकार उस पर ध्यान नहीं दे तो एक तरफ से मैं समझता हूं कि यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी।

अभी एक पूर्ववक्ता ने बात कही थी मैं स्पष्ट उल्लेख करता हूं कि रामबाबू गोयल का नाम जो कि आडिट रिपोर्ट में आया है और इस रिपोर्ट के अन्दर भी एक आब्जेक्शन आया है उसमें लिखा कि सरकार द्वारा इस पर विचार किया गया। नियमों के विपरीत नवम्बर 62 से जून 62 के बीच में अध्यापकों को लिपिकों के रूप में कार्य करने के लिए नियोजित किया गया था उन्होंने लिखा था 1965-66 के लेखों के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 79 में यह उल्लेख किया गया कि अक्टूबर 1963 में सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के विपरीत नवम्बर, 1963 और जून 1966 के बीच अध्यापकों को लिपिकों के रूप में कार्य करने के लिए नियोजित किया गया था। सरकार ने दिसम्बर 1967 में लोक लेखा समिति को आश्वासन दिया था कि अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन आडिट के ध्यान में आया कि दिसम्बर 1967 के पश्चात् भी अध्यापकों को लिपिकों के कार्य करने के लिए अनियमित रूप से नियोजित किया जाना जारी रहा। विद्यालय निरीक्षकों के 10 कार्यालयों में जुलाई 1967 से दिसम्बर 1970 तक विविध अवधियों के लिए 68 अध्यापकों ने लिपिकों के रूप में कार्य किया। विभाग यह चाहता है कि अध्यापकों को लिपिकों के माध्यम से रख ले और लिपिकों से काम नहीं कराये। यह भ्रष्टाचार की एजेन्सी बनता जा रहा है। मन्त्री महोदय चिट्ठियां लिखते हैं तो सेक्रेटेरियेट वाले कहते हैं कि मन्त्रियों को तो ऐसी चिट्ठी रोज आया करती है। मैं कहना चाहता हूं कि सामने विराजमान है एज्यूकेशन मिनिस्टर वह एक चिट्ठी लिखते हैं :—

"I have sent a note in regard to Shri Ram Baboo Goyal UDC in the office of the Inspector of Schools, Jaipur, who has been victimized unnecessarily and transferred to Manoharpur. I have not yet received any con-

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

ments from you in this respect. I shall be glad to hear from you early in this matter and hope you will kindly see that his grievances are redressed''

ऐसे मंत्रीजी के पास में पहुंच जाने के बाद में भी किसी भी व्यक्ति को यह उत्तर मिलता है कि मिनिस्टर के पास में तो ऐसे पत्र रोज आया करते हैं और डिपार्टमेंट के कर्मचारी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ओरीजिनल सारे पेपर्स मेरे पास हैं।

आर्डर निकाला जाता है ट्रान्सफर्स का और सारे अध्यापक वहां पर मौजूद हैं, विराजमान हैं। किसी का ट्रान्सफर नहीं है। फिर शिकायत की जाती है तो कहते हैं कि बदल कर दूसरों को रख दिया जाय। वह वहीं पर बैठे हैं और बदलेगा कोई नहीं। इस प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को तोड़ते चले गये तो शिक्षा विभाग कहां पर पहुंचेगा, यह मैं नहीं कह सकता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तीन मिनिट और लूंगा और दूसरी बातें आपके सामने रखूंगा।

शिक्षा विभाग में और पंचायत समितियों के अन्दर अध्यापकों का फिक्सेशन और अध्यापकों का प्रमोशन और अध्यापको का कन्ट्रोल, बड़ी दुर्दशा में है। एक अध्यापक का मैं वर्णन करूंगा जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील में था। वह बीमार था और उसने छुट्टी मांगी और छुटी नहीं दी, क्योंकि वह सरपंच है उनको पता नहीं कि बीमारी क्या है। डाक्टर का सर्टिफिकेट लिया पर उनको छुट्टी नहीं दी। पता तब चला जब दूसरे दिन अध्यापक का देहान्त हो गया। जब इस प्रकार की घटना घटती है तो कहीं पर एक कमेटी बिठाई जो कमेटी बैठी और कमेटी ने रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट की अवहेलना क्यों? भंडारी समिति ने रिपोर्ट पेश कर दी, और उनके अनुसार मामलों का निर्णय होना चाहिए। फिक्सेशन के आज कई वर्षों से कागजात अध्यापकों के पेंडिंग पड़े हुए हैं उनका आप निबटारा करें।

मैं समझता हूं कि एस. टी. सी ट्रेण्ड 10 हजार से कम टीचर्स नहीं हैं। ट्रेनिंग सेन्टर खुले हुए हैं। शिक्षा एम्प्लायमेंट ओरियेन्टेड एज्यूकेशन नहीं होने के कारण शिक्षा विभाग आज वह ट्रेनिंग सेन्टर्स बन्द कर रहा हैं। जो ट्रेण्ड हैं उनको सर्विस नहीं मिलती है। आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि शिक्षा विभाग उनको ले नहीं रहा है

विश्वविद्यालयों के अन्दर भी एक रूपता लाने के लिए डा. मोहनसिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई कालेजों में, उदयपुर में सेमिस्टर सिस्टम चलता है और यहां पर सेमिस्टर सिस्टम की मांग कर रहे हैं। मैं उसके मेरिट्स और रिमेरिट के अन्दर गया नहीं। आज उदयपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के अन्दर यह चल रहा है कि यह सिस्टम यहां पर लागू नहीं हो तो अच्छा हो। इसलिए मेरा कहना है कि आप एक वेल्युएशन करें, जांच करें लागू करने से पहले। घोषणा

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

करने से पहले आप इसका वेल्युएशन करें कि सेमिस्टर सिस्टम अच्छा होगा या बुरा होगा। उसके बाद में लागू करने के लिए कदम उठायेंगे तो मैं समझता हूं अच्छा होगा।

दूसरा संस्कृत विभाग की जो आपके शिक्षा विभाग में दुर्गति है उसके बारे में उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता। आज इसके पक्ष में यह कहा जाता है कि संस्कृत भाषा की अनिवार्यता घोषित कर दी है और संस्कृत भाषा अनिवार्य भाषा बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ डिविजन बनाने में उसके अंक जोड़े नहीं जाते हैं। जब वह अंक जोड़े नहीं जाते हैं तब तक विद्यार्थी ध्यान नहीं देता है और संस्कृत भाषा की रूपरेखा पर ध्यान नहीं देता है। 45 से पहले जब मैंने अध्ययन किया था उस समय अंग्रेजों के राज्य में संस्कृत शिक्षा का विद्यार्थी मिलता था लेकिन आज संस्कृत का विद्यार्थी मिलने वाला नहीं है क्योंकि आज इसके प्रति आपकी घोर उपेक्षावृति है। संस्कृत कालेज के प्राध्यापकों को दूसरे कालेजों के प्राध्यापकों के समान वेतन नहीं मिलता है और न कोई सुविधा मिलती है। एक आचार्य प्रथम खण्ड पास उदयपुर के संस्कृत कालेज में चपरासी है। इससे बढ़कर और दुर्गति क्या होगी ? यानि इस प्रकार से प्रगति क्या होगी टारगेट क्या होगा ?

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि संस्कृत साधारण स्कूलों में है और उनमें परीक्षा ली जायेगी।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : परीक्षा ली जायेगी। लेकिन डिवीजन में उन मार्क्स को जोड़ा जाना चाहिये। एक तो होने चाहिये।

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : वह तो होगा।

श्री **भानुकुमार शास्त्री** : मैं कहता हूं कि नहीं है। फर्स्ट और सेकिण्ड डिवीजन के लिये उसके अंक जोड़े नहीं जाते हैं। चाहे वह 89 या 99 नम्बर ले आये। मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि शिक्षा विभाग सही दिशा में बढ़ेगा तो शिक्षा की बहुत उपयोगिता होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

**श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा विभाग की मांगों के समय बोलते हुये हमारा ध्यान विश्वविद्यालय की ओर जाता है और विचार यह भी आता है कि विश्वविद्यालय अमेण्डमेन्ट बिल राज्य सरकार लाने को वचनबद्ध है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय प्रशासन के अन्तर्गत प्रतिनिधित्व देने के साथ अध्यापकों को भी विश्वविद्यालय प्रशासन में प्रतिनिधित्व देने का प्रोमिस किया है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस सत्र के अन्दर यह बिल आ सकेगा ? और यह अमेण्डमेन्ट बिल आ सकेगा यूनिवर्सिटी एक्ट के अन्तर्गत ? यह अमेण्डमेन्ट गजेन्द्र गडकर कमेटी के आधार पर या मोहनसिंह मेहता कमेटी के आधार पर किया जा सकता है। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गम्भीर आशंका है। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

ऐसा विचार नहीं किया गया है जिससे हम मानलें कि ओवरहाल बिल यूनिवर्सिटी का आने वाला है। यदि यूनिवर्सिटी की मूल बीमारी दूर नहीं की गई तो भयंकर परिणाम आने वाले हैं। इस बात का स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री महोदय करेंगे कि इसी सत्र में यह बिल आयेगा और स्टूडेण्टस और टीचर्स को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। वरना आने वाली जुलाई में स्टूडेण्टस फिर आन्दोलन करेंगे तो जिम्मेदारी किसकी होगी। यह बात अच्छी तरह से समझी जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी के अन्दर क्या गड़बड़ी है? वहां किस प्रकार से, जो जनता को पैसा दिया जा रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है? उसके बारे में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझता हूं। वैसे तो, उपाध्यक्ष महोदय, ओटोनोमस बाडी के नाम पर क्रिटीसाइज करने लगे तो यूनिवर्सिटी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जिनकी ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझता हूं। आज रजिस्ट्रार को बदलें तो कोई आदमी राजस्थान यूनिवर्सिटी में उसके लिए क्वालिफाइड नहीं माना गया है। जो वर्तमान आफिसियेटिंग रजिस्ट्रार हैं, उनको भी योग्य नहीं माना गया है। वह भी इण्टरव्यू मे बैठे हैं उनको सलेक्ट कर लिया जायेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी में यह आवश्यक हो जाता है कि रजिस्ट्रार को लाकर बैठाया जाये। दो दो साल तक रजिस्ट्रार के बिना चलाया जाये तो यह समझ में आने वाली बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर चार सज्जन ऐसे हैं, मैं उदयपुर विश्वविद्यालय की बात बाद में निवेदन करना चाहता हूं, वह चार सज्जन हैं, राजेन्द्र शर्मा, हिन्दी, मि. घोष, फिलासफी, पो. डी. वर्मा और हरगोविन्द पन्त हैं। ये चारों व्यक्ति राजस्थान कालेज के अन्दर सर्विस में थे। राजस्थान कालेज में हैड आफ डिपार्टमेन्ट थे। वहां एक विचित्र सिलसिला यह है कि जो सीनियर आदमी को पोस्ट पर काम करता है तो उसको अलाउन्स नहीं मिल सकता है। उनको आफिसियेटिंग पे मिली। बाद में उनके इण्टरव्यू लिए गये। उनको रिजेक्ट कर दिया गया। विश्वविद्यालय बनने के बाद 4 दफा उन्होंने प्रतिनिवेदन किया। चारों दफा रिजेक्ट कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, चिरंजीलाल अग्रवाल, सीनियर एडवोकेट से सलाह ली। उन्होंने कहा कि यह केस ही नहीं बनता है। 150 आदमियों की सीनियरिटी सुपरसीड करके चार आदमियों को ज्यादा तनख्वाह दिलाने की कोशिश की जा रही है। उनको 20 तारीख को कन्फर्म करने वाले हैं।

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : मेरे खयाल से फैकल्टीज स्थापित होने की वजह से होता होगा।

श्री **सुरेन्द्रप्रसाद व्यास** : फैकल्टी क्या ?

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : फैकल्टीज जो यूनिवर्सिटीज में स्थापित होती हैं।

**श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास** : मैं माननीय मन्त्री महोदय को जानकारी देना चाहूंगा कि वे राजस्थान विश्वविद्यालय के एक्ट का

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)
स्टडी करें तो उन्हें पता चलेगा कि खुदाई पावर सिंडीकेट में हैं।

**श्री नारायण सिंह मसूदा :** Senat is formed by the affiliating colleges

**श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास :** नहीं नहीं। वह सवाल नहीं है। आज वहां पर मोनोपोली है। माननीय मन्त्री महोदय देख रहे हैं कि चिरंजीलाल अग्रवाल की एडव इस आई है। उन्होंने कहा है कि यह कोई केस नहीं है। 150 आदमियों को सुपरसीड करके उनका तनख्वाह दिलाना चाहते हैं। 2 लाख रुपये वार्षिक का नुकसान कराना चाहते हैं। जोधपुर हाईकोर्ट मे रिट होने वाली है। माननीय मन्त्री महोदय को यह विचार करना चाहिए। 150 आदमी रिट करेंगे। हाइ कोर्ट में जायेंगे। यह कोई अच्छा वातावरण होने वाला नहीं है। वास्तव में कई इर्रेग्युलरिटी इस यूनिवर्सिटी में होती हैं। इस यूनिवर्सिटी में ग्रुपबाजी और धांधलेबाजी चलती है। एजूकेशन में दो दो ग्रुप बने हुये हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाये जाते हैं। उनके लिए माननीय मंत्री महोदय की जिम्मेदारी है। जब कोई बात आती है तो कह दिया जाता है कि आटोनोमस बाडी है। प्रो. के. सी. जोशी, कैमिस्ट्री के हैं, उन्होंने टीचिंग एक्सपीरियेंस 1 साल लिखा है। जब वह सलेक्ट हो गये तो बाद में उन्होंने एक लेटर लिखा है। वह लेटर मैं आप के सामने पढ़ता हूं।

'I was surprised to find that I had inadvertantly slipped in not distinguishing my period of appointment as Asstt. Professor on a starting salary of Rs. 575/—from that as Reader in the University of Gorakhpur. I record this even though the syncopation was unintended.

I have already explained vide my letter of 26-9-69 the circumstances under which this uufortunate slip might have occurred. During my meeting with you, you will kindly recall that I held an M. S. Degree from the University of Illinois USA.

और यूनिवर्सिटी के अन्दर रीडर का पोस्टिंग और प्रोफेसर का पोस्टिंग उसको मानते हुए आपने इन्फार्मेशन यूनिवर्सिटी को दी। उसके बाद आप कहते हैं कि स्लिप हो गया। क्या एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट किसी आदमी को इस प्रकार की स्लिप के आधार छोड़ने को तैयार होगा? आज जो हालत यूनिवर्सिटी के अन्दर है, उसमें इन करप्ट प्रेक्टिस को पकड़ नहीं सकते। आपने रिप्लाई में लिखा, काठमण्डू का एक्सपीरियेन्स बताया, टीचिंग एक्सपीरियेन्स। उसके बाद सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का 1965 का पोस्ट ग्रेजुएट्स को टीचिंग का एक्सपीरियेन्स बताया, इसका हवाला एप्लीकेशन में दिया। आप इसकी इन्क्वायरी करेंगे तो आपको ताज्जुब होगा, 1965 के अन्दर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज काठमण्डू में चलती नहीं थी. जब नहीं चलती थी तो इन सज्जन को कहां से अनु-

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

भव हो गया । यह ग्लेअरिंग एक्जाम्पल है, जिसके आधार पर आदमी पर केस चलाया जाकर उसको जेल में रखना चाहिए था, उसका कोर्ट में चालान होना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूं कि यह प्राइमरी चीज है, सैकिंडरी नहीं और इसलिए ही उदयपुर यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का केस हुआ, उसमें चार आदमियों के खिलाफ पुलिस केस बनाया गया और वह केस चल रहा है । लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया ।

उदयपुर विश्वविद्यालय में भी इस प्रकार की स्थिति है । उदयपुर विश्वविद्यालय में दुग्ध वितरण योजना है, यह विश्व विद्यालय उदयपुर में दूध उपलब्ध कराती है । एक पर्चा उदयपुर के नागरिकों में उदयपुर दुग्ध वितरण योजना वालों ने बांटा, उसमें वार्षिक लाभ के आंकड़े बताये हैं, 1968-69 में तीस हजार रुपये का प्राफिट बताया । यह प्राफिट बताया पूरी पब्लिक को, उसके बाद पी. एल. घोष ने उन डेटाज के आधार पर स्टडी की तो 1968-69 में 9,117 रुपये का नुकसान बताया । उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर चौतीस हजार रुपये का नुकसान, जो भुगतान नहीं किया गया, आगे के साल मे एडजस्ट कर दिया गया, उसको काट कर नहीं किया गया । तो, उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर के करीब 45 हजार रुपये का नुकसान इस दुग्ध वितरण योजना के अन्दर रहा, उसके बावजूद इस प्रकार का पर्चा बांट कर, शहर में बांट कर जनता को भ्रम में रखना चाहा । इस प्रकार की स्थिति उदयपुर विश्वविद्यालय में हो रही है (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच दस मिनट जरूर लूंगा, मुझे बहुत कुछ कहना है वह मैं संक्षेप मे कहने की कोशिश करूंगा ।

उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर और भी कई केस हैं । वहां निश्चित रूप से दो गुट बने हुए हैं विभागाध्यक्षों के, आपने नाग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी होगी । राजस्थान सरकार के पास में भी वह नाग कमेटी की रिपोर्ट आई होगी । इस कमेटी के ऊपर, मैं नहीं कहना चाहता, एक्शन नहीं हो रहा है । लेकिन इस प्रकार की स्थिति विश्वविद्यालय में…

**श्री नारायण सिंह मसूदा :** नाग कमेटी या खन्ना कमेटी ?

**श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास :** खन्ना कमेटी अलग है, नाग कमेटी अलग है । Nag Committee is involved in certain criminal cases. खन्ना कमेटी की रिपोर्ट है उसमें टीचर्स को फैसिलिटी देने की बात है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय की स्थिति को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि एक जांच बैठाई जाय, तमाम विश्वविद्यालय के वर्किंग की जांच के लिए । मैं इस तर्क से कभी सहमत होने को तैयार नहीं हूं कि आज तक जो विश्वविद्यालयों में हो गया वह हो गया, जो गड़बड़ी हो गई वह हो गई, जो पैसा जीम गये वह जीम गये और आगे के लिए एक्ट के अन्दर सुधार लाना चाहते हैं । मेरा

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास)

निवेदन है इस एक्ट को बदलना होगा. इस एक्ट के हर क्लाज को बदलना होगा और यूनिवर्सिटी को डेमोक्रेटाइज करना होगा। मेरा निवेदन है कि यूनिवर्सिटी को आप डेमोक्रेटाइज कीजिये ताकि इस सदन के अन्दर ऐसी बात कहने की आवश्यकता माननीय सदस्य महसूस न करें। यह तभी सम्भव होगा जब पूरे एक्ट को बदलेंगे और उसको डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो कुछ आज तक हुआ है, उसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूँ।

अभी आपने पढ़ा होगा, हरगोविन्द पंत यहां पर हैं, उनको सलेक्ट किया गया रीडरशिप के लिए। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हरगोविंद पंत को गलत सलेक्ट किया गया। वह कहते हैं, किताब पब्लिश की, उस किताब क चूंकि जैसा स्टार्ट में दिया हुआ है, उनके खिलाफ आरोप भी हैं उस आधार पर सलेक्शन गलत किया है और उनका सलेक्शन कई पी- एच. डी. को सुपरसीड करके किया गया है। उनका जवाब है कि इंडियन फारिन पालिसी पर किताब लिखी है, वह स्टेन्डर्ड वर्क है, और उसके आधार पर सलेक्ट किया गया है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिण्डीकेट में इस बात को लेकर वोटिंग हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन जज कर सकता है कि किसी हद तक उनका वर्क अच्छा है लेकिन सिण्डीकेट जैसी बाडी के अन्दर वोटिंग के आधार पर ऐसा फैसला होता है तो मेरे ख्याल से शिक्षण संस्थाओं के लिए क्या कहा जाय, किस आधार पर चयन होगा, किस आधार पर उन्नति होगी। यह अच्छी तरह से समझ सकते हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इन सब मामलों की जांच करने के लिए एक जांच समिति बैठाई जाय, माननीय सदस्यों की जांच समिति बैठाई जाय जो इन सब चीजों में जाय, जांच करे और यूनिवर्सिटीज के अन्दर जो कुछ दुरुपयोग जनता के धन का हुआ है उसको ठीक करें और क्रिमिनल ला का सहारा लें।

उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के मामले में इतना निवेदन करने के बाद में निवेदन करना चाहता हूँ कि आज कालेजेज के अन्दर जो लोग हैं और जो लोग रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के हैं उनमें बहुत बड़ा इम्बैलेन्स है। दोनों तरफ से शिकायत है। काफी हद तक दोनों तरफ की शिकायत वाजब है। यदि रैजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के लोग यह कहें कि हमारे एकेडेमिक वर्क के अन्दर यूनिवर्सिटी की एफीलियेटिंग नेचर होने के कारण डिस्टर्ब होता है, रिसर्च वर्क ठीक ढंग से नहीं हो पाता है तो मैं समझता हूँ, कुछ हद तक ठीक है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कालेजेज के लोगों का यह कहना सही है कि कई टेलेन्टेड लोग और केलीबर के लोग कालेज में रह जायेंगे, मैं कहना चाहता हूं कि कुछ आदमी सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोशन ले लें तो बात अलग है लेकिन वहां उस टेलेन्ट और केलीबर का उपयोग करने की फेसेलिटी कतई नहीं आप देना चाहते। यह हो सकता है कि बीस पच्चीस साल नौकरी करने के बाद प्रिन्सिपल अवश्य बन जाय लेकिन उनको आप रिसर्च की फेसेलिटी नहीं देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह बात सर-

(श्री सुरेंद्र प्रसाद व्यास)

कार को कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में आज कैलीबर के लोग नहीं हैं, टैलेन्टेड लोग नहीं हैं, वहां रोटन स्टाफ आकर बैठ गया है। इस लिए मैं सोचता हूं कि पूरी सुविधायें कालेजेज के अन्दर प्रदान करनी चाहिए। ऐसा कालेज अजमेर का हो सकता है, निश्चित रूप से अजमेर का होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी आप अजमेर में खोलें और राजस्थान यूनिवर्सिटी को रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बना दें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी खोलने के बाद तीन साल तक अजमेर के कालेज को आप टेक ओवर मत कीजिये, वहां पर और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चालू मत कीजिये, यह टेम्पटेशन मत दीजिये कि वहां पर यह नई डिमाण्ड पैदा हो कि इस को रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनाइये। उसको आप एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी बना कर रखिये क्योंकि, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा टेम्पटेशन है कि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनाइये। इससे कालेजेज के लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है।

एक हास्यास्पद स्थिति मुझे लगती है, कुछ रिसर्च स्कालर्स मुझसे मिले। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने आर. जे. एस. के लिए मैक्सीमम ऐज 35 रखी है, सीनियर टीचर्स के लिए 35, टैक्निकल हैण्ड्स के लिए कोई ऐज लिमिट नहीं है लेकिन हम लोगों को एप्लाई करने के लिए 30 वर्ष अधिकतम आयु की सीमा निर्धारित की है। सबसे हास्यास्पद स्थिति है कि 28 वर्ष में रोजगार ढूंढने चले, 3 साल तक आप नहीं दे सके और 31 वर्ष हो जाए तो उसके बाद आप कहें कि ऐज लिमिट क्रास कर दी यह उसका कसूर है? इस बेरोजगारी के जमाने में खास तौर से एक आदमी जो एम.ए. करने के बाद पी-एच. डी. महज इसलिए करना चाहता है, ज्यादातर लोग पी-एच.डी इसलिए करते हैं कि किसी तरीके से ठीक ढंग से नौकरी मिल जाए और नौकरी के लिए आप ऐज लिमिट 30 रखना चाहते हैं, तो यह कहां तक न्याय होगा और उनकी बेरोजगारी दूर करने में आप कहां तक सहायक सिद्ध हो सकेंगे?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कितनी होनी चाहिए।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : 35।

श्री यशवंतसिंह नाहर : 8 वर्ष के बाद भी नौकरी न मिले तो क्या होगा?

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : फिर 40 कर दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (श्री नारायण सिंह मसूदा से) आप मायूस हैं इस राज्य की योजना से?

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : शिक्षा विभाग में जो क्लेरीकल स्टाफ है वह संख्या में कम है और उनकी कोई मजदूरों के तरीके की यूनियन नहीं है जिससे वह अपनी मांग के लिए आन्दोलन कर सकें तो उसका नतीजा यह हुआ कि आज 1950 के बाद कोई सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी बेशक शिक्षा विभाग मुख्यत: शिक्षकों का विभाग है लेकिन जो उसमें काम करते हैं चाहे चपरासी, चाहे क्लर्क, उनके बारे में राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया और इस कारण

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)
से संख्या में कम होने के कारण मजदूर यूनियन नहीं खड़ी कर सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो चार मिनिट बोल कर समाप्त करता हूं।

अपनी मांगों को मंगवाने के लिए कोई आन्दोलन आर्गेनाइज नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि यह भी एक सही दृष्टिकोण नहीं हो सकता।

शिक्षा विभाग में कुछ हमें तरीके बदलने होंगे, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है और इसमें बहुत मतभेद भी रहा है क्योंकि निश्चित रूप से बेरोजगारी के अन्दर कुछ हद तक हमारी मनोवृत्ति भी जिम्मेदार है क्योंकि हर एक आदमी नौकरी की तलाश करता है और आज जो हाथ से काम करता है वह नौकरी भी तलाश करता है। इस मनोवृत्ति को पैदा करने वाली हमारी जो शिक्षा पद्धति है वह जिम्मेदार है या नहीं, यह विचारणीय विषय है। मेरा खुद का मत है कि आपका यह शिक्षा विभाग इस तरह का नहीं कि लोगों को सक्षम बना सके। इसलिए आपको निर्णय लेना होगा कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं।

क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए केवल एक दो बातें और कहना चाहूंगा। पब्लिक ग्रीवेन्सेस का विभाग जो मुख्य मंत्री ने चलाया है, वह सफलतापूर्वक काम कर रहा है, ऐसा माना जा सकता है पर इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, आज तक वर्णन नहीं किया गया। टी. ए. बिल्स भी एरीयर्स के लिए मंजूर नहीं होते हैं उनकी शिकायत आती है तो नहीं लेते और उन्होंने खुद ने एक रवैया बना रखा है कुछ केसेज को टेक-अप करते हैं कुछ को नहीं। मैं मुख्य मंत्री से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि किस आधार पर यह विभाग काम करेगा और इसका जुरिस्डिक्शन क्या होगा ? जब पब्लिक ग्रीवेन्सेज को सुनना है तो ऐसे कौनसे कारण हैं कि लोगों के तीन तीन साल तक टी. ए. बिल पड़े हैं ?

आज जो भूतपूर्व नरेशों के डिपेंडेन्ट्स और नौकर हैं उन की मेनटेनेंस के लिए जो भत्ता राज्य सरकार द्वारा मंजूर किया जाता है, यह भी तुरन्त समाप्त करें क्योंकि जब भूतपूर्व नरेशों को मान्यता वापस ले ली और जब आप उनको नरेश मानते नहीं और उनका भत्ता बन्द कर दिया तो कोई कारण नहीं और यह बात समझ में आने वाली नहीं कि उनके डिपेंडेंट्स को और उनके नौकरों को मेन्टेनेन्स के लिए जारी रखा जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्रीमती निर्मला कुमारी।

**श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत** (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की मांग पर शिक्षा के अन्तर्गत जो कमियां हैं उन पर मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। उस ओर मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं तथा उसके साथ ही साथ कुछ सुझाव भी पेश करूंगी। शिक्षा का अभिप्राय है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास अर्थात् व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों का सुसंगठित ढंग से विकास किया जाना चाहिए। इसी

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

दृष्टिकोण से शिक्षा आज हमारी मौलिक आवश्यकता है। शिक्षा वह प्रकाश है जिसके माध्यम से हम अपना विकास कार्य सुचारु ढंग से कर सकते हैं परन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा प्रणाली शुरू से लेकर अन्त तक कई दोषों से भरी पड़ी है।

इसमें जो मुख्य दोष हैं उनकी ओर मैं प्रकाश डालूंगी। सबसे पहली कमी जो शिक्षा के क्षेत्र में हमें दिखाई देती है वह है प्रीस्कूल एजूकेशन का अभाव। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का अभाव। शिक्षा देने के पहले बच्चे को शिक्षा के वातावरण से परिचित कराना अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु राज्य सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। वहां प्री प्राइमरी एजूकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। शहरों में कहीं कहीं पर है परन्तु वह सारे का सारा कार्य निजी व्यक्तियों के हाथ में है। परिणाम यह होता है कि बच्चे को एक व्यवस्थित ढंग से टेक्स्ट बुक्स द्वारा या अन्य तरीके से शिक्षा के वातावरण से परिचित कराना है वह नहीं होता····

**श्री नारायण सिंह मसूदा :** पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कुछ स्थानों पर की गई है।

**श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत :** राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये हैं इसलिए मैंने निवेदन किया कि जो व्यक्ति पैसे वाले हैं वे लोग अपने बच्चों को मान्टेसरी और किंडरगार्टिन स्कूलों में भेजते हैं परन्तु गरीब अभिभावकों को आप देखिए, वे अपने बच्चों को इस प्रकार की एजूकेशन नहीं दे पाते और जैसा मंत्री महोदय ने अभी फर्माया, इस प्रकार की व्यवस्था कुछ स्थानों पर की गई है, परन्तु यह व्यवस्था सामान्य नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि व्यवस्था सामान्य होनी चाहिये ताकि एक बच्चा शिक्षा के वातावरण से परिचय प्राप्त कर सके और इस प्रकार हमारे होनहार बच्चों का इस वातावरण से प्रभावित न होकर मार्ग धूमिल न हो सके।

दूसरा दोष है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर कई प्रकार के दोष हमारी शिक्षा प्रणाली में दिखाई देते हैं। उसमें सबसे बड़ा दोष है दोषपूर्ण शिक्षा नीति, हमारे संविधान की 45 वीं धारा में यह बात पहले ही बताई गई थी कि 10 वर्ष के अन्दर बुनियादी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे। लेकिन इसके बाव जूद भी हम सभी जगह पर हमारे देश में बेसिक एजूकेशन लागू नहीं कर पाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बेसिक एजूकेशन की रूप-रेखा महात्मा गांधी के दिमाग में थी, वह चाहते थे कि बच्चों को बेसिक एजूकेशन दी जाय। आज हमारे यहां जो खर्चा होता है वह अलग-अलग मदों में खर्च होता है तो इसके बारे में मेरा निवेदन है कि हमारे यहां सामान्य रूप से सभी जगह बेसिक एजूकेशन लागू की जानी चाहिये। दूसरी कमी जो है वह यह है कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं वे पंचायत समितियों को सौंपे गये हैं। यह कार्य पंचायत समितियों के पास चले जाने से इसकी प्रगति रुक गई

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

है। वैसे तो यह काम जन प्रतिनिधियों के हाथ में दिया गया है। पर आज दिन तक की हालत देखें तो पता चलता है कि इससे प्रगति होनी थी उसके बदले अवनति हो गई है। कारण कि अशिक्षित पंच और सरपंच शिक्षा जैसे गूढ़ विषय को समझ नहीं पाता। उनका सारा समय सरपंच या पंच की खुशामद में निकल जाता है। वहां जो स्टाफ पढ़ाता है उसमें योग्य शिक्षकों का अभाव है। पहले तो उसमें ट्रेन्ड टीचर्स नहीं हैं दूसरे वहां पर जो टीचर्स काम करते हैं वे सरपंच, पंच और प्रधानों की हाजरी भरते रहते हैं। इस प्रकार वह बच्चों को शिक्षा देने में कम समय देते हैं। इसके अलावा कई बार पंचायत समिति में पंच, सरपंच वगैरह अध्यापकों का ट्रान्सफर्स कराते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसलिये वह शिक्षक बजाय पढ़ाने के पंच, सरपंच को राजी रखता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि उन स्कूलों को अपने हाथ में ले लें। पंचायत समितियों के पास यह प्राथमिक शालायें नहीं रहनी चाहिये। क्योंकि अगर बच्चे को प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षा का अभाव हो जाय तो आगे जाकर बच्चा क्या पढ़ेगा। इसके अलावा जो अध्यापक हों वह सभी ट्रेन्ड होने चाहिये। सामान्यतः आपकी पंचायत समितियों में जो टीचर्स हैं वे ट्रेन्ड नहीं मिलेंगे। क्योंकि जिन लोगों का सलेक्शन होता है वे ट्रेंड तो होते नहीं हैं उसके अलावा पंच, सरपंचों के ही व्यक्ति होते हैं। मैं आपको चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समितियों का उदाहरण दूं आपको उनमें ट्रेन्ड टीचर्स हैं ही नहीं। इसलिये जो ट्रेन्ड नहीं हैं टीचर्स व बच्चे को किस प्रकार पढ़ावेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा का मतलब है सर्वाङ्गीण विकास। आज आपके ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिये न पुस्तकालय हैं, न प्ले ग्राउन्ड हैं खेलने के लिये। बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ इन चीजों का भी होना आवश्यक है।

इसके अलावा एक बात और है वह यह है कि आज धन के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति के नीचे जो स्कूल हैं वे कई जगह प्राइवेट मकानों में मस्जिदों और मन्दिरों में चलायी जाती हैं। आज उनके बैठने के लिये व्यवस्था नहीं तो जो हमने शिक्षा देकर बच्चे का सर्वाङ्गीण विकास की सोची वह नहीं हो पा रही है। सर्वाङ्गीण विकास में शिक्षा के साथ बच्चे को दूसरी फैसेलिटीज भी मिलनी चाहिये जिससे उसका बहुमुखी विकास हो।

इसके अलावा जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी वह है, शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। आज पाठ्यक्रम पूर्णतया दोषपूर्ण है। उसमें इतने अधिक विषय रख दिये गये हैं कि वह बच्चा उन विषयों की किताबों का भार भी नहीं उठा सकता। जो बच्चा किताबों का शारीरिक भार नहीं उठा सकता वह मानसिक भार उन पुस्तकों का कैसे उठायेगा? इसलिये बच्चे का विकास तो होता नहीं, बल्कि इसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि पाठ्यक्रम में विषय कम रखे जायं ताकि बच्चा पढ़ सके।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

इसके अलावा एक बात मैं और आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान जिन एडेड स्कूल्स में दिया जाता है उनकी हालत बहुत खराब है। पहले तो उन स्कूलों में ट्रेन्ड टीचर्स नहीं होते हैं। तीसरे वे स्कूल कई तो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जिनमें अध्यापकों को 30-40-50 रुपये माहवार तक दिया जाता है और गलत हिसाब रखा जाता है जिससे शिक्षित बेरोजगार का शोषण होता है। शारीरिक श्रमिक को क्रेश प्रोग्राम में 3.25 रु. देते पर बेचारा शिक्षक इन प्राइवेट स्कूलों में केवल 1 या 1.50 रु. ही प्राप्त करता है, इसके अलावा दूसरे राज्य सरकार द्वारा करीब दो करोड़ रुपया माध्यमिक स्तर तक के एडेड विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है उनमें भी इसी प्रकार की व्यवस्था मिलेगी। आज माध्यमिक स्कूल तो बढ़ गये हैं पर वहां पर बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उससे वह बच्चे उद्देश्यविहीन ही होते हैं। आज जो बच्चे प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर जब माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिये जाते हैं तो उनके पास कोई उद्देश्य नहीं होता। इसलिये अगर यहां पर ट्रेन्ड टीचर्स होंगे तो वे देखेंगे कि यह बच्चा किस प्रकार की पढ़ाई में ज्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद में उसे तैयार किया जायेगा। दूसरे इसके लिये मेरा तो सुझाव है, शिक्षकों की एक कौन्सिल बनाई जानी चाहिये जो इसमें गाइडेन्स करे, अमुक बच्चे का किस तरफ ज्यादा झुकाव है फिर उसे वही विषय दिलाया जावे ताकि बच्चे का विकास हो सके।

दूसरी बात जो आज पाठ्यक्रम है वह वही पुराने ढर्रे का है। आज से 40 वर्ष पहले यह कहा जाता था कि शिक्षा की प्रणाली दोषपूर्ण है। वह आज भी कहा जाता है कि शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, पर आज तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और न करना चाहते हैं। वही पुराना तरीका, जो मैकाले ने चलाया था चल रहा है और उस पाठ्यक्रम से पढ़ाई करने वाला बच्चा आगे जाकर सिवाय बाबू के कुछ नहीं बन सकता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि पढ़ लिख कर नौजवान उद्देश्यहीन नहीं बने, बाबू नहीं बने। उसके लिये ऐसे विषय उसमें रखे जायं जैसे कृषि, उद्योग और व्यवसाय जिससे कि बच्चा पढ़ लिख कर निकले तो उद्देश्यहीन नहीं निकले। अगर कृषि, उद्योग व्यवसाय जैसे विषयों की शिक्षा प्राप्त करेगा तो वह पढ़ाई खतम करने के बाद में अपने काम के लग जायेगा। एक प्रकार की स्थिरता उसके मस्तिष्क में अपने काम के बारे में होगी और इससे बेकारी भी नहीं बढ़ेगी।

इसके अलावा जो कमी आज हमारे विद्यार्थियों में है वह है अनुशासन की। आज की शिक्षा से लोगों में ज्यादातर अनुशासनहीनता ही पाई गई है। इसके लिये कौन जिम्मेवार है? हमारी शिक्षा प्रणाली में ही दोष हैं। इसके कई कारण हैं, पहला कारण तो यह है कि अध्यापक अपने अध्यापन कार्य में रुचि नहीं लेते। अध्यापक का वेतन स्तर बहुत ही कम है, अध्यापक अपने गृहस्थ की चिन्ताओं में ही लगा रहता है। दूसरे आज स्टूडेन्ट्स की संख्या ज्यादा हो गई है और आपस में एक दूसरे से फेस टू फेस रिलेशन ही कायम नहीं होते हैं। इसके अलावा जो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्र

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

कर आज स्टूडेन्ट्स निकलते हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलती है क्योंकि पाठ्यक्रम दोष पूर्ण है इसलिये भी अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब माध्यमिक स्तर में परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, पूरे साल वर्ष भर पढ़ता है और उसके बाद में जो परीक्षा होती है उस 3 घन्टे की परीक्षा से ही बच्चे के भविष्य का फैसला कर देते हैं। मैं इसे दोषपूर्ण मानती हूं इसलिये मेरा सुझाव है कि स्कूल, कालेज व यूनिवर्सिटीज में इन्टरनल असेसमेंट के नम्बर वार्षिक परीक्षा में जोड़ कर रिजल्ट सुनाया जाय जिससे कि बच्चे में पढ़ाई की लगन रहे और बच्चे में अनुशासन की भावना जागृत हो। आज हमारी उच्च शिक्षा को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला गवर्नमेंट कालेज में दी जाने वाली शिक्षा, दूसरी यूनिवर्सिटी में दी जाने वाली शिक्षा। यह दोनों ही शिक्षायें दोषपूर्ण हैं। और इन दोनों के दोषों पर मैं प्रकाश डालूंगी। गवर्नमेन्ट कालेज हैं वे वास्तव में ऐसी संस्थायें हैं जहां शिक्षित बेरोजगार, जिस प्रकार एक टकसाल में सिक्के ढाले जा रहे हैं। उसका परिणाम यह होता है कि बेरोजगारों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कारण यह है कि शिक्षा में प्लानिंग नहीं है। जसा मैंने पहले भी कहा था, पश्चिमी देशों में जो प्रगतिशील राष्ट्र हैं वहां पर कुछ ऐसे डिपार्टमेन्ट होते हैं, जिनमें ये स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे किये जाते हैं कि किस विभाग में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, उनमें से कितने डाक्टर्स, कितने इन्जीनियर्स, कितने प्रोफेसर्स, लेक्चरार्स आदि की आवश्यकता है। सारे के सारे स्टेटिस्टिक्स वहां अवेलेबल होते हैं। हमारे राज्य में स्टेटिस्टिक्स नहीं हैं। परिणाम यह होता है कि अन्धाधुन्ध विद्यार्थी एडमिशन ले लेते हैं। इस प्रकार के कार्यालय हर राज्य में कायम होने चाहिये कि जहां पर स्टेटिस्टिक्स रखे जायें और उसके अनुसार उतने विद्यार्थी निकाले जायें कि जितनों की आवश्यकता है।

दूसरा दोष यह है कि ऐसे विषय भी कालेज में पढ़ाये जाते हैं जिनमें पास होना जरूरी नहीं है। राजस्थान विश्वविद्यालय में तीन चार विषय ऐसे पढ़ाये जाते हैं जिनको चार अटेम्प्ट में विद्यार्थी पास कर सकते हैं। डिवीजन में उनके नम्बर जुड़ते नहीं। हिन्दी, इंगलिश, एम. आई. सी. सी., जनरल एजूकेशन इससे होता क्या है कि विद्यार्थी पूर्णतया उनके प्रति बेपरवाह रहते हैं। उस ओर ध्यान नहीं देते। नम्बर उनकी परीक्षाओं में जुड़ते नहीं। इस प्रकार के विषय पढ़ाने से क्या फायदा जिनसे विद्यार्थी में बेपरवाही पैदा हो। फिर उन्हीं में उनकी बेपरवाही नहीं होती है, ओप्शनल सब्जेक्ट्स में भी उनकी बेपरवाही हो जाती है और उस कारण उनकी बेपरवाही का एटीट्यूड डवलप हो जाता है जो जीवन पर्यन्त उनको घेरे रहता है। इसलिये इस प्रकार के विषय हटा देने चाहिये जिनको न तो डिविजन में नम्बर जुड़ें और जिनमें एक साल में पास होना जरूरी है।

तीसरी कमी जो कालेज एजुकेशन में दिखायी देती है वह है हिन्दी की पूर्ण

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

उपेक्षा । मातृभाषा पढ़ाना बहुत आवश्यक है । हिन्दी में पास होना भी जरूरी नहीं माना है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि चार विषय हैं, उनमें हिन्दी भी एक है । इससे विद्यार्थी लैंग्वेज नहीं जान पाता है, लैंग्वेज का ज्ञान नहीं होता है। उससे वह आगे नहीं बढ़ पाता है । स्टूडेण्ट्स का आज इसी कारण से स्तर गिरता जा रहा है और आज उनमें अनरेस्ट हमें दिखाई देता है ।

पाठ्य पुस्तकें गलत चयन कर ली जाती हैं । उन व्यक्तियों की पाठ्य पुस्तकें चयन करली जाती हैं जो कमेटी के सदस्यों के जान पहिचान के हैं । पहले मैं स्वयं इस क्षेत्र में थी । मैंने पाया कि अच्छी पुस्तकें अवेलेबल हैं लेकिन उन्हीं व्यक्तियों की पुस्तकें पाठ्यक्रम में रखी जावेंगी जो कि जान पहिचान के हैं । इससे आगे आने वाली पीढ़ी को क्या मार्गदर्शन देना है हम नहीं बता पाते हैं और इस कारण गलत मार्ग-दर्शन होता है । इससे रिवोल्यूशनरी एटीट्यूड विद्यार्थियों में डवलप हो गया है ।

मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूं । शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने के लिये प्रिन्सिपल्स कान्फ्रेन्स करते हैं । उनमें जो निर्णय लिये जाते हैं उनको लागू क्यों नहीं किया जाता ? सन् 67 में प्रिन्सि-पल्स कान्फ्रेन्स हुई, निर्णय लिया गया था कि किसी कालेज में सिंगल पर्सन डिपार्टमेंट नहीं होगा । इस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया गया । एक टीचर को बहुत सारे पीरियड 24, 30 पीरियड, पढ़ाने पड़ते हैं प्रत्येक व्यक्ति हर पेपर का मास्टर ऑफ आल नहीं हो सकता । मैं जिस कालेज में थी अपने विषय को अकेली पढ़ाती थी । पांच पेपर्स मुझे दिन में लेने पड़ते थे । एक व्यक्ति इतने पेपरों की तैयारी नहीं कर पाता है । जिस ढंग से सरस्वती की आराधना करनी चाहिये नहीं कर पाते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनिट में समाप्त करना चाहती हूं । मैं क्षमा चाहती हूं कि थोड़ा सा समय ज्यादा ले रही हूं ।

सिंगल मेन डिपार्टमेंट खत्म कर देने चाहिये इससे सही मार्गदर्शन नहीं होता है ।

यूनिवर्सिटी शिक्षा पर बताना चाहती हूं । एक अच्छे उद्देश्य से यह चालू की थी कि अच्छे एकेडेमिशियन निकलेंगे, अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे, करोड़ों रुपया व्यय करते जा रहे हैं यूनिवर्सिटी पर इसी आशा से कि स्टेण्डर्ड बढ़ेगा । पहले के स्तर और अभी के स्तर की तुलना कीजिये । परीक्षा परिणाम गिरते जा रहे हैं, विद्यार्थियों में अनुशासन हीनता बढ़ रही है । परीक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं । उदयपुर में एम. बी. कालेज यूनिवर्सिटी बनने से पहले एक अच्छा कालेज था । व्यवस्था अच्छी चल रही थी । शंकर सहायजी सक्सेना जैसे प्रिन्सिपल थे । न तो परीक्षाओं का बहिष्कार होता था और न ही इस प्रकार की अनुशासनहीनता ही थी । किसी प्रकार की बहिष्कार की प्रवृति नहीं थी । दो तीन दिन पहले ही यहां पर बहस हुई थी जयपुर विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का बहिष्कार हुआ था । यूनिवर्सिटी में पुलिस आयी ।

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

जोधपुर यूनिवर्सिटी का भी यही हाल है। वी. वी. जान जैसे व्यक्ति नियन्त्रण नहीं कर पाये। राजस्थान यूनिवर्सिटी को भी देखिये। यहां भी वही अव्यवस्था है।

आखिर यह क्यों है ? हम व्यय करते हैं फिर भी हमारा एकेडेमिक स्टेन्डर्ड नहीं सुधर पाता है। गवर्नमेंट कालेजेज का स्टेन्डर्ड उतना नहीं गिरा है जितना यूनिवर्सिटी का गिर रहा है। एक यूनिवर्सिटी के खर्चे में 20 कालेज चलाये जा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट में समाप्त कर दूंगी।

यहां के अध्यापक अध्ययन अध्यापन करवाने के बजाय व्यक्तिगत स्वार्थ में लगे हुए हैं। स्वयं अपने धन्धे मे लगे हुए हैं। हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट की चम्पी करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। वह विद्यार्थियों को वह शिक्षा नहीं दे पाते हैं जो उनको देनी चाहिये। नियुक्तियों में धांधली दिखाई देती है। अच्छे व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जाती। एक माननीय सदस्य ने बताया मैं भी जानती हूं के. सी. जोशी हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय में नियुक्त किये गये हैं उनसे अच्छे व्यक्ति उपलब्ध थे लेकिन उनको नियुक्ति नहीं दी गयी। बहुत कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण क्षेत्रवाद है। जो व्यक्ति नियुक्ति देने वाला है, क्षेत्रीय भावना से बैठा हुआ है, क्षेत्रवाद की भावना बढ़ी हुई है। गोरखपुर से व्यक्ति आता है उनको प्राथमिकता दे दी जाती है और राजस्थान के लोगों की उपेक्षा की जाती है इससे अध्यापकों में निराशा है। फ्रस्ट्रेटेड, निराश किस प्रकार सरस्वती की आराधना कर सकता है और कान्ट्रिब्यूशन दे सकता है। दूसरे एडमिशन्स में धांधली की जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं केवल आधा मिनट में समाप्त कर दूंगी।

एडमिशन्स में भी धांधलियां की जाती हैं और उन विद्यार्थियों को एडमिशन दे दिया जाता है जिनकी पर्सेन्टेज कम है और जिनकी पर्सेन्टेज ज्यादा है उनकी उपेक्षा की जाती है। रिसर्च स्कालर्स के बारे में भी यही बात देखने को मिलती है। बिलकुल संक्षेप में अर्ज कर रही हूं। इसके साथ ही सभी अध्यापक एम. ए. क्लासेस लेना चाहते हैं और उन में लगे रहते हैं और अधिकतर फर्स्ट ईयर और सेकिण्ड ईयर की उपेक्षा की जाती है, उनकी कक्षायें छोड़ दी जाती हैं क्योंकि एम. ए. कक्षाओं का टीचिंग एक्सपीरियेन्स गेन करना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विद्यार्थियों में असन्तोष होता है और एक प्रकार की अनरेस्ट स्थिति पैदा होती है। इसके लिए मेरा महत्वपूर्ण सुझाव यही है कि जो हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट हैं वही नीचे की क्लासेस लें। फर्स्ट ईयर और सेकिण्ड ईयर की क्लासेस हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट लें। इस प्रकार का आदेश दिया जाना चाहिए। हम इतना अधिक व्यय यूनीवर्सिटीज के ऊपर कर रहे हैं और इस व्यय के ऊपर आटोनोमी होने की वजह से कोई कन्ट्रोल नहीं है लेकिन मेरा सुझाव है कि जहां हम इतनी धनराशि दे रहे हैं तो उस व्यय के ऊपर राज्य सरकार का नियंत्रण अवश्य

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

होना चाहिए वरना जिसके ऊपर हम आशा लगाये बैठे हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसे यूनीवर्सिटी शिक्षा देगी और अच्छा एकेडेमिक स्टेन्डर्ड निकलेगा वहां विद्यार्थियों में फ्रस्ट्रेशन है, अध्यापकों में फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए मेरा सुझाव है कि यूनिवर्सिटी ओटोनोमस हों, ठीक है, लेकिन साथ ही ये विद्यार्थियों का मामला है इसलिए मैं समझती हूं कि राज्य सरकार का हस्तक्षेप अवश्य होना चाहिए। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष:** रामानन्द अग्रवाल।

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):** उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा के संबंध की जो गतिविधियां हैं यह एक वास्तविकता है कि आज चाहे हम विश्वविद्यालयों के स्तर पर देखें, चाहे कालेजों के स्तर पर देखें और चाहे हायर सेकेन्डरी या प्राथमिक शालाओं के स्तर पर देखें, न आज विद्यार्थियों में संतोष है वर्तमान स्थिति से और न ही शिक्षकों में सन्तोष है वर्तमान स्थिति से।

(श्रीमती मदन कौर, सभानेत्री, पदासीन)

(3.03 म.प.)

दोषारोपण एक दूसरे पर हो रहे हैं। हमारे चार कमीशन भी बैठे हैं इस संबंध में विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लेकिन ऐसा लगता है कि हम एक अंधेरे में घूम रहे हैं जिसमें कि यह मालूम नहीं होता कि वास्तविक दिशा क्या है जिधर हमें जाना चाहिए। यह किसी भी राष्ट्र के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है। मेरी यह मान्यता है कि बात यह नहीं है कि जो हमारे देश के अच्छे स्कालर्स हैं, शिक्षाविद् हैं वे दिशा संकेत नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं दिक्कत यह है कि फर्म डिटरमिनेशन, फर्म तरीके से निर्णय लेकर और उसको लागू करने की स्थिति में कमजोरी है, कन्फ्यूजन है कि रास्ता कौन सा अपनायें। बात सोशियलिज्म की, समाजवाद की करें और उसके अनुरूप हम अपने सब विभागों को ढालें नहीं तो लाजिमी तौर से उसमें जो कन्ट्रेडिक्शन पैदा होता है वह आज हमारा हो रहा है।

शिक्षा प्रणाली हमारी क्या होनी चाहिए? शिक्षा प्रणाली हमारी वह होनी चाहिए जो देश के राजनैतिक लक्ष्य हैं और जिधर हम जनता को ले जाना चाहते हैं उसकी पूर्ति करने के लिए हम अपने नागरिकों को तैयार करें, उस प्रकार की शिक्षा प्रणाली हमारी होनी चाहिए। और हम अपने देश में सोशियलिज्म को, सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेसी को प्रस्थापित कर चुके हैं और समझता हूं कि कुछ माइनर ओपीनियन के अलावा यह सिद्धान्त सर्वमान्य हमारे देश में हो चुका है तो हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे इन उद्देश्यों की पूर्ति होने की दिशा में होनी चाहिए और इसलिए कहीं इन सिद्धान्तों से भटक कर जब हम दूसरी दिशाओं से, कभी पाश्चात्यपूर्ण देशों से जिनमें कि सोशियलिज्म को मानने का सवाल नहीं जो सोशियलिज्म को रात और दिन गालियां देते हैं, उन देशों से उनकी शिक्षा प्रणाली से यदि हम कुछ गाइडेन्स लेकर अपने देश की शिक्षा की प्रणाली को

# Page No. 121



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पुनर्गठित करना चाहें तो मैं समझता हूं कि यह एक विभिन्न और विरोधी दिशाओं के अन्दर चलना होगा। मैं समझता हूं कि आज हमारे देश में जो भयंकर गड़बड़ियां हैं उसका एक मुख्य कारण यह है कि हम विभिन्न दिशाओं में सोच रहे हैं, विभिन्न दिशाओं में एक्शन कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आज मैं उन सारी बातों को दोहराना नहीं चाहता जो दूसरे माननीय सदस्यों ने यूनिवर्सिटी के स्टेज की बहुत सी बातों को कहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ही गवर्नमेंट जिस बात के लिए कमिट कर चुकी है कि यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन करके इस सदन में प्रस्तुत करेगी। कई बार चर्चा इस सदन में हुई है इस नयी विधान सभा से पहले पुरानी विधान सभाओं में भी कि हमारे तीन विश्वविद्यालय के एक्ट हैं जो आज के जमाने से मेल नहीं खाते, उनमें बुनियादी परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिसमें टीचर्स और स्टूडेन्ट्स को रिप्रेजेंटेशन करना और डेमोक्रेटाइजेशन आफ एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन को करना आवश्यक है। उस आधार पर हम अपने एक्ट्स बनायें। गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी मुकर्रर की थी। उसकी तरफ से इस प्रकार के बिल आने वाले थे, वह क्यों रुक रहे हैं? मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी उत्तर दें तो इसको भी बतायें। इसको ज्यादा दिन ढिले नहीं किया जा सकता। अच्छा हो कि गवर्नमेन्ट किसी स्टेज पर पेश कर दे और जो अगला अधिवेशन हो उसमें विचार किया जा सके। जो भी घटनायें जोधपुर में हुई हों, जयपुर में हुई हों और चाहे उदयपुर में हुई हों, आये दिन इस प्रकार के तनाव टीचर्स और स्टूडेन्टस के बीच में हों और जो फिर शिक्षा की व्यवस्था है उनके बीच में रोजमर्रा हो रहे हैं उनका निदान गम्भीरता से इस दिशा में निकल सकता है।

एक बड़ी बात जिसके ऊपर हमें विचार करने की आवश्यकता है वह है कि आज जो उपद्रव होते हैं जिनमें आम तौर पर विद्यार्थियों को दोषी बनाने का, विद्यार्थियों पर आरोप मंढने की एक धारा बन गयी है। मैं समझता हूं कि इस बारे में भी गम्भीरता से राज्य सरकार को, शिक्षाविदों को भी और शिक्षकों को भी सोचने की आवश्यकता है। आज विद्यार्थी इस शिक्षा प्रणाली को मान नहीं रहे हैं, आज विद्यार्थी इस सरकार का संचालन नहीं कर रहे हैं, विद्यार्थी इन नीतियों को लागू नहीं कर रहे हैं–क्या यह वास्तविकता नहीं है कि हम देश के सभी लोगों को शिक्षित बनाना चाहते हैं? यह भी वास्तविकता है कि आज गांव गांव में शिक्षा की इच्छा है लोग मांग लेकर आते हैं कि हमारे गांवों में स्कूल खुलें। आज यह भी वास्तविकता है कि आज हमारे ट्रेंड टीचर्स बेकार बैठे हैं। चाहे वह मैट्रिक पास होने के बाद एस. टी. सी. पास हों, चाहे बी. एड. एण्ड एम. ए., एम. एड. हों, सब के सब हर स्तर पर टीचर्स बेकार हैं। जो शिक्षा लेना चाहते हैं वे शिक्षा से वंचित हैं। एक तरफ हमारे टीचर्स विद्यार्थियों को शिक्षा देना चाहते हैं दूसरी तरफ विद्यार्थी टीचर्स चाहते हैं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लेकिन हम उनको मिला नहीं सकते। क्या यह विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी हमारे राज्य प्रशासन की है, हमारी नीतियों की है। हम इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार का प्रशासनिक ढांचा नहीं दे पा रहे हैं कि जिन को जिनकी आवश्यकता है, उन का ठीक तरह से मेल नहीं मिला पाते। इससे ही दुरुपयोग होता है उस शक्ति का, ट्रेंड टीचर्स की शक्ति का, जो फालतू पड़ी हुई है और जो हम देश में स्थिति बनाना चाहते हैं, वह स्थिति भी पूरी बन नहीं पाती। यह जो बीच में वेक्यूम है, नीड्स और हमारे पास जो साधन हैं उसमें इसका कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूं कि जो गवर्नमेंट सोशलिज्म की तरफ जाना चाहती है, सोशलिज्म जिस देश में भी आया है उसके अन्दर इस प्रकार की मजबूरियों पर सोशलिज्म ने काबू पाया है। सोशलिस्ट देश में इस प्रकार से प्लानिंग किया है कि उसके अन्दर एक आदमी भी बेरोजगार नहीं, हर आदमी का उपयोग है, हर आदमी की शक्ति का उपयोगिता के अनुसार सारे राष्ट्र के लिए उपयोग होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बढ़ती हुई जबर्दस्त बेरोजगारी जो है हमारे देश में हर स्तर पर वह एक भयंकर आक्रोश का कारण, रोश का कारण, असंतोष का कारण बनी हुई है चाहे वह विद्यार्थियों में हो, चाहे वह टीचर्स में हो। इसलिए मैं यह समझता हूं कि बुनियाद में इसके जिन सिद्धान्तों की हम घोषणा करते हैं, उन सिद्धान्तों को हम मजबूती से पकड़े और मजबूती से पकड़ कर उसके जो नेचरल कांसीक्यूएन्सेज हैं, जो नेचुरल जिस प्रकार की अर्थ व्यवस्था है, जिस प्रकार की शिक्षण प्रणाली है, उसी का जो लाजमी नतीजा है, उसके अनुसार अगर हम इसका पुनर्गठन करें तो यह हमारी सारी समस्यायें हरगिज पैदा नहीं हो सकती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो असंतोष है और जिसके लिए आप इधर उधर घूमने की कोशिश करते हैं और कभी कभी हमारे गृह मंत्री इसको ला एण्ड आर्डर की समस्या मान कर डण्डे और लाठी से सुलझाने की कोशिश करते हैं तो इसका इलाज डण्डा और लाठी नहीं है। लाठी और डण्डे का जवाब बम्ब और बन्दूक हो सकता है। दूसरे तरीके से सोचेंगे तो वह एक तरह का वायलेंस है, चाहे किसी के हाथ में हो वह दूसरे किस्म के वायलेंस को जन्म देता है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज अपनी शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करें। केवल इतना कहना कि वह जोब ओरियेंटेड है, मेडिकल की एजूकेशन जोब ओरियेंटेड है, इंजीनियरिंग की शिक्षा जोब ओरियेंटेड है, मैं समझता हूं कि यह शिक्षा वास्तव में जोब ओरियेंटेड नहीं है। वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता यह है कि शिक्षा का प्लानिंग जो एक समाजवादी दृष्टिकोण से होना चाहिए वह नहीं है। हम समाजवाद की बातें करते हैं, घोषणाएं भी बहुत करते हैं लेकिन एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन में हमारा दृष्टिकोण पूंजीवादी विकास के तरीके का है। पूंजीवादी तरीके का है, चाहे वह शिक्षा में हो, चाहे किसी दूसरे क्षेत्र में हो। ज्यादा पैसे वालों को ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, ज्यादा पैसे वालों के बच्चों के लिए बढ़िया स्कूलों की व्यवस्था

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है। आप पब्लिक स्कूल का अरेंजमेंट करते हैं ताकि बढ़िया लोगों के बच्चों को बढ़िया स्कूल मिलें, बढ़िया कालेज मिलें, बढ़िया छात्रावास मिलें। लेकिन जो गरीब लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था भी उसी तरह की करते हैं। आज सारी शिक्षा प्रणाली कंपीटीटिव लिस्टिक मोड पर बनी हुई है, समाजवादी मोड पर नहीं है। अगर आप इसको दुरुस्त करना चाहते हैं तो इसका पुनर्गठन करना चाहिए।

सभापति महोदया, आज हमारे जो शिक्षक लोग हैं, उनकी समस्यायें कितने रूप में सामने आती हैं। मैं इस थोड़े से समय में दो बातों का जिक्र करूंगा। एक तो जो थर्ड ग्रेड के टीचर्स हैं उनको सैकिंड ग्रेड प्रमोट करने की जो प्रणाली है वह बहुत दोषपूर्ण है। मेरी जानकारी के अनुसार सन् 64 से पहले शायद सन् 66 तक आपकी प्रणाली यह थी कि बी. ए. जिसने पहले पास कर लिया उसके हिसाब से सीनियोरिटी फिक्स करते थे और जो बी. ए. पहले पास कर लेता है और बाद में बी. एड. करता है तो उसको बी. एड. से पहले प्रमोशन देते थे। सन् 67 के बाद आपने सीनियोरिटी का आधार बदल कर बी. ए. के बजाय बी. एड. जो पहले करता है उसको सीनियर मान कर उसको प्रमोशन थर्ड ग्रेड से सेकिन्ड ग्रेड में देना चालू किया। सन् 67 में यह दोनों फार्मूले छोड़ कर यह फार्मूला अपनाना शुरू किया कि सन् 1961 से पहले जिसने इण्टरमीडियेट पास कर लिया या नोन-इण्टर-मीडियेट होते हुए भी जो ट्रेंड हो गया तो उसको, उस टीचर्स को आपने सीनियर मान लिया। और आपने उसी आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार की है। अब इस दौरान में, जो 64 के बाद अधिकतर टीचर्स ने बी. ए. एम. ए. किया है या बी. एड. किया है और जिसने 61 के पहले से इण्टरमीडियेट किया है उसके आधार पर वरिष्ठता सूची बनाते हैं तो इस पीरियड में, इस इण्टरवीनिंग पीरियड में अधिकतर जिन्होंने ग्रेज्युएशन किया है, या कि ट्रेनिंग पास की है, वे तमाम के तमाम जूनियर हो जाते हैं, सीनियरिटी से वंचित हो जाते हैं और 61 के पहले पास किए हुए इण्टरमीडियेट आज 72 में अगर बी. एड. कर लेते हैं वह उससे सीनियर है बजाय इसके कि जिसने बी. ए. पास हो नहीं किया बी. एड. पास भी किया जिसने सन् 65 में किया, मैं समझता हूं कि इस प्रणाली को चेंज करने की आवश्यकता है। मुनासिब तो यह होता कि जो भी ट्रेंड टीचर्स हैं, चाहे वह पंचायत समितियों में हों, चाहे सरकार में हो, जो भी थर्ड ग्रेड में है और जिसने बी. ए., बी. एड. कर लिया है आप उसको सैकिंड ग्रेड का टीचर मान लें। आप इन सबको प्रमोट कर दीजिये सैकिंड ग्रेड में यदि उनकी भी एकेडेमिक क्वालिफिकेशन जो चाहिये उसके मुताबिक एकेडेमिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करली है। यह सब अगर आप कर लें तो बहुत बड़ा फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन भी इससे नहीं होता क्योंकि बी. एड. करने के बाद थर्ड ग्रेड में भी कुछ प्रमोशन या कुछ इन्क्रीमेंट आपको देने ही पड़ते हैं और अगर सैकिंड ग्रेड में आयेंगे तो भी दो इन्क्रीमेन्ट का ही केवल फर्क पड़ता है। इसके कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए यह उचित

# Page No. 124



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बात है कि इन सबके सर्विस को आप सैकिंड ग्रेड मान लीजिए और सैकिंड ग्रेड में जो इण्टरमीडियेट होते हुए भी जिन्होंने बी.एड. कर लिया उनको आप सैकिंड ग्रेड में प्रमोशन कर दें, वरना और कोई तरीका आप सोचें और अनुकूल, इक्वीटेबल हल इसका निकालें। मौजूदा आपका जो फार्म ला है उसमें जितने भी नए लोगों ने बी.ए., बी. एड. किया है, बराबर पीछे रह जायेंगे और रिटायरमेन्ट तक भी उनका नम्बर आएगा नहीं। मैं समझता हूं कि यह बड़ा डिसइन्सेटेटिव भी है कि लोग आगे आकर हायर शिक्षा प्राप्त करें।

टीचर्स की बकाया के बारे में भी शिकायतें हम यहां पर सुनते हैं और बराबर आश्वासन दिये जाते हैं लेकिन अभी भी हर जिले में इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स के यहां पर कितने ही क्लेम पड़े रहते हैं। टीचर्स की हमने ऐसी बुरी हालत देखी है कि जिस प्रकार किसानों को तहसील में बेइज्जती होती है, ऐसी ही टीचर्स की, बेइज्जती आपके इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स के यहां अक्सर इनके क्लेम्स के लिए होती है। मैंने सुना है कि टीचर्स लोग रिश्वत देकर अपने बिल पास कराने की कोशिश करते हैं और पैसा देकर अपने क्लेम्स एक्सपेडाइट कराने में सफल होते हैं। आप देखिये कि जो भाग्य का निर्माता है अपने बच्चों का, जिनको शिक्षा देनी है उस टीचर के दिमाग में यह बात घर कर जाय कि इस प्रशासन में बिना पैसा दिये वह अपना वाजिब बिल भी पास नहीं करा सकता तो बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा वह दे पाएगा, इस बात का आप खुद अन्दाज कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट को इमर्जेन्सी के तौर पर कोई सेल क्रियेट करना चाहिये। सेल क्रियेट करके कोई टाईम लिमिट भी मुकर्रर करनी चाहिये। आप चाहे दो महीने, चार महीने का टाईम मुकर्रर कर दें लेकिन आप इस प्रकार का एक सेल तो क्रियेट कर दें और उसे कहिये कि छः महीने के अन्दर इस पीरियड के बाद अब तक के कोई क्लेम बाकी नहीं रहेंगे।

**श्री नारायणसिंह मसूदा** : सेल क्रियेट करने का हम विचार कर रहे हैं।

(विराम)

हमारा पूरा विचार सेल क्रियेट करने का है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस बात को मैं कह रहा हूं कि पिछले दस वर्षों से यह बात दुहराई जा रही है और यही आश्वासन मिलते जा रहे हैं। लेकिन दस वर्षों में नतीजा वही है तो मैं समझता हूं, उसको क्या कहें, आप खुद सोचें। इसलिए एक्चुअली गवर्नमेन्ट इसको क्लेम करती है तो इसको काम कर के दिखाना होगा। आप हैं तो पुराने ही किन्तु नई शक्ल में आये हैं। परन्तु आपके भाषण अच्छे हों यह कोई ठीक बात नहीं है। हम आपके एक्शन को देखना चाहेंगे। आपके एक्शन के बाद ही देखा जायेगा और मैं यह कहता हूं कि इस पर आप ख्याल करेंगे।

अब मैं निजी शिक्षण संस्थाओं के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह बात सर्व विदित है कि वहां की टीचर्स को ज्यादा

# Page No. 125



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तनख्वाह पर, गवर्नमेन्ट की पे. स्केल पर दस्तखत करवा कर, उससे कम पैसा तनख्वाह दी जाती है। यहां पर कितनी ही शिकायतें कितने ही स्कूलों के बारे में माननीय सदस्यों ने की हैं। वे इसका भी जिक्र कर रहे थे और बार बार यह कहा गया है कि आप चैक्स के जरिये उनको पेमेन्ट करायें। एक बार हरिभाऊजी जब शिक्षा मंत्री थे तो उस समय गवर्नमेन्ट ने विचार करके यह आश्वासन दिया था लेकिन फिर इस बात को ड्राप कर दिया गया।

**श्री नारायण सिंह मसूदा** : चेक से भी करें तो जो मैनेजमेन्ट होता है वह उनसे बाद रुपया वसूल कर लेगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : एक दफा आप टीचर के घर में पैसा दे दें। टीचर दे आवे तो फिर यहां पर शिकायत नहीं आवेगी। परन्तु अभी तो उनको मजबूर करके, नौकरी से हटा देंगे इस तरह से कह कर दस्तखत कराते हैं। आप उनको नौकरी की गारन्टी दे दें आज उनकी सर्विस कन्डीशन खराब हैं। जो गवर्नमेन्ट सर्विस में है उनको जो सुविधायें प्राप्त हैं, चाहे वह महंगाई वेतन हो, चाहे मकान भत्ता हो, चाहे उनका प्रोविडेन्ट फंड हो वे तमाम सुविधाएं निजी शिक्षण संस्थाओं के टीचर्स को मिलनी चाहिये और मैं गवर्नमेन्ट से कहूंगा कि आप शीघ्र ही एक बिल लाइये इस हाउस के अन्दर जिसके अन्दर इन टीचर्स की सर्विस कन्डीशन्स को बाकायदा लिपिबद्ध किया जाये, स्टेट्यूट बनाया जाये ताकि कोई उन कन्डीशन्स को फ्लाउट नहीं कर सके जैसे कि आज लगातार फ्लाउट हो रहा है।

मुझे आश्चर्य है, सभापति महोदया, कि यह निजी शिक्षण संस्थाएं जिनको आप 90 प्रतिशत तक एड देते हैं, आज आपके डिपार्टमेंट के आर्डर्स को नहीं मानतीं और अपने मनमाने तरीके से टीचर्स को नौकरी से हटा देती हैं और किसी कानून की परवाह नहीं करतीं। मैं एक दो मिसाल इसके बारे में आपके सामने पेश करना चाहूंगा, शायद आपके सामने भी वह मिसाल आयी हो। भूसावर में एक महिला विद्यापीठ है, वहां पर एक टीचर कौशल जैन को 5-7-71 को नियुक्त किया गया, वह विद्या विनोदनी पास थीं। कुछ महीने बाद उसकी वहां की मैनेजमेंट से अनबन हो गई तो 15-12-71 को पांच महीने बाद उसको नोटिस दे दिया कि विद्या विनोदनी की परीक्षा रिकग्नाइज्ड नहीं है इसलिये आपको 1-1-72 से नौकरी से हटा दिया जायेगा। उसने आपके शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) को लिखा तो उन्होंने कहा कि विद्या विनोदनी की परीक्षा रिकग्नाइज्ड है और उन्होंने उस महिला विद्यापीठ को भी आदेश दे दिया कि इनको नौकरी से नहीं हटाया जाये। इस पर विद्यापीठ वालों ने कहा कि हमारे ऊपर आपके शिक्षा निदेशक के आदेश लागू नहीं होते और उस टीचर को नौकरी से 1-1-72 से हटा दिया गया। वह टीचर फिर निदेशक के यहां आयी और निदेशक की तरफ से 19-1-72 को, 25-1-72, 23-2-72 और 12-4-72 को रिमाइन्डर्स दिये गये, लेकिन अभी तक उस टीचर को वापिस नौकरी में नहीं लिया गया है और वह मारी मारी दर दर भटकती फिर रही है। कई माननीय सदस्यों से भी उनके हसबेंड मिले हैं। मैं समझता हूं यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इतना पेथेटिक केस है। आखिर शिक्षा विभाग जो इतनी एड देता है, वह अपने हुक्मों का इम्प्लीमेन्टेशन नहीं करा सकता। जब आप इतनी एड देते हैं तो आप इनको रेग्युलेट क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं इनका एक्सप्लेनेशन कॉल करते, क्यों नहीं उनकी एड बन्द कर देते? एक मिनिट में वह सीधे हो सकते हैं। एक मिनिट में अक्ल ठीक हो जाये। लेकिन आपके पांच पांच रिमाइन्डर चले गये और उन लोगों को कोई परवाह नहीं. यह क्या स्थिति है?

सभापति महोदया यहाँ पर एक आदर्श विद्या मन्दिर है जिसकी चर्चा इस सदन में पहले भी हो चुकी है। आर.एस.एस. द्वारा संचालित होने वाली यह संस्था है। वहां की जो मैनेजिंग बाडी है, उसके अन्दर जो लोग हैं वह बकायदा आर.एस एस. के पदाधिकारी हैं बड़े बड़े। डाक्टर हरि किशन जावा, जो इस विद्यालय की मैनेजिंग कमेटी चेयरमेन हैं। आर.एस.एस. के लीडर हैं, दूसरे मेम्बर है। श्री मोहन जोशी जो आर.एस. एस. के प्रचारक हैं, तीसरे मेम्बर हैं गिर्राज जी शास्त्री, यह सब के सब आर.एस. एस. के बड़े बड़े लीडर्स हैं। इस विद्यालय के कैम्पस के अन्दर बाकायदा आर. एस. एस. के कैम्प्स लगते हैं। इस तरह की यह संस्था है और इसकी एड गवर्नमेंट ने बन्द भी कर दी थी लेकिन आपने दुबारा चालू कर दी। मुझे आश्चर्य है कि हमारे मुख्य मंत्री के दिमाग के अन्दर माइनोरिटी कम्युनिटी के होने के नाते एक इन्फीरियोरिटी काम्प्लेक्स रहता है, एक डर रहता है कि कल को कोई यह नहीं कह दे कि ये तास्सुबी हैं, साम्प्रदायिक हैं या पाकिस्तान से मिले हुए हैं। कहीं कोई ऐसा न कह दे, इस लिये वे डरते रहते हैं और इसलिये उन्होंने जो एड बन्द हो रखी थी, उसको वापिस चालू कर दिया।

सभापति महोदया, आप ताज्जुब करेंगी, इस स्कूल में जो भर्ती की जाती है, उसमें भर्ती की यह कन्डीशन रखी जाती है कि वहां का शिक्षक आर. एस. एस. की शाखा लेगा। वहां के शिक्षक आर.एस. एस. की शाखा लेते हैं और ऐसा उनकी कन्डीशन्स आफ सर्विस में कह देते हैं। कोई ऐसा टीचर हुआ जिसने आर. एस. एस. की शाखा लेने से इन्कार कर दिया तो उसकी नौकरी से छुट्टी हो जाती है। जैसा कि मैंने भूसावर की महिला विद्यापीठ का जिक्र किया, वैसा ही यहां पर भी एक शिक्षक थे प्रेमनारायण तिवारी। उनकी नियुक्ति सन् 1962 में हुई थी और सन् 1964 में उनको पर्मानेन्ट भी किया गया। अब जुलाई 1967 में उन पर झूठे अभियोग लगा कर उनकी सर्विसेज को टर्मीनेट किया गया उन्होंने अपील की और उसकी अपील डिपार्टमेंट के द्वारा बहाल घोषित की गई और उसको वापिस नौकरी में लेने के आदेश दे दिये गये लेकिन उनको वापिस नौकरी में नहीं लिया गया। उन्होंने सैकिन्ड अपील की मियाद निकलने पर, सेकिन्ड अपील कर दी आफ्टर टर्मीनेशन आफ सर्विसिज, तो डिपार्टमेंट ने कह दिया कि मुद्दा खत्म हो गया इसलिये सैकिन्ड अपील इन्टरटेन नहीं की जा सकती। आपके मुख्य मंत्री बनने के पश्चात् यह आपके पास आया लेकिन क्यों कि आपको यह डर रहता है कि कोई आपको साम्प्रदायिक न कह दे, वैसे आपने घोषणा कर दी है (समय–समाप्ति–सूचक घंटी)।

# Page No. 127



(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सभापति महोदया, मुझे तो अभी दूसरे डिपार्टमेंट्स के बारे में भी बोलना है।

**श्रीमती सुभादेवी :** आपको बोलते हुए 25 मिनिट हो गये हैं। काफी लम्बी लिस्ट है बोलने वालों की।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** मैं तो बहुत ही कम बोलता हूं। थोड़ी सी रिलेक्सेशन कर आप इजाजत दे दें। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था। इसी तरीके से 15.5.72 को वहां के 30 टीचर्स को एकदम हटा दिया गया है। आखिर कोई रूल्स होते हैं, कोई कन्डीशन्स आफ सर्विस होती है। आर.एस.एस. के नाम से चन्दा इकट्ठा करते हैं, आर.एस.एस. के नाम से फन्ड्स कलेक्ट करते हैं उसका कोई हिसाब नहीं। इस तरीके से वहां पर हो रहा है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इस प्रकार की इन शिक्षण संस्थाओं में यह हो रहा है।

अलवर की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, राजऋषि कालेज है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। वहां पर भूगोल की पोस्ट-ग्रेजुएट क्लासेज की मांग है उस पर विचार करें। वहां पर जो लाइब्रेरी बन रही है उसके बारे में कहना चाहता हूं। सभापति महोदया, हमारा जो कालेज है वह महाराजा ने अपना एक बाग बनाया हुआ था उसके अन्दर स्थित है। महाराजा साहब, लाइब्रेरी जो बन रही थी, उसके बारे में स्टे ले गये गवर्नमेन्ट से—अदालत से नहीं मिला है। मैं समझता हूं कि वह महाराजा तो खैर खत्म हो गये, अब उस स्टे को खत्म कर दें और लाइब्रेरी बनाने की इजाजत दें। वहां पर उसके लिए युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन से 75 पर्सेन्ट मिला है वह शायद लेप्स हुआ है या रहा हुआ है। वहां पर लाइब्रेरी की बहुत जरूरत है।

वहां पर हायर सेकण्डरी स्कूल लड़कियों का है उसमें लड़कियों के बैठने के लिए कमरे तक नहीं हैं। वहां पर उन्होंने मांग की है कि उसके सामने एक्स.ई.एन. का बंगला है। बिल्कुल सामने है बंगला। वह बंगला स्कूल को दे दें। एक्स.ई.एन. को दूसरी बिल्डिंग मिल सकती है। दूसरा सुझाव उनका यह है कि उनके बिल्कुल एडजेसेन्ट महाराजा की प्राइवेट प्रापर्टी की एक बिल्डिंग है जिसे मैन हाउस कहते हैं। अब मेरा खयाल है कि वह खाली पड़ा हुआ है। वह मैन हाउस अब महाराजा की प्रापर्टी रही नहीं, क्योंकि अब कोई महाराजा नहीं है। आपमें कोई कमजोरी भी है तो आपके पास में युटिलाइजेशन आफ प्रेमिसेज एक्ट है जिसके अन्दर कलेक्टर को यह पावर है कि इस तरह की बिल्डिंग की अगर सार्वजनिक कार्य के लिए जरूरत है तो आप उसका रिक्विजिशन कर सकते हैं। आप इमीजियेटली उस बिल्डिंग को, जो कि खाली पड़ी हुई है, को रिक्विजिट कर लें और स्कूल को दे दें, वरना वह उसको बेच देंगे। आप अगर लेते हैं तो आपके पास में बड़ा आसान तरीका है। आप इमीजियेटली रिक्विजिट कर दें।

वहां पर पीने के पानी का अरेन्जमेन्ट तक नहीं है। वह कहते हैं कि अगर एक पम्प ही लगा दें, उसमें एक हजार रुपया खर्च होगा तो पानी की दिक्कत नहीं होगी,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वरना यह हालत है कि लेबोरेट्री तक में पानी नहीं मिलता है क्योंकि पानी केवल एक घंटा आता है और उस वक्त तक स्कूल नहीं खुलता है। लेबोरेट्री में पानी की दिक्कत आती है। आप कुए पर पम्प लगा दें। कुए उनके पास हैं।

लड़कियों के लिए छात्रावास कोई इन्स्टीट्यूशन की तरफ से नहीं है। कोरा देवी वहां गर्ल्स कालेज है उसमें भी नहीं है जो कि वहां के एक सेठ हैं उन्होंने पैसा देकर बनवाया था और उन्होंने यह भी प्रोमिस किया था कि अगर आप जमीन दे दें तो तीन लाख रुपया और वह होस्टल के लिए देने को तैयार हैं। मुझे अफसोस है कि आप जमीन नहीं दे सके। उसी कालेज के सामने बिल्कुल एक जयसिंह क्लब है जिसके अन्दर आफिसर्स लोग फ्लाश खेलते हैं। महरबानी करके उस क्लब को उसको दे दें। क्लब को होस्टल के लिए दे दें तो होस्टल का काम बन सकता है। काफी जमीन है और तीन लाख उधर से मिल जाय तो फर्स्ट क्लास छात्रावास बन जाएगा। तो यह एक उचित सुझाव है और आप पर फाइनेन्शियल बर्डन भी नहीं आयेगा और यह काम भी हो सकता है अलवर में।

अब मैं सामान्य प्रशासन की बात की तरफ कुछ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आज आपके इस प्रशासन के बारे में खुद गवर्नमेन्ट, खुद मिनिस्टर और सत्ताधारी पार्टी भी सन्तुष्ट नहीं है। आज यह आरोप-प्रत्यारोप है कि राजनेता दोषी हैं या अधिकारी दोषी हैं या जनता दोषी है। यह आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। कोई कहता है कि जनता ही सारी भ्रष्ट हो गई है। जब तक स्टैण्डर्ड ऊंचा नहीं होगा इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। 55 करोड़ लोगों को सुधारने की बात करेंगे इसलिए न तो आप जिम्मेदार हैं, न हम जिम्मेदार हैं और न अधिकारी जिम्मेदार हैं, यह आग्युमेन्ट दिया जाता है। ब्यूरोक्रेसी का पोलिटिशियन्स पर और पोलिटिशियन का ब्यूरोक्रेसी पर आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है। आज वह किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं? चाहे वे पोलिटिशियन्स हों, चाहे वे सर्विसेज के हों आज उनमें बुनियादी सिद्धान्तों के बारे में एक कन्विक्शन की जरूरत है। मेरा यह आरोप है कि चाहे मंत्रि-मण्डल के सदस्य हों, चाहे वे सर्विसेज के हों, जो भी तीन सिद्धान्त—डेमोक्रेसी, सेक्युलेरिज्म और सोशियेलिज्म हैं, इनसे कन्विक्टेड होने की जरूरत है। यह प्रश्न नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, लेकिन ये ऐसे सिद्धान्त हैं जो कि ब्राडली एक्सेप्टेड हैं और वह भी आज से नहीं हिन्दुस्तान की आजादी का जो आन्दोलन शुरू हुआ था उस वक्त से मान्यता प्राप्त हैं। यह दो-तीन ब्राडली एक्सेप्टेड सिद्धान्त हैं। यह पार्टीज की पालिसी का क्वेश्चन नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि कमिटेड सर्विसेज होनी चाहिए, और कन्विक्टेड होनी चाहिए, लेकिन हम इन ब्राड प्रिन्सीपल्स के बारे में कमिटेड हैं। यह बात आज हम मान कर चलते हैं। लेकिन आज मैं समझता हूं कि सर्विसेज के रिक्रूटमेंट, प्रोमोशन्स और ट्रान्सफर्स जितने भी हैं उन मामलों के जो भी रूल्स वगैरह हैं उनके अन्दर इस तरह की कोई कन्सिस्टेन्सी नहीं है, जो कि मैं समझता हूं, बुनियादी तौर से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होनी चाहिए। आप एक लैण्ड सीलिंग एक्ट पास करते हैं और वहां पर बैठा देते हैं एक जागीरदार को जिसकी खुद की जमीन पर सीलिंग लागू होना है, जिस पर उसका असर हो रहा है, कि तेरी जमीन कैसे बचेगी। वह उसको लागू करेगा? आपने जागीर एबालिशन एक्ट पास किया और जागीर कमिश्नर और खुदकाश्त कमिशन की पोस्ट के लिए भूमिहीनों से समझौता किया कि हमारे तबके में जागीर कमीश्नर बनाया जाय और एक जागीरदार को जागीर कमिश्नर बनाया गया। आपकी नीति यही है अपनी पॉलिसीज के साथ में। आप घोषणा करते हैं और इम्प्लीमेन्टेशन में बैकडोर से निकल जाते हैं। यह परम्परा रही है इस एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर हम रियेलो कुछ करना चाहते हैं तो पुरानी परम्पराओं को छोड़कर कन्विक्शन होना चाहिए चाहे आप मंत्रिमण्डल में बैठे हों, चाहे सर्विसेज में बैठे हों, चाहे आपकी पार्टी हों, चाहे आम जनता हो, आपकी नीति इन तीन बुनियादी सिद्धान्तों पर होनी चाहिये। आपने इन तीनों सिद्धान्तों की बुनियाद पर चुनाव लड़े हैं और जनता ने सहारा देकर बड़ी तादाद में आपको यहां जिता कर भेजा है इसलिए जनता ने इसको समझा है और जनता के कन्विक्शन होने का सवाल नहीं होता है। उनका तो यह मैन्डेट है और उस मैन्डेट को मंत्रिमण्डल को और सर्विसेज को पूरा करना है। इसलिए रिक्रूटमेंट और प्रोमोशन्स के अन्दर इसका खयाल रखा जाना चाहिए। लेकिन आज के जो आपके रूल्स हैं उसके अन्दर यह सवाल नहीं है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न केवल राजस्थान में बल्कि सारे हिन्दुस्तान में इस प्रिन्सीपल को स्वीकार कराया जाना चाहिए कि जो भी स्टेट की सर्विसेज होंगी, चाहे हाईएस्ट आफिसर हो, वह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एपांइटेड होंगे और स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार होगा उनको डिसमिस करने का। यह जो मौजूदा सिस्टम है कि एक आई. ए. एस. का केडर है जिसका एपाइंटमेंट सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट करती है, जिसका कन्ट्रोल सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट करती है और आप खड़े तमाशा देखते हैं। मंत्री हुक्म लिखता है और वे कहते हैं कि ऐसे मिनिस्टर कई देखे हैं इसमें प्रोविन्सियल आटोनोमी होना चाहिए। यह नहीं कहते कि राजस्थान में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की कोई सर्विसेज नहीं हों। इनकम टैक्स, रेलवे जो भी सेन्ट्रल सबजेक्ट हैं उनकी जितनी सर्विसेज हैं उनको सेन्ट्रर एपाइन्ट करे और सेन्ट्रल गवर्नमेंट कन्ट्रोल करे, सेन्ट्रल गवर्नमेंट डिसमिस करे और सेन्ट्रल गवर्नमेंट सब कुछ करे। हिन्दुस्तान के अन्दर यह सिस्टम होना चाहिए। गलत बात को कैसे लागू कर रहे हैं। आप आपकी सर्विस को ऐसा रखें कि जो सर्विसेज आपके पास में हैं उनका पूरा कन्ट्रोल रिक्रूटमेंट, प्रमोशन्स, डिसमिसल, और डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होना चाहिये। और हम यह समझते हैं कि यह लेकूना आज जिस तरह का है, उसके कारण झगड़े सेक्रेटरी और मिनिस्टर्स के अन्दर, यानी चुने हुए प्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी के अन्दर चलते हैं। इसका यही स्पष्ट कारण है कि आज जिस तरीके से अंग्रजों ने आई.सी एस.

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को 371 के आर्टिकल के अन्दर जबर्दस्त प्रोटेक्शन दिया था और जिसको आज हटाने की बात चला रहे हैं तो हमने यह रिक्रूटमेंट के सिलसिले में इस तरीके को रखा है जिसके अन्दर स्टेट गवर्नमेंट पावर-लेस है और जिसके अन्दर स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल हैन्डीकेप्ड है जिससे सही तरीके से अर्पनी सर्विस को कन्ट्रोल नहीं कर सकती। और इसलिए मैंने देखा है कि मिनिस्टर इस तलाश में रहते हैं कि कोई हमारे सेक्रेटरी से अच्छे ताल्लुकात करा दें। सेक्रेटरी से अच्छे ताल्लुकात हो जायें इसके लिए मिनिस्टर कोशिश किया करते हैं। इस बात को चाहते हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए इसमें सुधार होने की जरूरत है। यह दृष्टिकोण नहीं होने की वजह से है। इसका कारण यह है कि यह एडमिनिस्ट्रेशन आफ दी पीपुल नहीं है। यह नहीं है कि एक गांव का व्यक्ति आ गया तो उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया जाये। यह सिर्फ वोट लेने के लिए ही नहीं है। वह है हमारा बुनियादी व्यक्ति। चाहे अच्छे से अच्छे ऊपर तक के व्यक्ति को देखें मैं समझता हूं कि वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द कहलाने के लायक नहीं है। तो फिर नागरिक समानता कैसे हो सकेगी जो हमारी सेकेंड हाइयेस्ट बाडी है मैं समझता हूं कि उसमें यह सबसे बड़ा हिण्ड्रेन्स है। आपस की झगड़ेबाजी है। ऊंच नीच करना, कानूनी ऐसी बहुत सी चीजे हैं कि कई गलत काम मन्त्रियों से करवाते हैं फिर वही सेक्रेटरी मन्त्री को मुट्ठी में पकड़ कर उनसे काम लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति चल रही है।

**श्री परसराम मदेरणा :** (अश्रव्य)

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** आप परसराम जी बहुत पुराने हो गये है इसलिए आपको दिक्कतें नहीं होती हैं। आप याद करें जब आप पहले पहले मन्त्री बने थे।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

इस प्रशासन में कटौती करने की आवश्यकता है। ये घोषणा-पत्र छोड़िये। ये दो प्रिन्सिपल सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के हैं। इसको बार बार दुहराया गया है। एक तो इनको नीतियां और कन्विक्शन कमियों से ग्रस्त हैं। जो पहला ही कदम है, जो बिस्मिल्ला ही हुआ है एग्रीकल्चर सीलिंग उसकी क्या स्थिति है? मुझे दुःख है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं हैं लेकिन मैं समझता हूं कि ज्वाइन्ट रिस्पोंसिबिलिटी सुनने की भी है इसलिए वह सुनेंगे। आप लैण्ड रिफार्म की घोषणा कर आये हैं लेकिन क्या आप लैण्ड लार्ड मिनिस्टर से सीलिंग कराने की उम्मीद रखते हैं? आप गरीबी हटाने के लिए चन्दनमल वैद से उम्मीद करते हैं। यह ऐसी ही बात है कि आप किसी व्यक्ति से कण्ट्राडिक्शन की बात करें। आप हरिदेव जोशी से सोशलिस्टिक डेमोक्रेसी की तरफ जाने की उम्मीदें करें तो मैं समझता हूं कि आप अपने आप में गलत फहमी में हैं। आपकी मजबूरियां हो सकती हैं। मैंने आप के साथ में चुनाव लड़ा है तो बहुत नजदीक में होकर देखने का मौका मिला है। ये खरी खरी बातें होनी चाहिए। भलाई बुराई आप के मौजूदा सारे प्रशासन पर आती है। हरिदेव जोशी! सिण्डीकेट और इण्डीकेट की बात अभी बहुत पुरानी नहीं है। उनकी ईमानदारी के अपने कन्वि-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बशन्स हैं। अपनी उस पालिसी पर वह चल रहे हैं। चाहे बड़ी खान वालों को ठेके देने की बात हो, जो कि राज्य के हाथ में है। चाहे यह राज्य के हित में हो कि ऐसे ठेकों को खत्म कर दिया जाये लेकिन वह उनके प्रति सिम्पैथिटिक व्यू रखते हुये उसको उन्हें एक्सटेंड कर देंगे। पुराने लोगों को काम देना यह उनकी नीति रही है। उनकी नीति है कि इस देश का कैपटेलिस्टिक तरीके से विकास हो सकता है। वह ईमानदारी से अपनी नीति को क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, मैं अभी जल्दी ही खत्म कर रहा हूँ।

सभापति महोदया, मैं यह तो नहीं मन्त्री ईमानदारी के बेस हैं। आप कोई प्रोग्राम पूरा करना चाहते हैं। आप का कोई दोस्त हो सकता है। दुश्मन हमारे भी नहीं हैं। मैं समझता हूं कि जिनको अगुआ बनाकर बैठना है, वह ड्राइवर बनाने के लायक हैं, इसलिए उनको ड्राप किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि काफी लोग-145 लोग चुनकर आये हैं। उनमें से ले सकते हैं। पुराने लोगों में कुछ लोग बीमारी में मुब्तिला हैं। हर वक्त अस्पताल में रहते हैं। अगर वह बीमार हैं तो उनको छुट्टी कर देनी चाहिए। रूल का मुझे मालूम नहीं लेकिन ऐसे व्यक्तियों को लिया जा सकता है कि वेतन के साथ बिना वेतन के साथ, इस तरह से मन्त्रिमण्डल का भार सम्भाल सकें। कई दिनों से सुनता हूं कि आप के मन्त्रिमण्डल के सदस्य अस्पताल में हैं। उनसे मिलना नहीं हो सकता है। इससे काम चलेगा नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि वैसे तो इस मन्त्रिमण्डल से बहुत आशा तो लोगों को नहीं थी। लेकिन यह जरूर सोचा जा रहा था कि कुछ नया करेंगे। वैसे तो सभी पुराने हो गये हैं। लेकिन वह उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाने के तरीके हैं। इससे वह ग्रोन अप नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं, सभापति महोदया, जहां तक सीलिंग की बात है, आप वेतन और सम्पत्ति दोनों को ले सकते हैं। अगर आप पहले शुरू कर लेंगे तो वह और भी अच्छा, इसके अन्दर होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रिक्रूमेन्ट के अन्दर...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदया,—मैं, पांच मिनिट नियुक्तियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

आप ने एडहॉक व्यवस्था बना दी है। यह आपने प्रमोशन रूल्स तोड़ने की व्यवस्था बनाई है। आप पी. एस. सी. से सिलेक्ट करने की बात करते हैं। मगर इस प्रकार से डिपार्टमेन्टल सलेक्शन कमेटी पोस्ट एडवर्टाइज करके उनको एडहाक बेसिस पर अपाइण्ट कर देंगे। फिर उसको सिफारिश कर देंगे कि इसको डिपार्टमेण्टल अनुभव भी है। उधर वह पी. एस. सी. में जायेगा तो पी. एस. सी. वाले सोचते हैं कि पहले से जो मौजूद है, उसमें जब तक पहले से कोई नगेटिव बात नहीं हो तो उसी को ले

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लिया जाये। इस प्रकार से प्रिविलेज पोजीशन में हो जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अभी 5 मिनिट नहीं हुये हैं।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

**श्रीमती सभानेत्री :** बहुत हो गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** बहुत से पोस्ट ग्रेजुएट फिर रहे हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एडहाक सिस्टम को हमेशा के लिए पूरे तौर से खत्म कर दिया जाये। इसकी बुनियाद पर कोई अपाइन्ट-मेंट नहीं होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने कट मोशन रखता हूँ।

**श्रीमती सभानेत्री :** श्री यशवन्त सिंह नाहर।

**श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :** कितना टाइम अता फर्मायेंगी, यह बता दें, उससे आगे मैं नहीं बोलूंगा।

**श्रीमती सभानेत्री :** दस मिनिट।

**श्री यशवन्त सिंह नाहर :** दस मिनिट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

सभापति महोदया, मैं बोलना बहुत कुछ चाहता था, आज बहुत बड़ा विवाद का विषय है। मैंने सोचा, दस मिनिट में और कुछ कहूंगा तो और विवाद खड़ा हो सकता है इसलिए मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

मैं आज आपकी आडिट रिपोर्ट ले आया हूं। इस आडिट रिपोर्ट में से कुछ मामले सदन के सामने रखूं तो मालूम पड़ेगा, हमारी आंख खुलेगी कि राज्य सरकार को किस प्रकार से चलायेंगे। आज राज्य सरकार जिस तरह से चल रही है, उसमें चारों तरफ कागज उड़ रहे हैं, चारों तरफ से उन कागजों को दबाने की राज्य सरकार कोशिश कर रही है, चारों तरफ से एक एक आदमी एक एक कागज को दबाने का प्रयत्न कर रहा है। यह हालत मैं आज देख रहा हूं। यह बात सही है तो आपको और हमें सोचना पड़ेगा, राज्य सरकार को सुचारु रूप से चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज सेक्रेटेरियट में ओ. एण्ड एम, आर्गेनाइजेशन एण्ड मेथड विभाग है, यह हर कागज को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कोई कागज उसके हाथ में नहीं आता है। सब कागज उड़ते हुए चले जा रहे हैं। इस साल की यह आडिट रिपोर्ट मेरे सामने है, इसमें तीन साल के आडिट आब्जेक्शन आउटस्टेंडिंग हैं जो करीब 34 लाख के हैं और आडिट आब्जेक्शन्स की संख्या 55 हजार है, जब तीन साल के आडिट आब्जेक्शन में आउट-स्टेंडिंग अमाउन्ट 24 लाख है तो और सब मामलों में करोड़ों का अमाउन्ट इन्वाल्व्ड होगा। मेरी समझ में नहीं आता, इस तरह किस प्रकार हम सरकार चलायेंगे और किस तरह नहीं। यह क्या हालत है कि यह आपको मालूम नहीं है कि 55 हजार आडिट आब्जेक्शन आउटस्टेंडिंग क्यों पड़े हैं। मेरा निवेदन है, यह कहने की आवश्यकता है कि यह इस तरीके की स्थिति क्यों है? आपके यहां जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट और

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

आफिसर हैं उनके कारण यह काम एरियर में रह जाता है, वह रिटायर हो जाते हैं और पेंशन लेकर चले जाते हैं। गवर्नमेंट सर्वेन्ट को यहां से आदेश जाते हैं लेकिन उनकी क्रियान्विति नहीं हो पाती है और इस प्रकार पांच-दस साल से आडिट आब्जेक्शन आउटस्टैंडिंग रहते हैं। मैं आडिट आब्जेक्शन का अब जिक्र करूंगा। आत्माराम का आज यहां मामला आया वैसे मामले के बारे में मैं कहूंगा तो आप फिजूल में महसूस करेंगे कि मैं कहानी गढ़ कर लाया हूं। इस आडिट रिपोर्ट में ऐसे कैसेज हैं जो पैंडिंग हैं लेकिन जिनके कारण पेंडिंग हैं वह कुछ तो रिटायर हो गये होंगे और कुछ मर गये होंगे, लेकिन यह मामले डिपार्टमेन्ट के हैं, भगवान के नाम पर आप इन मामलों पर दया कीजिये। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा, मैं अधिक निवेदन नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो रहा है। आप पर्सनली इन मामलों को देखिये, जिससे गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट और आफिसर्स को भी वर्क करने का इनीशियेटिव मिले। एक केस मैं आपको बताता हूं, वह गवर्नमेन्ट टीचर्स का केस है, जो छोटा सा केस है। आप टीचर्स को अपने डिपार्टमेन्ट के अन्दर क्लर्क की जगह डेपूटेशन पर रख लेते हैं, बहुत छोटा सा केस है। इससे यह तो मालूम होता है कि इसमें गवर्नमेन्ट की कमजोरी है, गवर्नमेन्ट पूरे क्लर्क सप्लाई नहीं करती है। फिर गवर्नमेन्ट क्या करती है? गवर्नमेन्ट जो भी बजट यहां पेश करती है, वह सदन सारा बजट पास कर देता है। आप और हम सब जानते हैं कभी कोई ऐसा मामला नहीं आया कि पांच क्लर्क ज्यादा हैं या चार क्लर्क कम हैं या वित्त मंत्री जी ने कभी ऐसा बजट रखा हो जिसमें कहा हो कि हमें एक क्लर्क और चाहिए, एक और क्लर्क हमें दे दीजिये। यह दुर्भाग्य की बात है, आज कई कई टीचर तो पन्द्रह पन्द्रह साल से डेपूटेशन पर हैं। एजूकेशन डिपार्टमेन्ट की अलग अलग शाखाओं में उनसे काम लिया जा रहा है। 1956 की रिपोर्ट थी उसमें भी इसके बारे में जवाब तलब किया गया था...

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** यह एफीशियेन्सी है।

**श्री यशवन्त सिंह नाहर :** मुझे नहीं मालूम। यह आप कहिये, मैं नहीं कहूंगा, तो 1956 की आडिट रिपोर्ट है उसमें लिखा है जितने इस डिपार्टमेन्ट के दफ्तर हैं, इन्सपेक्टर का, एडीशनल डाइरेक्टर का, जोइन्ट डाइरेक्टर का, डाइरेक्टर का, इन सबमें टीचर्स की भरमार हो रही है। एक केस मुझे मालूम है, एक ट्रेण्ड टीचर कई दिन तक एक अधिकारी के पास गया कि उसे कहीं टीचर के पद पर अपाइन्ट कर दिया जाय। उस अधिकारी ने जवाब दिया, टीचर तो नहीं मैं क्लर्क रख सकता हूं। तब मेरी आंख खुली ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हम अपने कोमल बच्चों का भविष्य सौंप देना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को एजूकेशन विभाग में अधिकारी रखा जाता है। आप खुद देखें कि वस्तुतः स्थिति क्या है, मेरे पास इसे साबित करने का कोई आधार नहीं है। इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं कि 1956 में एक आडिट आब्जेक्शन रखते हैं उसके बाद वह जनलेखा समिति में

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

आडिट आब्जेक्शन गया तो विभाग के अधिकारी ने कहा कि अब बन्द कर देंगे लेकिन 1967 में फिर वही स्थिति देखने को मिली। फिर जन लेखा समिति से कह दिया, अब नहीं करेंगे। अब यह रिपोर्ट आई है इसमें भी इन्सपेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, एडीशनल डाइरेक्टर और डाइरेक्टर आफिस में ऐसे क्लर्कों की भरमार है। तो जब 1967 में गवर्नमेंन्ट ने वायदा किया, जब जनलेखा समिति में इस पर विचार किया तो आपके अधिकारियों ने आश्वासन दिया, अगर वह पूरा नहीं हो तो यह इस सदन का और जन लेखा समिति के विशेषाधिकारों का हनन है, और जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। 1970 की आडिट रिपोर्ट है, उसमें भी है कि टीचर्स की एजूकेशन के सब आफिस में भरमार है। आपको इससे यह संतोष होगा कि बहुत काम है लेकिन आफिसर के पास यह काम है कि हर रोज मीटिंग होती है, कान्फ्रेन्स होती हैं और उन्हें किसी से मिलने का टाइम नहीं होता है। आफिसर नहीं बैठें तो क्लर्क कैसे बैठ सकते हैं? यह गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट का हाल है और हम इस असेम्बली में बैठे हुए हैं, उनके अनुसार हम यहां बकवास करते हैं। गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट बेचारे काम करते हैं, उनको बिल्कुल फुर्सत नहीं है, अपने बीबी बच्चों से बात करने तक की फुर्सत नहीं है–यह सच है या नहीं, यह आप जाने, फिर भी इतनी आडिट रिपोर्ट के बाद यही देखने में आता है कि आडिट आब्जेक्शन का कोई जवाब नहीं दिया जाता, कोई कार्यवाही नहीं होती। आज 200, 250 टीचर डेपूटेशन पर रखे गये हैं, मैं चाहता था, इनके कुछ केसेज के बारे में बता दूं लेकिन अभी जैसा उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राम बाबू का सवाल उठाया, इसमें हकीकत रही है या नहीं, लेकिन क्योंकि असेम्बली के सदस्य हैं, उन्होंने जो राम बाबू के मामले में कहा है उनके कहने में वजन है। माननीय शिक्षा मंत्री जानते हैं राम बाबू टीचर को क्लर्क की पोस्ट पर लगाया। उसने रिप्रेजेन्टेशन दिये, मैं टीचर हूं मुझे टीचर के पद पर लगाइये। 18-4 को शिक्षा मंत्री ने आदेश दिये। फिर भी उसका विक्टीमाइजेशन हुआ। उसने राज्य कर्मचारी संघ की ओर से फिर रिप्रेजेन्टेशन भिजवाया। उसको वापिस जयपुर में रखा इसका जवाब नहीं और इस कारण कहने वाले तो और कई बातें कह गये। मैं उन बातों में नहीं जाता लेकिन मेरा निवेदन है कि इसके बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। मंत्री महोदय जवाब दें, इसमें क्या हुआ? मैं इतना बता देना चाहता हूं कि यह 1955 से आडिट आब्जेक्शन इस सम्बन्ध में है लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जन लेखा समिति की रिपोर्ट में है और नई आडिट रिपोर्ट में भी है कि टीचर्स को आफिस में डेपूटेशन पर मत बैठाइये, टीचर भी कहता है, मुझे क्लर्क की जगह अपाइन्ट मत कीजिए आप क्लर्क से क्लर्क का काम लीजिये, टीचर को मत बैठाइये। यह आदमी इन्सपेक्टर के स्टाफ में जयपुर में था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गवर्नमेंट अब भी डेपूटेशन पर रख रही है। यह आब्जेक्शन होने के बाद भी वह डेपूटेशन पर टीचर्स को रख रही है। इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स ने रख

(श्री यशवन्तसिंह नाहिर)

लिया तो फिर शिकायत हुई और शिक्षा मन्त्री ने कहा उसको हटा देना चाहिए। आर्डर पास कर दिया। लेकिन हटा कौन? शिकायत करने वाला नहीं, शिक्षा मन्त्री खुद चले गये, राम बाबू भी चला गया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री: दोनों को री इन्सटेट कर दीजिये।

श्री यशवन्त सिंह नाहिर: सच्चाई यह है, टीचर को क्लर्क की पोस्ट पर डेपूटेशन पर नहीं रखा जाय–यह गवर्नमेन्ट की पालिसी है। जनलेखा समिति में भी यह आश्वासन दिया था, उसके बाद भी डेपूटेशन पर रखा। उसको शिकायत की गई तो थोड़े दिन बाद नौकरी से निकाल दिया गया। उस समय के एजूकेशन मन्त्री भी चले गये। तो मन्त्री ने जो आज्ञा दी उसकी तामील नहीं हो पा रही है। मैं उसकी वकालत करने नहीं आया हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सदन के अन्दर इस तरह के केसिज के बारे में जिक्र होता है तो आप इसमें दे दें। गवर्नमेन्ट का जो वर्किंग है उसमें कागज उड़ने की प्रक्रिया चलती है। कागज पकड़ाई में नहीं आ रहे हैं। मैं कहता हूं जो आडिट आब्जेक्शन और इन्सपेक्शन रिपोर्ट का प्राविजन बना रखा है कौनसे अधिकारी ने बनाया? यह हमारे मुख्यमन्त्री ने बनाया? आडिट आब्जेक्शन्स एक महीने में तय होना चाहिए। अगर तीन साल पहले के भी आडिट आब्जेक्शन्स आउटस्टैंडिंग हैं तो हम कहां जिन्दा रहेंगे? सदन को चलाने के लिए आपको और हमको निर्णय करना पड़ेगा राज्य सरकार का वर्किंग समाजवाद लाएगा या और कहीं वह ले जाकर हमको डुबोएगा? मैंने प्रश्न पूछा था। अनफार्चुनेटली मैं उस समय सदन में नहीं था। मिनरल कन्सेशन रूल्स दिल्ली से बनकर आए 1949 में बनें। उसके बाद अमेण्डमेण्ट आया। उस अमेंडमेंट में लिखा है उन्होंने कि 9 महीने में एक दरख्वास्त जरूर डिस्पोज आफ होनी चाहिए। लीज देने का सवाल, मिनरल डेवलपमेन्ट का सवाल 9 महीने में तय होना चाहिए मैंने जाकर देखा कि 5 साल में कितनी एप्लीकेशन्स आई तो पता लगा कि 2500 एप्लीकेशन्स में से 2 00 दरख्वास्तें ऐसी थीं जो 15 महीने से पहले डिस्पोज आफ नहीं हुई। एक एप्लीकेशन को डिस्पोज आफ करने के लिए 9 महीने काफी नहीं हैं? स्टेटुटरी प्रोवीजन बना दिया उसके बाद 2 वर्ष तक भी कुछ नहीं हुआ लेकिन सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया गया। अगर वास्तव में सही है तो मैं अधिकारीगण से नहीं कहना चाहता लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अल्टीमेटली अधिकारी क्या चाहते हैं? आप समाजवाद की हवा बांधकर, गुबारा छोड़कर कहते हैं कि समाजवाद इस देश में आकर रहेगा। कहां आएगा? कैसे आएगा?

सरकार ने नोटीफिकेशन निकाला था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का था, मदेरणा साहब रेवेन्यू मिनिस्टर थे। नोटीफिकेशन निकाला गया था। रेगुलेराइजेशन आफ अनआथोराइ

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

इग्ल लैण्ड का। मैं जयपुर की बात नहीं कहता यह चमार, भील और दूसरे गरीबों से सम्बन्धित है। नोटीफिकेशन में था की 16 फरवरी 1955 के पहले के सब केसेज रेगुलेराइज किए जायं। इन्सपेक्टर आफ रेवेन्यू और पटवारी का कहना है कि हमारे पास नहीं आया है। मैंने कहा लिखकर दे दो। लिखाकर ले आया उसमें लिखा था कि पंचायतों को भेज दो, पटवारियों और इन्सपेक्टर्स को भेज दो। कोई सुनने वाला नहीं। मैं कलेक्टर के पास गया, उन्होंने कहा हां आया था लेकिन हमने गवर्नमेन्ट को रेफर किया कि 1955 से पहले के केसेज जो डिस्पोज आफ हो गए, उन पर यह लागू होता है या नहीं? यहां से सचिवालय ने लिखा कि लागू ही नहीं होता। डिसीजन कैबीनेट का 1 सचिव कहता है कि लागू ही नहीं होता है। आपका रेगुलेराइजेशन बेनीवोलेंट एक्शन; हवा में उड़ गया। गरीबों से चमार, भील, रेगर इत्यादि से लाखों रुपये वसूल हुए भीलवाड़ा में। इस बजट की बहस पर अगर कहीं निर्णय करना है तो करें खाली जबानी बातों से काम नहीं चलेगा। इस देश का अगर निर्माण करना है तो ब्यूरोक्रेसी जो आज चल रही है, उससे निर्माण नहीं होगा। मेरा निश्चित मत हो गया। आपके रजिस्ट्रेशन के अटेस्टेशन के केसेज हैं, केवल छाप लगाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तोड़गढ़ के लोग होते हैं। भीलवाड़ा से यहां आने वाला 25) खर्च करेगा। उस समय करा कर ले जायेंगे। दो दो वर्ष से एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं। स्टेज आ गई है, हम हवा में फिर रहे हैं, रास्ता नजर नहीं आ रहा है चारों तरफ अंधेरा है। अगर इस अंधेरे और करप्शन में और रहे तो करप्शन का तो कहना ही क्या, हम करप्शन को मिटाने के प्रयत्न में अन्तर्ध्यान हो जायेंगे। अगर गवर्नमेंट मशीनरी ठीक नहीं हुई तो सिद्धान्त सारे उड़ जायेंगे और कोई रास्ता नजर नहीं आएगा।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): सभापति महोदया, हमारा राज्य, यदि आंकड़े पेश करके कहे कि देश भर में शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ है, तो यह कटु सत्य होगा। अभी जो भाषण हुए उसमें कहा गया कि हम 60 प्रतिशत शिक्षा तक पहुंच पाए हैं। लेकिन हमसे नागालैंड कहीं अच्छा है। सारे राज्य हमसे बेहतर हैं। हमारे सामने लक्ष्य है। कांग्रेस दल घोषणा पत्र जो जारी किया था उसमें जो 10 सूत्री कार्यक्रम है उसमें एक यह भी है कि 1975 तक हम 11 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दे देंगे। बाकी कितने वर्ष हैं? सिर्फ दो वर्ष। 1972-73 का कार्यक्रम बना लिया। देश में हमारा राज्य सबसे पिछड़ा है और इसकी वित्तीय परिस्थिति बिल्कुल खराब है। जो एक हजार पाठशालायें बढ़ा रहे हैं और एक हजार को नए मिडिल स्कूलों में अपग्रेड कर रहे हैं वह भी उस धन से कर रहे हैं जो अनुदान के रूप में भारत सरकार ने दिया है। शायद अपनी वित्तीय स्थिति से कुछ नहीं कर पाते। अगर यही हालत रही तो हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया,

(श्री अमृत लाल गहलोत)

वह असंभव हो जायेगा। मेरे सामने एक नई परियोजना है, स्कीम है। मैंने कुछ वर्ष पहले भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक किताब पढ़ी जो जाने वाले विद्यार्थियों के लिये लिखी गई है, उसके लेखक ने परामर्श दिया है कि विदेशों में दो तरह के वस्त्र मिलते हैं एक तो मेड मेजर और दूसरो रेडी टू वीयर। 'मेड टू मेजर' वस्त्रों के मूल्य 'रेडी टू वीयर' से दुगुना होता है। मैंने उस आधार पर काफी छानबीन की और एक परियोजना तैयार की जो मैं सदन के सामने आपके जरिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसके जरिए हमारे 40 लाख विद्यार्थी आधे मूल्य में वस्त्र खरीद सकते हैं, उसकी थ्योरी 4 चीजों पर बेसड है : स्टेन्डर्डाईजेशन, वेराइटी रिडक्शन मास प्रोडक्शन और मास कन्जम्प्शन। हमारे देश में लगभग 300 कपड़ा मिलें हैं और आई.एस. आई. ने 32 किस्मों को स्टेन्डर्डाईज किया है और लगातार हमारे मंत्रीगण 15 साल से मिल वालों को परामर्श देते रहे हैं कि स्टेन्डर्डाईज्ड चीज बनायें। वे एक लाल वैराइटीज बनाते हैं लेकिन स्टेन्डर्ड को एक भी नहीं है :

'Addressing the eleventh meeting of the General Council of the Indian Standards Institution in March, 1956, Shri T. T. Krishnamachari, the then Union Minister for Commerce and Industry, remarked that the textile industry had not been giving that measure of support it ought to give for standardisation and warned the manufacturers that if they did not willy nilly fall in line in regard to standardisation of cloth, they would be brought within the orbit of the I.S.I."

यह आज से करीब 15–16 साल पहले की बात है

On December 22, 1963, Shri Nityanand Kanungo, Union Minister for Industry and President of the I.S.S. while addressing the 8th Indian Standards Convention at Ahmedabad regretted that the Indian Textile Industry had shown little inclination to implement I.S.I. standards for textile fabrics. He expressed the hope that the industry would implement these standards in its own interest"

लेकिन उनके सुझावों पर भी ध्यान नहीं दिया गया। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बाद में एक इन्डियन प्रोडेक्विटी टीम जापान, यू.एस.ए. वेस्ट जर्मनी वगैरह गयी। तो वहां यह देखा गया कि दूसरी वर्ल्ड वार के बाद से जापान ने इसमें बहुत अच्छी तरक्की की है। और जो टीम वहां गयी उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है।

"Standardisation in Textile Industry:—In Japan and U.S.A. the industry has undertaken a programme of standardisation of basic qualities to progress towards simplification of product and ultimately gain better control over

(श्री अमृतलाल गहलोत)

quality and to achieve higher machine and labour productivity."

जापान ने अपने प्रोडेक्शन के स्टेंडर्डाइजेशन पर काफी ध्यान दिया गया और करीब They employ 80 percent of their productive capacity on standardised variety तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आज हमारे देश में करीब 420 करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिवर्ष बनता है उसमें से 40 करोड़ कन्ट्रोल का कपड़ा होता है उसका 5 प्रतिशत करीब 2 करोड़ मीटर राजस्थान के हिस्से में आता है। इसमें जो अच्छे स्टेण्डर्ड का माल होता है वह तो मिल ओनर्स के रिश्तेदार, के वहां जो लोग काम करने वाले होते हैं या और उनके ही कोई जान पहचान वाले होते हैं वे ले जाते हैं। बाकी का जो कोर्स माल होता है वह दूसरी जनता को प्राप्त होता है। दूसरी जनता को जो माल मिलता है उसकी वैराइटी भी हल्की होती है। कपड़े की वैराइटीज के बारे में लिखा है कि

"In Japan, mills employ nearly 80% of their productive capacity on standardised varieties."

मेरी परियोजना में तीन वैराइटीज को रखा। वैराइटी रिडक्शन के बारे में श्री अशोक मेहता डिप्टी चेयरमैन आफ दी प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि :—

"Such control on supplies will be facilitated if freak variations in quality of cloth and other essential consumable goods are cut down and production concentrated on a limited number of utility goods whose prices and sales can be controlled and directed and where utmost economy is observed in production."

यह योजना अत्यन्त लाभप्रद है। यदि एक विद्यार्थी एक वर्ष में चार ड्रेसेज पहिने और एक ड्रेस पर पांच रुपये का फायदा होवे तो चालीस लाख विद्यार्थियों को इससे करीब 8 करोड़ का फायदा हो सकता है। प्रतिवर्ष इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसा काम किया जाय जिससे फायदा हो। और जो कागजात मेरे पास है वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो माननीय मन्त्रीजी के काम आयेंगे इसलिये मैं उन्हें पेश करता हूं। बस इतना ही मेरा निवेदन है।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री गुमानमल लोढा।

**श्री गुमानमल लोढा** (जोधपुर) : सभापति महोदया, आज सदन में सामान्य प्रशासन, और शिक्षा की मांगों पर बहस चल रही है। सभापति महोदया, आज राजस्थान के प्रशासन के सम्बन्ध में आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री और सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि यहां का प्रशासन खराब है। चरित्रहीन है। सभापति महोदया, किसी भी राज्य की प्रगति के लिये, उसके विकास के लिये वहां के प्रशासन का ईमानदार होना, सतर्कता से काम करने वाला होना बहुत ही आवश्यक है। अगर वहां के प्रशासन में काम करने वाले लोग ईमानदार होंगे, सतर्कता से काम करने वाले होंगे तो

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

वहां के लोगों में जोश होगा। और वह राज्य-प्रगति के पथ पर आयेगा अन्यथा उस राज्य की प्रगति न होकर अवनति होगी। परन्तु दुर्भाग्य से राजस्थान का प्रशासन आज तक इन उद्देश्यों के आधार पर काम करने में असफल रहा। मुझे यह कहते हुए किंचित मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती की राज्य का मंत्रिमण्डल, राज्य का मुख्य मन्त्री भ्रष्ट है और भूतपूर्व मुख्य मन्त्री मोहनलाल सुखाड़िया के वक्त जितना भ्रष्टाचार राजस्थान के प्रशासन में था उसमें वृद्धि ही हुई है। जब हमारे वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने श्री सुखाड़िया से मुख्य मन्त्री पद को सम्भाला था तो उन्होंने बड़ी-बड़ी घोषणायें कीं, वे घोषणायें अखबारों में छपी, आल इण्डिया रेडियो पर प्रसारित हुई और उनका ढिंढोरा पीटा गया। उन्होंने कहा कि या तो मैं खतम हो जाऊंगा या प्रशासन से भ्रष्टाचार को खतम कर दूंगा। पर प्रशासन में भ्रष्टाचार को कमी नहीं आई है। चाहे मुख्य मन्त्री जी यह घोषणायें कर दें कि अब राजस्थान के प्रशासन में भ्रष्टाचार नहीं है और या कह दें कि अब प्रशासन में भ्रष्टाचार की कमी आयी है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि आज राजस्थान के प्रशासन में भ्रष्टाचार की कमी नहीं, वृद्धि हुई है। आज राजस्थान के सेक्रेटरियेट में जाइये वहां घोर भ्रष्टाचार है, और सभी प्रकार की अनियमिततायें हैं। मैं कहूंगा कि राजस्थान का सचिवालय आज It is a big dam of corruption. सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज के राजस्थान के प्रशासन में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज नये मन्त्रिमण्डल में वही पुराने भ्रष्ट मिनिस्टर बैठे हैं। आज राज्य सरकार के प्रशासन में बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी में भ्रष्टचार फैला हुआ है। मैं पूछता हूं कि आपने भ्रष्टचार मिटाने के लिये कौनसे उपाय काम में लिये? कितने राजपत्रित अधिकारियों को आपने दण्डित किया? कितने सरकारी कर्मचारियों को सजा दी गयी? आज आपके मुख्य मन्त्रीजी न जाने कहां कहां चाहे वह पत्रकार सम्मेलन हो, चाहे वह उद्घाटन हो यही कहते हैं कि अब भ्रष्टाचार राजस्थान में खतम हो गया है। मैं आपसे कहूंगा कि आज भी वही हाल है। महीनों तक केसेज के फैसले नहीं होते। लालफीता शाही जोरों पर है, आज नियुक्तियों में भाई भतीजावाद है और भ्रष्टाचार पनप रहा है पर कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी लोग जो रिटायर हो जाते हैं वे बाद में वर्षों तक सचिवालय के चक्कर अपने पेन्शन केसेज वगैरह के लिये लगाते हैं। आज भी, सभापति महोदया, राजस्थान के मुख्य मन्त्री के नीचे वही बात पनप रही है जो राजस्थात में वर्षों से चली आ रही है। मैं कहूंगा कि राजस्थान के प्रशासन में भ्रष्टाचार एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है। आज, सभापति महोदया, आप नियुक्तियों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का बोल बाला पायेगा। नियुक्तियां जो राजस्थान में पहले मेरिट फार्मूले के अनुसार की गयी थी उन्हें हिन्दुस्तान के सबसे बड़े न्यायालय ने गैर कानूनी करार कर दिया है। उसके अनुसार राज्य सरकार के ऊपर यह बाईंडिग थी कि जो मेरिट

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

फार्मूले के आधार पर लोगों की पदोन्नतियां की गयी थीं जो नियुक्तियां की गयीं थीं वह उन्हें खतम करें। लेकिन सभापति महोदया, वह आज तक खतम नहीं की गयी हैं, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि जो मेरिट फार्मूले के अनुसार नियुक्तियां की गयी हैं उन्हें निरस्त किया जाकर रिवाईज्ड आदेश दिये जायं, और उसके अनुसार उन लोगों को जिन्हें प्रमोशन्स नहीं मिले थे, जिनका हक था, उन्हें पदोन्नति दी जाय, और जिन्हें पदोन्नति मेरिट फार्मूले के अनुसार मिल गयी थी उन्हें विदड्रा किया जाय। लेकिन दुर्भाग्य से जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय है जो एक मात्र न्यायालय है जिसका आदेश भारत सरकार तक मानती है, राजस्थान सरकार ने उसके फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया, और उसके आदेशों की पालना नहीं की गयी, और उसके विपरीत आज वहां पदोन्नतियां की जा रही हैं। मैं जानना चाहूंगा मुख्य मन्त्री महोदय से कि क्या कारण है, राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट आफ इन्डिया के जजमेन्ट को नहीं माना? इस सदन में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने और भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अभी भी मन्त्रियों का वही रवैया है, आज भी वही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज मुख्य मन्त्री महोदय आप चाहे बहुमत के आधार पर हमारी बातों पर ध्यान नहीं दें पर सचाई एक दिन इस सरकार को ले डूबेगी। मैं पूछना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट फार्मूले को समाप्त कर दिया तो फिर आज तक उसके निर्णय के अनुसार क्यों नहीं कार्यवाही की गयी? मैं जानना चाहूंगा, सभापति महोदया, आपके मार्फत मुख्य मन्त्री से कि आज कितनी रिट याचिकायें हाईकोर्ट में आपके राज्य सरकार की नियुक्तियों, पदोन्नतियों के खिलाफ पड़ी हुई है? मैं आपसे निवेदन करूंगा, सभापति महोदया, आज सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों की तादाद में इस सरकार के खिलाफ त्रस्त और उत्पीड़ित लोगों ने रिट याचिकायें कर रखी हैं। ये इसलिये की हैं, सभापति महोदया, कि राज्य में जो आज तक पदोन्नतियां हुई हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं वह भाई–भतीजावाद के आधार पर की गयी हैं, इनमें पक्षपात हुआ है। फलां नियुक्ति फलां मन्त्री के रिश्तेदार की वजह से हुई। आज राजस्थान में ऐसी भी नियुक्तियां होती हैं कि जो पैराशूट से हुई हैं। राजस्थान के सहकारी विभाग और दूसरे विभागों में काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे मंत्रियों के रिश्तेदार हैं वे पैरशूट से प्रशासन में आते हैं। उनके लिये रिक्रूटमेंट के लिए परीक्षा पास करना जरूरी नहीं, मंत्रियों के रिश्तेदार हैं उनको वहां लाकर बैठा दिया जाता है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नया मंत्रिमंडल बनने के पश्चात् आपने इस बात की घोषणा की थी कि मेरे मंत्रिमंडल में मैं बेदाग आदमियों को ले रहा हूं जो नये उत्साह, नयी उमंग और शुद्ध भ्रष्टाचार से रहित प्रशासन देंगे और राजस्थान को प्रगति की राह पर ले चलेंगे। उन्होंने एक भी पूर्व आज्ञा को, जिनमें हजारों भाई-भतीजावाद के मामले हैं, हजारों सहकारी विभाग के कर्मचारियों के हकों पर कुठारा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

घात करके भाई भतीजों को नियुक्त किया, जिससे उनके जीवन भविष्य और मस्तिष्क पर भारी असर पड़ा है, पुराने मुख्य मंत्रीजी ने आज्ञायें प्रसारित की थीं क्या नये मुख्य मंत्रीजी ने उनमें से एक भी आज्ञा को निरस्त किया है ? नये मुख्य मंत्री महोदय ने एक भी पुरानी आज्ञा को निरस्त नहीं किया। पूर्व मुख्य मंत्री के द्वारा जो जो भी अन्याय किये गये, उनको समाप्त करने के लिये कोई कदम उठाया है ? नहीं उठाया।

सहकारी विभाग तो उदाहरण के रूप आता है। लेकिन, माननीय सभापति महोदया, हर विभाग में यही स्थिति है। राजस्थान का सारा का सारा प्रशासन भाई भतीजावाद से भरा हुआ है। किसी भी विभाग में चले जाइये, चाहे सहकारी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे ट्रान्सपोर्ट विभाग हो अथवा और कोई डिपार्टमेन्ट हो, सब में यही हाल है। ज्यूडीशियल डिपार्टमेंट को भी नहीं छोड़ा गया है। हमारे नये मुख्य मंत्री महोदय ने नये मंत्रिमंडल का भार सम्हाला तो इन्होंने भी भाई भतीजावाद को पनपाने का रास्ता अख्तियार कर लिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने श्री चान्द मोहम्मद कुमारानन्द वर्सेज बृजमोहन के केस में जिस व्यक्ति के लिए यह स्ट्रिक्चर पास किये थे कि उसमें बृजमोहन के खिलाफ भ्रष्ट कार्यवाही की है' चुनाव के समय, उसी चान्द मोहम्मद को न्याय पढ़ाने के लिए बिना किसी इन्टरव्यू के, बगैर किसी पब्लिक सर्विस कमीशन की आज्ञा या रिकमन्डेशन के नियुक्त कर दिया।

**श्री केसरीमल** : आप गलत कह रहे हैं। कोर्ट ने कहीं नहीं कहा।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कुमारानन्द वर्सेज बृजमोहन के केस में स्वामी कुमारानन्द के चुनाव के समय चान्द मोहम्मद ने बृजमोहन के खिलाफ चुनाव प्रचार करते हुए पुस्तिका निकली जिसका शीर्षक चोरों के सरताज हैं, उसमें इस प्रकार का बृजमोहन पर आरोप लगाया। कार्य संचालन करने वाले यही चान्द मोहम्मद थे।

**श्री केसरीमल** : वह सब मैं जानता हूं।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : फिर आप जान बूझ कर छिपा रहे हैं। कुमारानन्द का चुनाव अवैध घोषित किया गया। मुख्य मंत्री ने उसी आदमी को नियुक्त किया कानून पढ़ाने के लिये।

बालोतरा के एक के व्यक्ति खिलाफ आरोप था कि पाकिस्तान के साथ गतिविधियां रखने वालों के साथ उसका सीधा मेल जोल है लेकिन उसको डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट बना दिया, प्रेसर डाला गया, एडवोकेट जनरल ने यह आज्ञा प्रसारित कर दी कि डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट रख लिया जाए लेकिन ऐसे मुकदमे, जो पाकिस्तानी स्पाइज से सम्बन्धित हों, की फाइल उनको नहीं दी जाय। उनको वापिस लाकर राजस्थान हाईकोर्ट में प्रस्थापित कर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चाहे उनको यह बात कड़वी लगे लेकिन मेरा परम कर्त्तव्य है जो मैं अदा करना चाहूंगा। एक यही वास्तविक तस्वीर है नये भारतवर्ष की, राजस्थान की और राजस्थान प्रदेश की कि एक के बाद एक ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियां की जायं। इतना ही नहीं, माननीय सभा-

# Page No. 142



(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पति महोदय, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को राजस्थान प्रशासन के लिए चयन करने का अधिकार है, आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जब आर.जे.एस. लोगों का चयन होता है, मुन्सिफ का चयन होता है तो राजस्थान हाई कोर्ट का कोई जज वहां नहीं जाता है और जो भी चयन होता है, सलेक्शन होता है वह मेरिट के आधार पर नहीं होता है इसीलिये 8 साल से राजस्थान हाई कोर्ट का जज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की बैठक में नहीं जाता है। लोगों को सही इन्साफ मिले इसलिये राजस्थान हाई कोर्ट ने बार बार राजस्थान सरकार को लिख कर भेजा है कि कानून और न्याय को समझने वाले लिये जायें और इसके लिये राजस्थान जज को नम्बर देने का अधिकार दे तब ही सही निर्णय हो सकता है लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया। वह संघर्ष आज तक चल रहा है। नये मुख्य मंत्री महोदय ने अथवा कानून विभाग के मंत्री महोदय ने इसको हटाने का आज तक प्रयास नहीं किया। नतीजा क्या हुआ वह आपके सामने है। अभी अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सलेक्शन हुआ, सलेक्शन में एक दो तीन चार व्यक्तियों को लिया गया लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने न्यायाधीश को नहीं भेजा। उनका कहना है कि जब तक नम्बर देने का अधिकार न दिया जाय, जज को वहां भेजना बेकार है। एक आदमी ऐसा लिया गया। हमारे यहां कहावत है उसको चरितार्थ करते हुए कानून मंत्री के सुपुत्र को लिया गया। हरिदेवजी जोशी हैं, उनके रिश्तेदार को लिया। तीन चार व्यक्ति उनकी जान पहिचान के हैं उनको लिया गया विष्णुदत्तजी ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं। उन्होंने दो तीन व्यक्ति अपने ले लिये। राजस्थान हाई कोर्ट जज के अभाव में इस प्रकार की धींगा मस्ती चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। न्याय प्रशासन में भी ऐसे व्यक्ति चुन कर जावेंगे, सभापति महोदया, आप ही सोचिये कि कैसे लोगों को न्याय मिलेगा, कैसे कानून का राज होगा, कौन इन्साफ देगा, किस प्रकार न्याय पायेंगे नागरिक? मेरा निवेदन है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एक्ट में तब्दीली की जाय। विभाग के एक्सपर्ट को नम्बर देने का अधिकार दिया जाय।

**श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास** : किन दूसरे क्वालिफाइड आदमियों को रिजेक्ट कर दिया वह बतायें?

**श्री गुमानमल लोढा** : मेरे पास लिस्ट है। मूल भूत कारण है राजस्थान हाई कोर्ट का जज वहां बैठ कर निर्णय नहीं ले सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट का ही सवाल नहीं है, चाहे किसी डिपार्टमेंन्ट का हो, इरिगेशन, एजूकेशन। उसका अधिकारी नम्बर नहीं दे सकता तो दर्शक की तरह आयगा और चला जायगा इसलिए नम्बर देने का अधिकार उनको दिया जाय। राजनैतिक क्षेत्र में जो चुनाव हार जाय या कार्यकाल जिनका समाप्त हो जाय उन पर मंत्री मंडल की मेहरबानी हो जाती है और उनको वहां ले जाकर बैठा दिया जाता है और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एक्सपर्ट्स आते हैं वे नम्बर नहीं दे सकते। इसलिए

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

इसमें मूलभूत परिवर्तन किया जाय। एजूकेशन, इर्रिगेशन आदि विभागों के एक्सपर्ट्स को नम्बर देने का अधिकार होना चाहिये। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आर.जे.एस. के इन्टरव्यू में हमारे यहां पब्लिक सर्विस कमिशन ने उनसे प्रश्न पूछा कि बताइये आप भारतवर्ष के अन्दर सबसे अधिक सुन्दर अभिनेत्री कौनसी है ? यह आर. जे. एस. के लोगों से हमारे यहां पूछा जाता है और क्यों पूछा जाता है इसका स्पष्ट कारण है कि वह कानून को जानते नहीं, वह एक्ट बनाते नही इसलिये वे अपना कोटा पूरा (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) करते हैं। चेयरमेन अपना कोटा पूरा करता है और हमारे यहां के मेरिट रखने वाले लोग रह जाते हैं। माननीय सभापति महोदया, इतना ही नहीं मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा प्रशासन आज राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। पिछले चुनावों में जिस प्रकार से प्रशासन के अधिकारियों ने खुलकर सत्तारूढ़ दल के साथ खेलकर अनियमितता बरती चाहे वह यू.आई. टी. के चेयरमैन कलेक्टर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हों और चाहे पी.डब्लू. डी. के इन्जीनियर हों। रातों रात सड़के बन गई, नल लगाये गये हजारों स्थानों पर . . .

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** हजारों सड़कें एक रात में बना दी गई ?

**श्री गुमानमल लोढा :** आपको उदाहरण दूंगा कि जोधपुर नगर में ब्रह्मपुरी में चुनाव के पिछली रात डामर लगाई गई और मण्डलनाथ जैसी जगह पर पाईप लाईन डाली गयी। इलेक्शन समाप्त हो गये और पाइप वहां पर पड़े हुए हैं पानी गया नहीं और आज तक वहां जाने वाले व्यक्ति यही कहते हैं कि पहला अवतार देखा, दूसरा अवतार देखा, तीसरा अवतार देखा लेकिन हमेशा यही होता है कि प्रशासन आंख मीचकर सब प्रकार की अनियमिततायें करता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

**श्रीमती सभानेत्री :** आपकी पार्टी के 35 मिनट थे वह पूरे हो चुके हैं।

**श्री गुमानमल लोढा :** तो क्या मेरी पार्टी को 35 मिनट ही मिले थे ?

**श्रीमती सभानेत्री :** जी हां।

**श्री गुमानमल लोढा:** कम्युनिस्ट पार्टी को आपने 60 मिनट तक बोलने दिया। मेरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से कम है क्या ?

**श्रीमती सभानेत्री :** कोशिश तो यही की थी कि वह सीमा में खत्म कर देते।

**श्री गुमानमल लोढा :** मैं भी जल्दी समाप्त कर दूंगा।

माननीय सभानेत्री महोदया, पिछले माह अलवर में जिस प्रकार से प्रशासन का दुरुपयोग किया गया वह मैं सदन के सामने लाना चाहता हूं। नगरपालिका के अविश्वास के प्रस्ताव को लेकर सभा होने वाली थी। यह अतिरिक्त जिलाधीश का कार्य था कि वह वहां आकर सभा के अन्दर अध्यक्ष बनकर इस बात की घोषणा करता कि अविश्वास का प्रस्ताव गिरा अथवा स्वीकार

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हुआ। लेकिन प्रशासन किस प्रकार से भ्रष्ट किया जाता है राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये इसका इससे अधिक ज्वलन्त उदाहरण नहीं मिलेगा। एस.पी. पुलिस की जीप लेकर खड़े रहे अतिरिक्त जिलाधीश के लिये कि आइये और चलिये मैं आपको ले जाता हूं नगर पालिका में और आप सभा करवाइये और अविश्वास गिरता है या क्या होता है।

श्री **राजेन्द्र कुमार भारतीया** : शिक्षा की मांग है।

श्री **गुमानमल लोढा** : सामान्य प्रशासन की मांग भी है। वहां, पर सभापति महोदया आपको आश्चर्य होगा कि सदस्य वहां पर इन्तजार करते रहे और अतिरिक्त जिलाधीश समय निकालते रहे। अविश्वास का प्रस्ताव गिरने वाला था, अविश्वास का प्रस्ताव पारित नहीं होने वाला था, यह प्रस्ताव सत्तारूढ़ दल ने दिया था। एक बार प्रस्ताव गिरने के बाद फिर 6 महीने तक आ नहीं सकता इसलिये अतिरिक्त जिलाधीश ने जनतंत्र का खून करके, प्रजातंत्र की हत्या करके समय निकाल दिया और वे सभा करने नहीं गये। यह तरीका है हमारे प्रशासन का। यह पहला उदाहरण नहीं है, माननीय सभानेत्री महोदया, राजस्थान हाईकोर्ट में मकराना का केस आया था और जस्टिस जगत नारायण ने कहा था कि चार बार अविश्वास प्रस्ताव के साथ खिलवाड किया जोशी जी इस बात को जानते हैं कि एक बार तो जिलाधीश ने कहा कि मैं जा रहा था तो मेरी जीप का टायर बर्स्ट हो गया; दूसरी बार उसने कहा कि मैं आ रहा था लेकिन बरसात आ गई और इसलिये मैं बीच में हो रह गया, तीसरी बार जिलाधीश ने कहा कि मैं जा रहा था लेकिन मेरा बच्चा बीमार हो गया जस्टिस कानसिंह ने कहा कि इस प्रकार से न्याय के साथ खिलवाड किया जाये और हमारे प्रशासन करने वाले लोग सत्तारूढ़ दल को हमेशा कायम रखने का दुस्साहस करें यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा समानेत्री महोदया, प्रशासन के अन्दर आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये। केवल नारेबाजी से काम नहीं चलेगा भ्रष्टाचार मिटाने का ढोल पीटने से काम नहीं चलेगा सेट-अप किया। तीन बड़ी मिसालें हमारे सामने तीन बड़े देशों की हैं। यह तो आप कह सकते हो कि आजादी के पहले हमारा समय नहीं था पालिसी फ्रेम करने का लेकिन आपको काफी समय मिल गया उस समय और आज के दरमियान तक मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउन्टेबल बनाने के लिए आपने क्या काम किया? कुछ घोषणायें की आप इसको टोन-अप कहें, स्ट्रीमलाइन कहें, री ओरीएन्टेशन कहे कुछ भी शब्द इस्तेमाल करें, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति लोगों में विश्वास नहीं है। भावनायें जागी थी तो कोई भी साधारण कार्यकर्ता, कोई भी पब्लिक का आदमी अदालत में जायेगा तो बिना रिश्वत के उसका काम हो जायगा 15-20 साल से लोग एक ही जगह पर बैठे हुए है। जोधपुर में पुलिस के एक ऐसे अधिकारी हैं जो कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के कृपा पात्र हैं और 20 साल से बड़ी पोस्ट पर वहीं रह रहे हैं और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने बड़े जोरों से घोषणा की थी कि 2 साल से

(श्री गुमानमल लोढा)

ज्यादा कोई किसी स्थान पर नहीं रह सकेगा। कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए। राजस्थान की ढाई करोड़ जनता आपके कार्यों को देखना चाहती है, बातों को नहीं और घोषणाओं को नहीं। अतः मैं माननीय सभानेत्री महोदया केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारे सामान्य प्रशासन के अन्दर एक ओर जहां प्रमोशन के मामले में स्ट्रिक्टली ज्यादा सीनियोरिटी से होने चाहिए और मेरिट के उसमें कम मार्क्स लगने चाहिए ताकि राजनैतिक प्रभाव और गोलमाल होने की गुंजाइश कम रहे। इसी तरह से दूसरी ओर हमारे प्रशासन को राजनैतिक नेताओं के दबाव से दूर रखने के लिए इन्डीपेन्डेन्टली काम करने के अधिकार देने चाहिए और राजनैतिक भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए अथवा जो बड़ी बड़ी घोषणायें करते हैं कि हम सब को समाप्त कर देंगे मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मुझे लगता है जैसा कि रामानन्दजी अग्रवाल ने कहा कि यह घोषणायें झूठी साबित होती हैं और मानव आगे बढ़ना चाहता है, राजस्थान का दबा हुआ किसान, मजदूर और कर्मचारी प्रगति करना चाहता है, उनके रास्ते में रोड़े बनकर आना चाहते हैं इन रोड़ों को आप समाप्त कर दें।

**श्रीमती सभानेत्री** : श्री केदारनाथ।

**श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : सभापति महोदया, आज शिक्षा और प्रशासन पर बहस करने का मौका मिल रहा है। मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि देश की आजादी के बाद हमने और हमारी सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करने के बारे में कभी गम्भीरता से विचार नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि जिस देश के पास अपनी हुकूमत आती है अपनी नीतियों के मुताबिक वह एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ढालते हैं। आज उस एडमिनिस्ट्रेशन का री-ओरियन्टेशन कर सकें

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

(4.38 म.प.)

यह हमारे सामने मुख्य प्रश्न है। चाइना में मानवर रिवोल्यूशन के नाम से पर्व किया पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर। एक तो वह तरीका है। एशिया ने अपने तरीके से पज किया और ब्रिटेन ने अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के जरिये से वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बिना किसी मदद के कागज सरकने लगेंगे। चाहे सेक्रेटेरियट लेवल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर ले लें, चाहे तहसील लेवल पर ले लें, चाहे पंचायत लेवल पर ले लें यह विश्वास धीरे धीरे मिटता जा रहा है। जो आशा पैदा हुई थी वह धीरे धीरे फिनिश होती जा रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मौजूदा सरकार पर।

मान्यवर, एक वक्त था जब हमारे आपस में नेक टू नेक रिलेशन्स थे, अपोजीशन और रूलिंग पार्टी के। एम एल. एज. को कुअर्स करने के लिए पहले कोशिश की जाती। उससे नहीं होते तो उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती और इससे भी काम नहीं चलता तो उनको करप्ट करने के लिए, उनके इन्ट्रेस्ट में, रूलिंग पार्टी के इन्ट्रेस्ट में उनको लेकर चले। अब वह बात बदल गई है। अब आपका बहुत बड़ा बहुमत है। वे पुराने रिवाज जो थे कि एम.

(श्री केदारनाथ)

एल.एज. को कुअर्स करो, उनको करप्ट करो उससे आपने डिपार्चर ले लिया है। वह जो बेसिक रूल था उससे आपने डिपार्चर ले लिया है। यह मैं मानता हूँ। लेकिन अब इसका री-ओरियेन्टेशन कीजिए, इसके बारे में स्टेप्स उठाइए। आज आपका मौजूदा मंत्री मण्डल आपके हाथ में है, आयन्दा एक्सटेन्शन आपके हाथ में है, इसको किस प्रकार री-कान्सटीट्यूट करें यह आपके हाथ में है। किसको मंत्री लें, किसको कौन सा पोर्टफोलिया दें यह आपके हाथ में है। मैं तो एक ही बात निवेदन करना चाहता हूँ, आप एक ही बात को देख कर चलें कि एम.एल.ए. और मन्त्री का क्या रिलेशन हो। एम.एल.ए. और एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए और जनता के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए। ये हैप्पी रिलेशन्स किस आधार पर बनें, कौन से कन्वेन्शन्स हों, कौनसी पोलिसीज हों, कौन से प्रोग्राम्स हों। अगर मौजूदा आज का कांग्रेस का मंत्रिमंडल कांग्रेस के प्रति वफादार है, कांग्रेस ने जो प्लेजेज किए हैं, जनता से जो वायदे किए हैं, मौजूदा मन्त्रिमण्डल उसके लिए आसरेबल है। मैं समझता हूँ कि मन्त्रिमण्डल, जो कांग्रेस कमेटीज हैं, जिले की जो कमेटीज हैं, उनमें इनीशियेटिव पैदा करें। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में माद्दा पैदा होगा और इसका रिफ्लेक्शन्स एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ेगा। आज एक मन्त्रिमण्डल का सदस्य जो अपने सब्जेक्ट में माहिर नहीं, उसमें अपने सब्जेक्ट की ग्रेप्स नहीं, नोलेज नहीं, सब्जेक्ट से कन्वरसेन्ट नहीं तो कन्फ्यूजन होता है। कभी भी उसका प्रोजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन पर नहीं पड़ सकता है। चाहे कितना ही प्रयत्न करें, कितना ही टेम्पर करो, अगर नीतियों के बारे में कन्फ्यूजन है तो मैं समझता हूं कि जो आपका सेक्रेटरी है वह आपकी बात मान लेगा, कभी नहीं मानेगा। आज जिस तरीके से कार्यकर्ता से लीडर बनते हैं और मन्त्रि मण्डल के सदस्य बनते हैं, अगर वे स्ट्रगल के बीच में से पैदा होते हैं, अगर कार्यकर्त्ता से नेता पैदा होते हैं और स्ट्रगल के बीच में से आगे बढ़ कर इस स्टेज पर आते हैं तो उनमें इनिशियेटिव ड्राइव होगी और उनको सेक्रेटरी कभी डिक्टेट नहीं कर पायेगा ये नए कन्वेंशन कायम कीजिये जिससे कार्यकर्ता की इज्जत बने, कांग्रेस कमेटीज आपको गाइड करे, आपकी पॉलिसीज को डिसाइड करें, उन पर काफी डिस्कशन हो और एक वज़न उनका बने। मान्यवर यह जो रूलिंग पार्टी के उत्तरदायित्व की बात है वैसे ही अपोजीशन पार्टी की भी बात है। हम मानते हैं कि हमारा रोल भी इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं रहा। हमारा रूल भी पोजिटिव नहीं रहा। देश के अन्दर डेमोक्रेटिक तरीके से जो विजन हमें पैदा करनी चाहिए थी वह नहीं कर सके और इसका परिणाम भी हमने देख लिया। आज जो कांग्रेस को मास मैंडेट मिला है वह भी हमारे सामने है। हमें अपने कार्यों का परिणाम मिला है। इस लिए जिस देश में डेमोक्रेटिक मीन्स से वेल्यूज पैदा करना चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि जनता के अन्दर वैल्यूज पैदा करना चाहते हैं, सोशियो—

(श्री केदार नाथ)

इकोनोमिक चेंजेज लाना चाहते हैं तो उसके लिए रशियन वैल्यूज को अपनाना जरूरी नहीं है, चाईनीज तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है। हालातों के माफिक अपनी खुद के व्यूज को अपनाएं। किसी से हम थोट्स ले सकते हैं, कन्वर्शन हमारे यहां हो सकता है। इसके लिए कुछ गाइडेन्स चाहिए, इसके लिए कुछ इनिशियेटिव चाहिए, ब्रेन और ड्राफ्टिग चाहिए। यह हमें सब कुछ समझना चाहिए आज मैं यह जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात चल रही है उस पर इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां पर इनएफिशियेन्सी है, हमारे यहां पर नेपोटिज्म होता है, कैसे केसेज हैं जिनमें आम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लेप्सेज के बारे में कहते हैं। कभी हमने सोचा है इस बारे में कि हम अपने लेप्सेज को बन्द करना चाहते हैं। कभी हमने सोचा कि हमारे आफिसेज में काम में डिले क्यों होती है? ज्यादा बेगार तो हमने अपने आप पैदा कर रखी है। मान्यवर, मैं यह बात मानता हूं कि 17–18 साल का बिगड़ा हुआ एडमिनिस्ट्रेशन चार छः महीने में नहीं सुधारा जा सकता इसमे समय लग सकता है। लेकिन आप आज मासरे बल बन गए हैं, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यों के लिए आप आसरेबल पार्टी है। इसलिए आप जो भी कन्वर्शन करने के बाद फैसला कर लें उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में इनिशियेटिव ड्राइव पैदा करें। इसका जनता पर असर पड़ेगा, आपकी मशीनरी पर असर पड़ेगा। आज सीलिंग के बारे में बहुत सी बातें होती है, प्रोपर्टी की सीलिंग के बारे में और लैन्ड की सीलिंग के बारे में कितने मतभेद चल रहे हैं। डेमोक्रेसी में मतभेद होने चाहिए, काफी डिस्कशन होने चाहिए और डिस्कशन्स के बाद जो भी फैसला हो जावे उसको एक बार आप लागू कर दें। छः महीने बाद फिर चेंज कर सकते हैं, फिर अमेंडमेन्ट ला सकते हैं। लेकिन जो टाइम बाउण्ड प्रोग्राम है, टाइमली परशूएशन करके इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए तभी जाकर मशीनरी रैस्पोंसिबल होगी, वरना नहीं होगी।

मान्यवर, आज तक जो स्टेप्स ब्यूरोक्रेसी ने लिए हैं, ये हायर क्लास के लोग हैं, किस क्लास के लोग हैं, कौनसी एजूकेशन इनको मिली है और किन कण्डीशन्स में इनको काम करने का मौका मिला है, कैसा इनको इकानौमिक स्टेटस मिला है, हम भी मानते हैं। करप्ट पोलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी का मेल है। यह एक इल्लीगल मैरिज है। यह कैसे बदल पायेंगे। आल इण्डिया सर्विसेज और राज्य की सर्विसेज में कैसे रिलेशन कायम कर पायेंगे, जो छोटे अहलकार हैं, जो चपरासी हैं और दूसरी क्लासेज हैं उनमें और मुख्य सचिव में कैसे रिलेशन कायम कर पायेंगे? मैं समझता हूं कि यह सारा सोचने का तरीका है। तो इतनी ही बात कह कर मौजूदा मन्त्रिमण्डल के बारे में मैं कहना चाहता हूं और मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि बतौर अपोजीशन के हम इस बात को कहें यह नहीं है। जो मास मेन्डेट आपको मिला है उसमें हमारा फर्ज है कि हम आपको मौका दें। मन्त्रिमण्डल में कोई भी सदस्य हो, कितना भी उसकी पर्सनल क्वालिफिकेशन के बारे

(श्री केदार नाथ)

में मतभेद हो लेकिन जिस मास मेन्डेट को लेकर वह यहां पर आया है, उसके लिए वह वारन्ट करता है, मांग करता है। इनको आप मौका दीजिए। अगर उनको मौका मिलता है और मौका मिलने के बाद भी वह कुछ नहीं कर पाते हैं तो अपोजीशन का फर्ज है कि वह बराबर इन पर अटैक करे, इनके कामों पर उनको मौका मिले अटैक करने का। अगर हमारे मुख्य मंत्री, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अगर किसी सदस्य के लेप्सेज के लिए एक्शन नहीं लेते हैं तो अपनी पार्टी के लिए जिम्मेदार है। अगर चीफ मिनिस्टर भी एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर रूलिंग पार्टी का जिम्मा है कि वह इस बात को देखे। तो मैंने कुछ बातें इस मौके पर मंत्रिमंडल के बारे में कही और मान्यवर मैं यह चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पर विचार करें वक्त रहते। जो प्राब्लम डिस्ट्रिक्ट्स की हैं, 7-8 डिस्ट्रिक्ट उनको स्ट्रीम लाइन करें। जो व्यक्ति सिक्रेटेरियट में सात साल तक रह गये हैं उनको डिस्ट्रिक्ट में लायें। जो अच्छे एलीमेंट्स हैं उनको बाहर काम करने का मौका दें। जो यहां पर ग्रोनेस्ट, इफिशिएंट और ईमानदार आफिसर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाने दें क्योंकि पोलिसीज का इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो जो पालिसीज आप यहां तय करते हैं उनका इम्पलीमेंटेशन पर असर पड़ता है। इनको अगर आप स्ट्रीम लाइन कर पायेंगे तो, बहुत काम हो सकेगा। मैं समझता हूं कि आपने ऊपर के लेवल पर हाउस की कंटेंटिव कमेटीज बना दी हैं इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी काम कुछ करें। वहां के लिए भी आप किसी तरह का प्लानिंग करें ताकि जो आपके वर्कर्स हैं, जो ईमानदार कांग्रेस के कार्यकर्ता और दूसरे लोग हैं उनको काम करने का मौका मिले। वहां पर भी अगर एडवाइजरी बाडीज की तरह वह काम करें तो जो आप सेक्रेटेरियट की मार्फत काम कराना चाहते हैं वह काम वहां हो सकेगा। इसका असर पड़ता है। मैं समझता हूं कि आज अपोजीशन का रोल होना चाहिए कि कांग्रेस पर रिलायंस करो वर्कर्स पर रिलायंस करे और डिस्ट्रिक्ट और पंचायत लेवल पर डेलीबरेशन्स करके पोलिसी डिसाइड करें। मैं समझता हूं कि यह आपके हित में होगा। अगर कांग्रेस पार्टी छः महीने में भी काम नहीं कर सके तो फिर यह अपोजीशन का फर्ज होगा कि वह अपना फर्ज अदा करे। आज देश में एक पार्टी का रूल है। अपोजीशन आयन्दा कितना काजेज को मस्टर कर पायेंगे यह तो अपनी अपनी पोलिसीज के मुताबिक होगा मगर यह जो वैक्यूम आ गया है जनता के अन्दर, उस वैक्यूम को किस प्रकार भरें? अगर वैक्यूम को आपने लिंगर ओन करने दिया, तो निराशा पैदा होगी, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा और दिमाग उलट जाएगा यह केवल सेक्रेटेरियट में सुधार कर दें, केवल एक दो अफसरों को आप ठीक कर दें तो इससे भ्रष्टाचार मिटेगा नहीं और आपकी जो भ्रष्टाचार मिटाने की घोषणायें हैं वे असफल होंगी। कोई सुधार आने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि डेमोक्रेटिक तरीके से सोचते हैं तो उसी ढंग से आप प्लानिंग कीजिए और वैसा ही आपका विजन, आपका सोचने का

(श्री केदार नाथ)

तरीका होना चाहिए। यही मैं इस मौके पर जन. एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहता हूं।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त लेक्चरार हैं उन्होंने मुझे दो तीन कापीज दिखाई। उसमें एक प्रश्न था कि भूमि सुधार क्या है। तो बी. ए. के लड़के ने उत्तर दिया था कि जो घास फूस हो उसे हटा कर, टीलों को हटा कर भूमि को समतल कर देना भूमि सुधार है। यह हमारी शिक्षा का स्तर है आज का। और भी हंसी की चीजें हैं, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आदि के बारे में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन कालेजों में हम पढ़ाने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों और हाई स्कूलों में पढ़ाने जा रहे हैं तो वहां से प्रोडक्ट निकल कर कौनसी वेल्यूज को लेकर आता है। आज मांग चल रही है कि जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनको नेशनलाइज कर दिया जाये। यह मांग इसलिये चल रही है कि आज यह स्टेट के बस की बात नहीं है कि आप इन बच्चों को शिक्षा दे पावें। न तो हैल्थ की तरफ आपका दृष्टिकोण है और न पढ़ाई की तरफ आपका दृष्टिकोण है। बच्चों को स्कूलों में एडमिशन दे दिया और आपका पर्सेन्टेज बढ़ गया। न तो स्कूलों में टाट पट्टियां हैं, न स्कूल की बिल्डिंग है। स्कूल टीचर गायब रहता है। बच्चे आते हैं और चले जाते हैं. दो-तीन महीने, जून, जुलाई में आ गये और हाजरी हो गई। इसके बाद बरसात के बाद हाजरी नहीं होती है। फिगर्स आ जाते हैं, 75 पर्सेन्ट, 65 पर्सेन्ट। जिस देश में बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिये, हैल्थ मेन्टेन करने के लिये हैल्थ के साथ मेन्टल मेक अप और वेल्यूज पैदा करने के लिये आपके पास में मिशनरी स्कूल्स नहीं हैं तो आप सोचिये यह डेमोक्रेटिक बिल्डिंग किस पर आप खड़ी करना चाहते हैं। यह चीज है और मौजूदा मेरे स्टूडेन्ट्स सुन रहे हैं, जो मौजूदा लीडरशिप है वह इस क्वालिटी के लोगों के हाथ में है जो कि पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो तब्दीली को नहीं चाहते हैं और जो नई वेल्यूज को नहीं अपनाना चाहते हैं और इसीलिये एग्जामिनेशन के हाल टूटते हैं। झगड़ा होता है इन बातों के लिये ताकि लोगों में कन्फ्यूजन न हो और कोई क्रान्तिकारी प्रोग्राम पैदा न हो। हमारे स्कूलों, कालेजों में जो एजूकेशन दी जा रही है। उसका रियेलिटिज के साथ कोई स्कोप नहीं है। यह एजूकेशन रिअलिटीज के साथ मेल नहीं खाती और इसको कोप करना भी बड़ा मुश्किल है। इसको चेन्ज करने के लिये चाहे आप ओपन बुक सिस्टम से एग्जामिनेशन लें चाहे और किसी ढंग से तब्दीली करें। इस पर कई कमेटीज की रिपोर्ट आ गई है, कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, उनके फैसले आपके सामने हैं। आप कुछ तो करें। एक बार फैसला कर दें। मान्यवर, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राईमरी स्कूल वे चाहे पंचायत समिति के स्कूल हों, चाहे सरकारी प्राईमरी स्कूल हों, चाहे वे इंगलिश मीडियम के स्कूल हों, चाहे वे रिलीजिअस इन्स्टीट्यूशन्स के स्कूल हों-इन स्कूलों को, इन बच्चों के स्कूलों को आप नेशनलाइज कर दीजिये। उनका एक ही कन्सेप्शन हो,

(श्री केदार नाथ)

एक ही कन्विक्शन हो, एक आइडियोलोजी हो, एक ही सिस्टम हो, एक ही सिलेबस हो और एक ही कोर्स हो, बच्चों को वैसी ही डाइट दीजिये और जो फालतू खर्चा यहां पर हम कर रहे हैं, इतने बड़े एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, जो योजनाएं बना रहे हैं, वे सब योजनाएं फेल हो जायेंगी अगर स्कूलों से अच्छी लीडरशिप पैदा नहीं होगी। परन्तु इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। आज आप एक हजार नई प्राइमरी स्कूलें खोल रहे हैं, एक हजार प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में क्रमोन्नत कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात है परन्तु यह आप क्वान्टिटी ही बढ़ा रहे हैं। एक जिले में एक माडल मिडिल स्कूल हो, एक पंचायत समिति में एक प्राइमरी माडल स्कूल हो, अगर ऐसा करते हैं तो यह एक चेन्ज होगा। इससे एक नई हवा पैदा होगी। एक तरफ आज इंगलिश मीडियम स्कूल है, रिलीजियस स्कूल्स हैं और इनसे बच्चों के दिमाग में भेद पैदा होता है। इंगलिश मीडियम स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं और आम प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें फर्क होता है। इससे देश की एकता बढ़ेगी, भेद भाव मिटेगा? सरकारी प्राइमरी स्कूलों में गरीबों के बच्चे जाते हैं। उनको खाने के लिये अच्छी खुराक नहीं मिलती है, खेलने के लिये मैदान नहीं है। घर में आते हैं तो उनको दिक्कत रहती है और उसके मुकाबले में जो इंगलिश मीडियम स्कूल हैं तो इन दोनों का मुकाबला करिये, इससे देश में एकता नहीं आयेगी। 75 प्रतिशत गरीबों के बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं और दस, पन्द्रह प्रतिशत ही दूसरे स्कूलों में पढ़ते है। इन स्कूलों में बच्चों का एक और ही तरह का आइडिया बनता है और इस प्रकार इन्सान इंसान में फर्क पैदा होता इससे उनकी वेल्यूज में भी भिन्नता आयेगी। फिर कालेज और स्कूलों में जब ये ही बच्चे आयेंगे तो कैसे मेल होगा। उनमें डिफेक्शन होगा आइडियोलोजी का। मैं सोचता हूं कि इस पर सोचा जाना चाहिये। आज यूनिवर्सिटी खोलने की मांग चल रही है। दो यूनिवर्सिटीज खोली जायें परन्तु इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? मैं मानता हूं कि मौजूदा जो हालात हैं कालेजों के, उसको देखते हुए एक और यूनिवर्सिटी होनी चाहिये, यह मैं मानता हूं। क्योंकि जहां पर फैसले होते हैं। सिन्डीकेट में, फेकल्टीज में उन लोगों का बहुमत है जो बाहर से आते हैं। चाहे फेकल्टीज में एग्जामिनेशन्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, चाहे सर्विस कन्डीशन के बारे में फैसले हों, उनके फैसले हमारे यहां के केम्पस के जो लेक्चरार्स होते हैं, उनके खिलाफ जाते हैं। यह हालत क्यों पैदा हुई है? इसलिये हुई है कि इसको आपने टाइमली चेक-अप नहीं किया है। यह टेन्डेन्सी कहां कैसे इवोल्व हो गई? एक कमेटी बनी और उसने अमेन्डमेन्ट के लिये कहा। अब यह अमेन्डमेन्ट के बिल आप कब पेश करेंगे? एक टीचर, एक स्टूडेन्ट को नुमाइन्दगी आप उसके अन्दर करेंगे तो इसमें कितना सुधार होगा? यूनिवर्सिटीज नालेज क्रियेट करती है और कालेज उसका पार्ट है परन्तु बेसिकली आज यह फर्क नहीं है। आज हमारी यूनिवर्सिटीज एजूकेशन ही गलत है। वहां रिसर्च का काम होना चाहिये परन्तु वह होता नहीं है। वहां पर इसकी

# Page No. 151



(श्री केदार नाथ)

कोई क्लाइमेट नहीं है। आज हमारी यूनिवर्सिटीज में नालेज क्रियेट करने का कोई क्लाइमेट नहीं है। प्रोफेसर का गलत तरीके से सलेक्शन होता है। प्रोफेसर यदि हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट हो जाता है तो वह क्लासेज लेता नहीं है। इसलिये सिन्डीकेट में भी आ गये तो कोई सुधार मुझे नजर नहीं आता है।

श्री खेतसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाये ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या इस पर सदन की अनुमति है कि सदन का समय मांगें पारित होने तक के लिए बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगे पारित होने तक बढ़ाया गया।

प्रोफेसर श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ: तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यूनिवर्सिटिज का जो स्टेन्डर्ड है, कालेजों का जो स्टेन्डर्ड है उसके बारे में आपको रिथिंकिंग करना चाहिए। इसका यह मतलब नही है कि आप इस मसले को कमेटियों को रेफर कर दें, उसकी रिपोर्ट आये और उस रिपोर्ट को एग्जामिन किया जावे और फिर इसमें ही 6 महीने लग जावें। मैं इसलिये कह रहा हूं कि स्टूडेन्ट्स के अन्दर आपने एक चेतना पैदा की है, उनका झुकाव आपकी ओर बढ़ा है उसको आप अगर अपनी तरफ कायम रखना चाहते हैं तो उसको चेलेनाइज करें। परन्तु आप इस ओर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। न टीचर ही आज लीडरशिप दे सकते हैं न जो शासन में हैं वे खुद ही लीडरशिप दे सकते हैं और न जो समाज में बैठे हुए हैं वे लीडरशिप दे सकते हैं। इस प्रकार एक कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। यह बड़ा सवाल है, यह अहम सवाल है कि आप लीडरशिप के किसी एक क्राइटेरिया को इन्वोल्व करें। जो हायर सैकेण्डरी पास लड़के घर बैठे हुए हैं वे अगर नौकरी करना चाहते हैं तो पहले आप उनको केश प्रोग्राम में लगावें, रूरल प्रोग्राम में लगावें। चाहे उनको आप पांच, सात रुपया ही दें। यह आपके लिये मामूली सी बात है। इसको आप कम्पलसरी, मेन्डेटरी बना दीजिये। सिलेबस का एक यह आइटम बना दीजिये कि नौकरी से पहले उसको गांव में जाकर काम करना होगा। इससे वह डिगनिटी ऑफ लेबर सीख सकेगा। तो यह जो आइडिया शहरों में पैदा हो गया है उसका रिओरियेन्टेशन होगा तब वह सोचेंगे कि जिस समाज में वह रहना चाहता है, जिस समाज को वह बदलना चाहता है, उसमें क्या दिक्कते हैं। फिर छोटी मोटी बातों के लिये वह आपसे लड़ेगा नहीं। इससे एक नई लीडरशिप पैदा होगी। जो कन्वेन्शन होगा उससे नेशनल पालिसीज पर विश्वास होगा। आज की इस लीडरशिप से हम भी डरते हैं। आज अगर पांच सौ लडके जुलूस लेकर आ जावें तो आपको भी भय होगा कहीं ये लोग आपको पीट नहीं दें, आपका घेराव नहीं कर दें। आप भी उनसे डरते हैं; आप उनकी मांगों पर झुक जाते हैं। यह पालिसी मेटर है तो इसके अन्दर

(श्री केदार नाथ)

सरेन्डर कब तक चलता रहेगा ? आप एक सिस्टम बना दीजिये। तो मान्यवर, मैंने यह बात यूथ मूवमेन्ट के बारे में कही है।

अब मान्यवर मैं लेना चाहता हूं स्पोर्ट्स का आइटम। इसमें कोई शक नहीं है कि स्पोर्टस कौन्सिल ने काम किया है। इससे मैं इन्कार नहीं करता। हमारे खिलाड़ियों ने नाम पैदा किया है नेशनल और स्टेट लेबिल पर। अगर स्पोर्ट्स को आप प्राइमरी स्कूल से लेकर कालेज तक कम्पलसरी सब्जेक्ट बनाते हैं, अगर लोगों को यह मालूम पड़ जाय कि सर्विसेज में एपाइंटमेंट के वक्त या सलेक्शन के वक्त 5 मार्क्स ज्यादा इसलिए मिलेंगे कि वह खिलाड़ी है या स्टार होल्डर है तो उसमें एक नई चीज पैदा होगी। अगर खेल भी साथ साथ चलेंगे और फिजीकल एज्यूकेशन भी होगी तो जो आज मेन्टल टेन्शन है और हम सोचते हैं कि जो डिसिप्लिन होना चाहिए वह स्टूडेन्ट्स में नहीं है तो आपका यह प्रोब्लम भी सोल्व हो जायगा। इसके बारे में आप सोचते नहीं। आज पंजाब ने रूरल स्पोर्ट्स के बारे में और अर्बन स्पोर्टस के बारे में ईम्प्रूवमेंट किया है। आज वहां पर स्पोर्ट्समैन के सलेक्शन के बारे में ज्यादा तरजीह मिलती है। उसकी इज्जत होती है तो इज्जत नाम की तो कोई चीज यहां पर है, नहीं। मैं सोचता हूं कि कम्पलसरी सब्जेक्ट सिलेबस में या कोर्स में उन्होंने किया है। ऐसी चीजें इन्ट्रोड्यूस करा दी हैं जो प्रोजेक्ट हैं उनमें। तो यह कोर्स और सिलेबस की बात उन्होंने की।

आपकी बहुत सी एकेडेमीज काम कर रही है। आपने कभी सोचा कि कौन आदमी उसमें काम कर रहे हैं, और जो बाडी बुक्स सलेक्ट करती हैं उनमें कौन आदमी हैं? जो एक बार दिया वह अनटूडेथ, हमेशा के लिए बन गया, चाहे स्पोर्ट्स कौन्सिल हो, चाहे बुक्स के सलेक्शन का मामला हो, चाहे पीरियोडिकल्स का हो, वहां पर वेस्टेड इन्ट्रेस्ट क्रियेट हो गये हैं, स्टेगनेशन पैदा हो गया है। आप उसमें चैन्ज लाइये कोई तरीका ऐसा नहीं है कि जितने भी एसोशियेटेड आदमी हैं उनकी नुमायन्दगी हो। वहां के पर्सनल्स में चैन्जेज कीजिये। उनकी परफारमेन्स जो हैउसकी जांच हो। यह ठीक है कि पहली बार आप जांच करवा रहे हैं। आज एडहाक बेसिस पर जितनी ग्रान्ट देते रहे हैं और उन इन्स्टीट्यूशन्स की आप अब पहली बार जांच कराने जा रहे हैं। वहां पर नियमों का कितना उल्लंघन हुआ है, कितने आदमी उसमें लगे हुए हैं, और किस को कितना पैसा मिलता है यह क्या कभी आपने पूछा है? आपको यह पता नहीं कि वहां पर कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं? कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए इन सारी बातों की जांच हो, और उसके बाद ठोक फैसला हो और उसको इम्प्लीमेंट करो।

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अन्त में यह कहना चाहता हूं कि जिस देशमें पॉलिटिकल लीडरशिप कमजोर हुआ करती है उस देश में केवल एश्योरेन्स से कोई काम नहीं बनता है। पोलिटिकल लीडरशिप की मजबूती का सबूत हुआ करता है कि उसका एक कन्विक्शन हो, उसकी पार्टी में कम्पेक्टनेस टू दी आइडियोलाजी हो, मन्त्रिमण्डल है उसमें कम्पेक्टनेस टू दी आईडियोलाजी हो। अगर यह नहीं लेकर चलेंगे तो केवल

(श्री केदारनाथ)

सेक्रेटरीज का तबादला करने से, केवल दो-चार आदमियों के कन्विक्शन करने से आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन को ऑनरेबल नहीं बना पायेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।

## समितियों के प्रतिवेदन

### कार्य-सलाहकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री परसराम मदेरणा।

**श्री परसराम मदेरणा** (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन पुरःस्थापित करता हूं। वह प्रतिवेदन इस प्रकार है :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 16 मई, 1972 को मध्याह्नोत्तर 3 बजे हुई।

समिति अपने प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए यह सिफारिश करती है कि दिनांक 22 मई से 26 मई, 1972 तक सदन की बैठकों का कार्यक्रम निम्नानुसार रखा जाय :—

| | |
|---|---|
| सोमवार, दिनांक 22 मई, 1972 | शासकीय वित्त विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण तथा टैनेन्सी विधेयक पर विचार |
| मंगलवार, दिनांक 23 मई, 1972 | |
| बुधवार, दिनांक 24 मई, 1972 | (1) वन्य जीव संरक्षण एवं व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में संसद से अधिनियम बनवाने हेतु संकल्प पर विचार एवं पारण<br>(2) विश्वविद्यालय विधेयक पर विचार एवं पारण<br>(3) संविधान 25वां संशोधन विधेयक का अनुसमर्थन |
| गुरुवार, दिनांक 25 मई, 1972 | (1) शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण हेतु विधेयक पर विचार |
| शुक्रवार, दिनांक 26 मई, 1972 | (2) कृषि भूमि की उच्चतम सीमा निर्धारण हेतु विधेयक पर विचार |

उपरोक्त समय के बंटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : कार्य सलाहकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन, सर। यह जो आपने 25, 26 तारीख का प्रोग्राम बताया है शहरी सम्पत्ति के विधेयक पर विचार और पारण और दूसरे सीलिंग के विधेयक पर विचार करना चाहते हैं तो क्या उसको पारित करने का विचार नहीं है? पारण शब्द इसमें रखा नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : विचार ही है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : केवल विचार के लिए है?

**श्री परसराम मदेरणा** : विचार ही पढ़ा है। दोनों पर ही विचार है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ।

**श्री परसराम मदेरणा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तीसरे प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

कार्य सलाहकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं कि यह अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है कि यह सदन कब तक चलेगा? उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दिक्कत यह है कि आगे के प्रोग्राम्स सभी माननीय सदस्यों को दौरे के या अपनी अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी में जाने के बनाने हैं तो अभी से कम से कम गवर्नमेन्ट की तरफ से यह इन्डीकेशन दिया जाय कि टेन्टेटिवली फलां तारीख तक प्रोग्राम चलेगा, ताकि उस मुताबिक माननीय सदस्य अपने अपने प्रोग्राम आगे के निर्धारित करलें। पहले कहा गया था कि 15 जून तक का अन्दाजा था तो वह समय हमने खुला छोड़ रखा है। अभी यह 26 तारीख तक का प्रोग्राम आया है और दूसरे सीलिंग बिल्स भी आ रहे हैं जिसकी पूरी कार्यवाही का प्रोग्राम फर्स्ट वीक आफ जून तक की भी बन सकती है। तो कम से कम यह इन्डीकेशन गवर्नमेन्ट की तरफ से मिल जाना चाहिये तो इसमें हमारा प्रोग्राम बनाने को हमें सुविधा होगी।

**श्री परसराम मदेरणा** : अभी कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग हुई थी और उस वक्त माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे। इसलिए आपकी पार्टी के जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मौजूद थे। वहां पर इस बात की चर्चा हुई कि सदन को कब तक चलाया जाय। यह बिजनेस 26 तारीख तक का तो आपके सामने आया है और उसके बाद में आगे चलाने का इरादा हुआ और जो बिजनेस सरकार हाउस के सामने रखना चाहती है वह बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के सामने आयेगा। उस पर सोचा

(श्री परसराम मदेरणा)
जायेगा और तब तय हो जायेगा कि हाउस को कब तक चलाया जाय।

मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि कि सरकार के पास और भी बिजनेस हैं और 26 तारीख तक ही नहीं आगे भी चलेगा।

**अनुदान की मांगों पर अग्रेतर वाद-विवाद**

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधीनगर, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सम्मानीय सदस्यों ने शिक्षा के संबंध में अपने मुद्दे पेश किये। मैंने भी कट मोशन पेश किया है उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। आज जहां तक शिक्षा का संबंध है यह सरकार जागरूक है और इस प्रकार से उसने प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के खोलने की बात कही है। लेकिन इसके साथ-साथ इससे भी इसका सम्बन्ध जुड़ा हुआ है कि जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय बना हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय सन् 1956 से पहले एक रेगूलर एफिलियेटिंग विश्वविद्यालय के रूप में चल रहा था इसके अन्दर डिपार्टमेन्ट के बाद डिपार्टमेन्ट काफी तेजी से खुल रहे हैं। खास तौर से इस सारी पृष्ठभूमि में मेरा निवेदन यह है कि 56 से लेकर 72 तक राजस्थान विश्वविद्यालय मुख्यतः एक रेजीडेन्शल इन्स्टीट्यूशन के रूप में चल रहा है। आज हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान विश्वविद्यालय की अगर गिनती की जाय तो उसका स्तर चौथा या पांचवां माना जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी अपने आप में एक महत्वपूर्ण युनिवर्सिटी है। लेकिन एक परेशानी खास तौर से हो रही है और अन्य सम्मानीय सदस्यों ने इस बारे में जिक्र किया है। खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे राजस्थान में 100 कालेज इससे एफिलियेटेड हैं।

ये 100 कालेजेज एफीलियेटेड होने से यहां की प्रशासनिक व्यवस्था अस्तव्यस्त हो गई। आज यहां के विद्यार्थी सही माने में तैयारी नहीं कर पाते हैं। अध्यापकों में सही उत्साह नजर नहीं आता है। राजस्थान विश्वविद्यालय को शिक्षा के दृष्टिकोण से चौथे पांचवें स्थान पर मानते हैं। नतीजा यह हो गया है, आउट साइडर आदमी यहां पर सीनेट में घुस गये हैं। फेकल्टीज में आउट साइडर विभागाध्यक्ष हो गये हैं। यहां के विद्यार्थियों और अध्यापकों के सामने काफी संकट है। आज चाहे पदोन्नति का प्रश्न आये, छुट्टियों का प्रश्न आये, चाहे अध्यापकों के चयन का प्रश्न आये, कोई प्रगति का प्रश्न आये या कोई प्रगति की बात सोची जाये तो आउट साइडर की बातें आती है। इसका मतलब यह हुआ है कि जयपुर के लोगों को निराशा हुई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कभी जयपुर को छोटी काशी कहा जाता था। आज राजस्थान विश्वविद्यालय अपने में घोर संकट महसूस करता है मैं, उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक और विद्यार्थी बहुत निराशा में है।

(विद्युत्-व्यवस्था भंग)

# Page No. 156



(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बार बार विश्वविद्यालय का जिक्र आया है। बार बार सरकार ने एक ही बात कही है कि यह ऑटोनामस बोडी है। इस पर हम पूरी तरह से नियन्त्रण नहीं कर सकते हैं। अगर आप अध्यापकों के असन्तोष को मिटाना चाहते हैं, अध्यापकों के असन्तोष को निपटाना चाहते हैं तो निपटाने की दृष्टि से मैं जांच करने की बात तो नहीं कहता हूं लेकिन मेरा निवेदन है कि इस का पता चलाने के लिए, जानकारी करने के लिए सदन के आठ सदस्यों की एक समिति बनानी चाहिए। ताकि बार बार वह लोग जो कभी राज्यपाल के पास जाकर बात करते हैं, कभी किसी के पास जाकर मिलते हैं, बार बार विधान सभा में जिक्र उठता है यह स्थिति समाप्त हो। आज अध्यापक फ्रस्ट्रेटेड महसूस करें तो विद्यार्थी को पढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए इस सदन के ऐसे सदस्यों की कमेटी बनाई जाये, जिन्होंने आज तक यूनिवर्सिटी को क्रिटीसाइज न किया हो। ऐसे आठ सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाये जो कि वहां जाकर असन्तोष की जानकारी करें। जांच की बात तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि सरकार कहेगी कि वह ऑटोनामस बाडी है। इसलिए जांच कमेटी जाकर जांच करे। जहां तक वित्त का सम्बन्ध है, सरकार का सीधा सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। इसलिए इस समस्या को गौण नहीं समझा जाये। मेरा निवेदन है कि छात्रों को प्रतिनिधित्व दिये जाने की बात को मुख्य मंत्रीजी ने भी माना है। मैं समझता हूं कि आदरणीय परसरामजी ने भी कहा है कि प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। प्रतिनिधित्व को माना जायेगा। और हमारे अध्यापकों और विद्यार्थियों में जो असंतोष है, उसकी दीवार टूटेगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी। इसलिये मेरे कहने का मतलब यही है, जैसा कि मेरे साथियों ने कहा है कि जयपुर को रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी की मान्यता दी जानी चाहिए। आज जयपुर में और राजस्थान में रेजीडेंशियल यूनीवर्सिटी नहीं होने से इसका प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है। सिण्डीकेट में अव्यवस्था की हालत है। वहां डेढ़ वर्ष से रजिस्ट्रार की पोस्ट पर एक आदमी आफिशिएट कर रहा है। वहां पर जे. पी. गर्ग, एस. आर. शर्मा, हरगोविन्द पन्त इनको सीनियर बनाया गया है। उपकुलपति महोदय को लोगों ने बार बार कहा है, इनको किस आधार पर किया गया है? वहां अध्यापकों में असन्तोष होने के कारण छात्रों पर असर पड़ता है। इसलिए निश्चित तौर से यह होना चाहिये कि एक समिति विधान सभा के सदस्यों की होनी चाहिये जो कि अध्यापकों के असन्तोष के बारे में जानकारी करके अपनी रिपोर्ट तैयार करे।

जांच की बात मैं नहीं कहता हूं कि खास तौर से एक बात और निवेदन करना चाहूंगा पी. एम. टी. के छात्रों को बैठने के बारे में 36 प्रतिशत मार्कस की बात पहले कही गई थी। विद्यार्थियों को कहा गया था कि 36 प्रतिशत मार्कस जिनके आयेंगे उनको बैठने दिया जायेगा। लेकिन अब उपकुलपति ने 50 प्रतिशत कर दिया है। कोई नोटिस नहीं दिया है।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

ऐसे मामले में निश्चित रूप से उपकुलपति को तय करना चाहिये विद्यार्थी इसमें बैठ नहीं सकेंगे। छात्र विश्वविद्यालय के निर्णय पर बेचैनी महसूस कर रहे हैं। एक और निवेदन यह है कि हमारे यहां पर कुछ कालेजों में बी. एड. ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं सदन को निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि उनसे 500 रुपये और हजार रुपये लेकर फिर उनको एडमीशन दिया जाता है। 500 और 1000 रुपये की रिश्वत की रसीद काट कर दी जाये। जो इस प्रकार रुपया देता है, वह क्या बी. एड. की परीक्षा में बैठेगा। यह प्राइवेट एजूकेशन संस्थाओं की स्थिति है। इसके साथ साथ पंचायत समितियों में जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं वहां व्यक्तिगत तौर पर मैंने यह अनुभव किया है कि अध्यापकों में गुरु पद की जो भावना होनी चाहिए वह निश्चित रूप से समाप्त हो गई है। प्रधान या सरपंच के यहां पर वह चपरासी की तरह से कदम करते हैं। वह क्या शिक्षा दे सकते हैं। वह गुरुपद की भावना समाप्त हो गई है उन स्कूलों को पंचायत समितियों से निकाल कर एजूकेशन विभाग को दिया जाना चाहिये ताकि शिक्षा की मर्यादा रह सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

साथ ही जो भारत के अन्दर अलग अलग पाठ्यक्रम चल रहे हैं, मैं यह नहीं कहता हूं कि वह एक जैसे ही होने चाहिये। लेकिन आज हिन्दुस्तान में अलग अलग पाठ्यक्रम चलते हैं इसलिये राजस्थान की सरकार को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम दूसरे प्रान्तों के स्तर से यहां का स्तर नापने की कोशिश करें और ऐसा प्रयत्न करें कि पाठ्यक्रम एक समान हो।

इसके साथ स्वयंसेवी शिक्षण संस्थाओं का प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है। जयपुर में ही नहीं राजस्थान में स्वयंसेवी शिक्षण संस्थाओं के अनुपात के अन्दर जो हमारे गवर्नमेन्ट के स्कूल चल रहे हैं, उनमें से कुछ का स्तर उनसे ऊंचा है और किन्हीं स्कूलों का स्तर उनसे नीचा है। लेकिन कुछ ऐसी स्वयंसेवी शिक्षण संस्थायें हैं जिन्होंने सारी शिक्षण संस्थाओं को बदनाम कर रखा है। स्वयंसेवी शिक्षण संस्थाओं का हम मापदण्ड रख कर विचार करें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि स्वयंसेवी शिक्षण संस्थाओं का स्तर गवर्नमेन्ट के स्कूलों से ऊंचा है। उनके एक्सपेंडिचर के लिये मेरा निवेदन है कि उनको रैगुलर रिकाग्नीशन देने के लिये हमें विचार करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो स्वयं सेवी शिक्षण संस्थायें पांच साल, सात साल से चल रही हैं उनका रैगुलर रिकग्नीशन मान लेना चाहिये। इन शिक्षण संस्थाओं को अपग्रेड करने की भी आवश्यकता है। प्रश्न यह आता है कि प्रशासनिक दृष्टि से आज शिक्षा विभाग की मोनोपोली है। शिक्षा विभाग के जो बाबू लोग हैं, जो इन्सपेक्टर हैं, छोटे अधिकारी हैं उन्होंने अपना राज्य कायम कर लिया है। अगर किसी

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

शिक्षण संस्थाओं को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, अगर वह स्कूल अच्छा भी हो और मंत्री उसको अपग्रेड करना चाहें तो वह उसको अपग्रेड करने में मदद नहीं कर सकते हैं, जब कि शिक्षा विभाग का बाबू उसकी मदद कर सकता है। ऐसी स्थिति में इन स्वयंसेवी शिक्षण संस्थाओं के डूबने की स्थिति आ जाती है। मेरा निवेदन है जब तक शिक्षा विभाग इसके लिये कोई योजना नहीं बनायेगा तब तक इन स्वयं सेवी शिक्षण संस्थाओं के हितों पर कुठाराघात होता रहेगा, और सरकार बदनाम होती रहेगी। इसलिये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें सुधार करके आपको आम लोगों को दर्पण दिखाना पड़ेगा। आप सोचते हैं या नहीं लेकिन आम नागरिक आज कह सकता है कि जो स्वयं सेवी शिक्षण संस्थायें काम कर रही हैं, उसको अपग्रेड करने को एक बाबू में अधिक क्षमता है जबकि एक मंत्री के लिए यह सम्भव नहीं है। इसलिए आपको इस ओर सोचना पड़ेगा।

सामान्य प्रशासन पर मेरा कट मोशन है, उसके सम्बन्ध में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, सिर्फ थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। सामान्य प्रशासन का जहां तक सम्बन्ध है, सामान्य प्रशासन का हमारी सरकार से अभिन्न संबंध है और सही मायने में सामान्य प्रशासन सरकार का दर्पण है। सामान्य प्रशासन का अध्ययन करके ही राजस्थान की जनता यह बताती है कि सामान्य दिया जाता है। वहां आफिसर्स ने मन चाहे ढंग से लोगों को असिस्टेन्ट बना दिया। इसका नतीजा क्या हुआ, कुछ लोग कोर्ट में भी चले गये हैं। दस साल के बाद में जाने के लिए सोचते हैं कुछ, कोर्ट में चले कोर्ट से फैसला होगा कि आपको असिस्टेन्ट की पोस्ट पर लेना पड़ेगा। इससे एक ओर अपने सहकारी कोष से उनको पूरा पैसा देना पड़ेगा, दूसरी ओर उसको उसी दिन से प्रमोशन देने की बात भी माननी पड़ेगी और उसे पूरी तनख्वाह देनी पड़ेगी। इसलिए निश्चित तौर से इस प्रमोशन का पूरा तरीका बदलने की बड़ी आवश्यकता है। प्रशासन राजस्थान में कहां राहत दे रहा है, कहां पर कैसी व्यवस्था चला रहा है। मौलिक अधिकारों में इस विभाग के कामों में कई बातें आती हैं, नौकरी से हटाना, नौकरी में लगाना, नौकरी में तरक्की देना, दोषपूर्ण कार्य के लिए दोषी को दण्डित करना, अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करना। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आम जनता के सामने जाकर पूछिये, आप आदमी से कहिये कि अच्छे कार्य के लिए सरकार ने क्या किसी को पुरस्कृत किया है? तो जवाब मिलेगा–नहीं। आप पूछिये आम जनता से, क्या किसी दोषी को सरकार ने दण्डित किया है? तो जवाब मिलेगा–नहीं? मैं कहना चाहता हूं, अभी सदन में सौ, पचास, साठ सरकारी अधिकारी हैं, जो सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूं उनके दिल से पूछा जाय, जब प्रमोशन का प्रश्न आता है, जब कभी इन्क्रीमेंट को बढ़ाने का प्रश्न आता है, तो क्या स्वयं की इच्छा से डिपार्टमेंट बढ़ा देता है या उनको निश्चित रूप से सिफारिश लानी पड़ती है, उनको प्रभाव लाना पड़ता है? तो आपको ज्ञात होगा कि उनके बिना

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

कोई कार्यवाही नहीं होती है। सरकारी कार्यालयों में कागज पर नोटिंग क्लर्क से होकर रवाना होता है और चीफ मिनिस्टर तक पहुंचता है। इसमें इतना समय लग जाता है कि कागज का मतलब ही समाप्त हो जाता है और उसका कोई नतीजा नहीं मिलता है। इसलिए इस स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तनों की बात कही जाती है, लेकिन कोई फैसला ऐसा नहीं किया गया है कि कागज के ऊपर चलने की जो प्रक्रिया है, वह उस गति से न चल कर निश्चित अवधि में ही वहां पहुंच जाय। बीच में जो कड़ियां आफिस में हैं, उनमें असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी यह अलग अलग कड़ियां बनी हुई हैं। मैं सोचता हूं कि नीचे से जो क्लर्क का नोटिंग हो वह बड़े अधिकारी के पास शीघ्र पहुंच जाना चाहिए ताकि अन्तिम फैसला शीघ्र हो सके और बीच की कड़ियां जो हैं वह कागज को अटका कर रोक कर न रख सकें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) आप घण्टी बार बार बजा रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत बातें हैं उनके डिटेल्स में जाकर मैं नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अपग्रेड करने का प्रश्न है, प्रमोशन का सवाल आता है, उसमें हमारे सहकारी अधिकारियों की मोनोपोली है। इसलिए जब तक प्रशासनिक दृष्टि से मंत्री महोदय परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक परेशानी दूर होने वाली नहीं है।

सिचाई विभाग के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां बाबू से असिस्टेन्ट बनने की बात आती है तो उस समय सीनियरिटी को और रूल को ताक में रख कर सचिव जो किसी मामले में फैसला करते हैं, शिक्षा मंत्री जी आप नाराज न हों, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, अक्सर ऐसा होता है कि सचिव के फैसले को मंत्री बदल देते हैं। उसका नतीजा यह होता है, जब ऊपर से फैसला बदल दिया जाता है, जब मंत्री सचिव के फैसले को बदल देता है तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि जब सचिव के फैसले को मंत्री बदले तो उसको बदलने के पहले उसे उस मामले को मंत्रीमण्डल में ले जाना चाहिए। क्योंकि सचिव के फैसले को इस प्रकार बदलना उचित लगता नहीं है। लेकिन जब यह होता है तो नीचे के लोग सोचते हैं, जब यही गलत काम करते हैं, मंत्री गलत काम करते हैं तो हम भी गलत काम करें। इस प्रकार यह बतीरा सा बन गया है कि नीचे के अधिकारी भी गलत काम करते हैं। इसलिए कोई ऐसे मामले आयें, जिनमें लगे कि सेक्रेटरी ने गलत आर्डर दिया है तो मंत्री को केबिनेट में वह मामला ले जाना चाहिये और वहां ले जाकर उस आर्डर में परिवर्तन करना चाहिये। नहीं तो उसी तरह सेक्रेटरी भी नीचे के आदेशों को बदल देता है। इसलिये इस फैसले को बदलने के बारे में विचार करना पड़ेगा, नीचे के लोगों को दर्पण दिखाना पड़ेगा जिससे कि निश्चित तौर से ऐसा वातावरण बने कि ...

श्री नारायणसिंह : मैं क्षमा चाहूंगा, सेक्रेटरी ने निर्णय ले लिया, उस पर निर्णय लेने का अधिकार मंत्री को है, उसमें केबीनेट में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आप कही हैं शिक्षा मंत्री जी तो ठीक हैं। मैं ऐसी आवश्यक समझता हूं, यह शिक्षा मंत्रीजी से ही सम्बन्धित नहीं है, यह जनरल मंत्रियों से सम्बन्धित है, अगर वह सेक्रेटरी नोटिंग को बदल देते हैं तो नीचे के अधिकारी का नोटिंग भी सेक्रेटरी बदलते जाते हैं, इसी प्रकार की टेंडेंसी इससे उत्पन्न होती है। इस दृष्टि से मैंने निवेदन किया, वैसे आपका जो भी रूल हो वैसा आप करेंगे, मेरे कहने से कुछ कहीं होने वाला है, मैं तो केवल सजेशन दे सकता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि जनता के बीच में ऐसा वातावरण बने जिससे आपकी तारीफ हो, जिस ढंग से आपकी तारीफ हो जनता में वैसा वातावरण बने। इस दृष्टि से आप देखते आये हैं कि रामचन्द्र जी जिस समय बनवास से लौटे ! बनवास के समय सीता को रावण हर ले गया था। इस पर एक धोबी ने कह दिया था कि सीता रावण के साथ रही है इस कारण वह अपवित्र हो गई है। हालांकि सीता अपवित्र नहीं थीं, लेकिन क्योंकि राम राम राज्य स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने सोचा, धोबी ने आरोप लगाया है इसको बर्दाश्त न करके जनता को दर्पण दिखाना चाहिये स्वयं का। वह अक्लमन्द थे। सीता जैसी पवित्र स्त्री, जिसको साथ में रख कर बनवास में रहे, को अग्नि परीक्षा के लिये आदेश दिया। सीता का रामचन्द्रजी ने बलिदान करके राम राज्य बनाने की दृष्टि से एक उदाहरण पेश किया था, मैं समझता हूं इसी प्रकार राज्य सरकार को भी उदाहरण पेश करना पड़ेगा और जनता के सामने दर्पण रखना पड़ेगा ताकि जनता उनकी कद्र करे नहीं तो नतीजा यह होगा कि जनता पर असर होगा नहीं और आम शिकायतें आती रहेंगी और उनके साथ ही इस सदन में भी निवेदन होता रहेगा।

खास तौर पर राजा महाराजाओं के निजी भत्ते और उनको मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है। क्योंकि समय कम रह गया है। इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह जिक्र करना चाहता हूं कि राजा महाराजाओं के लिये इस बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। एक तरफ तो राजा महाराजाओं के विशेषाधिकार समाप्त करने की बात के लिये फंसला कर लिया गया, दूसरी तरफ उनको नुकसान पहुंचाने के बजाय बजट में प्राविजन रख रहे हैं। पैसा खर्च करने के लिये रखा है बजट में, इससे साफ नजर आता है कि राज्य सरकार आज भी सरकार राजा–महाराजाओं की हिमायत करना चाहती है। जिस प्रकार से राजा–महाराजाओं को मालूम हुआ कि सीलिंग के अन्दर तीस एकड़ निर्धारित हुआ है, तब उन्होंने सोचा था कि तीस एकड़ के बाद जमीन नहीं रहेगी इसका नतीजा यह निकला कि आम जनता के पास तीस एकड़ के ऊपर जितनी जमीन थी उसकी रजिस्ट्री दूसरे नाम से करादी इस प्रकार जमीन सरकार को नहीं मिली वही हालत आज हो रही है, शहरी सम्पत्ति का सीलिंग होने वाला है, किसी के पास यदि पेंतालीस लाख की सम्पत्ति है तो वह चालीस लाख की सम्पत्ति करके बैठ गया। उसको मालूम है कि सम्पत्ति सीमा का बिल आ रहा है, इसलिये उसने चालीस लाख की

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

सम्पत्ति बेच दी । इसलिये सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो पांच लाख की प्रापर्टी बाकी रह गई है और 40 लाख की बेच दी है तो असल में उससे पांच लाख की प्रापर्टी को खोसने की बात कहीं करते तो पूरा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उसने 40 लाख की प्रापर्टी बेच दी है । श्री रामानन्दजी ने प्रश्न रखा था जिस पर मुख्य मंत्री ने कहा था कि ऐसे लोग, जिन्होंने जमीन बेच दी है जमीन को कुर्क किया जाए। सरकार क्या कुर्क करेगी ? हवा को कुर्क करेगी या पानी को कुर्क करेगी या राजा महाराजाओं को करेगी ? जमीनें बिक रही हैं सरकार का कानून नहीं है····

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना है कि कानून आ रहा है आपको इस पर बोलने का उस समय अवसर मिलेगा ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सरकार अपने दो दुश्मन बना रही है एक तो जिसने जमीन बेची है और दूसरा वह जो खरीद रहा है । इसका नतीजा क्या होगा वह स्वयं मंत्री महोदय जान सकते हैं लेकिन जयपुर के और दूसरे राजा महाराजाओं की या जिनकी भी जमीन खरीदी है, जिसने भवानीसिंहजी की जमीन खरीद ली है बिल से पहले तो जिसने जमीन ले ली है वह लौटाने की स्थिति में है ? अंत में यही निवेदन है कि आपने जो राजा महाराजाओं के लिए प्रावधान बजट में रखा है, उसको समाप्त करें ।

**वित्तीय समितियों के निर्वाचन संबंधी प्रस्ताव**

श्री हरिदेव जोशी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि––

(1) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 1972–73 के लिए 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

(2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 232 (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति 1972–73 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाए ।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 235 बी (1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति 1972–73 के लिए 12 सदस्यों का निर्वाचन किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में जो प्रस्ताव सदन के उपनेता महोदय ने प्रस्तुत किए हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव स्वीकार किए गए।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस युग में बेरोजगारी बढ़ाने वाले दो विभाग-सामान्य प्रशासन एवं शिक्षा-पर अपने विचार आपके द्वारा सदन और सरकार के समक्ष रख रही हूं। सबसे पहले हम शिक्षा विभाग को लें। हमारी शिक्षा प्रणाली जिस प्रकार दोषपूर्ण है और अंग्रेजों के जमाने से लेकर जो सिलेबस उस वक्त लागू किया हुआ था वही सिलेबस अभी तक चला आ रहा है। अंग्रेजों के जमाने में जिस नौकरशाही को बढ़ावा मिला और जिस शिक्षा से केवल मात्र बाबू पैदा हुए, वही शिक्षा आजादी के बाद आज भी थोपी जा रही है। उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। जैसा कि सब जानते हैं आज शिक्षित बेरोजगारी अशिक्षित बेरोजगारी के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। सबसे पहला कारण केवल मात्र मैं मानती हूं कि हमारे सिलेबस का दोष है इसलिए मैं कुछ अपनी राय देना चाहती हूं और निवेदन करना चाहती हूं शिक्षा मंत्री से कि शिक्षा के सिलेबस में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। हमारा देश केवल मात्र शहरों का नहीं है, गांवों का भी है। आज शिक्षा प्रणाली के दोष देखें। किसान का बच्चा आठवीं या 10 वीं तक पढ़ने के बाद काश्तकारी के काम का नहीं रहता। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनमें अभी तक नौकर बनने की बाबू, बनने की जो मानसिक प्रवृत्ति पैदा की जा रही है शिक्षा के द्वारा, वह चलती आ रही है। इसलिए मेरी शिक्षा मंत्री से मांग है कि यदि संभव हो सके तो सिलेबस में परिवर्तन किया जाए और वह परिवर्तन इस प्रकार का हो कि शहरी शिक्षा और देहाती शिक्षा में कुछ परिवर्तन किया जाय। इससे बच्चों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार बढ़ने का अवसर मिल सकेगा और केवल मात्र पढ़कर डिग्री लेकर और इधर उधर नहीं भटकते रहेंगे और उनको काम मिलेगा।

जो दूसरा विभाग है बेरोजगारी पैदा करने का वह है सामान्य प्रशासन विभाग। सरप्लस हैंडस की कितनी चर्चा होती है? हमारी सरकार हर साल 10 प्रतिशत इकानामी कट करती है। किस बात की इकानामी कट? आज दिन तक मैं समझ नहीं पाई। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि लोगों को काम से हटाकर उनको जी.ए.डी. में बिठा रखें, कहीं एब्जार्ब न हों और यह विभाग सरप्लस हैंडस के नाम पर तनख्वाह देता रहे। इसके दो नुकसान हो रहे हैं। एक तरफ तो उन लोगों में असंतोष व्याप्त होता है जो सरप्लस होते हैं। दूसरी तरफ सरकार ने इकानामी कट के नाम पर बैन लगाकर उससे नई भर्ती का रास्ता ही बंद कर दिया है। इसलिए शिक्षित लोग नौकरी के लिए चक्कर काटते हैं किन्तु हमारा सामान्य प्रशासन विभाग इस बात का फैसला नहीं करता है कि जल्दी से जल्दी जो सरप्लस हैंडस हैं, उनको एब्जार्ब करके नई भर्ती के लिए रास्ता खोलें। लेकिन देखा जाता है कि विभागों में जगह खाली पड़ी रहती हैं और जो विभागाध्यक्ष हैं वे सामान्य प्रशासन विभाग को लिख देते हैं एन.ए.सी. के लिए या सरप्लस हैंड्स को

(सुश्री शकुंतला श्रीवास्तव)

भेजने के लिए लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग न तो सरप्लस हैंड्स को भेजता है न एन. ए. सी.। उसका परिणाम यह है होता कि विभागों में पद खाली रहने से शिथिलता आती है, उसके साथ साथ आर्थिक बोझ भी पड़ता है। इसलिए जितने भी सामान्य प्रशासन के पास सरप्लस हैंड्स हैं उनका एक साथ यह देख कर कि कौन कौन से विभागों में पद खाली हैं जल्दी से जल्दी एक निश्चित अवधि में तय करके समायोजन करना निहायत जरूरी है।

आज इसका सबसे बड़ा असर शिक्षित बेरोजगारों पर पड़ रहा है। आए दिन हम देखते हैं कि हमारे देश में तोड़फोड़ की प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है, एक प्रकार से नक्सलाइटस पनप रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण मैं मानती हूं कि लोगों को जब आप काम नहीं दे सकें, इस प्रकार की शिक्षा नहीं दे सकें कि वह स्वावलंबी बन सकें तो फिर उनका दोष क्या है? अगर उनके मन में विद्रोही भावना भड़कती है और आए दिन लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति को फेस करना पड़ता है। अतः मेरी मांग है कि इस ओर सरकार जल्दी से जल्दी ध्यान देकर कोई ऐसे ठोस कदम उठाए जिनसे बेरोजगारों की समस्या का समाधान कर सके। आज बेरोजगारी के प्रश्न पर हमारी सरकार कहती है कि हम पर ओवर-ड्राफ्ट बहुत है। मैं पूछना चाहती हूं कि इस ओवर ड्राफ्ट को कम करने के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं? क्या हमने कभी इस बात पर सोचा है कि हमारे विभाग जिस प्रकार रेवेन्यू लीकेज को नहीं रोक पा रहे हैं उसको रोकने के लिए कुछ कदम उठायें हैं? सेल्स टैक्स की चोरी होती है, आयकर की चोरी होती है। पंचायती राज में सरकार ने तकाबियां दी थीं उनकी बकाया लोगों में हैं, उनकी वसूली के लिये हमारा विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है। आखिर क्या कारण है? कब तक इस तरह की स्थिति रहेगी? कब तक सरप्लस हैंड्स का जमाना चलता रहेगा और कब लोगों में राहत की सांस आएगी, कब लोग समझेंगे कि आज सरकारी बैन खतम हो गया, इकानामी कट बंद हो गया है और अब हमें नई जगहें मिल जायेंगी? मैं सुझाव देना चाहती हूं राज्य सरकार को चाहिये कि वह नॉन-टैक्स रेवन्यू जैसे होटल्स, सिनेमाज और सी. टी. एस. को रन करने से होती है सरकार अपने हाथ में ले और पब्लिक सेक्टर के काम हाथ में ले ताकि राज्य सरकार की रेवेन्यू बढ़े और सरकार को लाभ हो। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहती हूं वह है इकानामी कट के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, हर साल राज्य सरकार इकानामी कट करती रहती है और यह इकानामी कट हमेशा, छोटी छोटी सर्विस करने वाले लोगों के लिये ही होता है और इस इकानामी कट का असर आज तक किसी बड़े आदमी पर नहीं पड़ा है। तो मेरा निवेदन है कि यह इकानामी कट मन्त्रियों पर व बड़े बड़े सरकारी अफसरों पर क्यों नहीं लागू होता है? क्यों नहीं सरकार मन्त्रियों को जो, कार, बंगला, और बिजली पानी की सहूलियतें देती है उसे बन्द करदे या उसमें इकानोमी कट कर दे। इस साल के 72-73 के बजट में भी राज्य सरकार ने इकानामी

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

कट किया है पर उसका मन्त्रियों पर तो असर पड़ेगा नहीं और न हो इसका असर बड़े अधिकारियों पर ही पड़ेगा। हां छोटे तबके के लोगों पर जरूर असर पड़ेगा। उनको बेचारों को कहीं नौकरी मिलती हो तो वह भी नहीं मिलेगी। या नौकर हैं तो उन्हें हटा दिया जावेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर सरकार को खर्चे में कटौती करनी है तो सरकार को चाहिये, ऐसा इकॉनामी कट किया जावे जिससे बड़े तबके के लोगों पर उसका असर पड़े। बस इतना ही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष:** श्रीमती ऊषा प्रकाश

**श्रीमती उषा प्रकाश (वैर)** : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में राजस्थान के सामान्य प्रशासन और शिक्षा विभाग की मांगों पर बहस चल रही है। यह दोनों ही महत्वपूर्ण विभाग हैं। इसके बारे में मैं भी कुछ निवेदन करूंगी। अभी जब शिक्षा विभाग की मांग पर बहस चल रही है, इस वक्त हमारे सामने शिक्षा विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन भी रखा गया है, इसमें जो आंकड़े दिये हुये हैं वे आंकड़े यह सूचित करते हैं कि 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ने की संख्या 56 प्रतिशत है। और 11 से लेकर 14 साल तक के बच्चे 27.4 प्रतिशत शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। आज जब हम हमारे प्रान्त की तरफ देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि हम कितने पिछड़े हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में और अब हमें कितना और काम इस ओर करना है। हमने हमारे कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में जनता से जो वायदे किये थे उन्हें हमें पूरा करना है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत शिक्षा विभाग के मन्त्रीजी का ध्यान इस प्रतिवेदन की तरफ खींचूंगी कि प्रतिवेदन से तो हमें केवल यही मालूम होता है कि राजस्थान में आज स्त्री शिक्षा की हालत क्या है ? इसमें अगर हम देखें तो स्त्री शिक्षा के बारे में प्रमाण मिलता है कि वह सिर्फ 7 और 8 प्रतिशत ही है। हमारे यहां जो स्कूल हैं उनमें महिला साक्षरता तो इतनी ही है। मैं राज्य के मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचूंगी और आपके मार्फत यह निवेदन भी करूंगी कि अभी बहुत बड़े लक्ष्य प्राप्त करने हैं। इस साल हमने एक हजार प्राथमिक विद्यालय और 1 हजार माध्यमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है। इसमें हमें यह देखना होगा कि कहीं हम इसमें स्त्री शिक्षा के बारे में पिछड़ तो नहीं गये हैं। उनकी तरफ भी हमें ध्यान रखना है। आज करीब पांच लाख कन्यायें राजस्थान में हैं। आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 13 मिडिल स्कूल हैं जिनमें से सिर्फ 1 मिडिल स्कूल है जो बच्चियों के लिये है और 1 हाई स्कूल वैर जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, में है। यह बहुत ही कम है।

इसके अलावा आज राजस्थान सरकार दो करोड़ रुपये का अनुदान निजी स्कूलों को एड के रूप में देती है। मैं समझती हूं कि जो निजी स्कूल चलाते हैं वह कुछ राशि तो खर्च करते हैं बाकी खुद ही खा जाते हैं। इस तरह से आज राजकोय अनुदान जो ऐडेड स्कूलों को दिया जाता है, उसका दुरुपयोग किया जाता है। आज यह ओपन सीक्रेट है कि उन ऐडेड स्कूल्स में कोई

(श्रीमती उषा प्रकाश)

सर्विस रूल्स नहीं हैं। कोई मेडिकल फैसिलिटीज वहां के टीचर्स को नहीं मिलती दूसरे कोई प्रोवीडेन्ट फण्ड की फैसिलिटीज वहां के कर्मचारियों को नहीं है। इसके अलावा उन टीचर्स को दिये तो 40-50 रुपये जाते हैं, पर दस्तखत पूरी तनख्वाह के ले लिये जाते हैं। इस प्रकार सरकारी अनुदान का दुरुपयोग हो रहा है। आज अध्यापकों का शोषण हो रहा है। पर चूंकि आज बेरोजगारी को भारी समस्या है इसलिये शिक्षित बेरोजगार इतने थोड़े पैसों में काम करने को राजी होते हैं। इसलिए मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि या तो पूरी फैसिलिटीज इन एडेड स्कूल्स में टीचर्स को देनी चाहिये वरना इनकी अनुदान राशि राज्य सरकार द्वारा बन्द कर देना चाहिए। इस ओर सरकार का ध्यान देना बहुत जरूरी है।

इसके अलावा मैं, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचूंगी कि आज जो इन स्कूल्स को चलाने वाली मशीनरी है, डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर और इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, हमने जो स्वप्न देखे थे शिक्षा के विकास के बारे में वह इस मशीनरी की वजह से साकार नहीं होते हैं। हम अपने एम्स को एचिव करने में असमर्थ हैं तो इस मशीनरी के कारण। आज लोगों का फिक्सेशन नहीं हो रहा है और कई बार तो ऐसे केस भी होते हैं कि टीचर्स बिना फिक्सेशन हुए ही रिटायर हो जाते हैं, लाल फीताशाही का बोलबाला है। एक उदाहरण तो मेरे ध्यान में है, एक मास्टर साहब को रिटायर हुए 5 साल हो गये लेकिन उनका फिक्सेशन नहीं हुआ। उनका रिटायरमेंट हो गया और उसके बाद वह चक्कर काटते रहते हैं डिप्टी डाइरेक्टर और इन्सपेक्टर आफ स्कूल के दफ्तर में। उसके बाद में वह चक्कर काटेंगे ए.जी. आफिस में अपनी पेन्शन व ग्रेच्युटी के कागजात के लिये। तो इस प्रकार की अव्यवस्था आज इन दफ्तरों में छायी हुई है। इसके लिये में निवेदन करना चाहूंगी कि यह अव्यवस्था की स्थिति खतम की जानी चाहिये। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूंगी, आज डिप्टी डाईरेक्टर और इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के डिस्क्रीमिनेटरी एक्शन्स के बारे में एक ही अफसर एक मास्टर को कई प्रकार की सहूलियतें दे देता है और दूसरे मास्टर को उन्हीं से वंचित कर देता है और अगर वह मास्टर कुछ भी बोले तो उसे सस्पेन्ड तक कर दिया जाता है। तो मेरा यह निवेदन है कि इस ओर भी राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए। आज जब हम प्रशासन पर इतना खर्चा बढ़ा रहे हैं और उसके विपरीत एक इन्सान जब रिटायर होता है तो उसको अगर रिटायर होने के बाद अपने ड्यूज नहीं मिलें तो कितनी खराब अवस्था उस मास्टर की हो जाती है। होना तो ऐसा चाहिए जो मास्टर रिटायर होने को होता है उस समय उसे अपने जिले में ही ट्रान्सफर कर दिया जाय ताकि वह कागजात के फाइनलाइजेशन की कार्यवाही कर सके। दूसरा कुछ इन मामलों में सरकारी अफसरों को ह्यूमनीटेरियन ग्राउन्ड्स पर भी सोचना चाहिये। दूसरे इधर-उधर ट्रान्सफर करे जाते हैं। इससे कई बार टीचर्स में फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है जब उनके साथ अन्याय होता है। मैं एक व्यक्तिगत उदाहरण देती हूं। एक सीधेसाधे मास्टर

(श्रीमती उषा प्रकाश)

साहब का बच्चा बहुत बीमार था। उनके लिए जो ट्रान्सफर करने वाले थे उन्हें मैंने कहा भी, इनका बच्चा बीमार है उन्हें जयपुर में ट्रान्सफर किया जाय। ट्रान्सफर और नहीं हुआ और उपाध्यक्ष महोदय, इसी बीच में उनके मासूम बच्चे की डेथ हो गई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कम समय दिया है आपने।

इस तरह के जो डिस्क्रीमिनेटरी एक्शन होते हैं उनमें एक तरह से मास्टरों का नुकसान होता है। समय पर यदि निर्णय न हो तो वह निर्णय क्या काम का।

शिक्षा विभाग को चलाने वाली एजेन्सीज हैं, उनकी तरफ मंत्री महोदय का आपकी मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और उनसे प्रार्थना करूंगी कि इस विभाग में अन्याय होता है उसको दूर नह करेंगे तब तक हम आंकड़े ही लिये फिरेंगे और अचीवमेंट नहीं मिल पायेगा।

एक प्रश्न मोन्टीसरी ट्रेनिंग के सम्बन्ध में भी सामने आता है। मोन्टीसरी एक प्रकार की शिक्षा है, टीचर्स ट्रेनिंग के प्रकार की। ट्रेनिंग स्कूल को अनुदान मिलता है। यहां से ट्रेन्ड टीचर्स को प्राइमरी स्कूल में स्थान मिलेगा या नहीं। जब वे लोग एप्लाई करते हैं तो कहा जाता है कि एस. टी.सी. हो। इसमें जो कमियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। एक आवश्यकता पर अधिक ध्यान दिलाना चाहूंगी वह यह है कि आज हमारे पास सामान्य तौर पर चलने वाले प्रिप्राइमरी स्कूल, जिसको मोन्टीसरी स्कूल कहते हैं, उनकी कमी है। उनको प्रोत्साहन दें। समाज में जो बड़े माने जाते हैं सम्पन्न हैं वे अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजते हैं। यदि मोन्टीसरी स्कूल को बढ़ावा दिया जायगा तो सोसाइटी में जो ऊंचे समझे जाते हैं लोग वे भी अपने बच्चों को इनमें भेजेंगे। इसलिए मोन्टेसरी स्कूल और ट्रेनिंग को मान्यता दें, बढ़ावा दें।

इसके बाद मैं सामान्य प्रशासन के कुछ मुद्दों के बारे में दो शब्द कहूंगी। आज सबसे बड़ा सवाल यह है चाहे प्रश्न सरकार की प्रगति के लक्ष्य का हो, उसके अचीवमेन्ट का हो या इनके आंकड़ों का हो लेकिन अगर कोई कमी रह जाती है तो उसकी जिम्मेदारी छोटे छोटे बाबू पर आती है। मिसाल के लिये, फेमिली प्लानिंग का एक बहुत बड़ा महकमा है, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर है, उसके नीचे फेमिली प्लानिंग वर्कर्स, एक्सटेंशन ऑफिसर, फील्ड वर्कर्स होते हैं। जब यह सवाल आया कि फेमिली प्लानिंग के आंकड़े पूरे नहीं किये गये तो जिम्मेवारी किस पर आई? बहुत से फील्ड वर्कर्स की सर्विसेस खत्म कर दी। उनको दबाया जाता है। साल भर निकल जाता है तब तक ध्यान नहीं दिया जाता और साल के आखिर में ध्यान दिया जाता है। मैं आपका ध्यान रिफार्म्स कमेटी ने जो सिफारिशें की उनकी ओर दिलाना चाहूंगी। उसने कहा कि बड़े बड़े अफसर हैं उनको फील्ड इन्सपेक्शन करना चाहिये ताकि फील्ड में जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी क्या परेशानियां हैं, पब्लिक की क्या परेशानियां हैं वह मालूम हो सके। ज्यादा से ज्यादा फील्ड इन्सपेक्शन हों, निरीक्षण हों एक मात्र इसका साथ

(श्रीमती उषा प्रकाश)

है। वे ज्यादा दूर करेंगे, प्रेक्टिकल एक्सपीरियेन्स करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमें कहां सुधार करना है तो कैसे क्या सुधार कर सकते हैं। और हमारी जिम्मेदारी हमारे गन्तव्य पर पहुंचने की है। उस जिम्मेदारी में बड़े अफसरों को भी हिस्सा बंटाना चाहिये। छूट न सके इसके लिए कोई एक्जीक्यूटिव मशीनरी होनी चाहिये जिसके द्वारा कि चैक किया जा सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बहुत ही अहम बात है राजस्व विभाग के बारे में, वह निवेदन करना चाहती हूं। राजस्व विभाग की अपीलें प्रशासनिक ढांचे में होती हैं। कलेक्टर, के पास वैसे ही प्रशासनिक काम इतना रहता है कि वे अपीलों की सुनवाई के लिये समय ही नहीं दे पाते हैं। समय नहीं दे पाने से न्याय मिलने में बहुत देर होती है। 67 में 5 हजार से ऊपर अपीलें थीं। और 69 में 7 हजार केसेज पेन्डिंग हो गये। अधिकारियों के सामने दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार दो दिन देने पड़ते हैं लेकिन दो दिन भी नहीं दे पाते हैं। न्याय देने में देरी हो जाती है, किसान पहुंचते हैं तो सुनने वाला नहीं। इस तरह से न्याय में जो देरी हो रही है उनके लिये मेरा सुझाव है कि राजस्व अपील और प्रशासन दोनों को अलग अलग कर दिया जाय तो यह देरी मिट सकती है और समस्या दूर हो सकती है।

एक जगह रहने से भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक सैकिन्ड।

20 साल पहले चरागाह की जमीन घोषित की गयी। बीस वर्ष के बाद उस पर अतिक्रमण किया गया और उस पर फैसला किया गया। उसमें क्या राज था? चरागाह के मामले में एस. डी. एम. ने स्थगन आदेश दे दिये। यह विवाद की बात है। इसलिये मैं राजस्थान सरकार से अपील करूंगी कि राजस्व की अपील सुनने का जो अधिकार दे रखा है प्रशासनिक अधिकारियों को, उनके बजाय या तो अलग रेवेन्यू कोर्ट इनके लिए रखी जाय या न्यायालय को यह अधिकार सौंप दिया जाय। इस तरह का कोई रास्ता निकालना चाहिये। लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है इसलिए इसमें कोई सुधार होना चाहिए।

राजस्व के लिए एक और एजेन्सी है राजस्व अपीलेट। मेरा ख्याल है कि यह एजेन्सी रेवेन्यू बोर्ड और कलेक्टर के बीच में बनी हुई है और उसका कोई खास महत्व इसलिये नहीं है कि वह सिर्फ एक अपीलेट बाड़ी है और फिर उसकी अपील रेवेन्यू बोर्ड में होती है। उसके बीच में होने से केसेज का कोई निपटारा नहीं होता है। इसलिये वह भी प्रशासन के ऊपर बोझ है और उसको हटा दिया जाये तो सरकार को रेवेन्यू से अपील को निपटाने में फर्क भी नहीं पड़ेगा और एक बहुत बड़ा खर्चा भी खत्म हो जायेगा।

तो जो मैंने कुछ निवेदन किया है उसमें फिर महिला शिक्षा के प्रसार के

(श्रीमती उषा प्रकाश)

ऊपर जोर देती हुई अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी कि हम इस दिशा में बहुत ही पिछड़े हुए हैं और राज्य सरकार को इस वर्ष खास ध्यान देकर इस दिशा में प्रगति करनी चाहिये और शिक्षा का गन्तव्य अगर हमें प्राप्त करना है तो इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका हमें ओवरहालिंग करना पड़ेगा। राजस्व अपीलों के मामले में जो निवेदन किया है मेरा ख्याल है सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी।

**श्री उपाध्यक्ष : श्री झाबरमल।**

**श्री झाबरमल (फतेहपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, समाज में शिक्षा एक ऐसा पहलू है जो जिन्दगी के हर मामले को समझने में आदमी को योग्य बनाता है। इस बार के बजट में सन् 75 तक प्राथमिक शिक्षा को कम्पलसरी करने का वायदा किया है लेकिन मैं सोचता हूं कि इन्दिरा गांधी के पैरटस जिस वचनबद्धता की बातें करते हैं इसमें कोई खास दम नजर नहीं आता। इन्होंने पहले भी बहुत वचनबद्धता की बातें कही हैं और सब बातों से मुकर गये हैं। पहले अनइकानामिक होल्डिंग के बारे में इनकी तरफ से वचनबद्धता थी, उसके बाद नशाबन्दी के लिए भी दुहाई दी थी और इस बार अब 75 तक प्राइमरी एजूकेशन को कम्पलसरी बनाने के लिये वचनबद्धता की बातें कहते हैं लेकिन मुझे इसमें कोई खास दम नजर नहीं आता। यह तोते की रट है जो कि इन्दिराजी ने इनको रटा दी और यह उसको दोहराते रहते हैं। वैसे यह अच्छी बात है और मुझे खुशी है कि इन्होंने यह बात कही तो सही। यह आवश्यक भी है क्योंकि लोगों को बातें समझाने के लिए प्राइमरी शिक्षा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पुराने जमाने में भी 25 साल तक की उम्र तक विद्याध्यन के लिये मौका मिलता था। वर्णों में समाज बटा हुआ था तब बच्चे को अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए पूरा मौका मिला करता था लेकिन उसमें भी कुछ कमियां आई और तत्पश्चात् एकाधिकार की प्रवृत्ति ने घर कर लिया था। इसके बाद एकाधिकार प्रवृत्ति की वजह से ही हमको कुछ गुलामी की तरफ जाना पड़ा था। उसके भी कुछ कारण थे। जो प्रखर बुद्धि वाले आदमी थे उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है, और उसमें शिक्षण संस्थाओं का अपना कोई योगदान नहीं रहा है। इसलिये मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रतिभा को उभारने के लिये या उसको रखने के लिये आप कोई उपाय नहीं कर सकते। प्रतिभा है तो वह आयेगी और नहीं है तो एजूकेशनल इन्सटीट्यूशन्स के जरिये आप उसको उभार कर ला नहीं सकते। आज की जो शिक्षा है और जिसका बीजारोपण मेकाले ने किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारु रूप से चलाने के लिए आजादी के बाद भी उसी ढर्रे को कायम रखना इस डेमोक्रेटिक समाज में निहायत बेवकूफी है गलती है। लेकिन हम इसके लिये दुहाई तो देते रहते हैं, अपने आपको कोसते तो रहते हैं पर इसमें आमूल-चूल परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका स्वरूप क्या

(श्री झाबरमल)

हो ? हम इसको आमूल चूल बदल नहीं सकते। कभी तो दसवीं के साथ में हायर सेकेण्डरी बना देते हैं, कभी थ्री ईयर्स डिग्री कोर्स बना देते हैं। हमको पढ़ाना क्या है और पढ़ाने के साथ मान्यताओं का क्या महत्व है इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। नतीजा यह होता है कि कालेज एजूकेशन के बाद, यूनिवर्सिटी एजूकेशन के बाद हम जो भी ध्येय था उसको भुला कर नेगेटिव साइड में चले जाते हैं। सिर्फ पाश्चात्यकरण हमारा हो गया है, अच्छे कपड़े पहनना सीख गये हैं और अच्छा व्यवहार करना भूल गये हैं और यही कारण है कि अनुशासनहीनता दिनों-दिन बढ़ रही है। साफ जाहिर है कि जिस एजूकेशन से अनुशासनहीनता आई है वह शिक्षा कैसे हमारे लिये कारगर सिद्ध हो सकती है। सबके सामने सबसे बड़ा सवाल है आज अनुशासन हीनता का और यह इस कदर फैल रही है कि निश्चित रूप से हमें सोचने के लिए विवश होना पड़ता है। हमारी एजूकेशन प्रणाली में खोट है, उसमें कोई न कोई गलत चीज है जिसको सुधारना जल्दी ही आवश्यक है। जब हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आने वाला भविष्य क्या होगा। हम बेकारों की जमात खड़ी कर रहे हैं पढ़ा पढ़ा कर आज मिडिल से रिसर्च स्कॉलर तक के लोग 1 लाख 34 हजार की संख्या में बेकार हैं। इतनी बड़ी संख्या में बेकार हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और वह हमें ही नष्ट करने वाली है: आज डाक्टर बेकार हैं, इन्जीनीयर्स बेकार है और मेट्रीक्युलेट बेकार हैं। हर किस्म का पढ़ा लिखा बेकार है। हमें जरूरत नहीं है और हम रोज उसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को समझने के लिए, प्राईमरी बातों को समझने के लिए जैसे लैंगवेज है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और मामूली अर्थमेटिक है—ऐसी चीजें एक खास स्टेण्डर्ड तक, वह स्टेण्डर्ड चाहे मिडिल हो चाहे प्राईमरी हो, कम्पलसरी कर देनी चाहिए। इसके बाद जो भी हमारी पढ़ाई है चाहे कालेज की एजूकेशन हो, चाहे यूनिवर्सिटी की रिसर्च की हो मैं चाहता हूं कि उन्हीं को प्रवेश दिया जाये जो कि एक्स्ट्रा आर्डिनेरी कालेज के लड़के हों, वरना कल से ही इसको बन्द कर देना चाहिए हमें और मल्टीप्लाई करके आगे नहीं बढ़ाना चाहिए···

**एक माननीय सदस्य**: गरीबों के लड़के मारे जायेंगे।

**श्री झाबरमल**: पढ़ने के बाद आसानी से मरेंगे और यहां आज भी सदन में चर्चा थी कि एक मेडिकल का स्टूडेन्ट इसलिए मर गया कि उसे प्रोफेशन नहीं मिल रहा था, उसे कोई एम्प्लायमेंट नहीं मिल रहा था। मैं नहीं चाहता कि उन गरीब बच्चों को अकारण ही मौत के मुंह में फेंक दो। इससे तो अच्छा हो कि आप उनको उनके हाल पर छोड़ दो। आप उसे भटकायें नहीं, आप उसको गुमराह नहीं करें। मेरी तो ख्वाहिश है कि जो एक्स्ट्रा आर्डिनरी स्टूडेन्ट्स हैं वे चाहे किसी भी

(श्री झाबर मल)

परिवार के हों वे छिपे हुए नहीं हैं उनको आगे एजूकेशन के लिए मौका मिलना चाहिए।

एक काशी के पण्डित की बात याद आती है। वह पढ़ कर आया तो उसने एक खास बात पढ़ी थी कि जो हड्डियां मिल जायें किसी स्केलटन की उन्हें इकट्ठा करके मन्त्र पढ़ कर उन पर जल छिड़क दो तो फिर आदमी पुनर्जीवित हो जायेगा। जब वह पढ़ कर वापिस आया तो उसे हड्डियां रास्ते में मिली। उसने सोचा कि जो भी विद्या पढ़ी है क्यों नहीं उसका यहां उपयोग कर लिया जाये। उसने हड्डियों को इकट्ठा किया, अपना मन्त्र पढ़ा और छींटा दिया। वह हड्डियां इत्तिफाक से शेर की थीं। हड्डियों को इकट्ठा करने से पहले यह दिमाग में बात नहीं आई और फिर अन्जाम साफ था। इतने बड़े शिक्षक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आज जो इतनी बड़ी फौज बेकारों की तैयार कर रहे हैं। हमारा जो सेट-अप है इसको वे लोग नष्ट करने के लिए तुल जायेंगे।

हमारा सेट-अप नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं यह भी चाहता हूँ।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : तथास्तु।

श्री **झाबरमल** : मैं यह भी चाहता हूँ कि यह जो कुछ सेटअप डेमोक्रेसी का है इसमें कुछ वर्ग विशेष के पर्सेन्टेज को प्रोटेक्शन दिया गया है। इसमें कुछ पर्सेन्टेज स्टूडेन्ट्स का भी रखा जाय ताकि वह अपनी समस्यायें किस तरह से सुलझाई जा सकती हैं यह आसानी से आ करके रख सकें और उसके संचालन करने में मददगार हो सकें।

मैं सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में एक बात और कह देना चाहता हूं। वह यह है कि इस प्रशासन में जहां कहीं भी गड़बड़ी है उसमें प्रमुख बात जो है वह है, मिनिस्टर विंग की, जनप्रतिनिधियों की। यह बात मैंने पहले भी कही थी। एक जागीरदारों के जमाने की बात है कि एक हरिजन महिला रावले में दाखिल हो गई और उसको फटकार के पूछा कि तुम रावले में कैसे आई? तो उसने जवाब दिया कि ड्योढी तक तो ठाकुर साहब ने पहुंचा दिया और आगे मैं अपने आप पहुंच गई। तो इन अधिकारियों को गड़बड़ी करने की प्रेरणा मिलती है। उसका स्रोत है मिनिस्टर विंग, ये जनता के प्रतिनिधि। जब सारे देश को इन्दिरा गांधी एक झटके में कोकर कर सकती है, सारा देश आज उसकी तरफ देख रहा है, सब कुछ धराशायी हो गया, कोई भी मामला हो, कोई भी उलझन हो, कहते हैं उसको इन्दिराजी की झोली में डाल दो। भू-सीलिंग के मामले अटक जायं तो इन्दिराजी की झोली में डाल दो। जब सारी बातें अकेली इन्दिराजी कर सकती हैं तो आपके यह 145 जनता के प्रतिनिधि मिल कर कोई ऐसा कानून भी पास नहीं कर सकते, कानून में ऐसा संशोधन भी नहीं कर सकते जो कि अधिकारी गल्ती करे उसको सजा दी जाय। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी बात मिसाल के तौर पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में कहता हूं। चार पांच रोज पहले यहां सीकर की एक सहकारी बैंक के बारे में प्रश्न उठा या उसमें मिनिस्टर साहब की तरफ से, कोपरेटिव मिनिस्टर की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि उसमें गड़बड़ी है तो उसकी जांच

(श्री झावर मल)

की जाएगी और चुनाव कराने के लिए एक सहायक रजिस्ट्रार के कैडर के आदमी को अपोइन्ट किया जाएगा। लेकिन इसको समुचित रूप से इतला दी नहीं गई और दूसरे रोज नोमीनेशन हो गए। एक डायरेक्टर को रिटर्निंग ऑफिसर अपोइन्ट कर दिया। जब लोगों को पता चला तो अप्रोच किया मिनिस्टर को, स्टेट मिनिस्टर के और स्टेट मिनिस्टर ने स्टे जारी कर दिया। लेकिन बाद में विडम्बना देखिए कि स्टेट मिनिस्टर ने तो उसको स्टे कर दिया। पहले आश्वासन के जरिये नोमीनेशन ले लिए थे। तो फिर कुछ लोगों ने अप्रोच किया मिनिस्टर कोआपरेटिव को तो उन्होंने इसको स्टे करने का आश्वासन दे दिया। जब एक ही डिपार्टमेंट के दो बड़े नुमायन्दे मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर वे खुद आपस में फैसला किए बिना इस तरह के आर्डर जारी करेंगे तो क्या असर होगा अधिकारियों पर और क्या असर होगा जनता पर। यह साफ जाहिर है। मैं तो अब भी कहता हूँ कि प्रशासन को सचेष्ट करने को, प्रशासन को रास्ते पर लाने की बात तो है लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी जनता के प्रतिनिधियों पर है कि वह ज्यादा जिम्मेदारी से काम करें। आज ज्यादा जिम्मेदारी मिनिस्टर विंग की है और उसके बाद जिम्मेदारी केबिनेट की है। तो मेरा तो सबसे बड़ा निवेदन यही करना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि तुरन्त फैसला करना चाहिए, इमीजियेटली स्टेप्स उठाने चाहिए और इस राज्य को फाइलों में नहीं डुबाना चाहिए। आज इस राज्य को आपने फाइलों में डुबो दिया है। मिलती नहीं हैं फाइलें ढूंढे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो बात है वह यह है कि तुरन्त फैसला करें और फैसला होने के बाद वह कार्यान्वित हो जावे और फिर उसको फाइल कर दिया जावे। तभी यह जो आनेस्टी की बात है, ईमानदारी की बात है वह सारी होगी। ऊपर से जैसा चलेगा वैसे ही नीचे होगा। एक रोज आचार्य साहब ने भी यहां कहा था कि यह चीज ऊपर से चलेगी। डेमोक्रेटिक सेट अप ऊपर से चलता है इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ऊपर के लोगों की है। उनको अपनी ड्यूटी को अंजाम देना चाहिए और मोह छोड़ कर, भाई भतीजावाद छोड़ कर सच्चा फैसला करने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको अपना मोह त्यागना पड़ेगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री भुवनेश्वर चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी।

**श्री रामनारायण चौधरी :** (मण्डावा) उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि राजस्थान के अन्दर पब्लिक स्कूलों को जो मान्यता और अनुदान देने की प्रक्रिया चालू है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। शिक्षा के अन्दर, उस शिक्षा को जिसको ग्रहण करने का, जिसे प्राप्त करने का सबको अधिकार है उसमें राज्य स्तर पर राज्य सरकार की तरफ से भेदभाव किया जाना इस युग में बरदाश्त के काबिल नहीं है। अतः मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि आपने जो पब्लिक स्कूल्स को मान्यता दे रखी है, आप इनको सरकारी खजाने से अनुदान देते हैं उसको बन्द किया जाना चाहिए। आपने यह भेदभाव ऊपर तक रखा है। आज गरीब

(श्री रामनारायण चौधरी)

किसानों के, गरीब मजदूरों के लड़के इन पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। तो हमें हक है इस बात की मांग करने का कि इस भेदभाव का आप त्याग करें और पब्लिक स्कूलों को जो मान्यता और अनुदान देते हैं उसको बन्द करें।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ ध्यान दें। मैंने पहले भी इस सदन के सामने यह बात उठाई थी। आप प्राइवेट स्कूलों की रीति-नीति की जांच करवायें और इसके लिए एक कमीशन बैठावें जो राज्य सरकार को रिपोर्ट दे, अपना प्रतिवेदन दे, कि इन स्कूलों का संचालन किस प्रकार से हो रहा है, इनकी रीति-नीति क्या है। आज निजी शिक्षण संस्थाओं में जो शिक्षा दे रहे हैं वह देश के हित में नहीं है। वहां के अध्यापकों के साथ में जो भेदभाव, जो पक्षपात मैनेजमेन्ट द्वारा किया जाता है वह बन्द कराया जावे। आज सरकारी खजाने से निर्धारित दर के मुताबिक वे रकम उठाते हैं और अपने स्टाफ को मनमाने ढंग से पेमेन्ट करते हैं और उन्हें बाध्य करते हैं कि अमुक राशि ग्रहण करनी होगी और कुल वेतन पर हस्ताक्षर करने होंगे। यह नीति त्यागने योग्य है और यह तभी त्यागी जा सकती है जब राज्य सरकार यह फैसला करे कि राजस्थान के अन्दर कोई भी प्राईवेट शिक्षण संस्था नहीं होगी। तमाम शिक्षण संस्थायें हायर सेकेण्ड्री तक राज्य सरकार द्वारा संचालित होंगी और उनका पेमेन्ट, उनकी सेलेरी का भुगतान राज्य सरकार के खजाने से होगा। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि हायर सेकेण्डरी तक की तमाम शिक्षण संस्थायें राज्य सरकार द्वारा चलाई जावें और इन प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स की मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिए और इन्हें दिया जाने वाला अनुदान बन्द कर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा की थी यहां पर शारदा सदन कालेज के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पर वक्तव्य देते हुए भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने कहा था कि शारदा सदन कालेज में जो लड़कों का परीक्षा केन्द्र है वह हटाया नहीं जायगा और विश्वविद्यालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा था कि मुकन्दगढ़ के शारदा सदन कालेज के लड़कों के परीक्षा केन्द्र को तोड़ा नहीं जाएगा। मैं यह आपको बताना चाहता हूं कि वह विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार के पैरेलल एक राज्य सत्ता के मुताबिक चल रहा है, वह विश्वविद्यालय जो हमारे यहां से विधान सभा से अनुदान प्राप्त करता है हमारी स्वीकृति से, उसने राजस्थान सरकार के आदेशों का, जितनी घोषणा इस सदन में की गई थीं, उनका कितना आदर किया है। नतीजा यह हुआ कि जो मांग सदन में उठाई गई थी कि लड़कों को कितनी भारी परेशानी होगी, उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए यह मांग की गई थी कि वहां पर लड़कों का परीक्षा केन्द्र कायम रहना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार की घोषणा के बाद भी उस पर कुछ नहीं हुआ।

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट शिक्षण

(श्री रामनारायण चौधरी)

संस्थाओं मे नियुक्तियों के सम्बन्ध में और वहां पर कार्यकर्त्ताओं के डिस्मिसल और सस्पेंशन के सम्बन्ध में, नौकरी से हटा दिए जाने के सम्बन्ध में जो नियम और प्रक्रियायें बनी हुई हैं उसका पालन ठीक प्रकार से नहीं होता है। अध्यापक लोग अपनी नौकरी के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के पास में अपील करते हैं तो उन अपीलों की सुनवाई ठीक समय पर नहीं होती। उनका निर्णय ठीक समय पर नहीं होता और उनके निर्णय हो जाने के बाद अपील दूसरे अधिकारियों के पास की जाती है उनका भी निर्णय ठीक समय पर नहीं होता और राज्य सरकार के ऊपर उनको हटाने के लिए नाना प्रकार के दबाव आते हैं ...

इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस बात का आश्वासन दे कि इन अपीलों के मामले के अन्दर वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।**

**श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) :** उपाध्यक्ष महोदय, दिन भर की चर्चा सुनने के बाद मुझे एक मारवाड़ी दोहा याद आ गया-डिंगल का दोहा है जिसका अर्थ होता है, बावड़ी के चार कोने होते हैं, वे चारों कोने पानी से भरे हुए हैं। हाथी घोड़े कोशिश कर कर मर गये परन्तु उससे पानी नहीं पी सके। पनघट फिर भी खाली जाता है। इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, जब से हमारा देश स्वतन्त्र हुआ, तब से बराबर यह भाषण सुनते रहे हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव आना चाहिये। इसके लिये कई कमीशन बनाये गये, उनकी रिपोर्ट आई कि यह ठीक होना चाहिये। मैं भी यह मानता हूं कि शिक्षा हमारी मान्यताओं के अनुरूप होनी चाहिये। सब रिपोर्ट को हमने कार्यान्वित करने की कोशिश की परन्तु आज भी वे वहीं पर है और यह पनघट खाली जाने वाली बात है।

प्रणाली में कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है दोष ? स्वतन्त्रता के बाद जितने वैज्ञानिक, डाक्टर, इन्जीनियर्स अलग अलग विषयों के विद्वान निकले हैं। आप क्या समझते है कि वे दुनियां के और लोगों से कम हैं। वे किसी तरह से कम नहीं हैं। हमारे यहां पर अवसर का अभाव है। लोग विदेश गये हैं और उन्होंने वहां पर नामवरी पाई है और स्वतन्त्रता के बाद नोबल पुरस्कार दूसरे देश में जाकर एक भारतीय ने प्राप्त किया है। तो शिक्षा में कोई मूल दोष नहीं है। मूल दोष तो यह है हमारे यहां पर खास तौर से, जैसा कहा जाता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वे पढ़ लिखने के बाद बेकारी की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। इसके सम्बन्ध में कोई अकेडेमिक साइड नहीं है। इसका सम्बन्ध है अपनी सामाजिक और आर्थिक नीतियों से। हम इस क्षेत्र में असफल हुए हैं और यही कारण है कि हमारे पढ़े-लिखे नवयुवक बेकार हैं और उनकी संख्या दिन-दिन बढ़ती जा रही है। एक पुरानी कहानी याद आती है। एक गडरिये के यहां पर यह प्रश्न उठा कि दो भाइयों में से कौन तो भेड़ को चराने को जाये और कौन पंचायती करने को जाये। दोनों लड़ने लगे कि पंचायती करने मैं जाऊंगा।

# Page No. 174



(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

दोनों की लड़ाई का हल बुड्ढे ने यों निकाला कि जो अच्छा फाग अचकन, गुंडी पहनेगा वह तो जाये भेड़ चराने और जो गुदड़ी पहन कर जाना चाहे वह जावे पंचायती करने। जो उसका छोटा लड़का था उसको कपड़े पहिनने का शौक था। वह अच्छे कपड़े पहिन कर भेड़ चराने चला गया। इसी प्रकार आज खेतीबाड़ी का काम करने के अन्दर हमारे लड़कों को रुचि नहीं है। वह हाथ का काम नहीं करना चाहता है। आॅफिसरी करना चाहता है। डाक्टर होना चाहता है वैज्ञानिक होना चाहता है। यही आज का मूलभूत प्रश्न है। माननीय रामानन्दजी ने कहा कि समाजवादी देशों ने इस समस्या का हल निकाल लिया है। मैं समझता हूं कि इस समस्या को उन्होंने बलपूर्वक जरूर हल कर लिया है लेकिन इसकी गहराई में जायेंगे तो यह समस्या वहां पर भी बनी हुई है। सारे लोग यह चाहते हैं कि हम बाबू हों, प्रशासनिक सेवाओं में जायें, ऐसे काम में लग जायें जिसमें मोटर मिलती हो, हुकूमत ज्यादा हो। तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह नियति का प्रश्न है। एक बात जरूर है कि हमारे यहां पर नौकरों का ओहदा अच्छा रहा है इसलिये आम तौर पर नौकरी की तरफ आकर्षण है। नौकर हो गये तो ऊंचा ओहदा हो गया। यह एक मानसिक गुलामी है और यह प्रवृत्ति स्वाभाविक है। समाज के अन्दर पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा हो, ऐसी स्थिति हो कि हर काम करने वाले व्यक्ति को बराबर समझने लगें तो हाथ से काम करने वाले की इज्जत करेंगे। इससे ही इस समस्या का हल होगा और आपके और हमारे कहने से, कमीशन अपाइन्ट करने से इस समस्या का कोई हल नहीं निकलने वाला है। मूल प्रश्न है जनतन्त्रवाद। हमारा देश स्वतन्त्र हो गया लेकिन इस स्वतन्त्रता के साथ हमारा प्रशासन किस प्रकार चले, हमारे विश्वविद्यालय और कालेज किस प्रकार चलें, उनमें शिक्षा किस प्रकार चले यह नहीं सोचा जाता है। अगर हुकूमत तगड़ी हो तो लोग दबेंगे, अनुशासन में चलेंगे। पुराने ज़माने के कालेजों में और आज के कालेजों में बड़ा अन्तर है। उस वक्त हुकूमत के भय से कोई बोलने का साहस नहीं करता था। तो यह एक सवाल है कि एक स्वतन्त्र देश के अन्दर विश्वविद्यालयों का, कालेजों का प्रशासन किस प्रकार चलाया जाये, यह बात आज तक समझ में नहीं आई है। यही मुख्य दोष है। अगर अध्यापक पढ़ाने लगें और विद्यार्थी पढ़ने लग जायें तो तीन चौथाई समस्या का हल अपने आप निकल आता है। एक दिन क्षमा करें मुझे यहां पर कुछ कहना पड़ा था। इस बात की यहां पर पैरवी की जा रही थी कि पुलिस विश्वविद्यालय में कैसे चली गई। परन्तु उसी दिन उदयपुर विश्वविद्यालय के अन्दर उसके दो प्राध्यापकों की हड्डियां टूट गईं और जितने भी अध्यापक थे उन्होंने यह तय कर लिया कि वे इनविजिलेटर का काम नहीं करेंगे। यह प्रश्न यहां पर भानुकुमारजी ने उठाया था...

**श्री निरंजन नाथ आचार्य :** आप बोल रहे हैं फिर तो कोई उत्पात नहीं हो रहा है?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** इसलिये हमारा जो बड़ा ढांचा है उसको कैसे चलावें जिससे

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

पढ़ाई लिखाई हो सके। मैं समझता हूं कि शिक्षा के अन्दर परिवर्तन ला सकते है। मैं यह नहीं सोचता हूं कि कभो परिवर्तन भी आयेगा। परिवर्तन आता नहीं है। पाठ्यक्रम नहीं बदला गया है। विज्ञान का युग है। पाठ्यक्रम इसमें बदल सकता है। नये नये तरीके सामने आये हैं, दुनिया में रहना है तो वे तरीके हमें काम में लेना चाहिये वरना हम दुनियां के साथ नहीं चल पायेंगे। तो हमें जो खतरा है उसको टालने की कोशिश मत करियेगा। हमारे पाठ्यक्रम कोई दोषपूर्ण नहीं हैं। अगर दोषपूर्ण होता तो हमारे इतने विद्वान नहीं होते। बड़े बड़े विद्वान भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाये हैं कि हमारे में क्या खराबी है। बड़े बड़े विदेशी हमारे यहां पर आये हैं। उन्होंने सुझाव दिये हैं लेकिन उन्होंने भी इस बीमारी को नहीं पकड़ा है। वास्तव में यह कोई बीमारी नहीं है। बीमारी हमारी शासनिक है और वह यह है कि हम को जनतन्त्र में विश्वविद्यालयों को, कालेजों को कैसे चलाना है। आज विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है कालेजों के अन्दर जितनी सुविधायें होनी चाहिये वे नहीं हैं। जितनी योग्यता और अनुभव के अध्यापक होने चाहिए वह नहीं हैं। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इस पाठ्यक्रम को बदलने की ओर ध्यान दें। मेकाले ने जो कहा वही अभी तक चल रहा है, अच्छी बात है कि वह आज भी सौ साल के बाद तक चल रहा है। आज दुनिया के अन्दर जो शिक्षा का तरीका है वह भी मैंने देख रखा है। यह कोई है कि वहां पर ज्यादा सुविधाएं हैं। वहां की किताबें रंग बिरंगी हैं उनमें चित्र अधिक हैं। आज जितनी अधिक सुविधा वाले लड़के सिविल लाइन्स में रहते हैं उनका नम्बर स्कूल में पीछे से गिना जाता है। यह कहा जाता है कि यह लास्ट बट वन, थर्ड है पढ़ाई में, लिखने में। माननीय सदस्य जानते हैं कि जो उनके यहां पर नौकर है उनके लड़के फर्स्ट क्लास आते हैं। उनके पास उचित कपड़े नहीं होते हैं, दूसरे साधन नहीं होते हैं फिर भी वे पढ़ाई मे प्रथम आते हैं। तो यह कहना सही नहीं है कि सुविधा होगी तो ही फायदा उठा सकेंगे साथ ही यह कहना भी उचित नहीं है कि ये खराबी है अनुशासन को नहीं रखेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी और कड़ाई की जायगी तो आखिर में जाकर नतीजा यह होगा कि स्वतंन्त्रता का हनन होगा। शिक्षा मंत्रीजी से मेरा यही निवेदन है कि वे ऐसा भाषण नहीं देवें कि वे इसमें आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे। मैं जब शिक्षा मंत्री था तो मैंने अपने पहले भाषण में ही यह कहा था कि इस के अन्दर कोई विशेष दोष नहीं हैं। जो ढांचा है उसको ही चला सकेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं इसलिये आप यह कहने की गलती मत करना। धन्यवाद।

**श्री निरञ्जननाथ आचार्य :** जवाब ही बन्द कर दें।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्रीमती मदन कौर। (अनुपस्थित)

**श्री सांवरमल मोर। (श्री माधोपुर) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपसे प्राथमिक स्कूलों के बारे में निवेदन करूंगा- जिनका दायित्व आज हमारे

(श्री सांवरमल मोर)

राजस्थान में पंचायत समितियों के ऊपर है। जहां शिक्षा के सुधार की बात हमारे माननीय सदस्यों की ओर से कही जाती है उसके बारे में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां से हमारी शिक्षा शुरू होती है वहां हमें सबसे पहले इस बारे में सोचना पड़ेगा तथा आपने स्वयं ने भी शायद देखा होगा और जैसे कि मैंने भी काफी वर्षों तक इस तरह का अनुभव किया है कि जो प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों के पास है और जिस तरह की व्यवस्था आज वहां है वह बहुत ही दयनीय है। मैं आपसे निवेदन करूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक एक स्कूल में 60-70 लड़के एक अध्यापक पढ़ाता है। एक कक्षा से लेकर पांचवीं कक्षा तक वही अध्यापक उन सब विद्यार्थियों को पढ़ाता है। एक कमरा है। एक साथ बैठते हैं और वहां एक इस तरह का नक्शा होता है कि एक गड़रिया जिस तरह सारी भेड़ों को इकट्ठा करके जिस तरह से हांक रहा हो उसी तरह से हमारी पढ़ाई होती है। वहां की यह व्यवस्था है।

आपने यह भी सुना होगा कि पंचायत समितियां जो स्कूल चलाती हैं वहां पर उन स्कूलों में बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। छोटे बच्चे अक्सर या तो दूसरे घरों पर पानी पीने के लिए जाते हैं या स्वयं कुए पर जाकर पीने का पानी निकालते हैं। आप देखिये कि एक छोटा बच्चा जो 6–7 साल का है अगर कुए पर जाकर पानी निकालता है और फिर उसे पानी मिलता है तो कैसी क्या स्थिति और जिस तरह के सुधार की आज हम सब अपेक्षा करते हैं वह कैसे संभव हो सकता है।

पंचायत समिति के अध्यापकों के बारे में मैं निवेदन करूं आपसे कि वे प्रायः सारे के सारे पूरी तरह से राजनीति में उलझे हुए रहते हैं। पढ़ाई का अपना सारे का सारा समय उसमें लगाते हैं। पिछले चुनावों में मैंने देखा स्वयं ने, जिस क्षेत्र से मैं आया हूं उसमें पूरी उनको छुट्टी थी इस बात की कि वे जाकर मैदान में प्रचार करें। चुनावों के बाद कई अध्यापकों को सस्पेण्ड किया गया जिन्होंने उनका काम नहीं किया। कई अध्यापकों ने जो खोल कर काम किया तो उन्हें पुरस्कार दिया गया। उनका इन्क्रीमेंट बढ़ाया गया। अगर आज इस तरह की दुर्दशा, अगर आज इस तरह की स्थिति हमारी व्यवस्था में है तो हमें गहराई से सोचना पड़ेगा और गहराई के साथ उसकी व्यवस्था भी करना पड़ेगी। आज अध्यापकों से हमें पढ़ाई का काम लेना चाहिये। हम नहीं चाहते हैं कि कोई अध्यापक हमारी मदद करे चुनावों में, हमारे काम में आये और इसलिए आये कि हम उससे वोट का काम लें। लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां उनसे किसी किस्म का काम नहीं लेना चाहिए वहां उन्हें किसी किस्म का काम सिवाय पढ़ाई के और नहीं करना चाहिये।

आज दूसरी बात जो मैं आपसे निवेदन करूं वह लड़कियों के विद्यालयों की है। आप 75 तक ऐसा निश्चय करके चल रहे हैं कि सारे राजस्थान में और हिन्दुस्तान में निश्चित रूप से 10–11 साल के बच्चों की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन आ

(श्री सांवरमल मोर)

जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह की व्यवस्था है तो मैं तो यह मान कर चलता हूं कि जो बालिकाएं छोटी बच्चियां और बड़ी बच्चियां राजस्थान के गांवों में रहती हैं उन्हें आज शिक्षा के नाम पर कुछ भी पता नहीं है। इसलिये जिस तरह का बजट प्रावधान आज भारत सरकार की कृपा से और माननीय मुख्य मंत्रीजी की चेष्टा से हमको मिला है राजस्थान में कि एक हजार प्राथमिक स्कूल खोले जायेंगे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर भी लड़कियों के स्कूलों की बात चले उसे आपको सबसे पहले उन्हें प्राथमिकता देना चाहिये, चाहे मिडिल विद्यालय हों, चाहे प्राथमिक शालाएं हों। आप उसको खोलने की इजाजत दें जिससे कि आपका जो लक्ष्य है वह पूरा हो और हमारी जो बालिकाएं हैं, जो पढ़ने से वंचित रहती हैं वे अच्छी तरह से पढ़ सकें और इसमें हिस्सा ले सकें।

प्राईवेट संस्थाओं की भी आज बातें चलीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं इस बारे में कि सारी स्कूलें तो ऐसी नहीं हैं कि जिनमें अच्छा काम नहीं होता हो। जिन विद्यालयों में यह चीज चल रही हो उनकी ऐड बन्द कर दें उन्हें जो सहायता देते हैं वह बन्द कर दें मैंने देखा है कि सरकारी संस्थाओं के मुकाबले में आज जो प्राईवेट संस्थाएं हैं जिनको कि आज निष्ठावान लोग चला रहे हैं उन संस्थाओं का रिजल्ट उन सरकारी स्कूलों से ज्यादा अच्छा रहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप सरकारी स्कूलों के आंकड़े कलेक्ट करवायें और इस आधार पर करवायें कि जिन स्कूलों का रिजल्ट अच्छा रहता है वे चाहे प्राइवेट संस्थाएं हों, चाहे सरकारी संस्थाएं हों वहां के प्रधानाध्यापकों को प्रोत्साहित किया जाय, उन्हें किसी प्रकार का इनाम दें, जिस से रिजल्ट है वह ज्यादा अच्छा आये। जिन संस्थाओं का प्राइवेट तौर से संचालन किया जाता है उन संस्थाओं के रिजल्ट देख कर उसकी सहायता की राशि को बढ़ा दें। जिन संस्थाओं का रिजल्ट अच्छा रहता है और जो संस्थाएं समाज में अच्छा काम करती हैं उनके बारे में आज सामाजिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से सोचे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं और मुझे इसमें कोई हिचक भी नहीं है कि जिस समय सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहां सीकर ठिकाने की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी उस समय हमारे यहां पर कई उद्योगपतियों द्वारा कालेज चलाये जाते थे। आज भी नवलगढ़ में, मुकुन्दगढ में और फतेहपुर में ऐसे कालेज हैं कि जिनसे हजारों की तादाद में छात्र निकलते हैं। उन लोगों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिये। आज ऐसी बड़ी शिक्षण संस्थाएं हमारे और ज्यादा काम आ सकती हैं। अगर आप उनको और प्रोत्साहित करेंगे तो संस्थायें आगे बढ़ेंगी और शिक्षा क्षेत्र में हमारी मदद कर सकेंगी।

एक तनख्वाह के बारे में निवेदन करूं आपसे, जैसा कि माननीय आचार्यजी ने कहा था, चैक सिस्टम द्वारा जो प्राइवेट संस्थाओं में काम करते हैं उन अध्यापकों को वेतन दिया जाना चाहिये। मैं भी इस बात को मानता हूं। यदि यह प्रणाली चले तो

(श्री सांवरमल मोर)

उपयुक्त हैं और इसमें गड़बड़ की सम्भावनायें जो व्यक्त की जाती हैं वह कोई भी उसमें नहीं रहेंगी। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कई दफा यह चर्चा भी चली जिस समय कि माननीय शिवचरणजी शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने फरमाया था कि राज्य सरकार इस बात को लागू करने जा रही है कि जितनी भी प्राईवेट संस्थाएं चल रही हैं उनमें वेतन का जो खर्चा होता है वह सरकार के द्वारा दे दिया जाय।

अगर राज्य सरकार इस प्रकार का निर्णय करती है तो वह उपयुक्त ही रहेगा।

दूसरी बात मैं इतिहास के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आजादी के पहले जो इतिहास पढ़ाया जाता था वही आज भी पढ़ाया जाता है। काफी वर्ष हो गये हैं। आज जो बच्चे जवान हो गये हैं उनको यह भी पता नहीं है कि यह आजादी हमको किन किनके त्याग और बलिदान से मिली है। इन बच्चों के लिए इतिहास इस प्रकार का तैयार करना चाहिये जिससे कि हमारे बच्चे यह जान सकें कि इस आजादी के लिये किसने क्या क्या बलिदान किये हैं।

( समय-समाप्ति-सूचक घण्टी )

उनको इसकी जानकारी हो सके। सही जानकारी मिल सके।

अनुशासन के बारे में जो अभी कहा गया है, मैं आपको निवेदन करूं कि आज अनुशासन के नाम से हमारी संस्थाओं की जो दयनीय स्थिति है वह बहुत ही चिन्तनीय है। समय पर कई प्रश्न व समस्याओं पर विचार न होने से दिक्कत आती है मैं निवेदन करूं आपसे खजड़ोली विद्यालय का प्रधान अध्यापक श्री चुक्कन सिंह है उसकी जनता ने शिकायत की कि वह समय पर स्कूल में नहीं आता है। उसको प्रधानाध्यापक ने भी मंजूर किया है। इस प्रकार से समय पर एक्शन नहीं लेते हैं तो अच्छा नहीं रहता है। इसलिए शिक्षा मन्त्रीजी अनुशासन के लिये एक्शन लें। फतहपुर में एक रामलाल सिंह अध्यापक है। पी. टी. आई. है। वह पोस्ट भी वहां नहीं थी फिर भी उसको लिया गया। उसने एक लड़के को पीटा। उसका डाक्टरी मुआयना हुआ। यहां के लड़के हड़ताल करने को तैयार थे। परीक्षा का समय था। मैं चाहूंगा कि ऐसे अध्यापकों पर कड़ा ध्यान दिया जाये। लड़के को बुरी तरह पीटा। बुरी तरह से लड़के को चोट आई। आज स्कूलों में जो दिक्कतें हैं जो परेशानी हैं उनको देखिये। खास तौर से प्राथमिक शिक्षा के बारे में निवेदन किया है। उसके मामले में पुनः निवेदन करूंगा कि नींव का मामला है। नींव ही अगर कमजोर रही....

( समय-समाप्ति-सूचक घण्टी )

तो हमारा समाज कमजोर रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि चुनाव में जिस प्रकार से शानदार सफलता मिली है और जनता ने भी विश्वास किया है आज जनता कहीं

(श्री सांवरमल मोर)
पर हाई स्कूल की मांग करती है, कहीं पर कालेज की मांग करती है लेकिन हमारे बजट में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन मैं मुख्य मन्त्रीजी और शिक्षा मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि··

( समय–समाप्ति–सूचक घण्टी )

जहां आवश्यक हो, वहां स्कूल खोले जायें।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री मूलचन्द साम-रिया।

(अनुपस्थित)

**श्री प्रताप सिंह ( वल्लभनगर ) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय शिक्षा के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक हजार प्राथमिक स्कूल और एक हजार मिडिल स्कूलों को क्रमोन्नत करने का जो लक्ष्य रखा गया है वह वस्तुतः सराहनीय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों के अनुपात में वह कम रहेगा। जो छात्रों के आंकड़े हैं उनको देखने से स्पष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो शालायें खोली जायेंगी उनके लिए आपस में छीना झपटी की व्यवस्था आपस में बन जायेगी। उनके खोलने के लिए निश्चित क्राइटेरिया राज्य सरकार को बनाना आवश्यक है ऐसा मेरा सुझाव है। जो प्राथमिक शालायें खोली जायें उनके लिये मेरा निवेदन है कि क्षेत्र के छात्रों की संख्या के अनुपात में खोली जायें तो उसमें राज्य सरकार को सुविधा रहेगी। इससे जो छात्र लाभान्वित होने के लायक होंगे उनको भी लाभ मिल सकता है। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में शिक्षा के प्रति अधिक रुचि हो और शिक्षा के लिये कर भार सहन करने के लिए पहले से प्रस्ताव पास कर रखे हों जो क्षेत्र कर देता आया है तो उसके लिये कन्सीडरेशन रखना होगा। इससे शिक्षा के प्रति जनता जो जागरूक है, उसका अनुकरण अन्य स्थानों में भी किया जा सकेगा। राजस्थान में शिक्षा को प्रोत्साहन और गति देने की जो बात है वह भी होगी और इसमें सार्थकता होगी। यहां हमारे पूर्व वक्ताओं ने पंचायत समितियों में शिक्षा की अव्यवस्था के बारे में प्रकाश डाला है। मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समितियों के अधीन जो प्राथमिक शालायें चलती हैं वह वास्तव में न तो सरपंचों के द्वारा नियन्त्रित होती हैं न प्रधान के द्वारा कन्ट्रोल होती हैं, न उसके स्थानान्तरण पर नियन्त्रण होता है। उसमें जो कण्ट्रोल होता है वह विकास अधिकारियों के द्वारा होता है। विकास अधिकारी ही अपनी देखरेख में सुचारु रूप से स्थानान्तरण करते हैं। इसमें यह शिकायत देखने को नहीं मिलेगी कि अनपढ़ सरपंच द्वारा या प्रधानजी के कारण कुछ हो रहा है। ऐसी स्थिति सभी जगह लागू नहीं हो रही है। जहां पंचायत समितियों का रूप सुदृढ़ और पक्षपात रहित है वहां पंचायत समितियों के अध्यापक शिक्षा विभाग में जाना पसन्द नहीं करते हैं। ऐसी अजमेर जिले में घटना

(श्री प्रतापसिंह)

मेरे सामने आई है। प्राथमिक शाला के अध्यापक जो कि पंचायत समितियों के अधीन थे, उन्होंने शिक्षालय के अधीन जाने से इन्कार कर दिया। उन्होंने पंचायत समिति के अधीन रहना पसन्द किया है। ऐसी स्थिति में जैसा कि अभी भू. पू. शिक्षा मंत्रीजी ने बताया है, वास्तव में शिक्षा अनुशासनबद्ध हो। आज यह कमी है। शिक्षा के सम्बन्ध में अनुशासन हो तो जो प्रशासनिक कठिनाई आती है, वह काफी दूर हो सकती है। और इस अनुशासन को शिक्षा के कार्यक्रम में सुदृढ़ता से लागू करने के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। यह एक बात थी, इसका भी मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि विगत वर्षों में इसमें सन्देह नहीं कि शिक्षा का प्रसार हुआ है और आगे भी हमें प्रसार करते जाना है किन्तु इस बात का ध्यान हमें आवश्यक रूप से रखना चाहिए कि जो स्तर शिक्षा का आज से बीस साल पच्चीस साल पहले था वह आज नहीं रहा है। इस स्तर को कायम रखने के लिए हमें कारगर विचार करना होगा। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए, अच्छा स्टेण्डर्ड बनाने के लिए हमें अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब अध्यापकों को अच्छी सुविधायें दें और उनकी जो ग्रेड हैं उनमें वृद्धि करें। शिक्षा के प्रति जो लोग शिक्षक हैं उन को आकर्षित किया जाय, तभी अच्छे शिक्षित अध्यापक हैं वह इसकी ओर आकर्षित हो सकेंगे और शिक्षा के स्तर को अच्छी तरह मेन्टेन करने के लिए अपना योगदान देकर सहयोग दे सकेंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) एक मिनिट। वैसे ही समय बहुत कम मिला है।

इसी प्रकार से अनइकानामिक स्कूलों की तरफ मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अनेक स्थानों पर किन्हीं कारणों से चाहे कुछ भी कारण हों बहुत से अनइकानामिकल स्कूल रन किये जा रहे हैं, जिनकी ओर राज्य सरकार को ध्यान देकर अविलम्ब उन्हें बन्द कर देना चाहिये। जहां छात्रों की संख्या पर्याप्त संख्या में है वहां पर स्कूल खोल देने की आवश्यकता है। इससे राज्य सरकार का व्यय भार है शिक्षा की मद में वह सन्तुलित होगा और दूसरी ओर अपव्यय न होकर जनता के पैसे का सही उपयोग हो सकेगा।

अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर काफी बड़ी आबादी है किन्तु मिडिल स्कूल का अभाव है। विशेषकर कन्या शालाओं का। यहां मैं मदनगंज का उल्लेख करना चाहूंगा। किशनगढ़ में मदनगंज में तीस चालीस हजार की आबादी होते हुए भी वहां कन्या शाला की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आगामी वर्ष में प्राइमरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने का जो आपने लक्ष्य रखा है, राज्य सरकार उसमें इसको प्राथमिकता देते हुए, इस क्षेत्र की आवश्यकता को मद्दे नजर रखेगी। यह मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है।

इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट्स इन्ट्रोड्यूज करने का प्रश्न है, उनके लिए भी राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। जहां पर सब्जेक्ट्स की मांग की जा रही है उनके सम्बन्ध में ठोस रूप से विचार करें तो

(श्री प्रतापसिंह)
राज्य सरकार को विशेष तौर पर जहां से विज्ञान के लिए मांग आती है उसकी ओर ध्यान देकर वहां की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कदम उठाने चाहिए जिससे जो विज्ञान का क्षेत्र है उसमें लोगों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय जनता की जो मांग है उसकी पूर्ति करके उन्हें सुविधा प्रदान करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री किशन मोटवानी।

**श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम)**: उपाध्यक्ष महोदया...

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : महोदया नहीं महोदय।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : महोदया!

**श्री किशन मोटवानी** : संशोधन कर दीजिये। यह कह रहे हैं कि भाषा में गलती हो रही है, इससे भाषा को आप बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। मेरी भाषा ऐसी है, इसलिए आप मुझे क्षमा करेंगे।

मेरा निवेदन है अजमेर के लिए यूनिवर्सिटी की कई बार बात उठी और उसके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि जब भी राजस्थान में इसके बाद यूनिवर्सिटी खोली जायेगी तो अजमेर में खोली जायगी। दिल बहलाने को आश्वासन अच्छा है।

**एक माननीय सदस्य** : ख्याल क्या बुरा है।

**श्री गुमान मल** : ख्याल अच्छा है।

**श्री किशन मोटवानी** : मेरा निवेदन यह है कि इस बजट में एक हजार नये प्राइमरी स्कूल खोलने का और एक हजार प्राइमरी स्कूलों को बढ़ोतरी देने का प्रावधान है। इसको मैं सपोर्ट करता हूं और वित्त मंत्री व शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं। साथ में मैं अपने इलाके को, जहां से मैं आया हूं, कुछ समस्याओं के लिए, इस बजट में प्रावधान के लिए कुछ निवेदन करूंगा।

स्कूलों में बच्चों का करेक्टर बनता है, यह पुरानी मान्यता है और अब भी यही मान्यता है, परन्तु जिस किस्म की इस वक्त व्यवस्था है, उससे मैं समझता हूं, बच्चों का चरित्र नहीं बनेगा। आने वाले समय में न तो बच्चे इतने इन्टेलीजेण्ट बनेंगे, न देश का फ्यूचर बनाने वाले बच्चे बनेंगे।

स्कूलों की व्यवस्था के लिए मैं निवेदन करूंगा, मैं अपने इलाके के लिए नये स्कूल खोलने की बात नहीं करता परन्तु जो स्कूल हैं, उनकी व्यवस्था के मुताल्लिक में निवेदन करूंगा, आप स्कूलों में जाइये, वहां बैठने के लिये फर्श नहीं है, कमरों में दरवाजे नहीं हैं और कमरों खिड़कियां तक नहीं हैं। स्कूलों में टीचर्स तो हैं, लेकिन सही मायने में वहां स्टाफ नहीं है। वहां पर इस किस्म की स्कूल की व्यवस्था होते हुए, मैं मानता हूं कि सही किस्म की शिक्षा नहीं दे पायेंगे।

मैं अपने हल्के के अन्य मसलों के ऊपर निवेदन करूंगा। टीचर्स की कन्डीशन के मुतल्लिक निवेदन करूंगा। कुछ टीचर्स एडेड प्राइवेट एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स में

# Page No. 182



(श्री किशन मोटवानी)

काम करते हैं, उनके कुछ मसले हैं। अजमेर राज्य में, जब कि मर्जर नहीं हुआ था, राजस्थान में तो टीचर्स को हाउस रेंट मिला करता था, मर्जर के बाद कुछ साल बाद तक यह नोटिफिकेशन आया जिससे वह प्रथा चालू रखी गई परन्तु कुछ अर्से बाद जो हाउस रेंट था वह बन्द कर दिया गया। मैं अजमेर की प्राइवेट एडेड एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स के टीचर्स के लिए ही नहीं समस्त राजस्थान के टीचर्स के लिए इतना निवेदन करूंगा कि उन सबको हाउस रेंट देना चाहिए। यह उचित मांग है। इसका एक कारण और है, जब उनकी ग्रेड इक्वेट करते हैं गवर्नमेन्ट टीचर्स के साथ, हम मानते हैं कि उनकी ग्रेड गवर्नमेन्ट टीचर्स के बराबर होनी चाहिए तो बराबर सुविधा देना भी हमारा कर्त्तव्य हो जाता है, धर्म हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा, इस बजट में उन टीचर्स के लिए, अजमेर के ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की प्राइवेट एडेड एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स के टीचर्स के लिए हाउस रेंट का प्राविजन करना चाहिए, इसके साथ हो जो मेडिकल एड मिलती है टीचर्स को वह भी देनी चाहिए।

इसके साथ में सिंधी भाषा का प्रश्न था जिसके साथ सौतेली मां का व्यवहार सरकार ने किया है। वैसे सरकार ने अपनी तरफ से पूर्णतः इस भाषा को मान्यता दे रखी है, संविधान ने भी दे दी, हमारी राज्य सरकार ने भी दे दी परन्तु मैं कहता हूं कि वह सिर्फ पेपर्स पर रही। कैसे? हमारी यूनिवर्सिटीज ने मान लिया और मान्यता दे दी और सिंधी विषय आप्शनल विषयों के बतौर पढ़ाया जाना चाहिए। इस किस्म का हर कालेज को उन्होंने एक आदेश भेज दिया। आज उस आदेश को निकाले अर्सा हो गया परन्तु आज तक किसी भी कालेज में यह कह कर टाल दिया जाता है कि कोई विद्यार्थी एप्लाई नहीं करता है। परन्तु जो कालेज का प्रास्पेक्टस निकलता है उसमें भी नहीं होता है कि सिंधी आप्शनल विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह इस किस्म का आदेश निकालें कि यह जो आने वाला प्रास्पेक्टस है, आने वाला साल है, उसमें आप्शनल विषय के बतौर पढ़ाए जाने का प्रावधान रखा जाए। स्टाफ के लिए कहा जाता है कि स्टाफ नहीं है। मैं अजमेर गवर्नमेन्ट कालेज का छोटा सा उदाहरण दूंगा। वहां स्टाफ है, प्रोफेसर भी हैं जो सिंधी विषय पहले पढ़ाया करते थे, मैं भी उस कालेज का विद्यार्थी हूं मैंने यह विषय वहां पढ़ा है वहां प्रोफेसर मौजूद हैं और वहां प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। तो आने वाले साल का जो प्रास्पेक्टस है उसमें प्रावधान करना चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी सिंधी आप्शनल विषय लेना चाहे तो ले सकता है और उसकी सुविधा उपलब्ध है।

मीडियम आफ इन्सट्रक्शन के लिए निवेदन करूं कि पुराना नोटीफिकेशन है कि हाई स्कूल तक हर एक बच्चा अपनी भाषा में पढ़ सकता है। परन्तु राजस्थान में चौथी कक्षा के बाद सिंधी एज ए मीडियम आफ इन्सट्रक्शन नहीं पढ़ाई जाती है, मैं शिक्षा मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह इसके कारणों की जांच

# Page No. 183



(श्री किशन मोटवानी) : ... करायें और उसको पूर्णतः लागू कराये जाएं ताकि मैट्रिक तक जो बच्चे सिंधी मीडियम से पढ़ना चाहें, उसको पढ़ने की अनुमति दी जाए और उस किस्म की सुविधा उपलब्ध की जाए स्कूलों में गवर्नमेन्ट स्कूलों में खासतौर से स्टाफ नहीं रखा जाएगा और सिंधी पढ़ाई जाएगी तो पढ़ने में दिक्कत आएगी और मजबूरन दूसरी भाषा अपनानी पड़ेगी। हिन्दी तो अनिवार्य विषय है, हम भी सीखना चाहते हैं और सीखे हैं परन्तु हर एक आदमी की अपनी भाषा होती है जिससे उसकी संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है। तो इस किस्म के आदेश निकालें और इन्तजाम करवायें, स्कूलों में बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ने का मौका दिया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्टरफीयरेंस के लिये माफ करें। मैं जानना चाहूंगा कि सिंधी भाषा को आप हिन्दी लिपि में चाहते हैं या सिंधी लिपि में क्योंकि सिंधियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ...

श्री भानुकुमार शास्त्री : देवनागरी लिपि में।

श्री किशन मोटवानी : सिंधी में पढ़ाया जाय।

श्री भानुकुमार शास्त्री : देव नागरी लिपि में।

श्री किशन मोटवानी : यह कन्ट्रोवर्शियल विषय है जिसमें भी पढ़ायेंगे उसमें वे पढ़ेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम चाहते हैं कि जैसे आप पढ़ाना चाहें वैसे पढ़ायें लेकिन आप लोगों की इच्छा क्या है ?

श्री किशन मोटवानी : अजमेर में देवनागरी लिपि में भी पढ़ना चाहते हैं और सिंधी में भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं, दोनों अवेलेबिल हैं। वह तो उनकी चोइस की बात है।

उसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि सिंध से आये हुए अध्यापक हैं उनके बारे में अभी तक उनका फिक्सेशन नहीं हुआ। अभी तक उनकी सिंध की सर्विस काउंट नहीं की जाती है, पेन्शन पर्पजेज के लिये और अन्य पर्पजेज के लिए। तो जिस तरह से और विभागों से लोग जो सिंध से आए उनकी सर्विस काउंट की गई उसी तरीके से विशेष तौर से प्राथमिक अध्यापक जो गरीब वर्ग के आदमी हैं, निर्णय जल्दी से जल्दी लेना चाहिये ताकि उनका पेन्शन के लिये और आने वाले समय में जो प्राइमरी अध्यापक रिटायर होने वाले हैं जिनके प्रमोशन्स और फिक्सेशन्स रुके हुए हैं, इसके लिये वह सर्विस काउंट की जानी चाहिये उन सर्विसेज के लिये चाहे तो एफीडेविट के जरिये वेरीफिकेशन करें या और कोई तरीका अपनाया जाए परंतु वह सर्विस काउन्ट करनी चाहिये। यह बेसिक सिद्धांत स्वीकार करना चाहिये।

अब मैं संस्कृत डाइरेक्टोरेट के बारे मे निवेदन करूंगा कि संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिये, यह बिल्कुल सही चीज है। परन्तु जिस किस्म की इस समय व्यवस्था चल रही है जो डाइरेक्टर महोदय हैं उसका

# Page No. 184



(श्री किशन मोटवानी)
इस किस्म की रेप्यूटेशन है कि कितनी ही रिट्स उस विभाग की चल रही हैं। इसमें आमूल चूल परिवर्तन नई नीति बना कर करना पड़ेगा वरना इस विभाग का कोई पता नहीं, रिट्स ही रिट्स होंगी ....

श्री भानुकुमार शास्त्री: रिट्स के कारण कितने परिवर्तन हो गये डाइरेक्टोरेट में ?

श्री किशन मोटवानी : इसलिए तो कह रहा हूं कि तरीका निकालना पड़ेगा इस विभाग को सही ढांचे में ढालना होगा, इन्हीं शब्दों के साथ में दोहराऊंगा कि भाषा सभ्यता की प्रतीक होती है इसलिए जो मैंने कुछ मुद्दे इस बारे में रखे हैं उन पर मन्त्री महोदय अवश्य तवज्जह दें और जिस किस्म की मैंने उचित मांग की है उस मांग को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश जारी करेंगे।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी प्रजातंत्र देश में शिक्षा का बहुत महत्व है। अपना राज्य अन्य राज्यों से काफी पिछड़ा हुआ है। मैं नहीं मानता कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रजातंत्र के अन्दर लिट्रेसी अधिक बढ़ी है। हमारी सरकार प्राथमिक शिक्षा के लिये अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए 1975 तक वचनबद्ध है। इस सम्बन्ध में सरकार ने एक हजार स्कूल खोलने को कहा है लेकिन आज तक शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास होना चाहिये था वह नहीं हो पाया हालांकि जो कदम उठाए हैं शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए वे काफी सराहनीय हैं।

हम दूसरी तरफ कालेज एजूकेशन के बारे में सोचते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कालेज एजूकेशन संख्या में बढ़ी है। आज प्राइवेट और गवर्नमेंट कालेजों को मिलाकर 69,000 से ज्यादा छात्र व छात्रायें हैं लेकिन जब एक ओर संख्या को देखते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान में प्राईमरी शिक्षा और दूसरी शिक्षा में निश्चित रूप से प्रगति हुई है लेकिन जब दूसरी तरफ शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है इसके क्या कारण हैं, क्या समस्यायें हैं, इस पर काफी माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है लेकिन सबसे बड़ी समस्या है अनुभवी और योग्य अध्यापकों की कमी। जो प्राथमिक शालायें खुल रही हैं, अच्छी हैं लेकिन समस्यायें हम पर खड़ी होने वाली हैं छात्रों के लिए साज सामान की, पुस्तकालयों की, खेल कूद की व्यवस्था की यह सब व्यवस्था सरकार को साथ साथ करनी चाहिये। हम जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य श्रम विकास है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातान्त्रिक देश में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। अपना प्रान्त अन्य काफी प्रान्तों से शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्वतन्त्रता के बाद राजस्थान में कोई प्रगति नहीं हुई। 1951 के आंकड़ों के अनुसार 14.4 प्रतिशत पुरुष और 1.14 औरतें लिट्रेट थीं। लेकिन सन् 1971 में 28.42 पुरुष और 8.26 औरतें लिट्रेट हो गई। निश्चत रूप से लिट्रेसी के क्षेत्र में राजस्थान में प्रगति हुई है। साथ ही अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार सन् 1975 तक इसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। अनिवार्य पाठ्य शिक्षा के सम्बन्ध में इस सत्र में एक हजार प्राथमिक स्कूल खोल कर इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए काफी महत्वपूर्ण

(श्री किशन मोटवानी)

कदम उठाया है। प्राथमिक शिक्षा का राजस्थान सरकार की योजना के अनुसार सन् 1975 तक स्कूलों के खुलने का कार्य तो पूरा हो जावेगा लेकिन इसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षा के लिये और भी कई महत्वपूर्ण अंग हैं जो कि एक सर्वांगीण शिक्षा के लिये आवश्यक हैं जैसे स्कूलों में अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों का प्रबन्ध, स्कूलों में खेल-कूद, मनोरन्जन और व्यवहारिक ज्ञान की व्यवस्था इत्यादि। जब तक यह व्यवस्था नहीं होगी तब तक प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण रूप से पूरा नहीं होगा और बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पायेगा। आज हम देखते हैं कि पंचायत समितियों के अन्तर्गत आने से प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा स्तर में निश्चित रूप से कमी आयी है अतः इसके लिये मेरा सुझाव है कि प्राथमिक स्कूलों का प्रशासन पंचायत समिति के बजाय जिला परिषदों को सौंपा जाय और स्कूलों के लिये अच्छे अनुभवी अध्यापकों एवं अन्य साज सामान की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाये। दूसरी तरफ जहां उच्च शिक्षा का प्रश्न है उच्च शिक्षा में निश्चित रूप से संख्यात्मक प्रगति हुई है, कालेजों और यूनिवर्सिटी की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भी संख्या में आशातीत प्रगति हुई है। सन् 1971–72 के सत्र में राजकीय एवं अराजकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 69 हजार से भी ज्यादा हो गयी है। एक तरफ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की संख्या में बढोतरी हो रही है दूसरी तरफ शिक्षा के स्तर में गिरावट आती जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि आज को उच्च शिक्षा उद्देश्यविहीन है। इसका जीवन-यापन से कोई सम्बन्ध नहीं है अतः छात्र उसमें रुचि नहीं लेते हैं। सिर्फ डिग्री और सम्मान प्राप्ति करने के लिये शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ आज कालेजों में एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टीविटीज की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है जो कि अनुशासन एवं शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आज कालेजों में अच्छी प्रयोगशालाओं, अनुभवी एवं प्रशिक्षित अध्यापकों और खेलकूद की व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, छात्रावासों एवं पुस्तकालयों का नितान्त अभाव है। इन्हीं सब कारणों की वजह से आज का विद्यार्थी पढ़ाई में लीन न होकर के अन्य आकर्षणों की तरफ भटक रहा है और उसका जीवन नीरस और उद्देश्य-विहीन हो गया है। आज छात्र असन्तोष का सबसे बड़ा कारण वर्तमान शिक्षा प्रणाली है। आज का छात्र जानता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसका भविष्य अंधकारमय है। इस शिक्षा का जीवनयापन के लिये कोई उपयोग नहीं। अतः इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आज आवश्यक हो गया है कि शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाय, शिक्षा प्रणाली में जॉब ओरियेन्टेड एजूकेशन को स्थान दिया जाय जिससे कि शिक्षा का जीवन-यापन से सीधा संबंध हो। इसके लिये राज्य स्तर पर शिक्षा सुधार समिति का शीघ्रातिशीघ्र गठन किया जाय जिससे की आज के शिक्षित युवकों का भविष्य सुरक्षित हो सके और आगे शिक्षित बेरोजगारों की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मुझे इस बात का हर्ष है कि

(श्री किशन मोटवानी)

आज भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार टैक्नीकल बेरोजगारों के लिये कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। बेरोजगार इन्जीनियर और डिप्लोमाधारियों के लिये पूल योजना बनायी जा रही है। डाक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस के लिये सरकारी सहायता देने का कार्यक्रम बनाया है। आई. टी. आई. के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को रोजगार देने के लिये मशीन टूल कार्पोरेशन, अजमेर के सहयोग से एक कार्यक्रम बनाया गया है। छः हजार अध्यापकों के नये पदों के सृजन से प्रशिक्षित अध्यापकों को बेरोजगारी की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकेगा। लेकिन हम देखते हैं इन कार्यक्रमों से टैक्नीकल क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को आवश्यक राहत मिलेगी लेकिन जो अन्य शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी की समस्या आज भी भयंकर रूप से मुंह फाड़े खड़ी है। उसके लिये सरकार कोई योजना नहीं बना पायी है। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिये आवश्यक है कि पब्लिक सेक्टर को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाय। एग्रीकल्चर इन्डस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा संख्या में चालू किया जाय एवं कॉटेज इन्डस्ट्रीज को गावों में अधिक से अधिक खोलने की योजना बनायी जाय। इन क्षेत्रों मे जाने से पहले संबंधित तकनीकी ज्ञान की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा राजस्थान सरकार का एक ऐसी समस्या की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिसका राज्य सरकार ने समाधान यथा-समय शीघ्र नहीं किया तो अगले सत्र में राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक अशान्तिपूर्ण वातावरण शुरू हो जावेगा। वह समस्या है राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कालेजों को अलग कर एक एफोलियेटेड यूनिवर्सिटी की स्थापना करना व राजस्थान विश्वविद्यालय टीचिंग विंग, जयपुर को पूर्णतया रेजीडेन्शियल यूनिवर्सिटी का स्तर प्रदान करना। राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान प्रान्त बनने के समय एफोलियेटेड विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। परन्तु धीरे धीरे विश्वविद्यालय ने अपने स्वयं के विभाग खोलने आरम्भ कर दिये। जिसमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अध्यापकों को भी अध्यापन के लिए आमंत्रित किया गया। थोड़े ही समय में इस विश्वविद्यालय का टीचिंग विंग पूर्णतया विकसित हो नहीं हुआ बल्कि उसको गिनती देश के चौथे, पांचवें नम्बर के विश्वविद्यालयों में की जाने लगी है। इसके बढ़ते हुए स्तर से आकर्षित होकर देश और विदेश की अन्तर्राष्ट्रीय शोध संस्थाओं ने शोध कार्य के लिये इसका आर्थिक सहायता प्रदान करना शुरू किया। जिसके फलस्वरूप उत्तरी भारत के शोध के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया। जिस रफ्तार से विश्वविद्यालय के टीचिंग विंग का विस्तार हुआ उसी रफ्तार से विश्वविद्यालय से एफोलियेटड कालेजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि आज विश्वविद्यालय का कार्य इतना बड़ा हो गया है कि इसमें परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या करीब 98 हजार से अधिक हो गयी है। करीबन 100 से अधिक एफोलियेटेड कालेज हैं और 232 विषयों की करीबन परीक्षायें ली जाती हैं। इसके आकार और क्षेत्रफल

(श्री किशन मोटवानी)

को देखते हुए विश्वविद्यालय के विभाजन की ऐतिहासिक आवश्यकता हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपको मालूम भी है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी रैजीडेन्शियल-कम-एफिलेटेड यूनिवर्सिटी बन गयी है। दोनों ही भागों के अलग अलग उद्देश्य एवं कार्य हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य उच्च अध्ययन एवं शोध कार्य करना है और कालेजों का कार्य इस शोध एवं नये अध्ययन को कालेजों में छात्रों को पढ़ाना है। जब अलग अलग उद्देश्य हैं तो उनमें टकराव होना भी स्वाभाविक है। आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय का विकास हुआ लेकिन उसके लिये विश्वविद्यालय के मूल कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ तथा टीचिंग विंग को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से उसकी न केवल समस्या ही बढ़ती जा रही है बल्कि दोनों के बीच खाई भी पैदा हो गयी है। दोनों खण्डों में इस विवाद के कारण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम एवं शिक्षा प्रणाली में तेजी से सुधार नहीं हो रहा है। उसके उदाहरण के रूप में एक ताजा उदाहरण परीक्षा सुधार का है। सिन्डीकेट तथा एकेडेमिक कौन्सिल ने दयाकृष्ण समिति की सेमिस्टर प्रणाली को चालू करने की सिफारिश स्वीकार कर ली है परन्तु संकाय से संबंधित कालेजों का ज्यादा प्रतिनिधित्व है। संकायों में कोई अन्य वैकल्पिक सुझाव न देकर मूल प्रस्ताव पर विचार करने से मना कर दिया। विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सुधार में परिवर्तन तभी सम्भव है जब कि दो खण्डों को अलग अलग किया ज । लेकिन इस समय निर्णय निर्मात्री समितियों में संबंधित कालेजों तथा बाहरी प्रतिनिधियों का बहुमत है। विश्विद्यालय व अध्यापकों का बहुमत नहीं है केवल आवासीय विश्वविद्यालय से ही अध्यापन तथा शोध में उच्च स्तर कायम हो सकता है। इसके अलावा छात्र तथा अध्यापक निर्णय लेने में हिस्सा बटा सकेंगे अतः राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इसी सत्र में एक नयी एफीलियेटड यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाय व राजस्थान यूनिवर्सिटी की टीचिंग विंग को पूरे आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी जाय। राजस्थान में नेतृत्व के परिवर्तन से छात्र एवं युवकों को सरकार के प्रति आस्था बनी है। यूथ बोर्ड, छात्र एवं अध्यापकों को विश्वविद्यालय में प्रतिनिधित्व देने, सेमिस्टर प्रणाली लागू करने तथा हाजरी प्रथा समाप्त करने की जो छात्रों की मांगों को काफी वर्षों से सुखाड़िया सरकार पूरा करने के लिए आश्वासन देती रही थी लेकिन आज हमें खुशी है कि बरकत साहब ने इन आश्वासनों को कार्य रूप में परिणत कर दिया है। इसके लिये वे मुबारकवाद के पात्र हैं, युवा एवं छात्र जगत इनके लिये उनका बड़ा आभारी रहेगा। राजस्थान का छात्र एवं युवक काफी शान्त एवं प्रगतिशील है। लेकिन आज का छात्र चाहता है कि शिक्षा के अध्ययन के बाद उसको अपना जीवनयापन करने का साधन मिल जाय जिससे उसके जीवन की निराशा आशा में बदल सके। उसके लिये राजस्थान सरकार को चाहिये कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करे। साथ ही शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया जाय जिससे कि आगे की बेरोजगारी को

# Page No. 188



(श्री किशन मोटवानी)

समस्या हल हो सके। हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की समाजवादी सरकार तुरन्त कदम उठायेगी, जो कि एक समाजवादी सरकार का कर्तव्य है कि बेरोजगारों को रोजगार दे और इस कर्त्तव्य को पूरा करेगी जिससे राजस्थान का युवक राष्ट्र के निर्माण में एवं विशेष कर नये राजस्थान के बनाने में अपना पूरा सहयोग दे सके।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बूंदी) :** उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सामान्य प्रशासन व शिक्षा की मांगों पर बहस चल रही है। मैं भी कुछ निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कोटा डिवीजन रैवेन्यू के लिहाज से चाहे माइन्स से रैवेन्यू की बात हो, चाहे मंनरी से हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रेवेन्यू हो इन सभी में राजस्थान सबसे आगे है पर आज कोटा डिविजन में न तो कोई मेडिकल कालेज है, न कोई इन्जीनियरिंग कालेज है और न आज कोई वहां पर यूनिवर्सिटी है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या गलती कोटा डिविजन की जनता से हो गयी या ऐसा क्या कारण है कि वहां पर यह सभी उपलब्ध नहीं हैं। आज कोटा और झालावाड़ ऐसे क्षेत्र हैं जो शिक्षा के विषय में सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य के मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर में, जयपुर में आपने मेडीकल कालेज खोलो हैं, उदयपुर में आपने एग्रीकल्चर कालेज खोली है, आपने तीनों जगहों में यूनिवर्सिटीज कायम की हैं पर कोटा में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, कोटा और झालावाड़ के क्षेत्र ऐसे हैं जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और वह राजस्थान के एक दूसरे किनारे पर है। वहां की जनता इतनी गरीब है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने बच्चों को मेडीकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज में पढ़ने के लिये भेज सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोटा डिविजन में विशेष रूप से झालावाड़ में जो कि एक आदिवासी क्षेत्र है, जहां पर कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग बहुत रहते हैं उनको गरीबी से ऊपर उठाने के लिये, उनका विकास करने के लिये मेडीकल कालेज व इन्जीनिरिंग कालेज खोले जायं। वह लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये जोधपुर व जयपुर वगैरह नहीं भेज सकते। आज क्या कारण है कि उदयपुर में इतनी तरक्की हो और कोटा को इन सब चीजों से महरूम रखा जाय।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य :** जयपुर की हाई कोर्ट बैंच कोटा में दे दी जाय।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया :** आज वही अर्ज करना पड़ेगा, उपाध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने मेरे लिये अर्ज किया था।

कोटा में भी एक युनिवर्सिटी कायम की जाय। कोटा में एग्रीकल्चर कालेज बनाया जाय और मेडिकल कालेज बनाया जाय।

**कई माननीय सदस्य :** इन्जीनियरिंग कालेज भी।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया :** राजस्थान यूनिवर्सिटी को रेजिडेन्शियल यूनिवर्सिटी बनाया जाय। इसकी यह मांग है फिर भी मेरा निवेदन है।

शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि राजस्थान बहुत पीछे है। पड़ोसी राज्य

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया)

हमारा उत्तर प्रदेश। वहां शिक्षा का क्या पर्सेन्टेज है। हर गांव में एग्रीकलचरिस्ट का लड़का, चाहे खेती करता हो, एम. ए. पढ़ा हुआ मिलेगा। हम शिक्षा में बहुत पीछे हैं। राजस्थान का दूसरे प्रान्तों से कम्पेरीजन हो तो हम आज शिक्षा में बहुत पीछे हैं उनसे भी। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इसके लिये कोई महत्वपूर्ण कदम उठायें।

सामाजिक शिक्षा की दृष्टि से भी हमारा उत्तरदायित्व बहुत है। साक्षरता का सवाल है यह सब जगह शुरू किया है। लेकिन कोटा और बून्दी को महरूम रखा गया है। लिट्रेसी के लिये इसकी बहुत आवश्यकता है। साक्षरता प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया है, अच्छा प्रोग्राम है। इसमें कई तरह की सामाजिक शिक्षा लोगों को दी जाती है। मैं निवेदन करूंगा कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ जैसे पिछड़े हुए जिलों में भी इस प्रोग्राम को बढ़ाया जाय।

दूसरा मेरा निवेदन है यूथ बोर्ड के लिए यूथ बोर्ड में युवाओं और नौजवानों को रिप्रेजेन्टेशन दिया जाय। नौजवान के पार्टिसिपेशन की बातें कह रहे हैं, यूथ के पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो यूथ बोर्ड जैसी बाडी में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य :** 5 पर्सेन्ट बुजुर्गों को भी रहने दीजिये। अक्ल देंगे।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया :** आपको तो उसमें जरूर रखा जावेगा।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा के बारे में जो जो बातें कही गयी हैं अपोजिशन के बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भी निवेदन किया है। शिक्षा की दृष्टि से हमारी इन्स्टीट्यूशन्स में अनियमिततायें बहुत ज्यादा हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक इन्स्टीट्यूशन है जो आर. एस. एस. के द्वारा चलाई जा रही है आदर्श नगर में उसका नाम आदर्श विद्या मन्दिर। उस आदर्श विद्या मन्दिर के लिये मैं निवेदन करूं कि उस इन्स्टीट्यूशन में पचासों त्रुटियां हैं, अनियमिततायें और अवैधानिकतायें हैं। इस सदन के समक्ष पहले भी यह बात आ चुकी है।

जनरल बॉडी का सदस्य हर व्यक्ति को विधान के अनुसार बनाया जाना चाहिये जो 250) रु. एकमुश्त या 60) रु. प्रति वर्ष लगातार दो वर्ष तक विद्यालय को दान दे। 1954 से आज तक ऐसे हजारों दानदाताओं में से केवल कुछ गिने चुने व्यक्तियों को जनरल बॉडी के मेम्बरों में रखा गया है जो कि राष्ट्रीय स्वयम सेवक संघ या जन संघ के सदस्य हैं या उनके समर्थक हैं। सभी दान की रसीदें आरम्भ से अब तक इस आधार पर चैक कर जनरल बॉडी के सदस्यों की सूची बनाई जानी चाहिये।

लगभग 21 हजार का काला धन जो प्रिन्सिपल अकाउन्ट में सरप्लस था। सन् 1970—71 में संघ के लोगों के नाम से दान की रसीदें काट कर उन्हें जनरल बॉडी का सदस्य बनाया गया जब कि वास्तव में उन्होंने कभी कोई दान नहीं दिया था।

जनरल बॉडी की मीटिंग विधान में वर्णितानुसार वर्ष में एक बार अवश्य बुलाई जानी चाहिये किन्तु बैठक विगत 3 वर्षों से नहीं बुलाई गई।

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया)

व्यवस्थापक का चुनाव डोनेटर सदस्यों द्वारा किया जाता है जब कि वर्तमान व्यवस्थापक जोशीजी जो आर. एस. एस. के प्रचारक हैं और संघ कार्यालय में ही रहते हैं कभी जनरल बाडी द्वारा नहीं चुने गये, अतः उनकी नियुक्ति अवैधानिक है।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य :** जोशी शब्द को स्पष्ट कर दीजिये। हमारे जोशीजी मन्त्री भी हैं।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया :** वह जिस रेफरैन्स में आया है वह आप सब जानते हैं अध्यापक प्रतिनिधि निर्वाचित होने चाहिये किन्तु अध्यक्ष या व्यवस्थापक द्वारा नामजद होते हैं।

इस विद्यालय का विधान जो रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रार, कोओपरेटिव सोसाइटी तथा मान्यता प्राप्त करने हेतु शिक्षा विभाग में प्रेषित किया गया था वह अब लागू नहीं है तथा संशोधित संविधान विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं कराया गया।

वर्तमान विधान के अनुसार मंत्री डोनेटर सदस्यों में से चुना जाना चाहिये जब कि मंत्री प्रधानाध्यापक हो पदेन होता है जो वर्तमान विधान के विपरीत है और एज्यूकेशन कोड के आधार पर बने हुए पुराने विधान के अनुकूल है। परन्तु पूरा विधान अब फोर्स में नहीं है। अतः संस्था से विधान की प्रति मांगी जाकर नये पुराने पाल को पकड़ा जाना चाहिये।

विधान के अनुसार तीन माह में एक बैठक होनी चाहिये जबकि उक्त नियम के विपरीत कई बार 4–5 महीने तक बैठक नहीं हुई।

सेवा नियमों के पहले अनुच्छेद के अनुसार समस्त नियुक्तियां नियुक्ति समिति के द्वारा की जानी चाहिए जिसमें अध्यक्ष, व्यवस्थापक, प्रधानाध्यापक तथा एक और सदस्य अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित होना चाहिये जब कि यहां नियुक्ति समिति में 9–10 सदस्य बैठते हैं जिसमें आर.एस.एस. के प्रान्त कार्यवाहक दादा भाई (गिरिराज शर्मा) तथा प्रचारक धनप्रकाश भी शामिल हैं।

**श्री गुमानमल लोढा :** यह पत्र शिक्षा मंत्रीजी को दे देना।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य :** यों पढ़ना मना भी है।

**श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया :** मैं निवेदन करूंगा कि दूसरों पर टिप्पणी करने से पूर्व अपनी तरफ देखना चाहिये। एक शिक्षा संस्थान को चलाने का मौका मिला है। इस तरह से एक नहीं अनेक अनियमितताये और अवैधानिकतायें हैं। हमारी पार्टी पर सारे प्रान्त को सम्भालने की जिम्मेदारी आ रही है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं यह नहीं कहना चाहता कि इसी में अनियमिततायें हैं, अनेक इन्स्टीट्यूशन्स में भी हैं उनको दूर करके इस प्रकार की टैक्नीकल शिक्षा की ओर जाना चाहिये, युवा पीढ़ी को इस तरह ट्रेन्ड करना चाहिये जिससे एम्पलायमेन्ट अधिक दिया जा सके। ऐसी शिक्षा दे सकें जिससे युवा पीढ़ी कर्मवीर हो और कुछ करने के लिए हो। शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नी-

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया)

कल इन्स्टीट्यूशन्स राजस्थान में खोलनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि जब यूनिवर्सिटी खोलें, मेडिकल कालेज खोलें और इन्जिनियरिंग कालेज खोलें तो कोटा और बूंदी को न भूलें। जय हिन्द।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गिरधारी लाल भार्गव।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी मैं सबसे पहले प्रशासन के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। सरकारी कर्मचारी गांधीनगर में क्वार्टर्स में रहते हैं। यह क्वार्टर्स सरकार की ओर से गांधीनगर में बनाये हुए हैं वे उनमें वर्षों से रह रहे हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि उन राज्य कर्मचारियों को हायर परचेज सिस्टम के आधार पर मकान देने चाहिये और जो व्यक्ति किराया देते हैं उस किराये को क्वार्टर्स की कीमत के रूप में काट देना चाहिये। वरना होता यह है कि ज्योंही व्यक्ति रिटायर होता है उसको क्वार्टर खाली करना पड़ता है। ज्योंही व्यक्ति का ट्रान्सफर होता है उसको क्वार्टर खाली करना पड़ता है। यदि इस हायर परचेज सिस्टम के आधार पर किराया क्वार्टर के मूल्य के रूप में भुगतान करता जायगा तो ज्योंही व्यक्ति रिटायर होगा त्योंही वह उस क्वार्टर का मालिक हो जायेगा।

आज राज्य के कर्मचारी संघर्ष करते हैं, आन्दोलन करते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं और भूख हड़ताल पर बैठते हैं लेकिन समस्या को समझने व इसका समाधान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज सरकार ने परामर्शदात्री समिति बनाई है। लेकिन उस को कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है और अधिकार नहीं होने के कारण वे परामर्शदात्री समिति भली प्रकार से कोई निर्णय नहीं ले सकती। आज यूरोपियन कन्ट्रीज में व्हीटले कौंसिल में व्यवस्था है कि जो भी कौंसिल अवार्ड देगी वह राजकीय कर्मचारियों को भी मान्य होगा और वहां का राज्य है उसको भी मान्य होगा। इस प्रकार की निष्पक्ष व्यवस्था राजस्थान में भी होनी चाहिये।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर भ्रष्टाचार को मिटाने के बारे में कई प्रकार की बातचीत कही गयी। इससे पिछले सदन में भूतपूर्व सिंचाई मंत्री श्री रामप्रसादजी लढ्ढा, भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री मथुरादासजी माथुर, भूतपूर्व सिंचाई राज्य मंत्री श्री नत्थूसिंह, भूतपूर्व सहकारिता मंत्री श्री अमृतलालजी यादव और भूतपूर्व उपमंत्री श्री रामचरणजी इन सब पर विधान सभा में सप्रमाण आरोप लगाये गये और चिट्ठियां भी सदन में पेश की गयीं। माननीय मुख्य मंत्री जी को ध्यान दिलाने के लिए कहूंगा कि उन्होंने कहा था कि यदि पार्टी विशेष में कोई गड़बड़ियां आ गयी हैं तो उनकी जांच की जाये। उनको आरोप-पत्र भी दिये गये लेकिन उन आरोपपत्रों की जांच आज तक नहीं की गयी है। गत विधान सभा में रॉक फास्फेट के मामले में श्री हरिदेवजी जोशी पर आरोप लगाये गये और उन्होंने इसी

# Page No. 192



(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

सदन में फाइल माननीय मुख्य मंत्रीजी को दिखाने के लिए दे दी थी। मुख्य मंत्रीजी ने जिस समय कांग्रेस के मंत्री मण्डल का गठन हुआ और उस समय जो प्रधान बने थे श्री शंकरदयालजी शर्मा उनको कहा था कि मैं अपने मंत्री-मण्डल में बेदागी लोगों को लेना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि श्री हरिदेवजी जोशी को किस प्रकार का प्रमाण-पत्र ईमानदारी का देना चाहते हैं ? मैं मांग करना चाहूंगा कि स्वस्थ परम्परायें कायम करना हैं और मन्त्री मण्डल शुद्ध होना चाहिए इस प्रकार की परम्परा यदि कायम करना है तो फिर मन्त्रियों के पास जो सम्पत्ति है उसको सार्वजनिक रूप से मैदान में घोषणा करें, यदि उनकी सम्पत्ति में किसी प्रकार का विकास होगा तो उसकी भली प्रकार से चैकिंग को जा सकेगी।

राजस्थान में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें भारत सरकार ने भी स्वीकार कर ली हैं और मुख्य मन्त्रीजी ने भी कहा है कि मेरे मन्त्री मण्डल में कोई भी सदस्य यदि बेईमान होगा और उनके ऊपर यदि आरोप लगेंगे तो मैं जांच करूंगा। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी मन्त्रियों की जांच नहीं कर सकते। जनता विश्वास नहीं कर सकती। तो प्रशासन सुधार समिति की सिफारिशें भारत सरकार ने मान ली हैं और इसके आधार पर घोषणा राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने की थी कि राजस्थान में लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। आज राजस्थान सरकार इन्तजार कर रही है कि दूसरे प्रान्तों में लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्तियां हो जायें तो हम उसके बाद में करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, बेईमानी रोकना चाहते हैं तो लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति राजस्थान में की जानी चाहिए। परन्तु हम देखते हैं कि कौन दागी हैं और कौन बेदागी हैं। यदि हम सारी बातों पर जायें तो विनोबाजी के शब्द याद आते हैं, भ्रष्टाचार अब अपवाद नहीं है. भ्रष्टाचार अब समाज का शिष्टाचार हो गया है क्योंकि राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण कर लिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्षजी, सरकारी स्कूलों की हालत देखने के लिए भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री शिवचरणजी माथुर गये। स्कूलों की आज इस प्रकार की दशा है कि दीवारें टूटी पड़ी हैं, ऊपर से छत लटक पड़ी है। उसको देखने के लिए श्री शिवचरणजी गये और माननीय पूनमचन्दजी विश्नोई भी गये, दोनों ही शिक्षा मंत्री गये और उन्होंने इसकी ओर ध्यान देने की चेष्टा की लेकिन जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वह ऐसा लगता है कि इन सारी बातों की ओर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। दूसरे रूप में अल्लाह की गाय है और वह किसी प्रकार से काम करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं· · ·

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : गाय अल्लाह की नहीं होती है ब्राह्मण की होती है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर. ए. एस. के

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

प्रमोशन्स सीनियोरिटी के आधार पर होंगे ऐसा कहा गया था लेकिन उसके बाद में यह आधार सीनियोरिटी-कम-मेरिट्स हो गया और फिर मेरिट-कम-सीनियोरिटी हो गया। यह मापदण्ड करना कि सीनियोरिटी के अलावा दूसरे आधार पर प्रमोशन दिया जायेगा तो इसको राणावत कमोशन ने भी सिद्धान्ततः गलत बताया है। आज लोगों के प्रमोशन हुए और इस प्रणाली के आधार पर लोगों ने अपील की और हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो गये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह इस प्रकार का मार्किंग प्रणाली ठीक नहीं है और गुमानसिंह वर्सेस मुन्नालाल गोयल के केस में इस प्रकार का निर्णय दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार केवल दो केसेज को री-ओपिन करना चाहती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और कोई कर्मचारी अपील करने के लिये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता तो मैं समझता हूं कि उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिये और सारे केसेज को री-ओपिन करना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में दिल्ली में दफ्तरी व कुमार मंगलम की राय ली थी, वह क्या राय थी? चीफ सेक्रेटरी ने 1966 में एक सरकूलर निकाल दिया कि डी. पी. सी. के आधार पर मार्किंग्स दिये जायेंगे। सर्विस के नियमों में व्यवस्था नहीं, लोग सुप्रिम कोर्ट में गये और स्टे लेकर आये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में काश्तकारी कानून व सर्विस रूल्स में इतने संशोधन हुए हैं कि न तो संशोधन करने वालों को पता और न जिनके लिए संशोधन हुए हैं उनको पता। इसलिये आज इसका परिणाम यह है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा केसेज सरकारी अदालतों में चल रहे हैं और लोगों की हालत बहुत खराब है।

इसी प्रकार से पेन्शन के केसेज एक साल में तय नहीं हो पाते हैं और लोगों को रिटायर हो जाने के बाद में कठिनाइयां आती हैं।

अब मैं शिक्षा की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं। आपने पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया और आपने राष्ट्रीयकरण इस आधार पर किया कि पुस्तकें बाजार में महंगी मिलती हैं. आपने इस आधार पर किया कि समय पर पुस्तकें प्राप्त नहीं होती और सामग्री पूरी नहीं मिलती है और पुस्तकों का मुद्रण अच्छा नहीं होता! इन आधारों पर पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि नवज्योति में छपा है। आज राष्टोयकरण कर लिया लेकिन फिर भी पुस्तकों की कीमत महंगी रखी है। पहले स्वीडन से कागज मिलता था और आज अपने यहां के कागजों पर पुस्तकें छपती हैं फिर भी वही कीमत है। शिक्षा मन्त्री श्री बरकतुल्ला खां ने कहा था, मूल प्रति में मानचित्र ठीक था लेकिन रिवीजन के समय कोई भूल रही है। सदैव दो वरिष्ठ अध्यापकों को यह कार्य सौंपा जाता है। उन्होंने

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
मिलने में विलम्ब के कारण पाठ्य पुस्तकें बाजार में देने में देरी हुई है, आगे से सरकार और सतर्क रहेगी। आगामी वर्ष की पुस्तकों के मुद्रण का कार्य इसी वर्ष चालू कर दिया जावेगा। ताकि विलम्ब से बचा जा सके। आपको स्वीडन से उपहार में कागज मिला तो भी वही कीमत और आप यहां के कागज पर छापें तो भी वही कीमत। यदि आप चाहें तो 25 से 50 पर्सेन्ट कीमतों में कमी कर सकते हैं।

मैं इसी प्रकार से पठन सामग्री के बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा कि 'भरतों का देश' के लेखक कालेलकर हैं लेकिन उनको स्वर्गीय कालेलकर लिखा है। 'भीखाभाई' के स्थान पर 'भीखा नाई' छापा गया। इसी प्रकार भारत का गलत नक्शा भी प्रकाशित कराया और प्रकाशित करके मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि रिवीजन के समय गड़बड़ी हो गयी होगी किसी क्लर्क की गड़बड़ी नहीं है लेकिन जिस अधिकारी को बचाने के लिए मुख्य मन्त्रीजी ने इस प्रकार का वक्तव्य यहां पर दिया, आज उसी अधिकारी से सारी जांच कराई जा रही है। मैं समझता हूं कि आज आप पुस्तकों में चित्र छापेंगे तो वह गणपति का चित्र नहीं होगा। 'ग' के लिए गणेश का चित्र नहीं छापेंगे, क्योंकि गणेशजी बुद्धि का प्रतीक है, अगर लोगों में बुद्धि आ जाएगी तो वे कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। इस लिए आप 'ग' के लिए 'गणेश' नहीं 'गधा' शब्द का प्रयोग करना चाहते है और गधे का ही चित्र छापना चाहते हैं।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : वह भी किसी देवता का चिन्ह है।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : मुद्रण में भी बहुत अशुद्धियां हैं। आप उन अशुद्धियां के लिए शुद्धि-पत्र लगाते हैं उसके बावजूद उनमें काफी गलतियां हैं।

बिक्री व्यवस्था में आप विक्रेताओं से अनुबन्ध लिखवाते हो और अनुबन्ध लिखवाते समय दो राजपत्रित अधिकारियों के दस्तखत करवाते हो। मैं जानता हूं कि कोई भी निष्ठा रखने वाला व्यक्ति आपका बौंड नहीं भरेगा और बौंड भरेगा तो दो राजपत्रित अधिकारियों के दस्तखत नहीं करवाने जाएगा। मैं समझता हूं कि विक्रेताओं के प्रति आप कुछ कार्यवाही कर नहीं सकते तो फिर बौण्ड भरवाने से ही क्या फायदा है।

इसी प्रकार रिश्वत लेकर आपके विभाग द्वारा पुस्तकें स्वीकृत की जाती हैं। स्वीकृति भी देंगे तो किनको देंगे जो आपके अपने व्यक्ति हैं उनको देंगे। अन्धा बांटे रेवडी और फिर फिर घरकों को दे। उदाहरण आपके सामने मौजूद है। 'अशोक वासिनी' और "जनकजा" किस प्रकार की पुस्तकें हैं? मैं समझता हूं कि ये पुस्तकें लज्जाजनक पुस्तकें हैं। मैं समझता हूं कि हिन्दू समाज पर, हिन्दू संस्कृति पर, भारत माता पर और भारतीय संस्कृति पर यह सबसे बड़ा कलंक है। वह किताबें आपने खरीदीं। इसके अलावा दूसरी पुस्तक स्व. राजकमल चौधरी की 'मछली मरी हुई' वह किताब आपके शिक्षा विभाग के द्वारा खरीदी गई जो सबसे भ्रष्ट किताब हो सकती है। यही नहीं आपके यहां के

# Page No. 195



(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

खरीदने वाले। अधिकारी ही अपनी किताबें बाजार में छपवाते हैं और बाजार में छपवा कर खुद ही उनको खरीद लेते हैं आपके अधिकारी श्री मेघराज मुकुल ने अपने नाम को किताब खरीद ली। लेखक भी खुद छापने वाले भी खुद और खरीदने वाले भी खुद . . .

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : प्रोन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर। आपके कटमोशन इस विषय पर नहीं हैं और न ही किसी अन्य माननीय सदस्य के हैं। आप यहां पर जिस प्रकार मान हानि का मामला उठा रहे हैं उसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : इसमें मान हानि का प्रश्न नहीं है मेरा आरोप है. . . . . .

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : आरोप भी इस प्रकार नहीं लगाए जा सकते। आप के कटमोशन इस विषय पर नहीं हैं और दूसरे सदस्यों के भी नहीं हैं।

**श्री गिरधारी लाल भार्गव** : मैं नाम बता रहा हूं . . .

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, आप निर्णय दीजिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय, सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे मानहानिकारक आरोप न लगावें और अपने कटमोशन तक सीमित रहें।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : छः वर्ष का समय समाप्त होने पर भी राजस्थान के प्रकाशनों की सूची नहीं बना पाए हैं। पुस्तकाध्यक्षों के सम्मेलन में इस प्रकार की बात तय हुई थी कि राजस्थान के प्रकाशनों की सूची बनाई जावेगी। आज राजस्थान में कई ऐसे प्रकाशक हैं जिनकी आपने पुस्तकें खरीदी नहीं हैं। राजस्थान में कई ऐसे प्रकाशक हैं जो भारतीय स्तर के प्रकाशक हैं लेकिन उनकी पुस्तकें नहीं खरीदी जायेंगी। उनकी जगह भ्रष्ट और अश्लील प्रकार की पुस्तकें आप खरीद लेंगे। मंत्रियों के रिश्तेदारों की, अधिकारियों के रिश्तेदारों की पुस्तकें खरीद लेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। अश्लील पुस्तकें खरीदने पर भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे। विधान सभा के बाहर लाइब्रेरी में लोग देखें कि कितनी किताबें खरीदी गई हैं। 184 सदस्य इस बात को देखें कि किस प्रकार की भ्रष्ट किताबें राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई हैं और किस प्रकार से राज्य के पैसे का दुरुपयोग हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं दो मिनिट में ही निवेदन कर देता हूं।

मैं निवेदन कर रहा था कि हिन्दी ग्रन्थ अकादमी को मूल रूप में 18 करोड़ की योजना है। इसमें से एक करोड़ रुपया राजस्थान के लिए है इसमें विश्वविद्यालय स्तरीय प्रकाशनों के लिए कोई किताब नहीं खरीदी गई है। इसमें एक निर्देशक का पद है। उस पद को फिलप करने के लिए आपने "राष्ट्रदूत" में विज्ञापन प्रकाशित किया है। इस विज्ञापन

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

में योग्यता नहीं दी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी आप अध्यक्ष होने के नाते सरकार की तरफ से आश्वासन दें कि किसी हारे हुए नेता की उस पद पर नियुक्ति नहीं करेंगे और ठोक बजा कर अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे।

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पुस्तकें खरीदता है और पुस्तकें खरीदने में रायल्टी दी जाती है। लेखकों को तो रायल्टी दी जाती सुनी गई है लेकिन आज शिक्षा बोर्ड वह रायल्टी लेता है तो वह भी पैसे खाने का साधन बन गया है और मनोविनोद और विलासिता का विवरण राजस्थान शिक्षक वर्ष के अंक 16 के पेज 5 पर देखा जा सकता है। आप इन पुस्तकों पर टैक्स लगाते हैं तो बाजार में पुस्तकें महंगी मिलती हैं और लोगों को महंगी पुस्तकें खरीदनी पड़ती है।

इसके अलावा विभाग ने एक योजना शुरू की जिसका नाम था "सीखो कमाओ योजना" जिसमें स्टूडेंट्स काम करेंगे। इसके भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने बहुत गीत गाए। इस 'सीखो कमाओ योजना' से सेल्स टैक्स की आय होती नहीं और इसके विपरीत पुस्तकें आदि बाजार से ड्योढ़े भाव पर खरीदी जाती हैं। इसी प्रकार से 'सीखो कमाओ योजना' से सैल्स टैक्स का नुकसान होता है और पुस्तकें बाजार से महंगी खरीदते हैं जिससे सभी को नुकसान होता है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि सूत कातने की जो तकली होती है जिसको महात्मा गांधी ने एक आदर्श कार्य के रूप में लागू किया था उस तकली पर भी आपने सेल्स टैक्स लगा दिया है। आज जो तकली पर सेल्स टैक्स लिया जाता है इसको माफ करना चाहिए। तकली का मतलब आप समझ गए होंगे, जो सूत कातने में काम में आती है और जिससे स्कूलों में सूत कतवाते हैं, उस पर राजस्थान सरकार ने सेल्स टैक्स लगा दिया है। महात्मा गांधी की आत्मा इस राजस्थान सरकार के कार्य से कराह रही होगी।

इसी तरह से जो कुंजियां और गैस पेपर्स का प्रकाशन होता है, उसको अगर आप उचित नहीं मानते हैं तो कानूनन उनका प्रकाशन बन्द करवा दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुस्तकालयों के लिए आपको अधिक पैसा मंजूर करना चाहिए। यहां पर सेंट्रल लायब्रेरी होनी चाहिए, सेंट्रल लायब्रेरी के साथ साथ जिला पुस्तकालय होना चाहिए, तहसील और खण्ड पुस्तकालय होना चाहिए और ग्राम पुस्तकालय तक होना चाहिए। आज हमारे यहां स्थिति यह है कि कौनसी पुस्तक किस वर्ष में निकली—इसकी भी जानकारी नहीं है सेंट्रल लाइब्रेरी आपने रखी नहीं, जो पुस्तकें राजस्थान में निकलती हैं उनकी सूची आपने रखी नहीं। राजस्थान के कौन से पुस्तकालय में कौनसी पुस्तकें हैं उसकी सूची आपके पास है नहीं। विभिन्न पुस्तकालयों को तकनीकी नोलेज दी नहीं, पुस्तकालय के अध्यक्षों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया नहीं। सम्मेलन और गोष्ठियों का आयोजन अगर आप करवायें, इण्टर लाईब्रेरी पुस्तकों का लोन

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

करवायें। जो जैन साहित्य जैसलमेर में पड़ा हुआ है, जैसलमेर के जैन मन्दिरों में जो पांच हजार हस्तलिखित पुस्तकें पड़ी हैं उनकी भी जानकारी हमको है नहीं। आज नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में है जिसमें 10 लाख पुस्तकें हैं, हिन्दु विश्वविद्यालय बनारस, जिसकी स्थापना स्व. मालवीयजी ने की थी, उसमें 7 लाख पुस्तकें हैं। आज का सार्वजनिक पुस्तकालय सेंट्रल लाइब्रेरी की शाखा बन गया है लेकिन इतनी बड़ी लाइब्रेरी के लिए, पुस्तकें रखने के लिए भवन अपर्याप्त है। सूचना केन्द्र ने उस पर कब्जा कर रखा है। जिस प्रकार से अन्य राज्यों में स्टेट लाईब्रेरीज हैं उसी प्रकार सर्व प्रथम राजस्थान में ही स्टेट लाईब्रेरी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश, आसाम व त्रिपुरा में भी जब कि वे 'सी' श्रेणी के राज्य हैं, स्टेट लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की है आज राजस्थान की जनसंख्या ढाई करोड़ है इन ढाई करोड़ में से 45 लाख साक्षर हैं पढ़े लिखे हैं जिन पर दो पैसा प्रति व्यक्ति साक्षर करने के लिए खर्च किया जाता है, पुस्तकों का मूल्य बढ़ता जा रहा है। वास्तव में 20 नये पैसे प्रति व्यक्ति साक्षरता पर खर्च करना चाहिए। पुस्तकों के मूल्य बढ़ने से और खर्च बढ़ने से लगभग एक रुपया प्रति व्यक्ति खर्च होना चाहिए......

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक व्यक्ति पर एक पर्सेन्ट खर्च होता है तो दूसरे व्यक्ति पर दो पर्सेन्ट होता है। जयपुर शहर में मोबाइल सेवा केन्द्र नहीं हैं। जयपुर शहर में केवल 13 वाचनालय हैं, और मोबाइल पुस्तकालय कोई नहीं है। केवल एक जीप है जो बहुत पुरानी है और वह जीप भी इस काम में नहीं आती बल्कि चुनाव विभाग में काम करती रहती है। जीपें भी 16–17 साल पुरानी हो गई हैं।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहूंगा कि स्टाफ के पेंशन के मामले समय पर नहीं निपटाए जाते। एक श्री बनालाल पारीख, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मेढ, बैराठ पंचायत में है उनकी पेंशन 1 जुलाई 1962 को हुई। उनका बिल तहसील बैराठ में जाना चाहिए था किन्तु टी. ओ. जयपुर की गलती से फागी में भेज दिया गया। उस बिल की रकम अन्य व्यक्ति ने उठा ली जिसका नाम शमशेरखां वल्द पीर खां है। ग्रेच्यूटी का जी. पी. ओ. नं. 13641 (आर) है जो एक 600) रु. का है और दूसरा नम्बर 14354 (आर) है जो कि 150) रु. का है। इसी प्रकार कुल मिला कर 750) रु. मिलना था लेकिन वह रिटायर्ड अध्यापक आज भी ट्रेजरी जयपुर में चक्कर खा रहा है। शमशेरखां वल्द पीर खां मर गया है। यह मामला आज तक करीब 10 वर्षों से अटक रहा है। वह अध्यापक है और अपने पैसे के लिए इधर उधर भटक रहा है। आज 10 वर्षों से मामला अटक रहा है अगर दस वर्षों का ब्याज भी जोड़े तो सात सौ रुपया हो जाता है, लेकिन आज तक उसके चक्कर लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अध्यापक ट्रेजरी के चक्कर लगा रहा है और परिवार सहित परेशान है।

इसी प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीनियोरिटी लिस्ट का मामला है। आज

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
तक एल.डी.सी. और यू.डी.सीज. की सिनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी है। आज भी वे अस्थायी रूप में हैं और जो अस्थायी सीनियोरिटी लिस्ट का प्रकाशन जुलाई 1969 में किया गया था वह अभी भी अस्थायी ही हैं, अंतिम रूप से प्रकाशित नहीं की गई है।

इसी प्रकार सहायकों के पदों पर भी पक्षपात तरीके से नियुक्तियां होती हैं जयपुर रेंज के कर्मचारियों को बीकानेर भेज दिया गया है और बीकानेर के आठ व्यक्ति वहीं पर रखे गए हैं। जूनियर कर्मचारियों को लगा दिया गया है और मेरी जानकारी के अनुसार आज सहायकों के पदों का सृजन भी 110 पदों का होना चाहिए लेकिन 57 पद की आज तक स्वीकृत हैं और 53 व्यक्ति वरिष्ठ सहायकों के पदों पर पदोन्नति से वंचित हैं। वरिष्ठ कर्मचारी बैठे हैं लेकिन जूनियर लोगों को लाभ पहुँचाया गया है जिसकी जांच होनी चाहिए।

इसी प्रकार से बीकानेर में निजी सहायक का पद जो है वह राजपत्रित अधिकारी के नाम पर कर दिया गया है। उस पद पर राजपत्रित अधिकारी को बैठाया गया है जब कि वह पद मंत्रालयिक कर्मचारी का होना चाहिए।

इसी प्रकार आप स्कूलों की संख्या बढ़ा देंगे विद्यालयों की संख्या बढ़ा देंगे, उनमें शिक्षकों की संख्या में वृद्धि कर देंगे लेकिन लिपिक वर्ग के कर्मचारी जो हैं उनमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। जिससे कार्यालयों में कार्यों का निपटारा समय पर नहीं होता। आज आपके कार्यालय में उप निदेशक और संयुक्त निदेशक अलग अलग हैं इनमें किसी प्रकार का तालमेल नहीं है। इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए ताकि मितव्ययता हो सके। जयपुर जिले को दो भागों में आपने बांट दिया है एक ईस्ट और दूसरा वेस्ट, यह पद्धति समाप्त होनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्रीड़ा परिषद् की स्थापना आज से काफी वर्षों से पहले हो गई। क्रीड़ा परिषद् कागजों पर तो हर तीन साल में बदलती रही है लेकिन निम्न व्यक्ति अभी भी मौजूद हैं। श्री बी. एन. काक और श्री रामसिंह जिनका किसी प्रकार से तबादला नहीं होता। इस प्रकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़ में जो सैनिक स्कूल है वहां पर दूध की कोई व्यवस्था नहीं है। आप भारत के लोगों को सैनिक बनाना चाहते हैं परन्तु वहां पर लोगों को दूध नहीं मिल रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट और निवेदन करना चाहता हूं। केवल एक मिनिट और लेना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, 750 पुराने डॉक्टर बेकार हैं। राजस्थान पत्रिका में आज ही छपा है कि 400 नये डाक्टर बेकार हैं। इस प्रकार से राजस्थान में एक छात्र की शिक्षा पर करीब 80 हजार रुपया हमारी राज्य सरकार खर्च करती है। इतना खर्चा करने के बाद जब हम डाक्टर को रोजगार

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
नहीं दे सकते हैं तो उनको पढ़ा कर क्या करेंगे। राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है।

इसी तरह से युनिवर्सिटी में कोई सरकारी अकाउन्टस ऑफिसर बैठा हुआ है वह किसी मंत्री का रिश्तेदार है। आप वहां पर विश्वविद्यालय में उसको बिठाना चाहते हैं। नियमानुसार उसको बिठाना चाहिये। सेन्ट जेवियर स्कूल चल रहा है उसको 90 प्रतिशत आप सहायता देते हैं। वह वहां पर विदेशी शिक्षा देते हैं और इधर जो अध्यापक पंचायत समिति में 2–10–59 के बाद नियुक्त हुए हैं उनको पेन्शन नहीं मिलती है। यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो व्यक्ति है, राजस्थान शिक्षा विभाग का बाबूलाल, वहां का क्लर्क है, उनकी रिपोर्ट है, उसको मांग की वह एज्यूकेशन विभाग को भेज रहा है। एज्यूकेशन विभाग के बाबूलाल यू.डी.सी. की रिपोर्ट मांगी है, इसमें जो नीचे का विभाग है वह उसके साथ सहयोग नहीं कर रहा है। वह हर प्रकार से परेशान है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं आदर्श विद्या मन्दिर के बारे में करना चाहता हूं। यह एक बहुत बढ़िया संस्था है ( समय–समाप्ति–सूचक घंटी ) श्री सुखाड़िया साहब वहां पर पधारे हैं, श्री पूनमचन्दजी विश्नोई वहां पर गये हैं, श्री निरंजन नाथ आचार्य, श्री हरिभाऊ उपाध्यक्ष, श्री नारायणसिंह मसूदा, श्री शिवचरण माथुर, श्री जगन्नाथसिंह मेहता, श्री बी.एल. भटनागर, कर्नल गोविन्दसिंह आदि, इन लोगों ने आदर्श विद्या मन्दिर को देखा है। वहां की पढ़ाई की तारीफ की है, उसके कार्य के बारे में तारीफ की है। यह इस प्रकार की शिक्षण संस्था है जो हजारों नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर रही है। यदि ऐसे शिक्षा संस्थान को बन्द करने या सहायता बंद करने को कहा जाता है तो सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिये। आप यदि इसके बारे में और जानकारी करना चाहें तो आप एक बार वहां पर जाइये। मुख्य मन्त्रीजी जायें और जाकर देखें कि वहां पर बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। यह राजस्थान की एक बहुत बड़ी शिक्षण संस्था है। इसलिये यह निवेदन करूंगा कि आप इस सारे मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : मंत्री महोदय ने आपके भाषण के नोट्स नहीं लिये हैं। आप अपने ये नोट्स उनको दे दें ताकि आपको उत्तर मिल जाये।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री शिक्षा मंत्रीजी।

**एक माननीय सदस्य** : थोड़ा समय मिलना चाहिये।

**श्री नारायण सिंह मसूदा (शिक्षा मंत्री)**: उपाध्यक्ष महोदय आज जैसा बहस का स्तर मैंने देखा है, मैं अपने आपको भाग्यशाली समझता हूं और वाकई विभिन्न पक्षों के विभिन्न विचार आये, विभिन्न कलरिंग था, रंग-बिरंगे विभिन्न मत थे, शिक्षा पद्धति के बारे में बातचीत थी। मैं स्वयं उन सबसे बहुत ही प्रसन्न हुआ हूं। मैं शायद इस विषय में यह कहने की हिम्मत करता कि कई शिक्षा मंत्री होंगे, जैसा आचार्य जी ने कहा और होते

(श्री नारायण सिंह मसूदा)

चले जाते हैं और मेरा टर्न भी उन्होंने एक साल का बताया है, और शायद मैं एक साल से भी कम रहूं। परन्तु समस्या ऐसी है कि अगर अच्छा मानते है तो मैं अपने आपको अच्छा नहीं मानता हूं कि यदि शिक्षा मंत्री दस साल भी रहें तब ही यह सारा कचरा साफ हो सकता है अन्यथा बड़ा मुश्किल है और इसी कारण से आचार्य जी ने उप मंत्री के पद से हटने के बाद एक किताब लिखी। मैं भी सोचता हूं कि अगर मैं भी सफल नहीं हुआ तो एक किताब लिखूंगा। मैं यह कहना चाहता था कि मेरी हिम्मत पहले हो जाती कि शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन करूंगा यद्यपि इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन पहले से ही मेरे पहले वाले शिक्षा मन्त्री जी ने आगाह कर दिया है अब ऐसा मत कह देना।

मैं जहां शिक्षा पद्धति की बात करता हूं। वहां ही स्पष्ट रूप से निवेदन करूंगा कि हाउस अपना घर है। इसमें हम अपनी घर की सी बात कर सकते हैं। सूक्ष्म में यह निवेदन करूंगा कि शिक्षा पद्धति की जब बात आती है तो उसके अन्दर कुछ अवरोधक तत्व आ जाते हैं अथवा और इस प्रकार से समझिये, वे एक तो पोलिटिशियन, एक शिक्षा बद्ध में एक बढ़ता हुआ भेद और एक बढ़ती हुई तमन्ना है जो क्वालिटी नहीं क्वान्टिटी चाहते हैं और जैसा कि भाई रामानन्द जी ने कहा था हमारा सामाजिक ढांचा भी ऐसा है जिसमें क्या आमूल चूल परिवर्तन लायें और किस प्रकार से शिक्षा को बिठायें, यह समझ में नहीं आता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पोलिटीशयन चाहते हैं, उनके क्षेत्र के स्थानों पर अगर प्राईमरी स्कूल हैं तो वे अपर प्राईमरी स्कूल हो जावे, अपर प्राईमरी स्कूल, मिडल स्कूल सेकेन्ड्री स्कूल और हायर सैकेण्डरी स्कूल हो जायें। फिर कालेज हो जाये और यूनिवर्सिटी हो जाये सब यह चाहते हैं। अब शिक्षा पद्यति का क्या हाल है यह किसी को फिक्र नहीं हैं। उन्हें यह चिन्ता रहती है कि यह काम नहीं हुआ तो इस गांव से मुझे वोट नहीं मिलेंगे। मुझे लोग क्या कहेंगे। यह स्वाभाविक ही है। मैं स्वयं चाहता हूं और मैंने स्वयं ने इस प्रकार की मांग की है कि मेरे क्षेत्र में मुझको इतने इतने स्कूल चाहिये यद्यपि मैं जानता हूं कि स्कूल बढ़ाने से कोई स्तर नही बढ़ता है। अगर आपको ये चारों अकेक्षण यहां पर पढ़ कर सुनाऊं तो शायद इतने 45 करोड़, 50 करोड के बजट में कई स्कूल, कालेज खुले हैं। मैं तो आज सुबह ही आश्चर्यचकित रह गया प्रिन्सीपल कान्फ्रेन्स का उद्‌घाटन करते हुए मैंने देखा कि तीन सो प्रिन्सीपल हैं। मैं कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था कि इतने प्रिन्सीपल भी राजस्थान में हो सकते हैं। वह तो पोलिटिकल मांग या प्रश्न आता है। जहां खिचाव है, वहां तनाव है और उसके अन्दर ही शिक्षा पद्यति को शुद्ध करने और उसको ढंग पर बिठाने की चिन्ता है।

**श्री निरन्जन नाथ आचार्य** : असम्भव है।

**श्री नारायण सिंह** : अब आप निश्चय समझिये कि आप और हम जो पालिटिशियन्स इधर बैठे है और उधर बैठे हैं उनको शिक्षा बद्ध...

**श्री निरन्जन नाथ आचार्य** : खा जायेंगे।

**श्री नारायणसिंह** : बिल्कुल कोई अकलमन्द नहीं समझते हैं

**श्री निरन्जन नाथ आचार्य** : खा जायेंगे।

**श्री नारायण सिंह** : वह यह समझते हैं कि इस शिक्षा के विषय में हम कुछ समझते नहीं, और ढांचा वही बनता है। मैं फिर कहूंगा, यद्यपि पूनमचन्दजी ने आगाह किया था तो उनके ही शब्द सुना दूं कि और मैं कहूं कि जो मैकाले की कोलोनियल शिक्षा पद्धति एक शुरू हुई थी उसकी बुनियाद के ऊपर हम स्ट्रक्चर्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर्स सुपर-स्ट्रक्चर्स बनाते चले आ रहे हैं। उसका रिशफलिंग करते हैं, रिमॉडलिंग करते हैं, रिडिमॉलिश करते हैं, उनको मोर्डेनाइज करने की कोशिश करते हैं, परन्तु असल में होता क्या है कि एक तरह का सुपर स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं। यहां पर खास तौर से मैं इतना ही नहीं कहूंगा, मैं मैकाले पद्धति की बात कहते हुए यह भी कहूंगा कि जहां पर शिक्षा-पद्धति में मैकाले पद्धति ने हमको जकड़ लिया है, जहां पर हमारे प्रोफेसर्स और टीचर्स पुराने समय के थे, मेरे समय के और शायद आपके समय के वह एवर-ग्रीन स्टूडेन्ट हैं। मेरे समय में जिस प्रकार से मैंने संस्कृत अंग्रेजी में पढ़ी थी, हिन्दी अंग्रेजी में पढ़ी थी, उस समय का व्यक्ति जब आये तो उसके मानस में परिवर्तन किस प्रकार करें, यह समझ में नहीं आता है। उसकी चिन्तन शैली वही रहती है जो कि रहती आई है। पोथे के पोथे लिखे जाते हैं। मैं यह चाहता था कि कोई ऐसी प्रोब कमेटी बनाई जाय, लेकिन मैंने यही देखा कि कोठारी कमीशन के और दूसरे कमीशन्स के पोथे इतने बड़े हैं कि रामायण और महाभारत के बराबर हैं।

**श्री निरन्जन नाथ आचार्य** : मृतवत पड़े हुए हैं।

**श्री नारायण सिंह** : अगर इनको मिलाया जाय तो एनसाइक्लोपेडिया आफ ब्रिटेनिका वाल्यूम के हिसाब से बनती है। परन्तु कई पोथे होने के बाद भी हमारी शिक्षा पद्धति कहां पर है, यह हम जानते हैं। इसका कारण है। माननीय रामानन्दजी के साथ मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारा सोशियल स्ट्रक्चर ऐसा है। आदम स्मिथ की लिखी हुई इकोनॉमिक पालिसी के ऊपर बना हुआ हमारा सोशियल स्ट्रक्चर है चाहें उसको केपिटेलिस्ट न कहें, लेकिन ऐसी फेयर पालिसी पर बना हुआ हमारा स्ट्रक्चर है जहां पर रुपये की हर जगह पर जरूरत है, जहां पर एकेडेमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है, जैसा कि एस.टी.सी. के लिए मैट्रिक होना चाहिए और मैट्रिक के बजाय ऐसी बात हो रही थी कि वह बी.ए. पास होना चाहिए, और विभिन्न स्तरों पर एकेडेमिक क्वालिफिकेशन का एक ऐसा तारतम्य लगा दिया गया है कि बेचारे पढ़ने वालों के लिए एम.ए. एक मामूली क्वालिफिकेशन हो गई। वह मैट्रिक के बाद एस. टी. सी. न करे, एम. ए. न करे तो उसको नौकरी नहीं मिलती है और फिर वह फर्स्ट ग्रेड न आये तो और दिक्कत की बात है। बड़े बड़े क्लार्क्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े एलीज हम पैदा करते हैं, बनाते हैं और उन्हीं के लिए वह सारी संस्थाएं बनाते हैं। वह आखिर यह सब उसी क्वालि-फिकेशन का...

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** गवर्नमेंट की तरफ से कौन उत्तर देगा ? आप तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही बोल रहे हैं ?

**श्री निरन्जन नाथ आचार्य :** माननीय मुख्य मंत्रीजी आ गये हैं इसलिए गवर्नमेंट का ख्याल रख कर बोलें।

**श्री नारायणसिंह :** मैं अपनी दिक्कत आपके सामने रख रहा हूं कि शिक्षा-पद्धति की जब आप बात करते हैं तो आप सारे समाज के स्ट्रक्चर को भी सोच लें। जहां एकेडेमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि वर्क एक्सपीरियन्स की जरूरत है, और इन सब बातों की जरूरत है कि हमारी सेकेण्डरी एज्यूकेशन, एज्यूकेशन कम्पलीट इन इटसेल्फ हो और उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट अपार्चुनिटी तुरन्त मिल जाय।

अभी अभी श्री भानुकुमार शास्त्री ने दूसरी बात कही वह भी महत्वपूर्ण है। आचरण के बारे में विद्यार्थी किस प्रकार से एक विभ्रान्त मानव बनता चला जा रहा है इसके बारे में मैं इस विषय में कोरा इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज के दिन पोजीटिविज्म और नेगेटिविज्म में बड़ा भारी संघर्ष चल रहा है। पुराने हाइपोथेसिस जो हमने बनाये थे, और जिन हाइपोथेसिस की बुनियाद पर हम जीवन का क्रम बनाना चाहते थे और उस हाइपोथेसिस को चाहे धर्म कहें, चाहे रिलीजन कहें...

**श्री निरन्जन नाथ आचार्य :** अध्यात्मवाद।

**श्री नारायणसिंह :** उन हाइपोथेसिसोज से हमारा मन कतरा गया है और हम ... की स्टेज पर पहुंच गये हैं, और हर एक चीज से इन्कार करना चाहते हैं। हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हम हर एक चीज से इन्कार करना चाहते हैं, और उस नेगेटिव स्टेज पर life is positive in itself. How negativism can work anything in us. यह खास तौर से सवाल किये जाने चाहिये। तो यहां पर भी जो नये हाइपोथेसिस बनाने होंगे तो वे हाइपोथेसिस उन स्टेण्डर्ड्स के ऊपर, उन चीजों के ऊपर जब हम बहस करेंगे, जब यह सब चीजें बनायेंगे तो वह होगा। आज का नवयुवक कहां जाय ? वह उस वजह से नाराज है कि जो आज का करिक्यूलम है इसी विषय के ऊपर मैंने निवेदन किया, और इसके साथ-साथ बार-बार शिक्षा-पद्धति के परिवर्तनों को देखकर वह चकित है।

मैं अभी इन बातों के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अभी आई सेमिस्टर सिस्टम की बात, एक्जामिनेशन सिस्टम की बात आई। मैं तो देखता हूं कि एक एक्जामिनेशन को खत्म करने के लिए 10 एक्जामिनेशन्स को खड़ा कर दें। अभी प्रश्न आया करिक्यूलम का। मैं मानता हूं कि जो प्राइमरी और सेकण्डरी स्टेज का करीक्यूलम है वह वाकई काफी भारी है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा था कि लड़के उस बोझ को नहीं उठा सकते फिर भी उनसे आशा की जाती है कि वे पढ़ें। मेरे समय में हाईजीन का एक सबजेक्ट खुला था और एक पतली सी किताब थी और प्रेक्टिकल हाईजीन हमारे पास थी, हम जानते हैं प्रेक्टिकल हाईजीन, परन्तु अब नेचुरल साइन्स के नाम से बड़ी पोथी आ

(श्री नारायण सिंह)

गई। नेचुरल साइन्स पढ़ेंगे या नेसेसरी प्रेक्टिकल साइन्स सीखेंगे? . . .

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह कौन ला रहा है अभी ?

**श्री नारायणसिंह** : आज के जमाने में आ रही है . . . .

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : शिक्षा मंत्री आप हैं बन्द कर सकते हैं।

**श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री)** : प्रमाण देकर ही बन्द करेंगे।

**श्री नारायणसिंह** : आज किस कारण से यह सारी चीजें और किस कारण से यह अड़चनें हैं ? आज कैरीक्युलम के बोझ को लेकर अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सम्हाले हुए कालेज तक पहुंच जाय तो मैं उसको दाद देता हूं। मैं तो यह भी कहता हूं कि आज जो फर्स्ट डिवीजनर्स हैं वे ज्यादातर बहुत अच्छे क्लर्क्स बने हैं और जो सैकण्ड डिवीजनर्स और थर्ड डिवीजनर्स हैं वे शायद अपने में से होंगे . . .

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : वह शायद यहां आ गये सब के सब।

**श्री बरकतुल्ला खां** : और कुछ मिनिस्टर बन गये।

**श्री नारायणसिंह** : कई मिनिस्टर भी बन गये।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : थर्ड डिवीजनर्स यहां पर हैं।

**श्री नारायण सिंह** : अभी मैं इस बारे में निवेदन कर रहा था, मैंने इस विषय पर कैरिक्यूलम की बात करते हुए सोचा कि कम से कम इस स्पेशल कैरिक्यूलम् को बदलने के लिए और एक्जामिनेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक प्रोब कमेटी बनाई जाय, तो मुझे पता लगा कि युनिवर्सिटीज ऑटोनॉमस हैं। अपना सिलेबी वे खुद बनायेंगे, बोर्ड अपने तरीके से खुद सिलेबस बनायेगा, और वह सब करेंगे। यह सब बातें सामने आयीं। तब मैंने यही विचार किया कि एक प्रोब कमेटी बनाकर एक और पोथा तैयार कर लिया जाय उसके बजाय एक अच्छी एमिनेन्ट एज्यूकेशनिस्ट की एडवाइजरी कमेटी बना दी जाय और जो कुछ भी परिवर्तन समय समय पर होने चाहिए उसके लिए उस कमेटी से राय ली जाय। उनसे पोथा नहीं लिखवाया जाय, लेकिन सामयिक राय लेकर जो भी परिवर्तन किये जाने चाहिए वह करने को कोशिश की जाय . . . .

**श्री निरन्जन नाथ आचार्य** : One Member Committe.

**श्री नारायणसिंह** : Not one member. There may be meny members और यदि आप फर्मायें तो सुनाऊं। मेरे पास उसका सिनोपसिस है लेकिन वह काफी विस्तार में जाना होगा।

**श्री निरन्जन नाथ आचार्य** : विस्तार से हम हर प्रश्न पर जा रहे हैं, इस पर भी चले जायें तो क्या हर्ज है ?

**श्री नारायण सिंह मसूदा** : मैं आपको निवेदन कर ही दूं, जिसके विषय में हमारा

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

विचार है, क्योंकि एज्यूकेशन मिनिस्टर तो कुछ समझता नहीं है···

**श्री निरन्जन नाथ आचार्य :** फिर तो प्रश्न ही नहीं रहेगा। उनको तो रहने दें।

**श्री नारायणसिंह मसूदा :** One woman member and Dr. मोहनसिंह मेहता :–

इसके अलावा विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर for their representatives and such principals.

**श्री निरंजन नाथ आचार्य :** दो सदन के मेम्बर्स में से।

**श्री नारायणसिंह मसूदा :** दो सदन के सदस्य भी। डायरेक्टर आफ एजूकेशन, चेयरमैन बोर्ड आफ रैवेन्यू, अजमेर। सेक्रेटरी, बोर्ड आफ नेशनलाइजेशन, पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, डिग्री कालेज, हायर सैकेण्डरी, और प्राइमरी से एक एक। पोली टैक्निक स्कूल से एक।

**श्री मोहनलाल छंगाणी :** क्या मंत्री महोदय, इन को जस्टीफाई करेंगे।

**श्री नारायणसिंह मसूदा :** यदि आपका विश्वास अपने केण्डीडेट पर नहीं है तो बड़े खेद की बात है। आप को हमारा विश्वास नहीं हैं तो चलेंगे कैसे ?

**श्री निरंजन नाथ आचार्य :** कुछ कमीशन्स पहले चुने गये हैं, उनको भी चुन लें।

**श्री नारायण सिंह मसूदा :** जी। यह तो मैंने जनरल सुझाव दिया है। मैं आपकी राय भी लूंगा। और भी जो राय आयेंगी, उनको भी लिया जायेगा।

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** यही तो ख्याल रखना है। बाकी हिस्सा भी ले लीजिये।

**श्री नारायण सिंह मसूदा :** प्राइमरी स्टैण्डर्ड के विषय में मैंने अध्ययन किया है। अभी जो आंकड़े हैं वह इस प्रकार हैं, यूनिवर्सिटी एजूकेशन 12.1 प्रतिशत, सैकेण्डरी 43.1 प्रतिशत, प्राइमरी 1.3 प्रतिशत, स्पेशल 1.3 प्रतिशत, टैक्निकल 1.6 प्रतिशत, है। सैकेण्डरी स्कूल और प्राइमरी स्कूल 43.1 प्रतिशत है। यह हमारा खर्चा आता है। जहां तक प्राइमरी और सैकेण्डरी शिक्षा के प्रश्न है, हम काफी सजग हैं। इस सजगता में जो केन्द्र से हमें सहायता मिली है, यदि यह नहीं मिलती तो मैं आपको निवेदन कर सकता हूं कि हमारे पास बजट मौजूद है। जो प्लाण्ड एक्सपेण्डीचर था वह 3/4 से 1/4 बाकी रहता था। उसमें कुछ काम कर सकना बहुत कठिन था। मैं तो खुद बहुत चिन्तित था कि मेरे मन्त्रित्वकाल में यह क्या हो रहा है। आखिर भगवान को क्या मंजूर है।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य :** भगवान का नाम आप ले रहे हैं। रामानन्द जी नाराज हो जायेंगे।

श्री नारायण सिंह मसूदा : केन्द्र ने यह स्वीकार कर लिया है। वित्त मंत्री जी बैठे हैं। यद्यपि वित्त मंत्री जी बड़े कड़े हैं। यह तो केन्द्र से मिला है। उन्होंने 6 हजार टीचर और हमको दिये हैं। तो हमारी हिम्मत हो सकी कि हम इस प्राईमरी और माध्यमिक स्कूल एक एक हजार खोल सकें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कदम उठाने का हमें कभी चांस नहीं मिला होगा। मैं निवेदन करूं कि इन 6 हजार टीचर्स के हिसाब से एम्प्लायमेंट की जो समस्या है, वह हल हुई है। 72-73 में अनएम्प्लायर एस. टी. सी. 3200-नम्बर आफ परसन्स लाइकली टू बी एम्पलाइड 1050, बी. एड. 1565, बैलेंस 2775, एस. टी. सी.-बी. एड. 2810, यानी 5585, का फिर भी बैकलाग रह जाता है एम्प्लाय करने को। लेकिन फिर भी 5 हजार एस. टी. सी. ट्रेण्ड हैं, उन सबको एब्जार्ब कर लिया जायेगा। मैं आपको निवेदन करता हूं कि अनएम्प्लायमेंट समस्या अब इस वर्ष नहीं रहेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप यह कह रहे हैं। उधर बढ़ रहे होंगे।

श्री नारायण सिंह मसूदा : अब मैं यहां लिट्रेसी के बारे में कहूंगा। केन्द्र में यह विचारधारा चली है कि कुछ मिडिल स्कूल ब्लाक लेवल पर बनाये जायें और प्राइमरी स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में बनाये जायें। यह भी एक प्रकार से पब्लिक स्कूलों की तरह से विशेष क्लासीफिकेशन बना सकते हैं ताकि कोई न कोई मोडल हमारे सामने आ सके। इससे जो आज का शिक्षा क्रम है, इसके अन्दर आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मेरा एक सुझाव है। अगर पहले मुख्य मंत्री जो जवाब दे दें तो ज्यादा अच्छा हो क्योंकि हम तो बैठेंगे 12 बजे तक।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं बैठूंगा, तब तक।

श्री नारायणसिंह मसूदा : We are family in the house,

मैं आपको स्पष्टतया निवेदन करना चाहता हूं जो 6 और 11 के ग्रुप के बच्चे हैं, जोकि अब तक 37-7% उनका प्रतिशत था वह अब 70-71 में 80·7% तक आ गया है। जहां तक लड़कियों का सवाल है, यह प्रदेश इस बारे में कंजरवेटिव भी है। एक विचित्र प्रकार की इण्डियन एम्बीशन्स हैं। इसलिए लड़कियों के लिए 70-71 में 3·.4% है। जितना करने को समर्थ हूं उसके अनुसार सन् 75 तक 6 से 11 वर्ष तक उम्र के बच्चों को कवर कर सकेंगे। वैसे उसमें बड़ी भारी दिक्कतें हैं। तब तक 4 लाख तक आबादी बढ़ेगी। इस हिसाब से आप यह सारा हिसाब लगायें। अभी हमारे पास प्राइमरी टीचर 50 हजार हैं। सारे गैप को कवर करने के लिए 1 लाख टीचर चाहिए। यदि केन्द्र इसी प्रकार से उदार रहा जिस प्रकार से इस वर्ष रहा तो मैं समझता हूं कि शायद यह काम हो सकेगा परन्तु जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो कई शिक्षाविद् इस बात को स्वीकार करते हुए कहते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डवलप्ड कंट्री की बात अलग है, डवलपिंग कंट्री हैं उनका प्लानिंग फलक्चुएटिंग है, राइजिंग प्राइसेज हैं और उसके

(श्री नारायण सिंह मसूदा)
साथ में फाइनेंशियल स्ट्रिन्जेन्सीज हैं—यह सोसायटी पर बुरी तरह का कलंक है। इस कारण से सारी डेवलपमेंट संकुचित प्रकार का, औपचारिक सा लगने लगता है और पूर्णतया सारी चीजों को नहीं कर सकते। फिर भी हमारा संकल्प है, उस संकल्प के साथ हम आशा करते हैं कि काफी कर सकेंगे। ग्यारह से चौदह एज ग्रुप के लड़के हैं उनको इस अनुपात से लेकर, ज्यादा तकरीर में न जाकर मैं अर्ज करूंगा कि नाइन्टीज के अन्दर जाकर हम सारी चीजों को कवर कर सकेंगे...

**श्री केदारनाथ** : यह प्रोग्रेस रिपोर्ट में है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : प्रोग्रेस रिपोर्ट में है वह हमने पढ़ ली है, जो क्वेश्चन पोज किये हैं उनका आप उत्तर दें।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य**: यह तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल**: उन प्रश्नों का उत्तर दें तो ज्यादा उचित होगा।

**श्री बरकतुल्ला खां**: आंकड़ों के बैकग्राउन्ड में ही आप जवाब दे सकते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आंकड़े हैं, सब कुछ हैं—यह जंगल है बहुत भयंकर।

**श्री नारायण सिंह** : इतना उसमें विस्तृत नहीं दिया गया है। उसमें आंकड़े ही दिये गये हैं।

**श्री केदारनाथ** : हार मान गये।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : हार मान गये।

**श्री नारायण सिंह** : उसमें यह सारी चीजें नहीं आती हैं।

मैं निवेदन करूं, हमारा परकेपिटा एक्सपेंडिचर शिक्षा के ऊपर हो रहा है, वह 1951 के अन्दर 1.7 पर्सेन्ट है, 1961 के अन्दर 6.6 पर्सेन्ट है और 1971 के अन्दर 16.7 पर्सेन्ट है। इसी प्रकार से जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है, हमने काफी प्रगति की है। जहां तक क्वान्टिटी का प्रश्न है, हमने काफी प्रगति की है। क्वालिटी का प्रश्न जहां आता है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कि भीड़ बढ़ती है तो भीड़ बढ़ने के साथ में एक एक अध्यापक का एक एक विद्यार्थी के साथ वह सम्पर्क नहीं रह सकता जैसा आचार्य जी और मेरे समय में था, आपके समय के अन्दर और ज्यादा था। हम जानते हैं, हमारा एक एक टीचर के साथ में ऐसा मोह था जैसे वह हमारा फेमिली मेम्बर था। वह पीटता था, तो उसके साथ इतना लगाव था कि हम आदर करते थे, यही हाल प्रिन्सिपल और लेक्चरर का था।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : आपके घर पर आते थे, वहां जैसा मोह था, यह बात थी।

**श्री नारायण सिंह** : परन्तु अब वह बात नहीं है, अब स्टूडेंट स्ट्रेन्जर से देखते हैं, अलग से देखते हैं, इस तरह से स्पष्ट है जैसा मैंने पहले बताया।

दूसरी बात यह है कि वह देखते हैं कि यह मुझे पढ़ाना क्या चाहते हैं, यह मुझे वह

(श्री नारायण सिंह मसूदा)
चीज पढाना चाहते हैं जिसको पढ़ने से मेरे पिता कहेंगे, यह तो पढ़ गया, कोई काम करने लायक नहीं रह गया...

**श्री केदारनाथ :** आप तो माननीय खुद ही प्रावलम पोज करने लग गये।

**श्री नारायण सिंह :** मैं जब तक आपके सामने प्राबलम पोज नहीं करूं, मैं स्पष्ट तौर पर सफाई नहीं दे सकता। यह दिक्कत मेरे सामने है।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** पच्चीस साल तो हो गये, अब क्या दिक्कत है।

**श्री नारायण सिंह :** जैसा मेरे पूर्व के शिक्षा मंत्री ने यहां कह दिया, मैं यह न कह बैठूं कि मैं आमूल चूल परिवर्तन कर दूंगा।

**श्री मोहनलाल छंगाणी :** यह नहीं कहा था।

**श्री नारायण सिंह :** मेरे सामने जो आमूल चूल परिवर्तन करने के अन्दर समस्यायें हैं वह आपके सामने रख रहा हूं।

इस विषय में मैंने निवेदन किया, इसलिये वह स्टूडेंट्स आज कल्चरल क्राइसिस में हैं। आज आध्यापकों में यह बात नजर आती है, अध्यापकों को जिस प्रकार का न्याय मिलना चाहिये उस प्रकार का न्याय नहीं मिलता है। आज कापी बुक जांचने में तरफदारियां होती हैं, और बातों में तरफदारियां होती हैं। इस प्रकार के प्रमाण देख कर तरफदारियां देखकर और व्यवहार देख कर आज जिस प्रकार से शिक्षा के मामले में नेगेटिविज्म चालू है, उसको देखते हुए वह विद्यार्थी...

**श्री दिनेशराय डांगी :** आप फरमा रहे हैं, टीचर्स और स्टूडेंट्स में जो फर्क चल रहा है, मेरे ख्याल में वैसा ही मंत्रि मण्डल के सदस्य और एम.एल.एज. में फर्क चल रहा है।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य :** इस पर प्रकाश डालते जायं।

**श्री नारायण सिंह :** सम्भव हो सकता है।

**श्री बरकतुल्ला खां :** मंत्रियों ने अभी टीचर्स का रोल लिया नहीं है।

**श्री नारायण सिंह :** यह इधर बैठने वालों के सोचने की बात है, कौनसा मंत्री किस प्रकार का है, कौनसे मंत्री का क्या किया जाय। यह आपके हाथ में है।

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** आपके द्वारा इस पर और प्रकाश पड जाय।

**श्री नारायण सिंह :** विद्यार्थियों के लिये कह रहा हूं, वह तेजी में आ जाते हैं तो अध्यापकों के थप्पड उठा कर रख देते हैं। आज यह नहीं कह सकते कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट इनडिसिप्लीन इनकाम्पीटेंसी आफ टीचर्स के कारण है, गलत प्रकार के ढांचे में ढले हुए एजूकेशनिस्ट्स के कारण हैं। इस कारण से मैं कह सकता हूं कि हमने बेसिक शालायें खोली थीं और मल्टी परपज हायर सैकेण्डरी स्कूल खोले थे, पोलीटेक्निक स्कूल खोले थे, मैं साफ कहना चाहता हूं, हमारे शिक्षाविद् उन चीजों को सही ढंग से

(श्री नारायण सिंह मसूदा)

इन्सपेक्ट नहीं कर सके, सही तरीके से गाइडेन्स नहीं दे सके इसका परिणाम यह हुआ कि बेसिक स्कूल बन्द हो गये, परिणाम यह हुआ कि मल्टी परपज हायर सेकेण्डरी नजर से गायब हो गये। हम जो वोकेशनल

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन)

और टेक्निकल गाइडेन्स की बात करते थे, उसका परिणाम यह हुआ कि पोलिटेक्निक स्कूल के अन्दर से निकले हुए व्यक्ति नौकरी ढूंढने लगे। जापान में सेल्फ सेचूरेटेड एम्पलायमेंट में लगते हैं, घर के छोटे मोटे धन्धे करके काम करते हैं लेकिन फोलोअप प्रोग्राम नहीं है तो जैसा फर्मा रहे थे, पोलिटेक्निक स्कूल हट जाय। यह कहा, इसके बजाय आप कहिये कि पोलिटेक्निक स्कूल का सुधार हो· · ·

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** ! सुन्दर आत्म-निरीक्षण है इसमें दो राय नहीं हैं।

**श्री नारायण सिंह** : इस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात ग्रान्ट इन एड इन्स्टीट्यूशन के बारे में आई। इस विषय में मैं कहूंगा कि ग्राट इन ऐड इन्स्टीट्यूशन्स कई प्रकार के हैं, बहुत सी हैं जिनको ग्रान्ट देते हैं और· · ,

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : बड़ी मेहरबानी है।

**श्री गुमानमल लोढा** : समाप्त करें।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** ! समय ज्यादा हो जायगा।

**श्री नारायण सिंह** : ग्रान्ट इन एड इन्स्टीयूशन्स में कई प्रकार की प्रयोगात्मक इन्स्टीट्यूशन हैं, एजूकेशनल एक्सपेरीमेंट की इन्स्टीट्यूशन्स हैं जो लाभदायक काम कर रही हैं, कई साधारण परिपाटी की हैं, जो धनाभाव के कारण किसी ने खड़ी कर दी, उनमें जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति चल रही है, किस तरह खींच-तान वह करते हैं, वह अपने ढंग की बेढंगी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, इसलिये उचित है इन इन्स्टीट्यूशस के लिये कुछ अधिक कहा नहीं जाय। मैं चाहता हूं, तीनों प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स हैं, इनकी पूरी छानबीन की जाय, उसके लिये जो ग्रान्ट इन एड कमेटी बनी हुई है, उसका मैं पुनर्निर्माण कर रहा हूं· · ·

**श्री रामनारायण चौधरी** : वह बेकार है।

**श्री नारायण सिंह** : वह बेकार है इसलिये ही पुनर्निर्माण कर रहा हूं। उसके अन्दर अच्छे शिक्षाविद् हों जो ग्रान्ट इन एड इन्स्टीट्यूशन्स पर विचार करें।

**एक माननीय सदस्य** : कुछ स्कूल्स के हों

**श्री नारायण सिंह**: कुछ जन प्रतिनिधियों को लेने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : एम.एल. ए. को लेने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

**श्री नारायण सिंह** : एम. एल. ए. का नाम नहीं आये तो अच्छा है।

**श्री निरंजन नाथ आचार्य** : उजाड़ करेंगे और।

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : श्री श्रीराम को ले लें।

**श्री नारायण सिंह** : जहां तक टीचर्स की सर्विस का सवाल आता है, ग्रान्ट इन एड इन्स्टीट्यूशन्स में मैं शत प्रतिशत सहमत हूं, जब हम 90 पर्सेन्ट ग्रान्ट देते हैं तो हाउस रेंट, मेडिकल फैसेलिटी और जो फैसेलिटी गवर्नमेन्ट टीचर्स को दी जाती है वह उन्हें क्यों नहीं दी जाय ? यदि आवश्यक हुआ तो रूल्स में मैं परिवर्तन कराऊंगा और आवश्यक हुआ तो स्टेट्यूट लाने में भी हिचकिचाऊंगा नहीं···

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : तनख्वाह देने का माध्यम बदलेंगे आप ?

**श्री नारायण सिंह** : वह मैं अर्ज करता हूं, उसमें दिक्कत अर्ज करता हूं कि चैक सिस्टम की बात आई थी, हम चैक सिस्टम से पेमेन्ट करें। मुझे याद नहीं किन से कहा. उनका मैंने पीछे जवाब दिया था, उसमें मेरी दिक्कत यह हैं आत्म सन्तोष तो हो जायगा मैंने चैक सिस्टम शुरू कर दिया, सबको पूरा पेमेन्ट कर दिया परन्तु उनके साथ में एग्रीमेन्ट ऐसा होता है कि तुमको नौकरी में रहना है तो चैक में से इतने पैसे लाओ।

**श्री मोहन लाल छंगाणी** : बदमाशियां तो कम होंगी। चैक सिस्टम लागू तो करें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह भी एक डिनायल का तरीका है, पहले ही जबर्दस्ती..

**श्री मोहनलाल छंगाणी** : चैक सिस्टम लागू करें जो दिक्कतें आयेगी, सामना करेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : It will be better than the existing system

**श्री नारायण सिंह मसूदा** : मैं खिलाफ नहीं हूं।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : जब 90 प्रतिशत अनुदान देते हैं, सिर्फ 10 प्रतिशत की बात है। उसके लिए इतनी बुराइयों को पनपने दें जिनको ओर माननीय सदस्यों ने आपका ध्यान आकर्षित किया है। आप इतनी व्यवस्था कर लें। आपने कहा कि रूल्स में प्रावधान रख रहे हैं, हायर सैकेन्डरी स्कूल का कोई भी रिप्रेजेन्टेटिव मीटिंग एटेंड नहीं करता है। 90 प्रतिशत आप देते हैं, बाकी 10 प्रतिशत के लिए भी वे 30–30, 40–40 रु. प्रति माह फीस लेकर सारी बुराइयों को प्रोत्साहन देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या निर्णय लेने को सोच रही है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : अभी धाराप्रवाह चल रहा, है आप अच्छी तरह से सुनिए।

**श्री नारायण सिंह मसूदा** : जहां तक ग्रांट-इन-एड इन्सटीट्यूशन्स का सवाल है, हमारा इन्सपेक्टोरेट कैसा है, कैसा नहीं है, इसको अन्दर से देखना पड़ेगा लेकिन मैं इस तरह नहीं कह सकता जिस तरह से कहा क्योंकि हाथ पांव पर भरोसा करके चलना पड़ेगा। कोई तो मशीनरी रखनी पड़ेगी जो जांच करे। ग्रांट-इन-एड की जो कमेटी है उसको रिशफल कर रहे हैं, जो रूल्स हैं उनको रिशफल कर रहे हैं। मुझ से जो हो सकेगा करने का प्रयत्न करूंगा। आज ही सख्त कदम उठा ले, फलां प्रकार की ग्रांट-इन-एड इन्सटीट्यूशन्स बन्द को जायं तो आप में से ही कई विधायक मेरे पास आकर कहेंगे····

श्री श्री राम गोटेवाला : बंद करने की बात नहीं है। व्यवस्था ठीक करने को बात है।

श्री नारायण सिंह मसूदा : अब सवाल आता है टीचर्स का। मैं इस विषय में बहुत जागरूक हूं। जिस समय से यह विभाग मेरे पास आया है · ·

श्री दिनेश राय डांगी (देसूरी): ग्रांट-इन-एड आप जिन संस्थाओं को देते, वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के विद्यार्थियों से भी फीस ली जाती हैं जबकि सरकारी संस्था में नहीं ली जाती हैं। हमने कोशिश की है। वह कहते हैं पैसे की कमी पड़ती है। इसी तरह समाज कल्याण के होस्टल्स चलते हैं। अगर बच्चे होस्टल्स में पढ़ते हैं तो उनको फीस देनी पड़ती हैं, खर्चा ज्यादा होने से ए. जो · ·

(कुछ माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

इसलिए मेरी राय में फीस माफ की जाय।

श्री नारायण सिंह मसूदा : इसके अलावा अध्यापकों का प्रश्न आया। इनका प्रश्न पहले से ही मेरे सामने था। जब कभी अध्यापक मेरे पास आते हैं फिक्सेशन के केसेज, पेन्शन के केसेज, मेडिकल रीइम्बर्समेंट केसेज को लेकर और कोई अध्यापक मर भी गया कोई बूढ़ा हो गया, फिर भी केसेज तय नहीं हुए · ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्राइवेट संस्था के अध्यापकों की बात खतम कर दी?

श्री नारायण सिंह मसूदा : दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उनके जो केसेज हैं, उनमें सरकार के आदेशों के बावजूद एडेड संस्थायें सरकार के आदेशों को नहीं मानती, अध्यापकों की नौकरी खत्म कर दी। Why can't you force them to implement the recommendations?

श्री नारायण सिंह मसूदा : मैंने निवेदन किया, जो भी ग्रांट-इन-एड के लिए रूल्स हैं उनको एनफोर्स कराया जायगा, मैं आश्वासन देता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स का चेकिंग कत्तई नहीं है. आज तीन प्राइवेट संस्थाओं के उदाहरण दे सकता हूं जहां अध्यापकों की छुट्टी कर दी गई है और गर्मियों के बाद फिर उनको रखा जाएगा। खाली ग्रांट-इन-एड कमेटी तो कन्ट्रोल नहीं कर सकती है।

श्री बरकतुल्ला खां : मंत्री महोदय अपना सारा जवाब दे चुके उसके बाद अगर प्रश्न करें तो अच्छा रहेगा वरना ट्रेन्ड आफ थाट गलत हो जाएगा।

श्री नारायण सिंह मसूदा : जहां तक अध्यापकों के फिक्सेशन के और दूसरे केसेज हैं, प्राईमरी अध्यापकों के और उनके काफी केसेज तय हुए है फिर भी 3000 से ऊपर के केसेज अब भी बाकी हैं। इसी प्रकार से विभिन्न स्तर के अध्यापक और हैडमास्टर की किन्हीं दिक्कतों से वे पूरी तरह से तय नहीं हुए हैं लेकिन काफी काम हुआ है। मैंने डाइरेक्टोरेट से पूछा है और उन्होंने बताया है कि विभाग के अन्दर ऐडीशनल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा अभी सुझाव भी आया था डाइरेक्टोरेट से

(श्री नारायण सिंह मसूदा)

"D.E. has suggested for creating an additional post of Accounts Officer with four accountants in the regional office for finalising the cases."

तो उन्होंने यह कहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बड़े विचित्र प्रकार की व्यवस्था है कि सीनियोरिटी, के अन्दर जो तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं उनकी जिलावार सीनियोरिटी जो द्वितीय श्रेणी के अध्यापक हैं उनको रेंजवाइज सीनियोरिटी और जो उनसे ऊपर के अध्यापक हैं उनकी स्टेटवाइज सीनियोरिटी····

श्री **गुमानमल लोढा** : यह व्यवस्था किसने बनाई है ?

श्री **नारायण सिंह मसूदा** : पहले की बनी हुई है और इस व्यवस्था के अन्दर बहुत दिक्कत पड़ती है, इसकी इन्टर से सीनियोरिटी किस प्रकार से तय की जाए इसके लिए सचिवालय स्तर पर एक स्पेशल सेल बनाने का विचार है, जो इन केसेज को छः महीने में अथवा साल भर में पूरी तरह से तय कर सके।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : कम समय लगाया है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : थर्ड ग्रेड अध्यापकों का सेकंड ग्रेड टीचर्स में जो प्रमोशन का प्रश्न है, वह मैंने पोज किया था। जो आपके वर्तमान नियम हैं उनमें जो नए अध्यापक हैं या जिन्होंने अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त की है वे आ नहीं सकते, उनको चेंज करने के बारे में आपका क्या कहना है।

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : दिसम्बर 1971 तक जो चेंज हुआ है, सबोर्डिनेट सर्विसेज रूल्स का प्रकाशन हो चुका है जिसमें राज्य सरकार द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति के नियम स्वीकृत किए गए हैं उसमें 50 प्रतिशत मेरिट पर और 50 प्रतिशत दूसरी तरह से सर्टेन क्वालिफिकेशन्स से प्रमोट करने का रखा गया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बी. एड. हो जाए उसके बाद प्रमोशन दिया जाए, इस पर विचार कर लिया जाएगा। इसमें कुछ लम्बी चौड़ी क्वालिफिकेशन्स रखी गई हैं। यदि आप इन्ट्रस्टेड हों तो अर्ज करूं :

"Graduates with at least two subjects taught in schools or montessory—

50% by direct recruitment and 50% by promotion-

इसके अन्दर 50 प्रतिशत बाई डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट और 50 प्रतिशत बाई प्रमोशन जो थर्ड ग्रेड अध्यापक होंगे, उनको लेबोरेट्री असिस्टेन्ट, टीचर्स इन डेफ, डम्ब एण्ड ब्लाइन्ड स्कूल्स हैं उनमें सेकंड ग्रेड एजूकेशन एक्सटेन्शन ऑफिसर्स, एस.डी.आई., एजूकेशन एन्फोर्समेंट स्टाफ पर पदोन्नति का अवसर दिया जायगा।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : जो आप विभागीय प्रमोशन्स देंगे उनमें एक बी. ए. है, और एक इन्टरमीजिएट है तो किसको रखेंगे ? कौन आदमी किस दिन आया, पहले हायर क्वालिफिकेशन वाले को·····

**श्री नारायण सिंह मसूदा**: "Graduates with at least two subjects taught in schools."

(श्री नारायण सिंह मसूदा)

ग्रेजुएट होते ही उनका चांस बन जायगा और उसमें जो आपने कहा फलां समय इन्टरमीजिएट हो, उसका कोई प्रश्न ही नहीं रहता है।

इसके अलावा कुछ टीचर्स के ग्रेडस, पे स्केल्स के बारे में भी एनोमोली है। यह एन मोली राणावत पे कमीशन की वजह से हुई थी। राणावत पे कमीशन ने जो सीनियर टीचर्स के लिये ग्रेड रखा है वह 225 से 450 का रखा है और जो पहले हमारे यहां सीनियर टीचर्स का ग्रेड था वह 250-400 का था। इसके लिये हमने फाईनेन्स डिपार्टमेंट को लिखा कि सीनियर टीचर्स का ग्रेड 300 से 500 का होना चाहिये। और अब राज्य सरकार ने जो राणावत पे कमीशन से एनोमोलीज उत्पन्न हो गई हैं उनके लिये एक वन मैन कमीशन एपॉइन्ट कर रखा है जो इस बारे में जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा—यह मामला भी उसी के पास है और भी इस प्रकार के कई केसेज हैं उसमें जब वह अपनी रिपोर्ट देंगे तो हम भी उसे मान लेंगे।

अब मैं विश्वविद्यालयों की तरफ आता हूं। विश्वविद्यालयों के लिये मैं यह आश्वासन दे देना चाहता हूं कि अगले सत्र में इस पर एक लेजिस्लेशन बन जावेगा जिसमें ऐसा प्रावधान होगा कि टीचर्स और स्टूडेन्टस का उसमे प्रतिनिधित्व होगा। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी मे सब से ज्यादा विवाद है-इस सदन मे कई माननीय सदस्यों ने अपनी बहस के दौरान एकेडेमिक कौन्सिल और वॉलिन्टयरी अटेंडन्स और सेमिस्टर सिस्टम के बारे मे कहा है। उसमें यह भी कहा गया है कि मार्क्स जो हैं वह एक्जामिनेशन के, एन्यूअल एग्जामीनेशन के ही नहीं जोड़े जायें बल्कि पर्सेन्टेज में रखे जायें जैसे कुछ पर्सेन्टेज रखा जाए। 100 मार्क्स होते हैं तो 30 उसमें से जो इन्टरनल वर्क होता है उसके लिये नम्बर रखे जावें। इसी प्रकार एकेडेमिक कौंसिल ने कोई रिजोल्यूशन पास किया उसके बारे में कहा गया है—कई माननीय सदस्यों ने कहा कि विश्वविद्यालय की फैकल्टीज से एफिलियेटेड कई कालेजेज हैं उनके अन्दर भी काफी समस्यायें हैं। मुझे सिन्डीकेट के सदस्य जहां पर मिले थे उन्होंने कहा कि अगर ऐकेडेमिक कौंसिल कोई रिजोल्यूशन पास करती है तो उस पर सिन्डीकेट की छाप लगानी जरूरी है। दूसरी विश्वविद्यालय की फैकल्टीज के नीचे जो कालेजेज काम करते हैं उनके प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज के नीचे काम करने वाले लेकचरर के ग्रेड में भी काफी फर्क है जब कि टीचिंग फंक्शन एक ही है। इस प्रकार जूनियर टीचर्स जो हैं विश्वविद्यालय में उनके बारे में भी काफी समस्याएं हैं। इसके बारे में मैं अभी इतना ही निवेदन कर दूं कि इन सभी समस्याओं के लिये एक लेजिस्लेशन लाया जाय और जब लेजिस्लेशन आवें तो पूरा ही लाया जाय और उसमें इन सभी प्राबलम्स का साल्यूशन कर दिया जावे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : इसी सेशन में ही पेश हो रहा है न ?

**श्री नारायणसिंह मसूदा** : माननीय सदस्यों को मेरा निवेदन है कि इसी सेशन में लाने की कोशिश की जायेगी पर इसमें सभी बातों को देखना पड़ेगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : एफिलियेटेड विश्वविद्यालय के बारे में····

**श्री नारायण सिंह मसूदा** : आप सुनिये, आज जयपुर में स्टूडेन्ट्स पार्टीसिपेशन का का प्रश्न है। राजस्थान विश्वविद्यालय में करीब 8 हजार स्टूडेन्ट्स हैं और करीब 3-4 हजार बाकी रिएफलोयेटेड कालेजेज से जयपुर में हैं। इसके अलावा मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज और दूसरे कालेजेज के करीब 50 हजार स्टूडेन्टस आते हैं जिनका रिप्रेजेन्टेशन राजस्थान विश्वविद्यालय में नहीं है इसकी प्रॉबलम है। स्टूडेन्टों को रिप्रेजेन्टेशन मिले लेकिन तीनों विश्वविद्यालयों की अलग अलग स्पेशल प्रावलम्स हैं। हांलाकि टीचिंग का काम सभी का है पर अलग अलग समस्याएं हैं इसलिये एक गाइडिंग बाडी इन तीनों विश्वविद्यालयों को एक हो स्थान पर हो जाए जिससे कि इनको जो समस्याएं हैं उनमें सुधार हो।

दूसरी एक बात मैं और जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि कई एफिलियेटेड कालेज हैं जैसे अजमेर में गवर्नमेंट कालेज है उसे आटोनोमस स्टेटस मिलना चाहिये इसके अलावा कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी बहस के दौरान टीचर्स के मेडिकल बिलों के पेमेन्ट के बारे में कहा। मैं इस बारे में यह निवेदन कर दूं कि करीब दस लाख रुपये के मेडिकल बिलस का हिसाब तो क्लीयर कर दिया गया है और बाकी देखे जा रहे हैं।

इसके अलावा प्रमोशन के केसेज वगैरह फाइनल नहीं हुए हैं उसके लिये भी कहा गया कि लोग कई अर्से से चक्कर काट रहे हैं इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि कुल 390 केसेज पेन्डिंग है इनमें 234 केसेज ए.जी. को फाइनल रिपोर्ट भेज दी गई है बाकी के लिये कार्यवाही हो रही है इसी प्रकार संस्कृत कालेज और टेक्निकल सभी के पेमेन्ट हो गये हैं। यह मैं मानता हूं कि कार्य की गति धीमी रही और कार्य धीरे हुआ लेकिन लोग संख्या में अधिक हैं इस लिये समय तो लगता ही है और लग जाता है फिर भी मेडिकल बिल्स के बारे में मैं आपको एक बार और कह दूं कि जल्दी से जल्दी इनके भुगतान की कार्यवाही की जायगी।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मंत्री महोदय को एक मेरा निवेदन है। जब प्राइमरी स्कूल्स पहले स्टेट गवर्नमेन्ट के नीचे थे तब प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को मेडीकल फेसिलिटीज मिलती थी मगर जब से प्राइमरी एजूकेशन पंचायत समितियों के अन्दर में गई है तब से प्राथमिक स्कूलों के टीचर्स को मेडिकल फेसिलिटीज नहीं मिलती है वह अगर राज्य सरकार दे दें क्योंकि पहले उन टीचर्स को मिलता था और डाइफरकेशन होने के बाद उन लोगों को जो पंचायत समिति के नीचे चले गये, यह मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। इसके बारे में आप कुछ करें।

**श्री नारायण सिंह मसूदा** : उनके बारे में तो राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वे पंचायत समितियों के अन्तर्गत आते हैं। उनको भुगतान करने की जिम्मेदारी पंचायत समितियों की है क्योंकि जब राजस्थान में डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन लागू हुआ तब प्राथमिक विद्यालयों का बाद

(श्री नारायण सिंह मसूदा)

फरकेशन हुआ और वे पंचायत समितियों को दे दी गई। यह मैं मानता हूँ कि आज उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती है पर यह तो प्रजातन्त्र का तकाजा था जिससे हमें प्राइमरी स्कूल्स को पंचायत समिति के नीचे देना पड़ा और पंचायत समितियों सेल्फ गर्वनिंग बॉडीज हैं इसलिये इस मामले में पंचायत समिति और नगरपालिका वगैरह हो, जो कि ऑटोनामस बॉडीज है, अपना फैसला कर सकती हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** तो राज्य सरकार इन प्राथमिक विद्यालयों को पंचायत समितियों से वापिस अपने पास क्यों नहीं ले लेती है ?

**श्री नारायणसिंह मसूदा :** वापिस लेने की बात नहीं है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** तो मैंने जैसा निवेदन किया था कि जब पंचायत समितियों को ये टीचर्स हस्तान्तरित नहीं हुए थे तब उनको मेडिकल फेसिलिटीज थी तो उस फण्ड को पंचायत समितियों को राज्य सरकार अनुदान के रूप में दे दें।

**श्री नारायणसिंह मसूदा :** राज्य सरकार की इतनी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि पंचायत समितियों के ही कार्यक्षेत्र की यह बात है।

इसके अलावा रामानन्दजी ने अलवर में राजर्षि कालेज के अन्दर ज्योग्राफी के विषय खोलने के बारे में कहा इसके बारे में मैं पहले फण्ड्स की स्थिति को देख कर अगर पैसा बचा तो जरूर प्रयत्न करूंगा कि वहां पर यह सबजेक्ट खोला जाए क्योंकि इसमें जहां जहां पहले गवर्नमेन्ट कमिटेड है वहां वहां पर खर्चे का हिसाब देख कर अगर गुंजायश हुई तो प्रयत्न करूंगा इसके बारे में दूसरा लाईब्रेरी वगैरह के बारे में . .

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को मैं निवेदन करूंगा कि बिल्डिंग के बारे में जो स्टे आया हुआ है उसके बारे में . . .

**श्री नारायण सिंह मसूदा :** कौनसा स्टे-

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** महाराजा की बिल्डिंग में कालेज के बारे में !

**श्री नारायण सिंह मसूदा :** अब तो सीलिंग कानून आने वाला है सभी ठीक हो जायेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** साहब सीलिंग लागू होगा उसके पहले तो वे उस बिल्डिंग को बेचने में लगे हुए हैं।

**श्री नारायणसिंह मसूदा :** अब तो सीलिंग लागू होगी तब कोई बेचेगा कैसे वह तो गवर्नमेन्ट एक्वायर कर लेगी बेचने का प्रश्न हो नहीं पैदा होगा और बेचना चाहेंगे तो भी क्या।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** अगर वह बिल्डिंग नहीं आये तो फिर एग्जिक्यूटिव इन्जीनियर पी. डब्ल्यू. डी. के आफिस की बिल्डिंग है उसका रिष्वीजिशन स्कूल के

(श्री नारायण सिंह मसूदा)
लिये व छात्रावास के लिये हो जावे। यह भी विचारणीय है।

**श्री केदारनाथ :** इन्डिविजुअल्स को डिमाण्ड लिख कर भेज देना।

**श्री नारायण सिंह मसूदा :** इसके अलावा श्रीमती निर्मलासिंह ने भी कहा कि प्राइमरी स्कूल का अभाव है। मोन्टेसरी स्कूल्स कम हैं। यह भी कहा कि सोशियल वेलफेयर बोर्ड सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट के हाथ में है। जितने फन्ड्स हैं उसके अनुसार इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आचार्यजी ने एक बात कही कि युनिवर्सिटी की ओटोनोमी में बड़ा भारी दखल है। वर्क लोड प्रोफेसर्स, टीचर्स, लेक्चरार्स पर ज्यादा है। क्रियेशन ऑफ पोस्ट्स का इन्तजार करेंगे।

**श्री केदारनाथ :** आचार्यजी तो चले गये हैं, जाने दीजिये।

**श्री बरकतुल्ला खां :** रिकार्ड पर तो रहना चाहिये।

**श्री नारायण सिंह मसूदा :** जो निश्चित संशोधन होने चाहिये वे किये जावेंगे। विधायक स्वयं अनुमतियां निकाल रहे थे। माननीय सुरेन्द्रजी व्यास ने कहा युनिवर्सिटीज की ओटोनोमी को खत्म कर देना चाहिये। डेमोक्रेटाइजेशन के अलावा ओटोनोमी को कम करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि युनिटेरी फार्म की गवर्नमेण्ट चाहते हैं, एक मोनोलिथिक सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो यह बात हो सकती है कि युनिवर्सिटीज पर पूरा कन्ट्रोल होना चाहिये। रूस में मैंने देखा कि हायर सेकेण्डरी तक अपने आप में शिक्षा कम्पलीट होती है अपोर्चुनिटी आफ एम्पलायमेन्ट हैं। जिस वोकेशनल में जाना चाहते हैं इसका नाइट क्लासेज का प्रावधान होता है। इन्जीनियरिंग, माइनिंग दिये जाते हैं। इसका हमारे यहां विचार नहीं चला है। यह विचार चला है कि टेक्निकल कालेज को फेक्ट्रीज के साथ जोड़ा जाय। बी. जो निकलते हैं वे नौकरी मांगने की हालत में रह जाते हैं। गांवों में जाकर कोओपरेटिव फार्मिंग बना कर माता पिता को सहायता देने में नहीं रहते हैं। कई प्रकार के लोन्स हैं उनका फायदा उनको नहीं मिल पाता है। वे क्लेरिकल ज्ञान से नौकरी ढूंढने के लिये आते हैं। मास्को में युनिवर्सिटी में कहीं गया, यदि नम्बर सही है तो 6 हजार एप्लाई करेंगे और 600 लड़के लेने होंगे। एकेडेमिशियन्स कितने हैं, कितने इन्जीनियर्स हैं, कितने साइन्टिस्ट्स की जरूरत है, प्लान के माफिक जरूरत के अनुसार देखेंगे। हमारी मांग खड़ी होती है कि बीकानेर में मेडिकल कालेज होना चाहिये, जयपुर में युनिवर्सिटी होनी चाहिये. कोटा में होनी चाहिये। इस प्रकार की जो मांगें खड़ी हो जाती हैं इस प्रकार की मांगों को संकुचित करने के लिये पार्लियामेन्ट्री सिस्टम नहीं किंतु मोनोलिथिक सिस्टम ही काम कर सकता है। यह नया प्रयोग है। इस पार्लियामेन्ट्री सिस्टम से भी कम वही बात कर सकेंगे, उतनी ही बात होगी जितनी बहस मुबाहिसा से बात करने की बात होगी। एक तरफ एक डिसीजन ले लिया,

(श्री नारायण सिंह मसूदा)
नेशनेलाइज करना है तो नेशनेलाइज कर दिया। एक है, सलाह मशविरा लिया जाय, राय ली जाय, इधर उधर दबावों में जाया जाय। यह पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी है और इसके गुण और अवगुण दोनों हैं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : बुर्जुआ डेमोक्रेसी कहिये।

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : शब्दावलियों में क्यों पड़ते हैं? अहिंसा परमोधर्मः। सत्य अहिंसा, ईश्वर ये सब शब्दावलियां आपके हाथ में हैं। ये शब्दावलियां. फ्रेजोलोजीज हमको स्थानान्तरित कर देती हैं। फ्रेजोलोजीज हैं। समय और स्थान को देखिये। यान्त्रिक क्लास से ईश्वर का नाम ले सकते है? ईश्वर is on leave before retirement, हमारी जो मानवता की प्रवृत्ति है, सामाजिक न्याय की प्रवृत्ति है वह इसकी धारणा है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : यह आपकी गवर्नमेन्ट की राय है या आपका?

श्री **नारायण सिंह मसूदा** : आपकी पद्धति पर बात कर रहा हूं।

श्री **गुमानमल लोढा** : ईश्वर के कम्पलसरी रिटायरमेन्ट की बात कह रहे हैं?

श्री **नारायणसिंह मसूदा** : मैं वही सोच रहा हूं। सोशलिज्म का सिद्धान्त ही अपरिग्रह है। सोशलिज्म इज अपरिग्रह। ईश्वर उसी चीज को कहना चाहिये जो हमेशा से कहते आये हैं। It is a big hypothesis accepted by 9enerations उस हाइपोथेटिकल एरेंजमेन्ट आफ लाइफ से मीनिंग ओफ लाइफ निकला है। चन्द्रमा को चन्द्रमा ही कहेंगे। सूरज तो नहीं कहेंगे। फ्रेजोलोजी है। एक, दो, तीन, चार, क, ख, ग, ए, बी, सी, डी, ये सब हाइपोथेसिस है। इसके बगैर काम नहीं चल सकता। उनमें डिफेक्ट्स थे।

श्री **केदारनाथ** : हम मान गये सारी बात।

श्री **नारायण सिंह मसूदा** : सामाजिक न्याय के लिये समाज का खात्मा करके भी लाना चाहिये? किसी भी पद्धति के परिवर्तन का विचार करें, हम उन बातों पर भी विचार करें, हमने मौलिक व्यवस्थायें जो बनायी हैं उनमें कितना हेर फेर है। मैं यह मानता हूं कि एक केपिटेलिस्टिक बेस पर सोशियलिस्टिक स्ट्रक्चर खड़ा करना मुश्किल हो जाता है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : केपिटेलिस्ट बेस को सोशियेलाइज कर रहे हैं।

श्री **नारायण सिंह मसूदा** : इस वक्त जो बेस है। मौलिक पद्धति पर जो सुपरस्ट्रक्चर बना, कभी कभी टिक जाता है। यह परिवर्तन अपने आप परिवर्तन है। समाज सारी स्थिति का परिवर्तन होने दीजिये और उसके साथ साथ मुझे निश्चय है, शिक्षा की पद्धति में भी परिवर्तन होगा। शिक्षा की पद्धति में तभी परिवर्तन होगा जब शिक्षा में पुरानी पद्धति को छोड़ेंगे। हमारे अभिशाप दो हैं जैसा मैंने कहा था कि एक तो मेकाले पद्धति और दूसरे इकानामी साइड में एडस्मिथ की थ्योरी। इन दोनों चीजों से जब तक छुटकारा नहीं मिलेगा हम शिक्षा में पूर्ण

(श्री नारायणसिंह मसूदा)
सुधार की ओर कदम नहीं उठा सकते। फिर भी जितना कार्य हमने किया है वह आपके सामने है और वह जिन दिक्कतों के अन्दर किया है वह आपके सामने है और वह दिक्कत होने ही के कारण आचार्य जी जैसे कुशल डिप्टी एजूकेशन मिनिस्टर होते हुए भी उनको किताब ही लिखनी पड़ी। मैं भी सोच रहा हूं कि किताब लिखूं।

मैं निवेदन करूंगा कि मैंने सारी बातें कहीं माननीय सदस्यों को। मैं समझता हूं कि अब कृपा करके जो एजूकेशन की मांग है इसको सहृदयतापूर्ण पारित करें।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन के ऊपर जो माननीय सदस्यों ने राय दी है और जो आलोचना भी की है वह अपनी जगह पर बहुत कन्सट्रक्टिव है। जो उनके मन में चिन्ता है उन चिन्ताओं को मैं भी समझता हूं, मैं भी जानता हूं। मैं भी यह कह सकता हूं कि जितनी चिन्तायें उनके मन में हैं उससे ज्यादा चिन्तायें मेरे मन में भी हैं। मैं यह अर्ज कर सकता हूं कि बराबर कोशिश कर रहा हूं और कोशिश में कामयाबी और सफलता हासिल हुई है और इन्सटीट्यूशन्स के अन्दर थोड़े बहुत चेन्जेज़ कर रहा हूं। अब तक आम तौर से पेपर्स काफी चेनल्स से गुजरा करते थे। अब मेकसीमम चेनल हमने रखी है कि मिनिस्टर के होते हुए चार चेनल्स हों और चार से ज्यादा चेनल्स हमने नहीं रखी हैं। इसी तरीके से सेक्रेटेरियट के अन्दर यह अक्सर देखा कि कागज बहुत रुकते हैं और इसके लिए हर एक सेक्रेटरी के आफिस में कितने पेन्डिंग पेपर्स हैं उसके बारे में मैंने पता लगाया है और यह भी पता लगाया कि अगर वे पेपर्स को डील-विथ नहीं कर सकते हैं तो उन्हें स्पेशल स्टाफ देकर उनके वर्क का जो एरियर है वह पूरा किया जाये। इसी तरीके से इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि पी. यू. सी. कुछ ज्यादा बढ़नी चाहिए और जो हमारा 30–35 का अन्दाज था वह 40–42 जरूर होना चाहिए। इस बात का भी ख्याल किया गया है कि सीनियर आफिसर्स हैं वह वक्त पर आयें और वक्त पर आने के साथ साथ जब वह वक्त पर पहुँचेंगे तो जूनियर आफिसर्स भी वक्त पर पहुँचेंगे। इसके अलावा एक मुकर्रर समय लंच का कर दिया गया और उससे ज्यादा कोई समय ले नहीं सकता। तो आम तौर से पूरा ध्यान रखा जा रहा है सेक्रेटेरियट के अन्दर। इसके अलावा सेन्स आफ डिसिप्लिन आना चाहिए और सेन्स आफ डिसिप्लिन के साथ ही साथ कार्यों में जो शिथिलता है वह जानी चाहिए और तेजी आनी चाहिए।

इसके साथ साथ हर सेक्रेटरी का जिम्मा लगाया गया है कि वह अपने यहां कितने पेपर्स पेन्डिंग हैं, कितने डिस्पोज आफ हुए इसका प्रोफार्मा बना कर रखें। इसी तरीके से मैंने यह महसूस किया कि एक लम्बे अर्से से सेक्रेटेरियट के अन्दर आपस में तालमेल नहीं बैठता इसलिए पहली कोशिश तो यह की कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सारे सेक्रेटरीज

(श्री बरकतुल्ला खां)

और हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट की मीटिंग हो और इन्टर-डिपार्टमेन्टल क्वेश्चन्स हैं वह वहां डिस्कस हो जायें और उनके ऊपर फैसला हो जाये। इसी तरीके से इस बात की भी कोशिश की गयी है कि डिप्टी हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट और डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल पर भी मीटिंग होनी चाहिए, तालमेल बैठना चाहिए और उसके साथ ही साथ यह होना चाहिए कि एक आदमी इन्तजार कर रहा है और दूसरे आदमी को समय नहीं है, और दूसरे को समय है तो पहले को समय नहीं है इसलिए इस बात की तरफ ध्यान दिया गया है कि सेक्रेटेरियट के अन्दर सक्रिय रूप से काम होना चाहिए और वह काम करवाने के लिए जिम्मेदारी मैंने खुद ने ली थी उसको निभा रहा हूं और तरीके से सारे काम को चलवा रहा हूं। मैं ऐसा सिस्टम चाहता हूं कि जिसके अन्तर सेक्रेटेरियट अपने आप मशीन की तरह चल सके और बार बार उनको नहीं कहा जाये कि यह कागज कहां है।

इसी तरीके से ओ. एण्ड एम. के रोल को मैंने ज्यादा इम्पार्टेन्स दी है। मैंने यह भी कहा है कि सरप्राइज चैक्स होने चाहिए और हर लेवल पर हो सकते हैं चाहे वह बड़े से बड़ा सेक्रेटरी हो या बड़े से बड़ा हेड आफ दी डिपार्टमेन्ट हो। ओ. एण्ड एम. का रोल इसलिए बढ़ाना चाहता हूं कि जब तक यह रोल नहीं बढ़ेगा उस समय तक जो हम चेन्जेज चाहते हैं, जो कागज का मूवमेन्ट चाहते हैं वह नहीं हो सकता।

इसके साथ ही साथ यह भी मैंने आदेश दिये थे कि पेपर्स आप डिस्पोज आफ करें वह फाइनली डिस्पोज आफ किया जायेगा यही माना जाये। यह नहीं हो सकता कि एक सेक्रेटरी के पास फाइल आये और उसमें क्वेरी करके नीचे भेज दी और फाइल डिस्पोज आफ हो गयी। अगर आपको क्वेरी करनी है तो एक साथ हो जाय, एक साथ सारे सवाल पूछ लें और उसके बाद एक साथ जवाब हो जाय, और जब उसके ऊपर निर्णय होगा तब माना जाये कि यह फाइल फाइनली डिस्पोज आफ हो गयी। वरना हमेशा यह होता है कि एक कागज नीचे भेज दिया और ऊपर भेज दिया, और फाइल डिस्पोज आफ हो गयी। मैंने इस बात के लिये इनसिस्ट किया है कि फाइल फाइनली डिस्पोज आफ तभी मानी जायेगी जब कि उसके ऊपर पूरी तरह से फैसला हो जाये और यह नहीं कि आपके पास से दूसरे के पास चली गई तो वह डिस्पोज आफ हो गयी।

इसी तरीके से माननीय सदस्यों के दिमाग में करप्शन के बारे में काफी परेशानी है। मेरे दिमाग में भी है और मैं समझता हूं कि अगर हमारा रेकार्ड देखा जाये तो मैं समझता हूं कि कोई बुरा रेकार्ड नहीं है। मैं गजेटेड आफिसर्स के फिगर्स दे रहा हूं-2 आदमियों को सर्विस से निकाला गया, एक आदमी को डिसमिस किया गया और 34 के ग्रेड इन्क्रीमेन्ट्स रोके गये, 19 का प्रोसीक्यूशन किया गया और 20 को सुपरनुएशन पर कहा कि रिटायर हो जाइये और इन्क्वायरी 2 बड़े सीनियर आफिसर्स की सी. बी. आई. को दी गई। यह टोटल लगायें तो मैं समझता हूं कि टोटल इतन

(श्री बरकतुल्ला खां)

कमजोर नहीं है बल्कि साल भर के अन्दर हमारे फिगर्स देखे जायें तो दूसरी स्टेट कैसे बढ़े हुए फिगर्स हैं। यह फिगर्स गजेटेड आफिसर्स के हैं। इसी तरीके से और लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया है।

इसी तरीके से विजिलेन्स कमिश्नर का दायरा है उसको जो लोकल बॉडीज के कर्मचारी हैं उन तक भी लगा दिया और इसी तरह से कार्पोरेशन्स के ऊपर भी लगा दिया गया है, आटोनोमस बाडीज हैं इनके ऊपर भी लगा दिया गया है क्योंकि एक करप्शन की कम्पलेण्ट आये तो आम तौर पर यह फीलिंग होती हैं कि हम वो आटोनोमस बाडी के हैं, कारपोरेशन के हैं इसलिये हमारे ऊपर नहीं होना चाहिये। गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। गवर्नमेंट केवल इतना चाहती है कि इसकी भी बाकायदा जांच हो जाये और आम लोगों को मालूम हो जाये कि यह बात सही है और यह बात गलत है। बहरहाल किसी चीज का अंतिम निर्णय होता है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : This including University also.

(विराम)

क्या इसमें यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं?

श्री बरकतुल्ला खां : यूनिवर्सिटीज का जहां तक सम्बन्ध है उनके बारे में आप जानते हैं कि इनकी आटोनोमी अपने किस्म की है और उसके अन्दर जब भी हम हस्तक्षेप करेंगे तो आम तौर से लोगों को यह ख्याल होगा कि यूनिवर्सिटी को हम टेकअप करना चाहते हैं। लेकिन यह सही है कि यूनिवर्सिटीज के खिलाफ कम्पलेन्ट आयें तो हम चांसलर को रिकमण्ड कर सकते हैं, इन्क्वायरी करने के लिये। और मैं यहां कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ जब कभी भी इस प्रकार की कम्पलेंटस आएंगी तो हम चांसलर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वह कोई कमेटी नियुक्त कर दे ताकि वह इन चीजों को देख सके।

इसी तरीके से इस बात का भी अभी ख्याल आया है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आखिरकार गुडस डिलीवर करने पड़ते हैं और गुड्स डिलीवर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है और इसके लिए आम तौर से जब भी मैं गया हूं, यहां से डायरेक्टर लोग भी गए हैं, जो क्लेक्टर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, उनको सजग रहना चाहिये। जैसा कि अभी गंगानगर के सदस्य महोदय ने कहा था कि हम मोडल डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। सीनियर आफिसर्स को वहां भेजना चाहते हैं। पहले जमाने के अन्दर कोई सीनियर आफिसर कलेक्टर बनाया जाता था तो यह कहा जाता था कि इसके साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन अब हम समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिये सीनियर आफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट में जाकर बैठना पड़ेगा। इसी तरह से आज के दिन जितने भी सीनियर आफिसर्स हैं उनका क्या एप्टीट्यूड है इसकी इन्फार्मेशन मांगी है ताकि हमें यह मालूम हो कि कौन आदमी कहां फिट हो सकता है। इसी तरह से हम इण्डस्ट्रियल पूल बना रहे हैं। इण्डस्ट्रियल

# Page No. 220



(श्री बरकतुल्ला खां)

सर्विस क्रियेट करना चाहते हैं जो हमारे कारपोरेशन को देखे। जो आज हमारे कारपोरेशन को देखते हैं उनका कुछ इकोनोमिक बेक ग्राउन्ड होना चाहिये, एडमिनिस्ट्रेटिव बैंक ग्राउन्ड होना चाहिये, इसके साथ साथ डेफिनेट एप्टीट्यूड होना चाहिये जो इन कार्यों को कर सकें। क्योंकि हम समझते हैं कि जो स्टेट इण्टरप्राईजेज लगाते हैं तो उनकी पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिये कि जो कुछ समस्यायें हैं उनको हम समझें। लेबर की समस्यायें हैं, इकोनॉमिक समस्यायें हैं, इन सब को समुचित तरीके से समझें और जो खामियां इसमें सामने आ रही है उनको पूरा किया जाय और उनको अच्छी तरीके से चलायें।

इसी तरीके से इकोनोमी की भी हम कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि साल भर में एक करोड़ के ऊपर की सेक्रेटेरियट और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के अन्दर हम इकोनॉमी कर पायेंगे और इकोनामी करने के लिए जो पहलू हमारे सामने है वह यह है कि हमारा पर-कैपिटा एक्सपेंडीचर प्लान के अन्दर काफी फेवरेबल है दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में। फिर भी हम नहीं समझते कि यह चीज ठीक है। हम अपना एक्सपेंडीचर फरदर रिड्यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा यह और भी किया है कि योजनाओं के मामलों के अन्दर जब पूरा कार्य नहीं होता है तो हर इम्पोटेंन्ट मिनिस्ट्री के साथ, हर इम्पोर्टेन्ट डिपार्टमेंट के साथ हम प्लानिंग का सेल खोल रहे हैं। हमको अपना प्लानिंग करते समय लौंग व्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्कीम में पांच साल के प्लानिंग से काम चलने वाला नहीं है. हमें उसमें दस साल और पन्द्रह साल का प्लानिंग फिट करना होगा। कन्डीशन्स बदलती रहती हैं, आर्टिकल्स बदलते रहते हैं। इसके लिए भी हमारे दिमाग में एक तैयारी होनी चाहिए। इसलिए बजाय इसके कि सारी जिम्मेदारी प्लानिंग डिपार्टमेंट पर रखी जाय, यह जरूरी समझा गया है कि हर डिपार्टमेंट के साथ एक प्लानिंग सेल हो जो गाइड कर सके और उस चीज को समझा सके कि किस तरीके से इस काम में चलना चाहिए।

इसी तरीके से. माननीय उपाध्यक्ष, कुछ यहां पर मुद्दे उठाए गए उनको मैंने यहां क्लियर कर दिया। डिसिप्लीनरी एक्शन के बारे में हम एक्टीवाइज कर रहे हैं क्योंकि अभी तक मैंने यह देखा है कि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज जो हैं वह वर्षों तक पड़ी रहती हैं। किसी वन प्रीटेक्स और दी अदर, किसी न किसी बहाने से पेंडिंग चलती रहती हैं। नतीजा यह होता है कि जो इन्क्वायरी जल्दी होनी चाहिए वह देरी में होती है, दूसरे इन्क्वायरी में कुछ खामियां रह जाती हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने यह एटीट्यूड लिया है कि जो गलत नहीं है उसको फौरन छोड़ दिया जाय लेकिन जो गल्ती पर है उनको बख्शा नहीं जाए। इसलिए माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमने विजिलेंस कमीशन बनाया, एण्टी-करप्शन को उसके नीचे रखा और उसके साथ साथ डायरेक्टर आफ पब्लिक ग्रिवेंसेज को लगाया। कमिश्नर फार डिपार्टमेंटल इन्क्वायरीज को रखा गया और चूंकि मेरे पास भी बहुत अधिक लोग आते हैं, मैंने एक

(श्री बरकतुल्ला खां)

डायरेक्टर आफ कम्पलेंट्स फार माई सेक्रेटेरियट रखा है और आज जो भी मेरे पास एप्लीकेशन लेकर आता है हम उसको रसीद देते हैं। उस रसीद देने के बाद 15 दिन में जवाब नहीं आता है तो रिमाइण्डर भेजते हैं और फिर भी जवाब नहीं आता है तो आफिसर को पर्सनली रैस्पोंसिबल करने की तैयारी है। क्योंकि हम यह समझते हैं कि जनता के लोग दुखी हुए बगैर हमारे पास नहीं आयेंगे। जब इतने साधन हैं उनके बाद भी वे इतनी दूरी से हमारे पास आते हैं तो यकीनन कहीं न कहीं कुछ कमी है। कहीं जानकारी की कमी हो सकती है। कोई कोर्ट में केस चल रहा है और वहां किसी प्रकार का फैसला हो गया। कहीं एस. डी. ओ. ने ज्युडिशियल पावर्स को एक्सरसाईज कर दिया तो यह सब चीजों को हम जनता को बता देना चाहते हैं। मैं बराबर जवाब दिलवा रहा हूं कि यह आपकी पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए यह कम्पलेंट है या और कोई बात है या आपने जो दरख्वास्त दी है जुडिशियल कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ आज राजाओं का, महाराजाओं का और नवाबों का सवाल आया है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमने जो ड्राफ्ट कोविनेंट को भारत सरकार ने साइन किया था और भारत सरकार ने जब साइन किया था तो हम भारत सरकार से पूछे बगैर कोई यूनिलेटेरल एक्शन नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमने अभी तक ये कदम उठाए हैं। उनकी मेडिकल फैसेलिटी विथड्रा कर ली हैं। पुलिस गार्ड जो है इस महीने की 31 तारीख से हटा ली जाएगी और जो अपना झण्डा उड़ाते थे उस झण्डे को रखने का हक भी बन्द कर दिया गया है। उनकी वर्थ डे पर जो छुट्टियां होती थी वह बन्द कर दी गई हैं और वह जो धार्मिक ...ों पर और धार्मिक सेरेमनीज पर दरबार वगैरह करते थे उसको रोक दिया है। इसी तरीके से अब उसके जो पुराने टाईटल हैं महाराजा, हिज हाईनेस, इस नाम से नहीं पुकारेंगे और जैसे आप हम सभी को श्री लगाकर पुकारा जाता है, गवर्नमेंट कम्यूनिकेशन में श्री के नाम से सम्बोधित करते हैं, इनके लिए भी कर दिया गया है और अब ये श्री से सम्बोधित किए जावेंगे। इस प्रकार जो दरबार किया करते थे वे बन्द कर दिए गए हैं। और जो फ्री शराब मिलती थी ड्यूटी फ्री, इसको भी बन्द कर दिया है। जो लोकल टैक्सेशन हैं, जिनकी उनको माफी थी इसके लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आर्डर इश्यू कर दिए गए हैं और हर म्यूनिसिपैलिटी जहां कि ये महाराजा रहते हैं वहां की म्यूनिसिपैलिटीज को इन्स्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। अब वे एग्जेम्प्शन उनको नहीं मिलेंगे और इन पर साधारण नागरिक की तरह टैक्सेशन वगैराह लगेंगे।

**श्री श्रीराम गोटेवाला** : भवन वगैरह की बात छूट गई है। इन्वेंट्री जो बनी थी उसने क्लियरली लिखा था कि जो दरबार होगा उसके लिए ये भवन रखे गए हैं। उन पर भी आप विचार कर रहे हैं या नहीं।

**श्री बरकतुल्ला खां** : मैं इन सब चीजों को बता रहा हूं। आपने बीच में ही टोक

(श्री बरकतुल्ला खां)
दिया है। मैं अर्ज कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष, कि कुछ मामले भारत सरकार से सम्बन्धित है। भारत सरकार से सम्बन्धित मामलों में उन्हें लिखा गया है।

आर्म्स एक्ट में उनको माफी थी वह हटा ली गई है और सूटेबल तरीके से आर्म्स एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि भारत सरकार का जहां तक मुझे दिमाग मालूम है वह इन्कम-टैक्स एग्जेम्प्शन जो था उसको भी विड्रा कर रहे हैं। और वहां का कस्टम का था उसको भी विड्रा कर रहे हैं और जो पहले इन पर अदालत में मुकदमे नहीं चलाए जा सकते थे भारत सरकार उनको भी जल्दी ही विड्रा कर रही है। इस प्रकार जो राइट्स और प्रिविलेज उनको है भारत सरकार इनको विड्रा करने जा रही है। इसी तरीके से उनकी फेमिलीज की जो प्रोपर्टीज हैं वह भी अब रिक्वीजिशन की जा सकती हैं जो पहले रिक्वीजिशन नहीं होती थी। इसके अलावा जो और चीजें थी, कण्टीन्यूएंस आफ एनसेस्ट्रल प्रोपर्टीज वगैरह की जो आलरेडी विड्रा हो चुकी हैं उनके बारे में नहीं कहा गया है। राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से भारत सरकार को लिखा है कि जो उनकी एनसेस्ट्रल प्रोपर्टी है जो उनकी पर्सनल प्रोपर्टी है उसके मुत्तिलक क्या होगा। जब उनकी रूलरशिप खत्म हो गई तो भी अब उस प्रोपर्टी की मिल्कियत क्या होगी।

ज्वेलरी जो उनको सैरमनीज के समय पहनने को मिली और सैरमनीज के लिये मिली हुई थी उनका क्या होगा? ये सारे इश्यूज हैं जो हमने भारत सरकार के सामने रखे हैं और ज्यों ज्यों भारत सरकार से डिक्टेशन आता जाएगा वैसे वैसे हम एक्शन लेते जायेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह जो लैटर आपने लिखा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बाद में पूछ सकते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यह टेबुल आफ दी हाउस पर रख दें तो अच्छा रहेगा।

**श्री बरकतुल्ला खां** : जैसा मैंने अर्ज किया है अलग अलग पत्र हैं। आप चाहें तो इसकी डिटेल दे सकता हूं। सदन से छिपाने की कोई बात नहीं है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : हाउस में रख दें।

**श्री बरकतुल्ला खां** : यह लिखा है कि तमाम जायदाद चाहे वह निजी हो, चाहे उनकी खानदानी हो, जब वह डिरिकोग्नाइज हो गये हैं तो उस प्रापर्टी को स्टेट में रिवर्ट होना चाहिए, यह लिखा है।

दूसरा यह लिखा है कि क्या जो प्रापर्टी भूतपूर्व राजा महाराजाओं की थी नवाबों की थी क्या वे अपनी खानदानी जायदाद को आजादी से बेच सकते हैं और अगर नहीं तो क्या राजस्थान सरकार या भारत सरकार किसी तरीके से रेस्ट्रीक्शन लगा सकती है। अगर इसका जवाब यह दिया गया कि हम लगा सकते हैं तो इमीजियेटली एक्शन लिया जायेगा। इसी तरीके से यह भी लिखा है कि जो नेशनल ट्रस्ट बनाये गये हैं उनके ऊपर भारत सरकार क्लीयर्ली आ दे दे कि

(श्री बरकतुल्ला खां)
नेशनल ट्रस्ट बनने चाहिये या जिस तरीके से ये बन रहे हैं वह सही है । इसी तरीके से हमने बहुत सारे प्रश्न रेज किये हैं । आप चाहे तो डिटेल में बता दूं ।

**श्री श्रीराम गोटेवाला :** इन्वेन्ट्रीज में क्लीयर्ली उल्लेख है कि उनकी जितनी सामग्री है उसके बारे में क्लीयर्ली कहा गया है ।

**श्री बरकतुल्ला खां :** राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को लिख दिया है और जैसे ही जवाब आ जायेगा उसके ऊपर कार्यवाही की जायेगी। हम इस पर किसी प्रकार की डिले नहीं करना चाहते हैं ।

इसी तरीके से मैं समझता हूं कि उनके खानदान के लोगों का सवाल है उनको छोटी मोटी पेन्शन मिलती है तो उस पर भारत सरकार से जवाब चाह रहे हैं । मेरी आज भी राय है कि बहुत सारी बेवाएं हैं, विधवाएं हैं बहुत सारे गरीब रिश्तेदार हैं जो सामन्तशाही और उसके शिकार हुए हैं और आज बहुत बुढियाएं तो ऐसी हैं जो बिस्तरे से उठ नहीं सकती हैं उनके बेटे और पाते हैं उनको पैसा नहीं देना चाहते हैं । राजस्थान सरकार इसको प्योरली ह्यूमिनेटरी ग्राउण्ड से सोचेगी और जो भी निर्णय लिया जायेगा वह इन्साफ के साथ लिया जायेगा। हम किसी के साथ दुश्मनी का व्यवहार नहीं करना चाहते हैं । उनके जो डिपेन्डेन्टस हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं । इसी तरीके से नेशनल ट्रस्ट जो भी बनेगा वह भारत सरकार ही बना सकती है हम नहीं बना सकते हैं । इसलिए इसको रेफर किया है और तो भारत सरकार चाहे तो अपनी अनुमति दे दे और उसके बाद भारत सरकार नेशनल ट्रस्ट बना सकती है और राजस्थान सरकार नेशनल ट्रस्ट नहीं बना सकती है स्टेट लेविल का बना सकती है ।

इसी तरीके से माननीय सदस्य जो गंगानगर से आये हैं, उन्होंने कुछ सुझाव रखे हैं । मैं उनके सुझावों का स्वागत करता हूं । मैं यह समझता हूं कि अपोजिशन नहीं होने से हमें ढिलाई बरतने की कोई आवश्यकता नहीं है । लेकिन यह भी मैं समझता हूं कि मेरी पार्टी को कलेक्टिव तरीके से गाइडेन्स देना चाहिए लेकिन वह इन्टायर अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर सकती है । इसके साथ ही साथ हमारी पार्टी के अन्दर ऐसे लोग हैं जो खुले तरीके से सुझाव देते हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और जायज तरीके से भी कोई भी माननीय सदस्य चाहे वह किसी दल का इस तरफ का हो या उस तरफ का हो उसके सुझावों का मैं स्वागत करता हूं । मैं जानता हूं एडमिनिस्ट्रेशन एक लम्बे समय से एक खास तरीके से चल रहा था । उसको एक मोड़ देना है । मोड़ यह देना है कि हम कमीटेड सर्विसेज नहीं चाहते हैं । हम ऐसी सर्विसेज नहीं चाहते हैं जो हमारी पोलिटिक्स में इन्डल्जिंग करती हों और हम एन्टी कमीटेड सर्विसेज भी नहीं चाहते हैं या जो कांग्रेस पार्टी की मदद करे, पोलिटिक्स में पार्ट लें, चाहे फिर वह मेरी पार्टी हो या चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, तो उसको रोका जायेगा और उन पर नियन्त्रण लगाया

(श्री बरकतुल्ला खां)

जायेगा, क्योंकि सर्विसेज से यह आशा की जाती है वह सर्विसेज न्यूट्रल रहेगी। यदि वह कांग्रेस को सपोर्ट करती है तो गलत करती है, दूसरी पार्टीज को सपोर्ट करती है तो गलत करती है। हम एन्टी कमीटेड सर्विसेज भी नहीं चाहते हैं। यह मैं साफ रूप से कहना चाहता हूं। मैं यह भी कह देना चाहता हूं पोलिसीज निर्धारित करना हमारा काम है।

(श्री रामकिशोर व्यास, म.प.अध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान सरकार अपनी नीतियां बनायेगी और उनको पूरा करना सर्विसेज का काम है। पालिसीज के अन्दर दखल देने का मजाज उसको नहीं है। हां कोई ऐसा पाइन्ट हो जो कि कान्स्टीट्यूशन के विरुद्ध जा रहा हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली पासिबल नहीं हो सकता तो उनको पूरा अधिकार है। आपको पूरा अधिकार है कि आप चाहें जो लिख दें और हमको भी पूरा अधिकार है, जनता ने हमको भेजा है। अगर हम आपको ओवर रूल करते हैं तो डेमोक्रेसी मैं समझता हूं कि यह अकार्डिंग टू दी फेथ इन डेमोक्रेसी करते हैं। यह आपको ह्युमिलियेट करने को नहीं है। सर्विसेज को हमारी पोलिसीज पर एक्ट करना है। जहां-जहां से मेरे पास में शिकायतें आई हैं उनकी मैंने जांच करवाई है। सी. आई. डी. से इन्क्वायरी करवाई है, क्राइम ब्रान्च से इन्क्वायरी करवाई है और बराबर चेतावनी देता रहा हूं। इलेक्शन के अन्दर कुछ केसेज आये थे। उनके ऊपर सख्ती के साथ इन्क्वायरी करवा रहा हूं जिसने भी किया है उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। इस तरीके से, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह प्रश्न उठा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट फार्मूले को स्ट्रक डाउन कर दिया। मेरिट फार्मूले को अपहोल्ड किया है। सिर्फ जो सक्यूलर निकाला था मार्किंग सिस्टम का उसको स्ट्रक डाउन किया है।

इस तरीके से मैं मजबूरी में कह रहा हूं जनसंघ दल के नेता मेरे दोस्त हैं, हम एक ही शहर से आये हैं। पहले भी निवेदन किया था आज फिर निवेदन कर रहा हूं, बड़ी नम्रता के साथ, एक दोस्त के नाते, एक शहर के रहने वाले के नाते और इस सदन के मेम्बर होने के नाते। उन्होंने यहां पर एक अहमद के केस के बारे में कहा। यह केस यहां पर पहले डिसकस हो चुका है। किसी ने आपको पूरी जानकारी नहीं दी हो तो जानकारी कर लें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप फौरन असेम्बली की डिबेट को पढ़ लीजिये और उसके बाद भी कोई शंका हो तो उसको भी दूर कर लीजिये। कोई आपको हाफ ट्रुथ कह दे तो आप उसको नहीं मानें आप बड़े वकील हैं। इस चीज को देखिये। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आपको सेटिस्फाई करूंगा और जो सही है, वह आपको बता दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां पर राजस्थान के अन्दर सर्विसेज का इन्टेग्रेशन हुआ उसके साथ-साथ अब में यह चाहता हूं कि सर्विसेज का वेलफेयर भी होना चाहिए। सीनियर और जूनियर आफिसर्स के बीच में बातचीत होनी चाहिए। सीनियर आफिसर्स को यह

(श्री बरकतुल्ला खां)

मालूम होना चाहिए कि जूनियर आफिसर्स की क्या दिक्कत है। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो उनके नीचे मातहत हैं उनकी क्या दिक्कतें हैं. और इसके लिए रेग्यूलर्ली मैं इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि सीनियर आफिसर्स और जो लोग उनके नीचे काम कर रहे है उनके बीच, बराबर बातचीत होती रहे, और एक-दूसरे से बातचीत करते रहें, और एक-दूसरे की तकलीफों को दूर करना चाहिए। यह जो कास्ट सिस्टम सर्विसेज में हो गया है वह कास्ट सिस्टम खत्म होना चाहिए। जब हम यह बात करना चाहते हैं कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए तो सर्विसेज के अन्दर बहुत बड़ा कास्ट सिस्टम हो गया है, और मैं यह कोशिश कर रहा हूं कि राजस्थान के अन्दर यह कास्ट सिस्टम मिटना चाहिए। वह अपने क्लब में कास्ट सिस्टम रखना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं, मगर जब सर्विस कर रहे हैं, सेक्रेटेरियेट में काम कर रहे हैं और जब सर्विस से डील कर रहे हैं तो यह कास्ट सिस्टम हटाया जाना चाहिए। मुझे, माननीय अध्यक्ष, यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जब से यह अभियान चलाया है काफी बातचीत हुई है, गलतफहमियां दूर हुई हैं, मुश्किलें एक-दूसरे की समझने की कोशिश की जाती है।

राजस्थान की सर्विसेज के वेलफेयर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए टी. ए. रूल्स को बदला और गरीब से गरीब हमारा कर्मचारी था उसको भी मौका दिया। पहले यह होता था कि पैदल जाने वाले को कोई टी.ए. नहीं मिलता था, साईकिल पर जाने वाले को टी.ए. नहीं मिलता था तो इनके रूल्स के अन्दर चेन्जेज किये कि पैदल जलने वाले को भी मिलना चाहिए, तांगे से घर से जाता है, रिक्शे से घर पर जाता है, स्टेशन पहुंचता है तो उसको भी मिलना चाहिए, क्योंकि यह नहीं हो कि मिनिस्टर और बड़े आफिसर ही सारी सुविधाएं लें और एक आदमी जो पैदल जाय उसको कोई सुविधा न हो। अगर कोई साईकिल से नहीं जा सकता, रिक्शे से नहीं जा सकता और पैदल जाता है तो उसको भी टी.ए. मिलना चाहिए। एक तो जो स्टेगनेशन आ गया था उसका बदलना चाहते हैं और इस तरीके से बदलेंगे कि जब इन्स्टीट्यूशन में परिवर्तन हो, उस तरीके से बदलेंगे कि नीचे से नीचे का कर्मचारी जो है उसको यह फीलिंग हो कि गवर्नमेंट उसमें इन्ट्रेस्टेड है, उसकी देख-भाल करना चाहती है।

आखरी एनेलेसिस के अन्दर तो जहां बड़े बड़े आफिसर हैं गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं, आज पटवारी क्या करता है, आज एक कान्स्टेबल क्या करता है, स्कूल का अध्यापक क्या करता है, इस तरह की बातें गवर्नमेंट के पास पहुंचती है। वह जानती है और पकड़ती है। इस तरीके से मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम इस तरह से चले जा रहे हैं तो इसके अन्दर एक चेन्ज ला रहे हैं, स्लोली ला रहे हैं और ग्रेजुएली ला रहे हैं, जनता के सहयोग से ला रहे हैं। सेक्रेटेरियेट के अन्दर आप पहली मर्तबा देखेंगे कि लोग वक्त पर आने लगे हैं। पहली मर्तबा आप देखेंगे कि बड़े-

(श्री बरकतुल्ला खां)
बड़े सेक्रेटरी जो देर से आते थे वे अब समय पर आते हैं और दोपहर के बाद नहीं आते थे तो हमने कहा कि आप छुट्टी ले लें। अगर वक्त पर नहीं आ सकते तो लीव ले लें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक्जाम्पल मिनिस्टर और सेक्रेटेरियेट के बड़े कर्मचारी मदद नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों को लेक्चर देना बिल्कुल गलत और बेकार है। पहले हमें एक्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, और उस एक्जाम्पल सेट को करने में थोड़ा बहुत लोग फील करते हैं, लेकिन जब हम दूसरों से कहते हैं तो हम एक्जाम्पल बनें और इस कार्य को करें।

मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं यह आपसे अर्ज करूंगा करप्शन के लिए कि वह काफी कम हुआ है, और करप्शन के लिए बराबर हम कर रहे हैं और बराबर करते रहेंगे। यह समझना कि करप्शन दूर नहीं हो रहा है ठीक नहीं है। हम लोगों को पकड़ रहे हैं सस्पेंड कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले यह मालूम हुआ कि अजमेर रोड पर जो ब्रिज बन रहा था उसके अन्दर जो माल लगाया जा रहा था, जो सीमेंट लगाया जा रहा था वह सही मिकदार में नहीं था। हमारे पी. डबल्यू. डी. मिनिस्टर साहब ने चीफ इन्जीनियर को बुलाया और उनसे कहा कि तुम जाओ और देख कर आओ कि यह बात सही है या गलत है। अगर सही है तो उचित कार्यवाही करके जवाब दें और अगर सही नहीं है तो भी जवाब दें। वहां पर एक ओवरसियर पकड़ा गया, सस्पेंड किया गया। एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर का एक्स्प्लेनेशन काल किया जा रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि छोटे लोगों को पकड़ने से कोई फायदा नहीं। किसी में अगर आर्गेनाइजिंग केपेसिटी नहीं हो, कोई बड़ा आफिसर डिसिप्लिन नहीं रख सकता हो तो उसका इतनी बड़ी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। एक सही चीज मिलती है तो उसके अन्दर हम करते हैं और उसके अन्दर मिली। अपने तरीके से और ताकत के साथ करना चाहते हैं।

जैसा कि पहले मुझे मालूम हुआ कि जो हमारा आक्ट्राय पाइंट है वहां से दूसरे रास्तों तक लोगों को पुलिस तंग करती है और ट्रकों और बसों को रोकती है तो मैंने फौरन उसको विड्रा किया। जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि इस थाने के अन्दर यह बात हो रही है तो हमने एवीडेन्स ली और जिस थानेदार ने बिला जरूरत ट्रक या बस को रोका है उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है और यह एक नया सक्यूलर इश्यू कर रहे हैं कि बगैर जरूरत किसी थाने पर ट्रक या बस नहीं रोकी जाय और चैकिंग के सिवाय यह सब चीजें नहीं की जायं। लेकिन हमारे ये इन्सपेक्टर्स रखे गये हैं। अलग-अलग तरीके से हैं। इन्सपेक्शन होना सही बात है और इंसपेक्शन होना चाहिये, लेकिन बदकिस्मती क्या है, इतनी सारी आथोरिटीज हो गई हैं कि एक आदमी जो गांवों के अन्दर धन्धा करता है वह तेल भी रखता है, गेहूं भी बेचता है, कपड़ा भी बेचता है, दवा भी बेचता है तो उसको 12-13 आदमियों से डील विथ करना पड़ता है। इसी तरीके से रिन्यूअल लाइसेन्स की डेट कायम राजस्थान सरकार ने की है। यह तय हुआ कि रिन्यूअल आफ लाइसेन्स की जो डेट है वह एक ही

(श्री बरकतुल्ला खां)
महीने में हो जानी चाहिए ताकि हर महीने किसी को दिक्कत न उठानी पड़े।

इसी तरीके से इस बात का भी खयाल रखा है कि इन्सपेक्टर ने पकड़ा केस तो उसके अन्दर जरूर मुकदमा होना चाहिए, लेकिन यह भी सोचना पड़ेगा कि कितने लोगों को इन्सपेक्टर ने हेरेस किया। महीने में कितने मुकदमे पकड़े, साल भर में कितने पकड़े, कितनों का चालान हुआ, और कितने कामयाब हुए, क्योंकि यह भी हम नहीं चाहते कि इन्सपेक्टर कोटा भरने के लिए जो जायज काम करता है उसको भी तंग करें। इस तरीके से हम चाहते हैं कि जो लोग नाजायज काम करते हैं उनको छूट न दें। इसका एक समन्वय बैठना पड़ेगा और समन्वय बैठाने के बाद एक रेशनेलाइज्ड स्ट्रेन्थ इन्सपेक्टर्स की बनानी पड़ेगी और 2, 3, 4 काम उसको दिये जाय ताकि नम्बर कम हो।

इसी के साथ-साथ, माननीय अध्यक्ष, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अभी तक मुझे पूरा सहयोग दिया है इन मैटर्स में, और सर्विसेज में जहां तक मैंने देखा तो सर्विसेज के लोगों ने आकर बताया कि यह गलती है और इसको इस तरह से ठीक किया जा सकता है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि न मैं सर्विसेज के खिलाफ हूं और न सर्विसेज के अन्दर मेरे पैट हैं, और जरूरत पड़ी तो यह विश्वास हो जाने के बाद कि एडमिनिस्ट्रेशन के इन्ट्रेस्ट में किसी भी बड़े से बड़े आफिसर को नहीं लिया जाना चाहिए तो उसको मैंने किया है। सेक्रेटेरियेट के अन्दर जिस वक्त मैंने चार्ज लिया था जिस कदर चेन्जेज किये कि आज तक राजस्थान बनने के बाद इतने चेन्जेज नहीं आये, क्योंकि हम समझते हैं कि फ्रेश आउटलुक आना चाहिए, हेल्दी आउटलुक होना चाहिए, और जो यह एस्टेब्लिश हो गये हैं उनको दूसरे डिपार्टमेंट देकर फ्रेश आदमी लाये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बहुत हो गया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह डिमाण्ड पारित की जाय।

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9 मुख्य शीर्षक 19–सामान्य प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,13,77 000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 67–भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,79,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** नो।

**श्री अध्यक्ष :** मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 28–शिक्षा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 48,35,00,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखा अनुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही 17 मई, 1972 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9 बजकर 40 मिनिट पर बुधवार, दिनांक 17 मई, 1972 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

## परिशिष्ट 1

ता. प्र. सं. 530 की सूची

प्रश्न 1 की सूची

| ग्राम का नाम | | ग्राम का नाम |
|---|---|---|
| 1. दांतरु | 9. | गऊ |
| 2. बलारा | 10. | महरोली |
| 3. नेछवा | 11. | अजीतगढ़ |
| 4. गाडोदा | 12. | दांता |
| 5. फागलवा | 13. | दांतारामगढ़ |
| 6. मंगलूना | 14. | नाय |
| 7. रींगस | 15. | देवराला |
| 8. थेई | 16. | माऊडा खुर्द |
| | 17. | गनेडी |

(क्रमांक 15–17: ये योजनाएं पंचायत को सुपुर्द की हुई हैं।)

# Page No. 230



| क्र. सं. | नाम कर्मचारी | पद | अवधि |
|---|---|---|---|
| 11. | श्री पृथ्वीराज | चौकीदार | 1/ 68 से 7/68 |
| 12. | श्री खेतरचन्द | चौकीदार | 8/ 68 से जारी |
| 13. | श्री सुखदेव | हैल्पर 2 | 5/ 70 से जारी |
| 14. | श्री महावीर प्रसाद | हैल्पर 2 | 20–4–71 से जारी |
| 15. | श्री फूलचन्द | हैल्पर 1 | 4/ 72 से जारी |

उपरोक्त व्यक्तियों में से नं. 10 व 12 से 15 नं. के इस समय भी योजना पर कार्य करते हैं।

ग्रामीण जलदाय योजना दांतारामगढ़ :—

| क्र.सं. | नाम कर्मचारी | पद | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री पूरणमल गोस्वामी | हैल्पर 1 | 3/ 66 से 4/ 67 |
| 2. | श्री कुंजबिहारी | हैल्पर 1 | 4/ 66 से 10/ 66 |
| 3. | श्री रामजीलाल | चोकीदार | 3/66 से 12/ 66 |
| 4. | श्री सीताराम | | 4/67 से 7/68 |
| 5. | श्री महावीर प्रसाद | | 4/67 से 12/ 67 |
| 6. | श्री पृथ्वीराज | चोकीदार | 4/67 से 12/67 |
| 7. | श्री फूलचन्द | हैल्पर 1 | 8/68 से 3/71(72) |
| 8. | अर्जुनलाल | सहायक प्रथम | 4/ 72 से जारी |

---

जलदाय योजना दांता और दांतारामगढ़ पर कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों का यात्रा भत्ता विवरण माह 12/71 से 3/72

| क्र. नाम कर्मचारी पद | दिसम्बर 71 रु. में रकम | पास करने की तिथि | भुगतान की तिथि | जनवरी 72 रु. में रकम | पास करने की तिथि | भुगतान की तिथि | फरवरी 19/72 रु. में रकम | पास करने की तिथि | भुगतान की तिथि | मार्च 19/72 रु. में रकम | पास करने की तिथि | भुगतान की तिथि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1—जल योजना दांता** | | | | | | | | | | | | |
| 1 श्री भवनिश कुमार मुन्शी | — | — | — | 50.60 | 7-4-72 | 2-5-72 | 34.50 | 7-4-72 | 2-5-72 | — | — | — |
| 1 श्री महावीर प्रसाद सहायक द्वितीय | — | — | — | 17.50 | 29-3-72 | 2-4-72 | — | — | — | — | — | — |
| **2—जल योजना दांतारामगढ़** | | | | | | | | | | | | |
| 1 श्री अर्जुन लाल सहायक द्वितीय | 44.80 | 17-4-72 | 2-5-72 | 14.80 | 17-4-72 | 2-5-72 | — | — | — | — | — | — |

(1) जल प्रदाय योजना दांता व दांतारामगढ़ से सीकर आने वाले कर्मचारियों ने यात्रा भत्ता लिया है वह निम्न प्रकार है :—

(1) श्री अवनिशकुमार कर्मकार मुन्शी ने माह जनवरी 1972 का यात्रा भत्ता दिनांक 14-1-72 सीकर व दांतारामगढ़ और दिनांक 14-1-72 को ही दांतारामगढ़ से सीकर आ गया व दिनांक 23-1-72 को सीकर से दांतारामगढ़ और दांतारामगढ से दांता और दिनांक 6-1-72 को दांता से सीकर आ गया।

(2) श्री अवनिश कुमार कर्मकार मुन्शी माह फरवरी 1972 का यात्रा भत्ता दिनांक 23-2-72 सीकर से दांतारामगढ, दांतारामगढ से दांता व दिनांक 26-2-72 को दांता से सीकर।

(3) श्री महावीर प्रसाद सहायक द्वितीय ने माह जनवरी 72 का यात्रा भत्ता दिनांक 31-1-72 को दांता से सीकर व दिनांक 31-1-72 को ही सीकर से दांता।

(4) श्री अर्जुनलाल यादव सहायक प्रथम ने माह जनवरी 72 का यात्रा भत्ता दिनांक 28-1-72 को दांता से सीकर और सीकर से दांता दिनांक 8-1-72 को ही पहुंच गया।

(5) श्री अर्जुनलाल यादव ने माह दिसम्बर 1971 का यात्रा भत्ता दिनांक 14-12-71 को दांता से सीकर व सीकर से दांता दिनांक 18-12-71 को दांता से सीकर व सीकर से दांता, दिनांक 27-12-71 को दांतारामगढ़ से सीकर व सीकर से दांतारामगढ।

उक्त कर्मचारियों के अलावा उपरोक्त माह के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्मचारी का यात्रा भत्ता बिल नहीं है जो इस कार्यालय को दिया हो व भुगतान न हुआ हो।

2. निम्न कर्मचारियों ने काम किया है अथवा कर रहे है :—

**ग्रामीण जलदाय योजना दांता**

| क्र.सं. | नाम कर्मचारी | पद | अवधि |
|---|---|---|---|
| (1) | श्री सीताराम | हैल्पर 1 | 1-11-66 से 1-3-67 |
| (2) | श्री महावीर प्रसाद | हैल्पर 2 | 25-8-66 से 3/67 |
| (3) | श्री पृथ्वीराज चौकीदार | चौकीदार | 12-11-66 से 3/67 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (4) | श्री पूरणमल गरियाती | चौकीदार | 1–5–57 से 1–7–67 |
| (5) | श्री अर्जुनलाल | हैल्पर 1 | 28-4–67 से 3/72 |
| (6) | श्री शेखरचन्द्र | चौकीदार | 1–4–67 से 12/67 |
| (7) | श्री गोविन्दसिंह | हैल्पर 1 | 24–7–67 से 4/70 |
| (8) | श्री सोहनलाल | बाबू | 4/67 (एक माह) |
| (9) | श्री रमाशंकर | ,, | 11–5–67 से 18–6–67 |
| (10) | श्री अवनिश कुमार | बाबू | 17–7–67 से जारी |

**परिशिष्ट 2**

(ता. प्र. सं. 539 की सूची)

स्वतन्त्रता के बाद खोले गये संस्कृत महाविद्यालयों की सूची

1. राजकीय संस्कृत कालेज, कोटकासिम।
2. राजकीय संस्कृत कालेज, महापुरा।
3. राजकीय संस्कृत कालेज, कालाडेरा।
4. राजकीय संस्कृत कालेज, मनोहरपुर।
5. राजकीय संस्कृत कालेज, दौसा।
6. राजकीय संस्कृत कालेज, चिराणा।
7. राजकीय संस्कृत कालेज, सीकर।
8. राजकीय संस्कृत कालेज, अजमेर।

## परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 546 की सूची)

विक्री प्राप्त संस्थानों की सूची

1. मैसर्स भरतपुर आयल मिल्स प्रा. लि., भरतपुर।
2. मैसर्स आलोक इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज, जयपुर।
3. मैसर्स जीवन ज्योति काटन फैक्ट्री, रायसिंहनगर।
4. मैसर्स मधु इन्डस्ट्रीज, प्रा. लि., जयपुर।
5. मैसर्स ब्यावर काटन वेस्ट स्पिनिंग इन्डस्ट्रीज, ब्यावर।
6. मैसर्स इंडिया माइका ग्राइन्डर्स प्रा. लिमिटेड।
7. मैसर्स कोटा स्ट्रा बोर्डस् प्रा. लि. कोटा।
8. मैसर्स धौलपुर ग्लास वर्क्स लि. धौलपुर।
9. मैसर्स महालक्ष्मी काटन स्पिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, विजयनगर।
10. मैसर्स मालीराम नेमीचन्द प्रो. हिन्द होटल, जयपुर।
11. मैसर्स शाह इन्जीनियरिंग प्रा. लि., जयपुर।
12. मैसर्स भूपाल माइनिंग वर्क्स, भीलवाड़ा।
13. मैसर्स मंगलराम एण्ड कम्पनी, निम्बाहेड़ा।
14. मैसर्स कैलाश कोटन जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फैक्ट्री, सुमेरपुर।

## परिशिष्ट 4

### ता. प्र. सं. 515 की सूची

(1) जिले के प्रचार वाहन द्वारा सिनेमा व प्रचार के अन्य साधनों यथा प्रेस सबकी प्रदर्शनी, उद्घोषणायें आदि के द्वारा राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा जनता के लिये किये जा रहे विकास कार्यों की जनता को जानकारी देना व जनता की प्रतिक्रिया की सूचना सरकार को कराना।

(2) जिले के समाचार पत्रों को जिले की खबरें भेजना तथा जिले के समाचारों को बाहर के समाचार पत्रों को भी निदेशालय के द्वारा भेजना।

(3) मेले व अन्य बड़े बड़े अवसरों पर प्रदर्शनी का आयोजन करना व इस के माध्यम से विकास कार्यों से जनता को ज्ञान कराना।

(4) जिले में पंचायत समितियों व जिला स्तर की बैठकों में भाग लेना तथा जिले में अल्प बचत, परिवार नियोजन, अकाल राहत आदि कार्यों के सम्बन्ध में जिला अधिकारियों को पूरा सहयोग देकर प्रचार कार्य करना।

(5) विशिष्ठ व्यक्तियों की जिले में यात्रा के अवसर पर प्रचार करना।

(6) जिले की महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख फोल्डर व पुस्तिकाओं के माध्यम से करना तथा साहित्य का प्रचारार्थ वितरित करवाना।

(7) जिले के पत्रकारों से सम्पर्क रखना तथा आवश्यकतानुसार सहयोग देना।

# परिशिष्ट 5

(अ. ता. प्र. सं. 196 की सूची)

पेण्डिग प्रार्थना पत्रों का विवरण

| क्रम सं. | प्रार्थी का नाम | दिनांक कब से पेण्डिंग है |
|---|---|---|
| 1. | श्री सूरजमल | 2-1-72 |
| 2. | श्री अब्दुल हमीद | 17-1-72 |
| 3. | श्री मन्नालाल | 10-2-72 |
| 4. | श्री शंकरलाल | 10-2-72 |
| 5. | श्री कन्हैयालाल | 17-2-72 |
| 6. | श्री बाबूलाल | 20-3-72 |
| 7. | श्री मांगीलाल | 28-3-72 |
| 8. | श्री मोहम्मद हुसेन | 17-4-72 |
| 9. | श्री अमीन उद्दीन | 17-4-72 |
| 10. | श्री हफीजु र रहमान | 17-4-72 |
| 11. | श्री कमाल उद्दीन | 21-4-72 |

# परिशिष्ट 6

(अ. ता. प्र. सं. 207 की सूची)

जोधपुर शहर के निम्नलिखित स्रोतों से पानी प्राप्त किया जाता है :—

| | | |
|---|---|---|
| (क) | जवाई नहर | 65.00 लाख गैलन |
| (ख) | रामपुरा नल कुओं से | 23.00 „ „ |
| (ग) | बह्म बाग | 1.00 „ „ |
| (घ) | स्थानीय नलकूपों द्वारा | 1.50 „ „ |
| (ङ) | बाल संमद | 1.60 „ „ |
| | | 92.10 लाख गैलन |

गांवों की सूची जिनमें जवाई नहर से पानी देने की मांग की थी :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | ओटण | (2) | लालकी |
| (3) | कलाला | (4) | सांवतकाला |
| (5) | सांवतकला खुर्द | (6) | भूदियासनी |
| (7) | भाड पूरीया | (8) | दुबिया |
| (9) | ढावर | (10) | मन्डली खुर्द |
| (11) | पुरनायत | (12) | रामसिया |
| (13) | कानलाव | (14) | सुन्देलाव |
| (15) | बागडिया | (16) | हेमावास |
| (17) | सीतड़ा | (18) | कान्दड़ा |
| (19) | साली | (20) | ढिगाई |
| (21) | गिरवर कुरला | (22) | तोगांबास |
| (23) | बागोद | (24) | वितूडा |
| (25) | भनोपुरा | (26) | लापोद |
| (27) | भावुन्दा | (28) | वाला |
| (29) | मण्डिया | (30) | गुरडाई |
| (31) | चिरवड़ा | (32) | रूपावास |
| (33) | सूलिया वास | (34) | दयालपुर |

जिन जिन गांवों को पानी दिया गया :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | कानेलाख | 21-3-72 | 22-3-72 |
| (2) | बाला | 22-3-72 | 24-3-72 |
| (3) | कान्वड़ा | 22-4-72 | 23-4-72 |
| (4) | हेमावास | 25-3-72 | 28-3-72 |
| (5) | रायसिया | 25-3-72 | 26-3-72 |
| (6) | मण्डली | 26-3-72 | 27-3-72 |
| (7) | भीतेडा | 28-2-72 | 28-2-72 |
| (8) | दूदिया | 29-4-72 | 30-4-72 |
| (9) | लालकी | 30-4-72 | 2-5-72 |
| (10) | सूंडलाव | 30-4-72 | 2-5-72 |
| (11) | गीरवर | 25-4-72 | 27-4-72 |
| (12) | बागोद | 28-4-72 | 30-4-72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (13) | मण्डिया | 8-5-72 | 9-5-72 |
| (14) | गिरादडा | 15-5-72 | 11-5-72 |
| (15) | रूपावास | 11-5-72 | 12-5-72 |

प्रत्येक ग्राम को दिये गये पानी का सीधा नाप नहीं किया जा सकता है,

अतः सूची सदन को मेज पर नहीं रखी जा सकती है।

निम्न गांवों को अब पानी जवाई केनाल से दिया जाता है :—

(1) ढ़ाबर (2) गुडदई

## शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 16 मई, 1972)

| कालम संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12 | ऊपर से 17 | राज्य मंत्री | राज्य मंत्री, खनिज |
| | अन्तिम से 9 | श्री योगेन्दनाथ हांडा | श्री योगेन्द्रनाथ हांडा |
| | ऊपर से 3 | प्रकार की | प्रकार की है |
| 22 | ऊपर से 4 | मिनस्टर | मिनिस्टर |
| 23 | " 12 | स्वाधस्थ | स्वास्थ्य |
| 26 | " 1 | मोजरासर | मोजरासर |
| 27 | अन्तिम से 10 | अध्यक्ष यहोदय | अध्यक्ष महोदय |
| 31 | अन्तिम से 30 | समारिया | सामरिया |
| 32 | " 4 | क्या य | क्या यह |
| 33 | " 19 | दुर्गपति में | दुर्गति इनमें |
| 42 | अन्तिम से 4 | वगैराह | वगैरह |
| 44 | ऊपर से 12 | डिग्री | डिक्री |
| 43 | " से 7 | नेवस्ट | नेक्स्ट |
| 46 | " से 2 | वगैराह | वगैरह |
| 54 | अन्तिम से 11 | कमेटा | कमेटी |
| 57 | " 10 | श्री जुमारसिह | जुझारसिंह |
| 59 | ऊपर से 1 | श्री जुभरसिह | श्री जुझारसिंह |
| 61 | अन्तिम से 3 | सब लोज | सब लोग |
| 63 | ऊपर से 1 | श्री जभारसिंह | श्री जुझारसिंह |
| | " 19 | डवलय | डवलप |
| 65 | " 5 | स्थान | स्थगन |
| | अन्तिम से 5 | सूचि | सूची |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 73 | ऊपर से 11 | श्री मीठालाल | श्री मीठालाल (लालसोट) |
| 74 | अन्तिम से 12 | श्री गुरूदयाल सिंह | श्री गुरदयालसिंह संधु |
| 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 91, 93 | शीर्ष | अनु. स. के तारांकित प्रश्नोत्तर | अतारांकित प्रश्नोत्तर |
| 81– | ऊपर से 16 | श्रीमती कांता कथुरिया | श्रीमती कान्ता कथूरिया |
| 82– | " 3 | इण्िया | इण्डिया |
| 83 | " 1 | श्री खनिज मंत्री | खनिज मंत्री |
| 85 | अन्तिम से 13 | यलाना | पलाना |
| | " 11 | कोलाघत | कोलायत |
| 86 | ऊपर से 12 | पुलिन | पुलिस |
| 97, 99, 101,3, | शीर्ष | अतारांकित प्रश्नोत्तर | स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था |
| 109– | ऊपर से 6 | अधिकर | अधिकार |
| 112– | " 12 | श्री निरंजनाथ | श्री निरंजन नाथ आचार्य |
| 116 | अन्तिम से 10 | लि | लिए |
| 127 | " 13 | पाइन्टमेंट | अपाइन्टमेंट |
| 133 | ऊपर से 12 | Humical | Hummical |
| 137 | " 10 | Speek | Speak |
| 140 | " 17 | माध्ययिक | माध्यमिक |
| 143 | " 1 | वृद्धिचन्द | श्री वृद्धिचन्द्र जैन |
| 145 | " 15 | द्वा र | द्वारा |
| 147 | अन्तिम से 3 | त्रिक्षा | शिक्षा |
| 148 | ऊपर से 4 | शा ा | शाला |
| 153 | " 10 | च र्ा | चर्चा |
| 155 | " 1 | रामनारायण चौधरी | श्री रामनारायण चौधरी |
| 167 | " 7 | शंकरलाल | श्री शंकर लाल |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 168 | अन्तिम से 6 | निजि | निज। |
| 172 | ,, 1 | पन्दति | पद्धति |
| 183 | ,, 1 | फुलफ्लैण्ड | फुलफ्लेज्ड |
| 185 | ऊपर से 5 | अनिर्यमितायें | अनियमिततायें |
| 199 | ,, 1 | निरंजन नाथ आचार्य | श्री निरंजन नाथ आचार्य |
| 209 | ,, 1 | शस्त्रो | शास्त्री |
| 219 | ,, 9 | प्रका | प्रकार |
| 245 | ,, 7 | कैपाटीलिस्टिक | कैपीटलिस्टिक |
| 246 | अन्तिम से 1 | इसलिए | इसलिए |
| 261 | ऊपर से 7 | सिम्पंथिटिकक | सिम्पैथिटिक |
| 301 | अन्तिम से 12 | श्री कदारनाथ | श्री केदारनाथ |
| 305, 307 | शीर्ष | अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण | कार्य सलाहकार समिति का तीसरा प्रतिवेदन |
| 312— | अन्तिम से 4 व 6 | मार्कन | मार्क्स |
| 317— | ऊपर से 15 | सेक्रेटी | सेक्रेटरी |
| 370— | ,, 13 | पुस्तकालओं | पुस्तकालयों |
| 414— | ,, 3 | श्री नरायण सिह | श्री नारायण सिंह |
| 415— | ,, 6 | (श्री रामकिशोर व्यास अध्यक्ष पदासीन) | — |
| 4 1— | अन्तिम से 2 | qencration | generation |
| 439— | ,, 3 | इम्पोटेन्ट | इम्पोर्टेन्ट |
| 442 | ऊपर से 13 | कम्यूनिवेशन | कम्यूनिकेशन |
| | अन्तिम से 9 | वगैराह | वगैरह |
| 453 | ,, 14 | में | मैं |
| 454 | अन्तिम से 5 | अतुदत्त | अनुदत्त |
| 403 | ऊपर से 3 | बिक्री | बिक्री |

---